त्रयोदश माला, खंड 16, अंक 23

मंगलवार, 17 अप्रैल, 2001
27 चैत्र, 1923 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

(खण्ड 16 में अंक 22 से 31 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डॉ० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

सतेन्द्र सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जावेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जावेगा।)

विषय सूची

त्रयोदश माला खंड 16, छठा सत्र, 2001/1923 (शक)

अंक 23, मंगलवार, 17 अप्रैल, 2001/27 चैत्र, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
तंजानिया के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 421, 430 और 422	5-27
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 423 से 429 और 431 से 440	28-48
अतारांकित प्रश्न संख्या 4403 से 4562 और 4564	48-207
सभा पटल पर रखे गए पत्र	207-209
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
बीसवां, इक्कीसवां, बाईसवां और तेईसवां प्रतिवेदन	210
रेल संबंधी स्थायी समिति	
नौवां प्रतिवेदन	210
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
सड़सठवां, अड़सठवां और उनहत्तरवां प्रतिवेदन	211
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	212-214
रक्षा सौदों के संबंध में तहलका डॉट कॉम द्वारा किए गए रहस्योद्घाटन के बारे में	214-220
नियम 377 के अधीन मामले	220-226
(एक) मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता — डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	220-221
(दो) महाराष्ट्र में अहमदनगर में भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता — श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी	221
(तीन) उत्तर प्रदेश में गोंडा-बहराइच-मैलानी रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किए जाने की तत्काल आवश्यकता — श्री पदमसेन चौधरी	221-222

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(चार)	मुम्बई में मुलुन्ड (पूर्व) में संयुक्त कब्रिस्तान का निर्माण कार्य पूरा किए जाने हेतु 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी किए जाने की आवश्यकता	
	श्री किरीट सोमैया	222
(पांच)	सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री विजय गोयल	222
(छह)	देश में आर्थिक सुधारों के प्रभाव के बारे में श्वेत पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता	
	डॉ. संजय पासवान	222-223
(सात)	कर्नाटक में उदुपी रेलवे स्टेशन पर और अधिक रेल सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री विनय कुमार सोराके	223
(आठ)	महाराष्ट्र में पेयजल की गम्भीर समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री विलास मुत्तेमवार	223
(नौ)	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारियों को बोनस का शीघ्र भुगतान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पवन कुमार बंसल	224
(दस)	राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता	
	कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी	224
(ग्यारह)	देश में बेरोजगारी की गम्भीर समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुनील खां	224-225
(बारह)	आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तन में सी.जी.एच.एस. सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति	225
(तेरह)	उत्तर प्रदेश के मछलीशहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्यान्वयन की जांच किए जाने की आवश्यकता	
	श्री चन्द्रनाथ सिंह	225
(चौदह)	बिहार में अरवल और बिहारशरीफ, बरास्ता जहानाबाद काको एकांगर–सराय के बीच राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अरुण कुमार	226
(पन्द्रह)	महाराष्ट्र के नासिक जिले में फसल बीमा योजना के अंतर्गत उन किसानों को, जिनकी फसलें सूखे के कारण नष्ट हो गई हैं, मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री हरीभाऊ शंकर महाले	226

लोक सभा

मंगलवार, 17 अप्रैल, 2001/27 चैत्र, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

तंजानिया के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है।

मैं अपनी तथा सभा के माननीय सदस्यगण की ओर से भारत की यात्रा पर आये युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया की नेशनल असेम्बली के स्पीकर, महामहिम श्री पियूस मेसेक्वा तथा वहां के संसदीय शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों का स्वागत करता हूं।

यह शिष्टमंडल सोमवार 16 अप्रैल, 2001 को भारत पहुंचा। इस समय वे विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद और लाभप्रद हो। हम उनके माध्यम से युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया के राष्ट्रपति, संसद तथा वहां की मित्र जनता को अपनी शुभकामनाएं देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 421—श्री सुबोध मोहिते।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, हमने एडजर्नमैंट मोशन की सूचना दी है। उसके अन्तर्गत प्रश्न काल स्थगित करके चर्चा कराई जाए। देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह, मुझे आपकी सूचना मिली है। आप यह मामला शून्य काल में उठा सकते हैं, इस समय नहीं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका नोटिस देखा है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 421—श्री सुबोध मोहिते।

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : प्रश्न संख्या 421...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रामदासजी, आपका नोटिस नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठेंगे या नहीं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हो? आप हर रोज ऐसा क्यों करते हो? आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, यह अति हो रही है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह गंभीर मामला है। यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री अखिलेश सिंह, मैंने आपका नोटिस देखा है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप यह मामला शून्य काल में उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सुबोध मोहिते के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, आप बैठ जाइए। यह ठीक नहीं है। आप पैनल ऑफ चेयरमैन हैं। नियम आप ही बनाते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, मुझे भी स्थगन प्रस्ताव संबंधी सूचना प्राप्त हुई है। आप यह मामला शून्यकाल में उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? आप अध्यक्षपीठ को बाध्य न करें कि वे आपके खिलाफ कार्रवाई करें। आप यह कर क्या रहे हैं? आप अध्यक्षपीठ का कोई भी आदेश नहीं मान रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप चेयर से सुनते नहीं हैं, हम क्या बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं। हमने बोल दिया कि आप जीरो ऑवर में रेज कर सकते हैं। आपका नोटिस डिसअलाऊ कर दिया है।

...(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री आठवले, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं खड़ा हूं। यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं? मैंने बता दिया कि आप जीरो ऑवर में रेज कर सकते हैं। मैंने आपका नोटिस डिसअलाऊ कर दिया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह उचित स्थान नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके नोटिस के बारे में बता दिया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : दो सदस्य संपूर्ण सभा की कार्यवाही में व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं। यह अति हो रही है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरी रिक्वैस्ट है कि प्रश्न संख्या 430 को इसके साथ लिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा सहमत है तो, मैं प्रश्न संख्या 421 और 430 को एक साथ लेता हूं क्योंकि दोनों एक ही प्रकार के हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पंचायती राज संस्थाएं

*421. **श्री सुबोध मोहिते : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आदेशानुसार पंचायती राज संस्थाओं को अब तक निधियों, कृत्यों और कर्मचारियों का हस्तांतरण कर दिया है; और

(ख) शेष राज्यों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां सौंपने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

24 अप्रैल, 1993 से संविधान 73वां (संशोधन) अधिनियम 1992 के प्रावधानों के लागू होने के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पंचायतों को विभिन्न शक्तियां और कार्य सौंपे हैं। हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ विभागों/विषयों को निधियों और कार्यकर्ताओं सहित पंचायतों को हस्तांतरित किए हैं। केरल सरकार ने प्लान निधियों का 40% 'अर्बाधित (अनटाइड)' निधियों के रूप में पंचायती राज संस्थाओं को आबंटित किया है ताकि पंचायतें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विकास योजनाएं बनाने में समर्थ हो सकें। केरल और पंजाब में ग्राम पंचायतें एक लाख रुपये तक के विकास कार्य बिना किसी बाहरी सहायता के शुरू कर सकती हैं जबकि पं. बंगाल में यदि निधियां ग्राम पंचायत की ही हों, तो इसके लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई हैं।

पंचायती राज राज्यों का विषय है, इसलिए राज्य विधानमंडलों को पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार सौंपने चाहिए जो उन्हें स्व-शासन की संस्था के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों। राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों तथा राज्यों के पंचायती राज के प्रभारी सचिवों के साथ परामर्श और पत्र व्यवहार के जरिए केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आग्रह करती रही है कि कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन को पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा जाना ही पर्याप्त नहीं है और कि अनुच्छेद 243 जी में संवैधानिक व्यवस्था और ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों को ध्यान में रखते हुए पंचायतों को और अधिक कार्यात्मक और वित्तीय शक्तियां सौंपने की आवश्यकता है।

पंचायतों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विभागों/विषयों (निधियों, कार्यों और कार्यकर्ताओं सहित) के हस्तांतरण के ब्यौरे संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं।

अनुबंध

पंचायती राज संस्थाओं को निधियों, कार्यों और कार्यकर्ताओं सहित विभागों/विषयों के सौंपने संबंधी स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निम्नलिखित सहित पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित विभागों/विषयों की संख्या			निम्नलिखित सहित पंचायतों को अभी हस्तांतरित किए जाने वाले विभागों/विषयों की संख्या		
		निधियां	कार्य	कार्यकर्ता	निधियां	कार्य	कार्यकर्ता
1.	आंध्र प्रदेश	05	13	02	24	16	27
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	29	29	29
3.	असम	-	-	-	29	29	29
4.	बिहार	-	-	-	29	29	29
5.	झारखंड	-	-	-	29	29	29
6.	गोआ	-	-	-	29	29	29
7.	गुजरात	-	-	-	29	29	29
8.	हरियाणा	-	16	-	29	13	29
9.	हिमाचल प्रदेश	02	23	07	27	06	22
10.	कर्नाटक	29	29	29	-	-	-
11.	केरल	15	29	15	14	-	14
12.	मध्य प्रदेश	10	23	09	19	06	20
13.	छत्तीसगढ़	10	23	09	19	06	20
14.	महाराष्ट्र	18	18	18	11	11	11
15.	मणिपुर	-	22	04	29	07	25
16.	उडीसा	05	25	03	24	04	26
17.	पंजाब	-	07	-	29	22	29
18.	राजस्थान	-	29	-	29	-	29
19.	सिक्किम	29	29	29	-	-	-
20.	तमिलनाडु	-	29	-	29	-	29
21.	त्रिपुरा	-	12	-	29	17	29
22.	उत्तर प्रदेश	12	13	09	17	16	20
23.	उत्तरांचल	12	13	09	17	16	20
24.	प. बंगाल	12	29	12	17	-	17
25.	अंडमान निकोबार	-	-	-	29	29	29
26.	चंडीगढ़	-	-	-	29	29	29
27.	दादरा व न. हवेली	-	03	03	29	26	26
28.	दमन व दीव	-	29	-	29	-	29
29.	दिल्ली	पंचायती राज प्रणाली अभी पुनर्स्थापित की जानी है।					
30.	पांडिचेरी	-	-	-	29	29	29
31.	लक्षद्वीप	-	06	-	29	23	29

संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 जम्मू व कश्मीर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के राज्यों के लिए लागू नहीं है।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं में पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी

*430. **श्री रामदास आठवले** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के बाद भी अधिकतर केंद्र प्रायोजित परियोजनाएं राज्यों की राजधानियों से क्रियान्वित की जा रही हैं जैसा कि दिनांक 13 अगस्त, 2000 के 'दैनिक जागरण' नई दिल्ली में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (ग) एक विवरण पटल पर रखा गया है।

विवरण

73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 (जी) के अनुसार राज्यों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त शक्तियां और उत्तरदायित्व सौंपे जाने हैं ताकि वे स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हेतु योजनाएं तैयार करने और कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी भी पंचायती राज संस्थाओं को सौंपी गई हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आग्रह किया गया है कि वे संबंधित क्षेत्रों में योजनाएं बनाने और कार्यान्वित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को कार्य सौंपे तथा कर्मचारी और निधियां उपलब्ध कराएं।

नौवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में योजना आयोग ने टिप्पणी की है कि वास्तव में अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 29 विषयों के संबंध में पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी बहुत कम रही है और राज्य सरकारों, ग्रामीण विकास मंत्रालय को छोड़कर अन्य केंद्रीय मंत्रालयों ने अपने कार्य क्षेत्र के तहत केंद्र प्रायोजित योजनाओं की योजना बनाने और कार्यान्वयन की कार्यनीति में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए हैं।

योजना आयोग ने संकेत दिया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा से पता चलता है कि समानांतर संगठन और निष्पादन प्रणालियां जैसे जिला स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सोसाइटी, ग्राम शिक्षा समितियां, महिला संघ, लोक जुंबिश परिषद् तथा संयुक्त वन प्रबंध समितियां बन गई हैं जिनके चलते पंचायातें को कोई भूमिका नहीं सौंपी गई है और समानांतर संगठनों द्वारा शुरू की गई योजनाओं के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने के लिए अभी औपचारिक ढांचे तैयार किए जाने हैं। अनेक केंद्र प्रायोजित योजनाएं भी विशिष्ट रूप से गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं जिनमें पंचायतों की मामूली भूमिका है।

पंचायती राज राज्यों का विषय होने के कारण राज्य विधान मंडलों द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार दिए जाने चाहिएं जो इन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों। संविधान के अनुच्छेद 243 जी तथा अनुसूची-11 में निहित संवैधानिक प्रावधानों के मद्देनजर केंद्र सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा केंद्रीय मंत्रालयों से सभी योजनाओं के कार्यान्वयन में पंचायतों को महत्वपूर्ण भूमिका देने का अनुरोध करती रही है।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने यहां जो जवाब दिया है उसके साथ एक चार्ट एनक्लोज किया है और जिसमें कुछ फिगर्स दी हुई है। अनुबंध के दो भाग हैं हस्तांतरित और अभी हस्तांतरित किए जाने वाले। जब मैंने चार्ट को एनालेसिस किया तो यह पिक्चर सामने आ रही है : "31वें राज्य के कर्मचारियों का अभी हस्तांतरण बाकी है। 31वें राज्य के कुल 870 कर्मचारियों का अभी हस्तांतरण बाकी है। तथापि, 24 अप्रैल, 1993 से केवल 420 कर्मचारियों का ही हस्तांतरण किया गया।" इसका मतलब यह है कि 9 साल में 1993 से हमने जो स्कीम्स इंपलीमेंट करनी हैं, उसकी एचीवमेंट्स 48.27 परसेंट रही है। मंत्रीजी ने सैकिंड पार्ट में यह कहा है कि "हम राज्य सरकार से यह निवेदन कर रहे हैं कि योजना को लागू करें।" तो जब यह अमेंडमेंट है, यह केंद्रीय अधिनियम है। सरकार योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए क्या उपाय कर रही है? एलोकेशन ऑफ फंड्स को फिगर्स के साथ जोड़कर या रेवेन्यू शेयरिंग जैसी पालिसी बनाकर इसको इफैक्टिव इंपलीमेंटेशन किए जाने की क्या कोई योजना है?

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकय्या नायडू : अध्यक्ष महोदय, 73वां और 74वां संविधान संशोधन संसद से पारित होने के बाद और विभिन्न राज्य विधान सभाओं से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, 24 अप्रैल, 1993 से प्रभावी हुआ। यह प्रगतिशील विधान है, परंतु दुर्भाग्य से, जैसा कि माननीय सदस्य ने यह महसूस किया है कि कई राज्यों ने स्थानीय निकायों को उनके कार्य और शक्तियों को सौंपा जाना अभी बाकी है। इस मामले को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों के पास शीघ्र उठाने वाली है और हम समय-समय पर स्थिति का आंकलन करते हैं। मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि मैंने करीब 19 राज्यों का दौरा किया है और मुख्यमंत्रियों और संबंधित मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया है और हम उन्हें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि संविधान संशोधन के अनुसार निधियों को और संविधान के अनुच्छेद 243छ के अंतर्गत 29 विषयों को स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करने की अत्यंत आवश्यकता है। हम केवल राज्यों को राजी कर रहे हैं क्योंकि सभी शक्तियां राज्यों को दी हुई हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी संघीय प्रणाली है और निर्णय एकपक्षीय लिए जाते हैं जिसका परिणाम उलटा भी होगा। ऐसा होने की स्थिति में, हम राज्यों को इस बात पर राजी करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि संविधान संशोधन की भावनाओं का अनुकरण करें।

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : अध्यक्ष महोदय, मेरा मुख्य प्रश्न था क्या सरकार इस विधेयक को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कोई जोरदार प्रयत्न कर रही है। मंत्री महोदय का जवाब था कि वे राज्य सरकार को इस बाबत राजी कर रहे हैं।

[हिन्दी]

मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला।

सर, मेरा दूसर प्रश्न है कि राज्यों की जितनी भी योजनाएं हैं वे सौ प्रतिशत केंद्रीय सरकार के द्वारा फंडेड हैं, जैसे ग्राम समृद्धि योजना, इंदिरा आवास योजना, इम्पलॉयमेंट एश्योरेन्स स्कीम, पंत प्रधान रोजगार योजना आदि लेकिन इनका कोई इफेक्टिव कंट्रोल सैंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा।

[अनुवाद]

सुनिश्चित रोजगार योजना में यह विशेषरूप से कहा गया था कि योजना को अंतिम रूप संबंधित संसद सदस्य से परामर्श के बाद ही दिया जाएगा।

[हिन्दी]

लेकिन मुझे लगता नहीं कि यह इम्पलीमेंट होता होगा। यहां माननीय प्रधानमंत्री जी मौजूद थे। मेरा मुख्य प्रश्न यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक महत्वपूर्ण ग्राम सड़क योजना लॉन्च की है, उसके इफेक्टिव इम्पलीमैंटेशन के लिए सांसदों को भी एसोसिएट किया जा रहा है, ऐसा प्रस्ताव अंडर कन्सीडरेशन है। मेरा प्रश्न है कि यह प्रस्ताव कब तक फाइनलाइज होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुबोध मोहिते, क्या आपका अनुपूरक प्रश्न मुख्य रूप से संबंधित है?

श्री सुबोध मोहिते : जी हां, महोदय।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : महोदय, मैं सभा का मूड समझ सकता हूं। इसी के साथ, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मुख्य प्रश्न निधियों और शक्तियों को केंद्र से राज्यों को और राज्यों से स्थानीय निकायों को दिए जाने से संबंधित है। यदि हम इसी मामले पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें तो हम उसके साथ न्याय कर सकेंगे। मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए दूसरे अनुपूरक प्रश्न की भावनाओं से सहमत हूं और उसका उत्तर दिया जा सकता है...*(व्यवधान)* मैं सभा को विश्वास में लेकर बताना चाहता हूं कि, हमने सभी राजनैतिक दलों की बैठक में निधियों और शक्तियों के हस्तांतरण के संबंध में प्रस्ताव किया है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, इस देश में पंचायत राज राज्य का विषय है जिस पर विभिन्न राजनैतिक दलों का शासन है। यदि हम संविधान संशोधन की भावना को सत्र में लागू करना चाहते हैं तो, हमें विभिन्न राजनैतिक दलों का समर्थन प्राप्त करना होगा जिन्हें विभिन्न राज्यों में मामलों की जानकारी है।

मैंने पिछली बार बैठक का आयोजन किया था, परंतु दुर्भाग्य से बैठक नहीं हो सकी जिस पर मेरा कोई वश नहीं है। मैंने अब शीघ्र ही बैठक बुलाने का प्रस्ताव किया गया है, चाहे वह इस सत्र के तुरंत बाद हो या इस सत्र के दौरान हो। विभिन्न राजनैतिक दलों की सुविधाओं को देखते हुए, मैं सभी राजनैतिक दलों की बैठक बुलाऊंगा और शक्तियों के प्रत्यायोजन को प्रभावी रूप से लागू किए जाने से संबंधित उनके विचार जानूंगा।

जैसा कि सभी जानते हैं, संविधान संशोधन जिसे 1992-93 को पारित किया गया था को सभी राज्यों और पार्टियों से समर्थन मिला था। परंतु दुर्भाग्य से कई राज्यों का जैसा कि माननीय सदस्य ने सही कहा है, स्थानीय निकायों को शक्तियों का हस्तांतरण अपेक्षानुकूल नहीं था। इसका कारण कोई भी हो, मैं इस मामले की धीमी प्रगति के पीछे कोई मूलाधार नहीं खोज पा रहा हूं। इसी के साथ, मैं इस मामले में असमर्थ हूं। किसी ने मुझे सुझाव दिया था कि निधि को रोक दो परंतु निधि को रोकना कोई उपाय नहीं है क्योंकि सरकार को ही शक्तियों का हस्तांतरण करना है। यदि यह नहीं किया गया तो, निधि को रोकने से लोगों को ही तकलीफ होगी।

यह मेरे लिए दूसरी उलझन है। इसलिए मैं इन सभी मामलों को सभी राजनैतिक दलों की बैठक में उठा रहा हूं जिनमें विभिन्न राज्यों में शक्तियों और निधियों के हस्तांतरण की स्थिति, वहां की जनगणना को ही आधार मानकर कार्य करना शामिल है। यदि आवश्यक हुआ तो, हम और विधान बनाने के बारे में सोचेंगे, परंतु कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि और अधिक विधान बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम विद्यमान विधान के दायरे में ही कार्य कर सकते हैं। मैं राजनैतिक दलों के मशवरों को मानूंगा और मैं इस सभा के माननीय सदस्यों के भी विचारों को जानने के लिए तैयार हूं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरा आग्रह है कि इस पर आधे घंटे की चर्चा करने का समय दिया जाए।...*(व्यवधान)* केंद्र सरकार से जो धन राज्यों को भेजा जा रहा है उसमें सुनिश्चित रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का व्यापक रूप से दुरुपयोग हो रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, कुछ सदसय अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहिते, कृपया समझिए।

[हिन्दी]

श्री एम. वैंकय्या नायडू : सर, जहां तक एम.पीज. के रूरल डिवेलपमेंटल एक्टीविटीज में भागीदारी के बारे में क्वश्चन के सैंकिड पार्ट का सवाल है, उसके बारे में हमारा व्यू यह है कि डिवेलपमेंटल स्कीम्स के ऊपर मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट को पर्यवेक्षण का अधिकार होना चाहिए। यह योजना पर निगरानी रखने के लिए है। लेकिन एग्जीक्यूशन पावर्स देने की संभावना नहीं है। उसके लिए लोकल इलैक्टेड बाडी है। इसके लिए भी प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग बुलाई थी।

[अनुवाद]

पिछले सत्र में, प्रधानमंत्री ने एक बैठक बुलाई थी। कुछ राजनैतिक दल बैठक में उपस्थित नहीं थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस विषय को स्थगित कर दिया। मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि एक बार

फिर सभी राजनैतिक दलों की केंद्रीय-प्रयोजित योजनाओं से संबंधित माननीय संसद सदस्यों की सेवाओं के उपयोग और उनके इन योजनाओं में जो काफी सख्या में हैं, और राज्यों को इसके लिए काफी धन दिया जा रहा है, भागीदारी से संबंधित बैठक बुलाएं। मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं से सहमत हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा मत करिए, अन्य कई सदस्य हैं जो प्रश्न पूछना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि माननीय मंत्री पर संवैधानिक प्रावधानों को संपूर्ण देश में लागू करने का उत्तरदायित्व है, मैं जानना चाहता हूं कि वे (क) उन राज्यों में, जहां जिला योजना समितियों का गठन न करके, संविधान के अनुच्छेद 243 [illegible] का उल्लंघन हो रहा है; (ख) योजना आयोग ने, जिन्होंने भारत [illegible] जिलों के जिला योजना के आदानों को जाने बिना अपनी दसवीं योजना का कार्य शुरू कर दिया है; (ग) राज्यों जैसे पंजाब, जो मध्यस्थ पचायतों की संरचना में परिवर्तन लाने के लिए एक विधेयक लाने का प्रस्ताव कर रहा है, जो अनिवार्य संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है; और (घ) सबसे अधिक आंध्र प्रदेश राज्य में जन्मभूमि योजना के अंतर्गत ऐसी ही समान्तर योजना शुरू की जा रही है, के लिए क्या प्रशासनिक, राजनैतिक और कानूनी कार्रवाई करने का प्रस्ताव है। हालांकि माननीय सदस्य स्वयं आंध्र प्रदेश के हैं ने सार्वजनिक रूप से ऐसी किसी भी समांतर निकाय की स्थापना से इंकार किया है।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : महोदय, संविधान की भावना के अधीन स्थानीय निकायों को निधि और शक्तियों के अंतरण से संबंधित मुख्य प्रश्न के संबंध में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि यह राज्य का विषय है, परंतु मैं संविधान संशोधन से बंधा हुआ हूं तथा संविधान संशोधन की भावना से भी निर्देशित होता हूं। हम राज्यों को इसके लिए राजी करने का प्रयास कर रहे हैं कि वे शक्तियों और निधियों का यथासंभव अंतरण करें। कुछ राज्यों, जैसा कि आपने भी देखा है यथा केरल और दूसरे राज्यों ने पर्याप्त रूप से शक्तियां अंतरित कर दी हैं। मैं इन तथ्यों को दूसरे राज्यों के सम्मुख भी रख रहा हूं ताकि वे समझें कि यदि किसी विशेष राज्य को निधियों और शक्तियों के अंतरण में कोई समस्या नहीं है तो दूसरे राज्यों को क्या कठिनाई है।

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, यह मेरा प्रश्न नहीं है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे प्रश्न का जवाब दें।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : प्रमुख मुद्दा यही है तत्पश्चात् उन्होंने दूसरे अनुपूरक मुद्दे उठाए हैं।

प्रमुख विषय के बारे में जैसा कि मैंने कहा, राजनीतिक तथ्य यह है कि हम समुचित सहयोग के लिए सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुला रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आंध्र प्रदेश के बारे में बताइए?

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकय्या नायडू : मैं उसके बारे में बताऊंगा। मैं आंध्र प्रदेश के बारे में बताने को तैयार हूं लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा।...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : आंध्र प्रदेश उन का अंतिम गंतव्य है। ...*(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकय्या नायडू : महोदय, जिला आयोजना समितियों डीपीसीएस के कार्यकरण और उन के गठन के बारे में 31 राज्यों में से कई राज्यों में जिला आयोजना समितियों का ही गठन नहीं किया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, यह संविधान का उल्लंघन है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वे संवैधानिक उपबंधों को लागू करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : महोदय, आंध्र प्रदेश—गठन नहीं किया गया, अरुणाचल प्रदेश—गठन नहीं किया गया; असम—गठन नहीं किया गया; बिहार—उन्होंने बिना किसी समिति के ही उक्त समिति का एक प्रभारी मंत्री बना दिया है; गोवा—नहीं, गुजरात—गठन नहीं किया गया; हरियाणा—केवल चार जिलों में ही गठन किया गया है; हिमाचल प्रदेश—अभी तक नहीं परंतु यह सरकार के विचाराधीन है; कर्नाटक—20 जिलों में से 17 में ही समितियों का गठन किया गया है।

श्री मणिशंकर अय्यर : मैं जानना चाहता हूं कि वे संविधान की रक्षा के लिए क्या कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं। यह एक अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता है।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : महोदय, संघीय ढांचे में जहां राज्य और केंद्र के संबंध निहित हैं, केंद्र द्वारा कानूनी कार्यवाही करने का विचार कितना सहज और संभव है इसकी जांच करनी होगी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। यदि आपको कोई स्पष्टीकरण चाहिए, तो आप बाद में पूछ सकते हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, राज्य संविधान के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है, अन्यथा अनुच्छेद 356 लागू किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अय्यर, यह प्रक्रिया नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, वे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मुझे प्रश्न पूछने का अधिकार है और मुझे उत्तर जानने का अधिकार है तथा महोदय, हमारी रक्षा करना आपका कर्तव्य है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपना उत्तर पूरा नहीं किया है।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : महोदय, मैं विनम्रता पूर्वक बताना चाहता हूं कि मैं दूर नहीं भाग रहा हूं। मेरी भी पूरे विषय में समान रूप से रुचि

है तो मुझे इन सभी बातों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यदि मुझे इसके बारे में और जानकारी प्राप्त हो और सदन का समर्थन मिले तो मुझे प्रसन्नता होगी।

महोदय, मैं कानून मंत्रालय के भी संपर्क में हूं। कानून मंत्रालय का कहना है कि 73वें संशोधन के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मैं इससे सहमत हूं। परंतु इसके साथ ही चूंकि हम विभिन्न राज्यों में समितियों के गठन के संबंध में सदन से सहमत हैं। इसलिए हम राज्य सरकारों के साथ इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार-विमर्श कर रहे हैं तथा हम उनको इस संबंध में समझाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री ई. अहमद : क्या उन्होंने कोई सूचना दी है कि वे इस सांविधानिक उपबंध को कार्यान्वित क्यों नहीं कर रहे हैं?

श्री एम. वैंकय्या नायडू : महोदय, मैं इसकी जानकारी देने ही जा रहा था कि इसी बीच मुझे रोक दिया गया।

कुछ राज्य कह रहे हैं कि कुछ सकारात्मक उपाय किए जा रहे हैं, कुछ राज्यों ने ऐसा किया है; कुछ राज्य ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं तथा कुछ राज्यों ने इसकी शुरुआत ही नहीं की है। यदि माननीय सदस्य इस मामले में पूरा ब्यौरा चाहते हैं तो मैं सभा पटल पर रख सकता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, इन सूचनाओं के बिना योजना आयोग दसवीं योजना के बारे में कैसे कार्रवाई कर सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं क्योंकि हमने इन दोनों प्रश्नों को मिला दिया है।

...(व्यवधान)

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मैंने पंजाब के बारे में पूछा था, मैंने आंध्र प्रदेश के बारे में पूछा था। हमें इनका उत्तर चाहिए। हमने विशेषकर इन राज्यों और योजना आयोग के बारे में भी पूछा था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : महोदय, माननीय न्यायालय ने आंध्र प्रदेश में 31 जून तक पंचायत चुनाव करवाने का निर्देश दिया है। चुनाव समाप्त हो जाने के बाद इन समितियों के गठन की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी।...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, यह मेरा प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न समानांतर निकायों के बारे में था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया, श्री अय्यर जी।

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय वे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। पंजाब के बारे में आपका क्या विचार है? वे मुझे इस बारे में बताएं।

अध्यक्ष महोदय : श्री अय्यर यह क्या है? दूसरे सदस्य भी अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, उत्तर प्राप्त करने का मेरा अधिकार है। महोदय, यदि सदस्यों को उत्तर नहीं मिलता है तो प्रश्नकाल किसलिए है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं परंतु आप मंत्री महोदय को जवाब नहीं देने दे रहे हैं। यह क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हमें प्रश्नकाल के लिए भी नियम बदलने होंगे।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : महोदय, मैं पंजाब के बारे में सदन को विश्वास में लेता हूं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इन तथ्यों का पता लगाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री का एक पत्र लिखा है। पंजाब सरकार ने मुझे बताया है कि वे इसकी पुष्टि करने जा रहे हैं तथा वे चुनाव के बाकी भाग को भी पूरा करने जा रहे हैं।

महोदय, समानांतर निकायों के संबंध में जिसका माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं, विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्थितियां हैं, कुछ राज्य सरकारों ने समानांतर निकायों की स्थापना की है। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज है। एक ग्रामीण विकास समिति भी बनाई गई है।...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : यह समानांतर निकाय नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अय्यर प्रश्नकाल में अनुपूरक प्रश्न पूछने का क्या यही तरीका है?

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, मैं उनसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आपने अपना उत्तर पूरा कर लिया है?

...(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू : महोदय, आंध्र प्रदेश में कोई समानांतर निकाय नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? हर चीज की एक सीमा होती है।

...(व्यवधान)

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय यदि वे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मणिशंकर अय्यर बहुत हो गया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिए यह वाद-विवाद नहीं है।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : माननीय सदस्य ने पंजाब के बारे में पूछा है। मैंने जवाब दे दिया है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के बारे में भी पूछा है। ...*(व्यवधान)* कृपया मुझे जवाब देने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हमें कुछ धैर्य रखना चाहिए।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : उन्होंने समानांतर निकायों की बात की और उन्होंने आंध्र प्रदेश का उल्लेख किया। मैं सदन को यह बता रहा हूं कि मेरी जानकारी में यह आया है कि कुछ राज्यों में कुछ निकायों की स्थापना की गई है जो संविधान की भावना के अनुकूल नहीं है। इसलिए, मैं विभिन्न राज्यों से संबद्ध संपूर्ण मामले की समीक्षा कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि पंचायत जिसका चुनाव होता है, को ही विकास कार्यक्रमों [illegible] करना चाहिए। मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूं। जहां [illegible] सभा मौजूद है, वहां इसे चर्चा का मंच समझा जाना चाहिए। [illegible] बात का ध्यान रखूंगा कि राज्य संविधान की भावना का अनुसरण करें। मैं सभी दलों से सहयोग चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : मैं मात्र स्पष्टीकरण चाहता हूं। आंध्र प्रदेश में सदृश निकाय नहीं है। आंध्र प्रदेश में ग्राम सभाओं पर अत्यधिक जोर दिया जाता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, यदि आप चाहें, तो आप प्रश्न काल के दौरान अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, स्पष्टीकरण नहीं मांग सकते।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, श्री राजीव गांधी सेवन्टी थर्ड कौन्सटीट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इसलिए लाए थे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन्स को मजबूत कराने की आवश्यकता थी। जो पैसा भारत सरकार की तरफ से मंजूर होता था, वह बाद में राज्य सरकारों के पास जाता है। जो सौ प्रतिशत पैसा मंजूर होता है, वह पूरा लोकल बॉडी के पास जाना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा करप्शन होता है और जो सौ प्रतिशत पैसा मंजूर होता है, उसका केवल चालीस प्रतिशत ही पहुंच पाता है, बाकी का साठ प्रतिशत पैसा कहां जाता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस करप्शन को रोकने के लिए क्या आपकी सरकार के पास कोई उपाय है? हम जानते हैं कि आपके पास कोई उपाय नहीं है।...*(व्यवधान)* जब तक आपके हाथ में सत्ता है, तब तक आप कुछ नहीं करने वाले हैं फिर भी हम जानना चाहते हैं कि इस करप्शन को रोकने के लिए आपकी सरकार क्या करने वाली है?

श्री एम. वैंकय्या नायडू : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सवाल पूछा और उसका जवाब भी दे चुके हैं। यदि आप अनुमति दें तो मैं अपना जवाब देने की कोशिश करूंगा।....*(व्यवधान)* इन्होंने सही सवाल पूछा है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : जवाब भी सही था।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : उसके बारे में दो मत हैं।

[अनुवाद]

महोदय, यह एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दसवां प्रश्न पहले प्रश्न के साथ संलग्न है। मैं सिर्फ उत्तर दे रहा हूं। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं की तैयारी और संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं पर डाली गई है। यह संक्षिप्त रूप में है। परंतु महोदय, सभा को यह बताते हुए मुझे खेद हो रहा है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में योजना आयोग ने टिप्पणी की :

> "वास्तव में अधिकांश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 29 मदों के संबंध में पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी न्यूनतम है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को छोड़कर केंद्र और राज्य सरकारों ने उनके परिवीक्षाधीन केंद्र प्रायोजित योजनाओं की आयोजना और क्रियान्वयन की नीति में पंचायती राज संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए।"

यह योजना आयोग की टिप्पणी है।

महोदय, योजना आयोग ने संकेत किया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के मामलों के क्रियान्वयन की समीक्षा यह दर्शाती है कि कुछ समांतर संगठन, प्रेषण प्रणालियां जैसे जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सोसायटी, ग्राम शिक्षा समितियां, महिला-संघ, लोक जॉपिस परिषद और संयुक्त कार्य-प्रबंधन समितियां उत्पन्न हो गई हैं, जिसमें पंचायतों को कोई भूमिका प्रदान नहीं की गई है और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज संस्था की भागीदारी हेतु पूर्व संस्थाओं को सही स्वरूप प्रदान करना होगा। यह योजना आयोग की टिप्पणी है। इसका किसी विशेष राज्य से संबंध नहीं है। अनावश्यक रूप से किसी एक राज्य को दूसरे के साथ संबद्ध करके नहीं देखना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कृपया अपना उत्तर पूरा करें।

...*(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकय्या नायडू : महोदय, केरल के राजनीतिक स्वरूप में भली-भांति परिचित होने के कारण मैं सभा की इस बात से सहमत हूं कि केरल ने अच्छा काम किया है। हम पश्चिम बंगाल के बारे में भी ऐसा कह रहे हैं। जहां कहीं वे अच्छा काम करते हैं, उसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। अन्य राज्यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। कुछ और राज्यों ने भी अच्छा काम किया है। परंतु योजना आयोग की इस टिप्पणी के मद्देनजर मैं पुनः सभी राज्यों को लिख रहा हूं और उनके साथ इस बात पर विचार कर रहा हूं कि जहां कहीं भी इस प्रकार के समांतर निकाय हों, उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। यहां तक कि यदि राज्य सहमत न हों तो भी मेरे विभाग का प्रयास यही रहेगा कि निर्वाचित संस्था, पंचायती राज्य संस्थाओं को इस सारी प्रक्रिया में शामिल किया जाए। मुझे इस बात की खुशी है कि 23 वर्ष के अंतराल के पश्चात बिहार में भी चुनाव हो रहे हैं। हालांकि वहां कुछ हिंसा हुई है, उसके बावजूद भी यह स्वागत योग्य बात है कि बिहार में भी स्थानीय निकायों के चुनाव हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अन्य राज्यों में भी जहां चुनाव होने हैं,

वहां चुनाव करवाए जाएं। केंद्र द्वारा राज्यों को भेजी गई धनराशि उचित ढंग से स्थानीय निकायों तक पहुंचे और उन्हें भी कुछ अधिकार प्राप्त हों यह सुनिश्चित करने के लिए एक आम नीति तैयार की जाए।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने एक चार सूत्री कार्यक्रम तैयार किया है, क्योंकि बहुत से स्थानों पर लोगों को यह नहीं मालूम कि कौन सी योजना के अंतर्गत कितनी राशि उस गांव को प्राप्त हो रही है। अतः हमने जवाबदेही बढ़ाने हेतु (1) जागरूकता (2) पारदर्शिता उत्पन्न करने (3) लोगों की भागीदारी तथा (4) सामाजिक लेखा-परीक्षा करने का निर्णय किया है। इससे कुछ सीमा तक आवश्यक जागरूकता उत्पन्न करने में मदद मिलेगी क्योंकि राज्य मुख्यालयों, जिला मुख्यालयों, खंड मुख्यालयों और ग्राम मुख्यालयों में एक साइनबोर्ड होगा जिस पर यह लिखा होगा : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दो किलोमीटर, इतनी धनराशि; इंदिरा आवास योजना में इस गांव के लिए इतने घर, पीने के पानी के लिए इतनी धनराशि; बंजर क्षेत्र विकास के लिए इतनी धनराशि, सूखाग्रस्त क्षेत्र-कार्यक्रम के लिए इतनी और अन्य कार्यक्रमों के लिए इतनी धनराशि। यह ब्यौरा पंचायती राज कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी आर डी ए) के कार्यालय और राज्य के राजधानी कार्यालय में उपलब्ध होगा। यह पहली बात है। दूसरी चीज है पारदर्शिता। यदि कोई नागरिक गांव में चल रहे काम में हो रही प्रगति के बारे में अनुमान प्रति की मांग करता है, तो आंशिक भुगतान पर उसे वह प्रति प्रदान करनी होगी। तीसरे, हम इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं और स्वैच्छिक संगठनों को भी शामिल करना चाहते हैं। लोगों के सहयोग के बिना ये योजनाएं सफल नहीं हो सकतीं।

चौथी बात यह है कि लेखा परीक्षा की व्यवस्था है—केंद्रीय लेखा परीक्षा और राज्य लेखा परीक्षा है किन्तु इन लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की केवल सरकार को जानकारी है। अतः हमें लाइन्स क्लब, रोटरी क्लब, रा. से. यो. लड़कों और अन्य प्रतिष्ठित लोगों और संगठनों की सहायता से गांववालों के द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा करवाना चाहेंगे ताकि वे गांववालों का मार्गदर्शन कर सकें कि ग्राम सभा योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में अध्ययन करे और प्रतिवेदन तैयार करें।

यही हम भी कर रहे हैं। यदि कुछ और सार्थक सुझाव होंगे, मैं उन सुझावों का स्वागत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री विष्णु पद राय : अध्यक्ष महोदय, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में पंचायती राज सिस्टम को आये छः साल से ज्यादा हो चुके हैं। माननीय आडवाणी जी के दौर पर पंचायती राज सिस्टम को करीब-करीब फोर टाइम्स फंड दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि केरल और पंजाब में ग्राम पंचायत को जो पावर दी गई है कि वे एक लाख रुपए तक का काम शुरू कर सकते हैं, जबकि अंडमान निकोबार यू.टी. के अंडर है तो वहा केवल 60 हजार रुपये पंचायत को मिलते हैं, इसकी पावर ग्राम पंचायत को है। क्या इसको एक लाख रुपये करने की आप अनुमति देंगे?

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकय्या नायडू : महोदय यह एक विशिष्ट प्रश्न है, जिसका मेरे पास उत्तर उपलब्ध नहीं है। किंतु जैसा कि आपने सही ही कहा था कि यह मामला गृह मंत्रालय से संबंधित है। मैं यह मामला गृह मंत्रालय के समक्ष उठाऊंगा और समझाऊंगा कि इन 29 विषयों को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और अन्य सभी संघ राज्यों को सौंप दें। क्या अनुमोदन प्रदान करने संबंधी शक्तियां बढ़ाई जा सकती हैं अथवा नहीं, मैं इस मामले पर गृह मंत्रालय के साथ चर्चा करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुनील खां।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभी सदस्यों को संतुष्ट करना पड़ता है। कृपया मेरी स्थिति भी समझने का प्रयास करें।

श्री सुनील खां : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी वही प्रश्न है, जो माननीय श्री मणिशंकर अय्यर द्वारा पहले ही उठाया गया है। मेरा समझना है कि मंत्रीजी ने पहले ही जवाब दे दिया है किंतु उन्होंने इस बात का उत्तर नहीं दिया है कि आंध्र प्रदेश और अन्य राज्य इसे लागू क्यों नहीं कर रहे हैं... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसका पहले ही उत्तर दिया जा चुका है। यदि आप कोई अन्य पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, किंतु इसका पहले ही उत्तर दिया जा चुका है।

...(व्यवधान)

श्री सुनील खां : अध्यक्ष महोदय, 73वें संशोधन में विधेयक में जो कमी रह गई है, वह प्रधान के पद के आरक्षण से संबंधित है। यदि प्रधान का पद आरक्षित है तो वह चयनिक निकाय की वास्तविक संख्या का निर्णय नहीं कर पायेगी क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र सोनारमुखी विधान सभा क्षेत्र में ऐसा हुआ कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सुनील खां आपका सही अनुपूरक प्रश्न क्या है? आप क्या चाहते हैं?

श्री सुनील खां : महोदय, यह कमी है। मैं सिर्फ यह बता रहा हूं। यह विधेयक के 73वें संशोधन में भी है। हमें यह स्पष्ट नहीं है क्योंकि उदाहरण के लिए, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई पद नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं कृपया यह बताएं।

श्री सुनील खां : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या 73वें संशोधन की कमी को दूर किया जाएगा अथवा नहीं या इसे संसद द्वारा संशोधित किया जाएगा अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : ये 73वें संशोधन में कुछ कमियों के बारे में कह रहे हैं।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : महोदय, जब तक मुझे यह नहीं बताया जाएगा कि वास्तव में कमी क्या है, मैं उत्तर नहीं दे सकता।

श्री सुनील खां : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक पंचायत भाजपा के और अधिकतर तृणमूल कांग्रेस के अधीन हैं, किंतु प्रधान का पद पांचवी पंचायत में जनजातीय महिला के लिए आरक्षित है, जिसके परिणामस्वरूप हमारी पार्टी के अल्पमत में होने के बावजूद वहां जनजातीय महिला प्रधान बन गई। यही कमी है।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुनील खां, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। अब कोई अनुपूरक नहीं है। माननीय मंत्री इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं। आपने 79वें संशोधन में कुछ कमियों से संबंधित अनुपूरक पूछा है जिसका वे पहले ही उत्तर दे चुके हैं। श्री सुनील खां, कृपया सहयोग कीजिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पंचायत राज से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के अथक प्रयासों से आखिरकार महात्मा गांधी का सपना साकार हो रहा है। संशोधन के दौरान राजीव जी ने चार मुद्दों को उठाया था। ये हैं (1) जनता की भागीदारी, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों व महिलाओं का प्रतिनिधित्व; (2) शक्तियों का हस्तांतरण और (3) सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों का उत्तदायित्व, जिसके लिए उन्होंने गांव-गांव जाकर प्रचार किया।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे जानते हैं कि ग्रामीण विकास के नाम पर दी जानेवाली विशाल राशि जो ये पंचायती राज संस्थाओं के लिए विभिन्न राज्यों को देते हैं, कैसे खर्च की जाती है। यह मैं दलगत नीति से ऊपर उठकर कह रहा हूं। मैं यहां अपने क्षेत्र का उदाहरण दे सकता हूं। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अत्यंत गरीब लोगों को मकान आबंटित किए जाते हैं। आबंटन से पहले, दबाव डालने की चेष्टा शुरू हो जाती है और 20,000 रुपये के कुल आबंटन में से लाभार्थी को, माफिया को 5000 या 10000 रुपये देने पड़ते हैं और तभी कुछ कार्यवाही की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 243 (ञ) के अनुसार :

> "किसी राज्य का विधान मंडल, विधि मंडल, पंचायतों द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के बारे में उपबंध कर सकेगा।"

क्या माननीय मंत्री, मुख्यमंत्रियों के परामर्श से एक अनिवार्य व्यवस्था कर सकते हैं जिसमें एक निश्चित अवधि के दौरान सी.ए.जी. से जांच के लिए सभी जिला परिषदों के खाते प्रकाशित किए जाएं और दूसरा यह कि इंदिरा आवास योजना पर न केवल पंचायत राज कड़ाई से नजर रखे बल्कि यह किसी ऐसी एजेंसी के पर्यवेक्षण के अधीन भी रहे जो यह सुनिश्चित करे कि अत्यंत गरीब आदमी ग्रामीण माफिया का शिकार न बने। ये माफिया आपकी सरकार की आधी राशि खा जाते हैं और इस तरह ये लोगों को सड़कों पर ला रहे हैं। मेरे पास ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिनमें उनका जीवन खतरे में था। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप यह करेंगे या नहीं।

दूसरा, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विधान योजना समिति पहले ही सिफारिश कर चुकी है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत कम से कम एक या दो करोड़ रुपये की परियोजनाएं, लोक सभा सदस्य को उनकी पसंद के अनुसार दी जानी चाहिए। क्या आपको यह स्वीकार्य है?

[हिन्दी]

श्री चंद्रनाथ सिंह : उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी गरीब आदमी को इंदिरा आवास योजना के तहत कोई मकान नहीं मिल रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको नहीं बुलाया है।

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकय्या नायडू : महोदय, माननीय सदस्य एक वरिष्ठ सदस्य हैं। वह अपने राज्य पश्चिम बंगाल के अपने अनुभवों के आधार पर कह रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह दलगत राजनीति की बात नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ये राष्ट्रीय नेता हैं और ये राष्ट्रीय मुद्दों पर बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री चंद्रनाथ सिंह : क्या इसकी जांच कराएंगे?

श्री एम. वैंकय्या नायडू : आप पहले सुन लीजिए।

[अनुवाद]

इंदिरा आवास योजना के दिशानिर्देश स्पष्ट हैं। इन दिशानिर्देशों के आधार पर, उस विशेष राज्य के गरीबी अनुपात के आधार पर और आवास हीन व्यक्तियों की संख्या के आधार पर ये आवास आबंटित किए जाते हैं।

गांव की ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए। लाभार्थियों की पहचान होनी चाहिए और सूची बनाई जानी चाहिए। तभी, जिला स्तर पर इसे स्वीकृत किया जाना चाहिए और राज्य स्तर पर आवास योजना को लागू करने वाली राज्य सरकार, निगरानी एजेंसी होनी चाहिए। यदि कोई विशेष शिकायत आए तभी मैं हस्तक्षेप कर सकता हूं और जांच करा सकता हूं। खैर, एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में, उन्होंने कुछ विशेष मुद्दे उठाए हैं और मैं अपने क्षेत्र के अधिकारियों से कह दूंगा...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं अनुचित आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं आपको उत्तर दिनाजपुर जिले के एक खास मामले के बारे में बताता हूं जिसमें माफिया ने राशि तो ले ली किंतु इसे इंदिरा आवास योजना लाभार्थी को नहीं दिया। मैं यह मामला आपको सौंप दूंगा और आप कार्यवाही कीजिएगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्रीजी, मैंने कई बार मंत्रियों से भी कहा है कि कृपया अध्यक्षपीठ को ही संबोधित करें न कि सदस्यों को। इसलिए अनावश्यक रूप से समय बर्बाद हो रहा है। अतः कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपना उत्तर पूरा नहीं किया है। उन्हें पूरा करने दीजिए।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : महोदय, मेरी गलती की ओर ध्यान दिलाने के लिए धन्यवाद। एक मनुष्य होने के नाते कई बार जब कोई वरिष्ठ सदस्य कुछ बोल रहा हो तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाता हूं।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से, सभा के दोनों पक्षों में यही हो रहा है।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : महोदय, मैं सहमत हूं कि हमें सभा के नियमानुसार चलना चाहिए।

हमने राज्यों को विस्तृत दिशानिर्देश दिए हैं और राज्य क्रियान्वयन एजेंसियां हैं। यदि किसी खास जिले में किसी भी माननीय सदस्य को कोई अनियमितता, भ्रष्टाचार, निधि का अन्यत्र उपयोग या दुरुपयोग इत्यादि दिखायी दे और यदि वह मुझे लिखे तो मैं अपने विभाग के अधिकारियों से जांच करने को कहूंगा और तब सुधारात्मक कार्यवाही करूंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी के उत्तर में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं? वे बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : दूसरा, उसके बिना भी जितना संभव हो सके मैं पुख्ता जानकारी प्राप्त करने के लिए यथासंभव स्थानों पर जाने का प्रयत्न करता हूं। इसके साथ ही, हम राज्य सरकार के समानांतर कार्य नहीं कर सकते हैं।

सी.ए.जी. के बारे में, मैं सभा को यह सूचित करना चाहूंगा कि ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार लेखा परीक्षा और खाता व्यवस्था को सख्त करने के लिए बातचीत हो रही है।

यदि कोई विशेष शिकायत आती है तो मुझे भेज सकते हैं। तब मैं विस्तृत जांच करने के पश्चात माननीय सदस्यों को सूचित करूंगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : प्रधानमंत्री सड़क योजना और संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना समिति की सिफारिशों के बारे में भी बताइए।

[हिन्दी]

श्री चंद्रनाथ सिंह : किसी भी गरीब आदमी को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान नहीं दिया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकय्या नायडू : ऐसा आरोप मत करिए।...*(व्यवधान)* ऐसा आरोप करना उचित नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इनका अधिक जोर प्रधानमंत्री सड़क योजना पर है।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना समिति की सिफारिशों के बारे में मैं सूचित करूंगा कि यह विचाराधीन है। हमने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। महोदय, सभा के सभापति हमारा मार्गनिर्देश करेंगे क्योंकि इस समिति की सिफारिशें अध्यक्ष महोदय को भेजी जाती हैं।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये चाहते हैं कि आप निर्णय करें। कृपया निर्देश दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम प्रश्न काल के बाद निर्णय करेंगे।

राजकुमारी रत्ना सिंह : मैं कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में एस.एस.आर.वाई. के संबंध में, जिला पंचायत सांसदों की राय नहीं ले रही हैं और मैं यह प्रतापगढ़, रायबरेली और अमेठी के जिलों के लिए कह रही हूं। इन तीनों जिलों में जब भी जिला पंचायत एस.एस.आर.वाई. और इंदिरा आवास योजना की बैठक करती हैं तो या तो सांसदों को बुलया ही नहीं जाता है या फिर उन्हें अंतिम क्षण में बुलाया जाता है। वे हर नियम तोड़ रहे हैं। मैं चाहूंगी कि मंत्री महोदय इस मुद्दे को उठाएं। मंत्री महोदय, हम चाहते हैं कि आप प्रतागढ़, रायबरेली और अमेठी जिला पंचायतों की जांच कराएं। क्या आप ऐसा करेंगे? आज हमें आश्वासन चाहिए।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : महोदय, जहां तक जिला परिषद के कार्यकरण का संबंध है, हम सभी जानते हैं कि जिला परिषद एक निर्वाचित निकाय है। सांसद और विधान सभा सदस्य जिला परिषद के भी सदस्य होते हैं। मुद्दों को उठाने का यह एक उचित मंच है। वे पदेन सदस्य हैं। किंतु यदि माननीय सदस्य सभा में कुछ कहते हैं.

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, अमेठी का प्रतिनिधित्व विपक्ष की नेता कर रही हैं।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : उन्होंने खास तौर पर प्रतापगढ़, रायबरेली और अमेठी का जिक्र किया है। किंतु यदि वे किसी निश्चित अनियमितता के बारे में मुझे लिखें तो हम निश्चित ही जांच करेंगे और तब माननीय सदस्य को सूचित करेंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न संख्या 422

...*(व्यवधान)*

राजकुमारी रत्ना सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि आप हमें आश्वासन दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में माननीय मंत्री जी को लिख सकती हैं।

...*(व्यवधान)*

राजकुमारी रत्ना सिंह : महोदय, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का क्या होगा?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय बाद में लिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

राजकुमारी रत्ना सिंह : महोदय, आपको हमें आश्वासन देना ही होगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसमें मंत्री जी आश्वासन देंगे न कि मैं।

...*(व्यवधान)*

राजकुमारी रत्ना सिंह : महोदय, उन्होंने इसका दायित्व आप पर छोड़ दिया है।...*(व्यवधान)* आपको आश्वासन देना होगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न संख्या 422

श्री एम. जनार्दन रेड्डी : महोदय, इस पर मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम इस प्रश्न पर पहले ही 45 मिनट ले चुके हैं। अब मैं अगला प्रश्न उठा रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री कमल नाथ : महोदय, इस पर मैं एक अनुपूरक पूछना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अगला अनुपूरक पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप आधे घंटे की चर्चा एलाऊ कर दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर पहले ही 45 मिनट तक चर्चा कर चुके हैं। अब प्रश्न संख्या 422, श्री विजय हान्दिक।

गंगोत्री हिमनद का कम होना

*422. **श्री विजय हान्दिक :**
श्री के. येरननायडू :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगोत्री हिमनद तेजी से कम होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या हिमनद के आकार-प्रकार और स्थिति में ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि मानव हस्तक्षेप से हिमनद पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़े क्या उपाय किए गए हैं?

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) किए गए अध्ययनों से संकेत मिले हैं कि गंगोत्री हिमनद घटाव के दौर से गुजर रहा है। यह एक प्रामाणिक सत्य है कि हिमनद आम तौर पर विभिन्न प्राकृतिक कारणों से घटते या बढ़ते रहते हैं जिनमें उस क्षेत्र की सूक्ष्म जलवायु में भिन्नता आना भी शामिल है जहां पर ये अवस्थित होते हैं और घटाव के दौर को एक आवश्यक चेतावनी के रूप में वर्गीकृत कर पाना संभव नहीं है।

(ख) और (ग) हिमालयी हिमनद क्षेत्र में हिमनद की गतिविधियों की परिवर्तनीयता तथा उससे जुड़े पैरामीटरों के बारे में और भी वैज्ञानिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए गंगोत्री हिमनद पर एक बहुआयामी तथा बहुसंस्थानिक क्षेत्रीय प्रेक्षण आधारित अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम की हाल ही में शुरुआत की गई है जो कि चल रहे हिमालयी हिमक्रिया विज्ञान कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है।

(घ) हिमनद पर मानव हस्तक्षेप के प्रभावों को कम करने के लिए किए गए उपायों में संवर्धन गतिविधियां जैसे वनरोपण करना, कचड़े को हटाना तथा वहनीय वातावरण के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है।

[अनुवाद]

श्री विजय हान्दिक : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री का वक्तव्य पढ़ चुका हूं। इसमें कोई शंका नहीं है कि हिमनद का घटना और बढ़ना एक प्राकृतिक घटनाक्रम है जो हर समय चलता रहता है। परन्तु, जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है वहां कुछ असामान्य परिवर्तन हुए हैं।

महोदय, मई और जून, 1999 के दौरान अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया कि हिमनद के आकार में प्रतिदिन परिवर्तन आया है और बर्फ के बड़े-बड़े टुकड़े लगभग हर राज उससे अलग हो रहे हैं। जब तक इसके कारणों का पता नहीं लगाया जाता तब तक इस नुकसान को पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा सकता।

महोदय, मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न यह है और माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उत्तर भारत में नदियों पर क्या इसके कोई संभावित विपरीत प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां तो क्या सरकार ने इस घटनाक्रम से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए कोई तरीका इजाद किया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : महोदय, हिमनद का कम होना एक विश्वव्यापी प्राकृतिक घटना है। यह सारे विश्व में हो रहा है। इसका मुख्य कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना है। इसे कोई एक देश नियंत्रित नहीं कर सकता इसीलिए अब इस स्थिति का अध्ययन करने के लिए और इस पर नियन्त्रण करने हेतु उपचारात्मक उपायों का पता लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता व्यक्त की जा रही है और कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

महोदय, गंगोत्री और इसके आसपास के स्थान पर स्थित हिमनद के इस विशेष मामले में स्थिति यह है कि यह बहुत तेजी से नहीं घट रहा है। यह हर वर्ष लगभग 22 मीटर कम हो रहा है ऐसे मामलों में सर्वदा एक चक्र-सा बना रहता है। वे कम होते हैं और कुछ समय पश्चात फिर उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार इस पर अध्ययन चल रहा है और हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके कौन से पहलुओं पर हम नियंत्रण रख सकते हैं और कौन से पहलुओं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।

इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस विभाग में इस संबंध में ठोस प्रयास किए हैं, स्थिति का अध्ययन करने के लिए और उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करने के लिए एक संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव है।

श्री विजय हान्दिक : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के जांचकर्ता वैज्ञानिकों ने अध्ययन रिपोर्ट में यह टिप्पणी की है कि पर्यटकों और पर्वतारोहियों की

बढ़ती हुई गतिविधियों और विशेष रूप से उनके द्वारा फैलाए गए नष्ट न होंने वाले जैविक कचरे से काफी सीमा तक पर्यावरण को नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति एक ही दिन में उत्पन्न नहीं हुई है बल्कि इसमें वर्षों लगे हैं। यदि समय से सही उपाय किए जाते तो इसे कम किया जा सकता था। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि इस प्रकार की मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए या कम से कम विनियमित करने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी प्रदूषण को हटाने के बारे में या सरकार की ओर से किए गए उपायों के बारे में अनुपूरक प्रश्न पूछा गया है। हमारा जो मूल रूप से मंत्रालय या विभाग है उसकी ओर से जो रिसर्च वर्क हुआ है वह अभी सतत प्रक्रिया में है। जैसे पहले प्रश्न के उत्तर में अवगत कराया गया कि प्लानिंग कमीशन के पास इसकी और अधिक स्टडी के बारे में प्रपोजल गया है। माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है, अन्य मंत्रालयों के अधीन नम्बर वन हिमालयन एनवायरमेंट ट्रस्ट एक एनजीओ है, जिसके माध्यम से पूरे हिमालय क्षेत्र में वृक्षारोपण, कचरे को हटाने और सार्वजनिक शौचालय बनाने के कार्य करवाए जा रहे हैं। इसी तरीके से भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म विभाग है, इसके द्वारा एक हिमालयन टूरिज्म एडवायजरी बोर्ड की स्थापना की गई है, जिससे वहां जाने वाले जो पर्यटक हैं वे किसी तरीके से प्लास्टिक या कचरे का प्रयोग न करें। इसके लिए उसके द्वारा गाइडलाइन विकसित की जा रही है और उसकी जानकारी दी जा रही है तथा जो प्रयास किए जा सकते हैं, वे किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

डा. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय के उत्तर में कुछ और जोड़ना चाहता हूं।

यह एक बहुत ही जटिल मुद्दा है। इसके मुख्य रूप से दो भाग हैं—एक वैज्ञानिक खोज है और दूसरा उस क्षेत्र विशेष रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न समस्याओं का प्रबंधन है। मानवीय गतिविधियों के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उन्हें विनियमित किया जा सकता है जैसा कि आप जानते हैं पर्यटन राज्य का विषय है इससे निपटना राज्य सरकारों का काम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं, तथापि हिमालय के ग्लेशियरों के संबंध में एक समग्र नीति और कार्यक्रम तैयार करने के लिए राष्ट्रीय क्षेत्रीय संचालन और अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। यह केंद्र खोज करने के पश्चात पर्यटकों को नियंत्रित करने के लिए, कचरे को साफ करने के तरीके तथा कौन-कौन सी सावधानियां बरती जानी चाहिए, इस संबंध में सुझाव देगा। यह एक दीर्घावधिक कार्यक्रम है परंतु हम इस बारे में सचेत और गंभीर हैं।

श्री के. येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, यह एक चौंकाने वाला मुद्दा है और उत्तर भारत में जल-संतुलन बनाए रखने के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों ने जो आंकड़े दिए हैं, वे यह दर्शाते हैं कि ये ग्लेशियर पिछले 200 वर्षों में 2000 मीटर की तुलना में पिछले 25 वर्षों में 850 मीटर से भी अधिक कम हुए हैं। हिमनद विश्व के अनेक भागों में स्थित हैं। यह अध्ययन करना आवश्यक है कि इस प्रकार के घटनाक्रम को रोकने के लिए अन्य देशों में क्या उपाय किए गए हैं। क्या सरकार ने उस प्रकार की कोई कार्यवाही की है?

महोदय, विश्व स्थिति पर निगरानी रखने में योगदान स्वरूप अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इनमें से एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का विश्वव्यापी पर्यावरण निगरानी व्यवस्था है। यूनेस्को का विश्व हिमनद निगरानी सेवा नाम का कार्यक्रम भी है। एक बर्फ संबंधी अंतर्राष्ट्रीय आयोग है।

अतः इसके विशेष और स्थानीय कारणों को समझने के लिए एक प्रणाली विकसित करने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसके पश्चात उन पर रोक लगाने के लिए एक योजना बनाई जाएगी। परंतु जैसा कि मैंने कहा है यह पृथ्वी का तापमान बढ़ना एक ऐसी घटना है जिसके लिए कई बातें जिम्मेदार हैं, उदाहरण के लिए हमारे द्वारा प्रयुक्त प्रौद्योगिकी, औद्योगिक प्रदूषण, वातावरण में कार्बनडाइआक्साइड अंश का बढ़ना तथा ग्रीन हाउस प्रभाव इत्यादि।

इस प्रकार, ये सब कारण हैं। इसीलिए यह एक जटिल मुद्दा है। परंतु फिर भी, मैं इससे सहमत हूं कि यदि स्थिति इसी प्रकार की रहती है तो उससे गंभीर असंतुलन उत्पन्न होगा। परंतु इस समय, यह स्थिति अधिक खतरनाक नहीं है। केवल 0.75 अथवा 0.8 वर्ग मीटर बर्फ का अंश ही पिघला है और उचित समय पर इसका पता लग चुका है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछेक वर्षों में हम इस पर नियंत्रण करने में समर्थ हो सकेंगे।

श्री कमल नाथ : महोदय, माननीय मंत्री ने पृथ्वी का तापमान बढ़ने का उल्लेख किया है। शायद उन्हें यह मालूम नहीं है कि भारत ने जलवायु परिवर्तन संबंधी संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। यह जलवायु-परिवर्तन संधि जलवायु परिवर्तन संबंधी कुछ मुख्य मुद्दों के बारे में है।

यह सच है कि वनरोपण जैसे कुछ अन्य प्रयास किए जाने की योजना बनाई जा रही है। महोदय, जलवायु परिवर्तन संधि के अंतर्गत हमारे दायित्वों के साथ-साथ इन मुद्दों पर विचार करने के लिए एक हिमालय-कार्य योजना बनाई गई थी।

इस तथ्य के उजागर होने के पश्चात कि हिमनद घट रहे हैं, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार तत्काल कार्यवाही करने, विशेष रूप से उपरोक्त संधि और हिमालय-कार्य योजना संबंधी हमारे दायित्वों को पूरा करने के बारे में सचेत है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा को यह बता चुका हूं कि योजना आयोग के समक्ष एक परियोजना और योजना प्रस्तुत की गई है और हम चाहते हैं कि हिमालयी हिमक्रिया विज्ञान संबंधी एक राष्ट्रीय क्षेत्रीय कार्य संचालन और संधान केंद्र की स्थापना की जाए। जब तक इसका आधारभूत ढांचा तैयार नहीं हो जाता तब तक विभिन्न प्रौद्योगिकीय कार्यों, औद्योगिक कार्यों और मानवीय कार्यों के विनाशकारी प्रभावों को नियंत्रित करना मुश्किल होगा।

अतः हम इस बारे में बहुत गंभीर हैं और हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन संधि पर हस्ताक्षर करने के उपरांत हमारे कुछ दायित्व हैं। मैं सभा को आश्वस्त कर सकता हूं कि सरकार उन्हें क्रियान्वित करने के लिए सभी उपाय करेगी।

[हिन्दी]

श्री रतनलाल कटारिया : स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गंगोत्री के क्षेत्र में कमी हो रही है तथा क्या कभी सरस्वती नदी भी अम्बाला से होकर बहती थी और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वह समाप्त हो गई। क्या सरकार उसका भी पता लगा रही है। अभी हमारे सांस्कृतिक मंत्री श्री अनंत कुमार जी वहां गए थे और वहां पहले वाटर रिसोर्सेज मंत्री श्री सी.पी. ठाकुर जी भी उस स्थान को देखने के लिए गए थे। क्या सरकार सरस्वती नदी के मार्ग का पता लगाने की कोशिश कर रही है। यदि हां, तो इसके बारे में क्या प्रगति है।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : माननीय अध्यक्ष जी, सरस्वती नदी के मार्ग का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष विभाग से कार्यक्रम लिया गया था और आज हमें मालूम है कि सरस्वती नदी कहां से निकली थी और कैसे बहती थी। उसका सर्वेक्षण हो रहा है और वहां खुदाई भी की गई है उसकी तलहटी में पानी भी मिला है तथा उसका मार्ग निर्धारित हो है।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बंगरप्पा, आज सीधे-सीधे अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री एस. बंगरप्पा : यह मामला पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने का है। हमने सुना है कि अंटार्कटिका में भी बर्फ के बहुत से टुकड़े पिघलने शुरू हो गए हैं। इसके कारण केवल देश के उत्तरी क्षेत्र अपितु अन्यत्र भी हिमनद पिघला है। मुझे बताया गया है कि अनेक देशों और विश्व वैज्ञानिकों द्वारा दबाव दिए जाने के बावजूद भी अमरीका इस संधि अथवा समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं है। अमरीका को पृथ्वी का तापमान बढ़ने संबंधी इस संधि अथवा समझौते प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने हेतु हमारी सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने में समर्थ है?

डा. मुरली मनोहर जोशी : जैसा कि मैंने कहा है कि अब एक विश्वव्यापी, निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है तथा एक बर्फ संबंधी अंतराष्ट्रीय आयोग है जो विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न हिमनदों और बर्फ के टुकड़ों में हो रहे परिवर्तनों पर विचार करता है।

अंटार्कटिका का मुद्दा इससे बिलकुल अलग है।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप माननीय सदस्य के बाद में लिखित उत्तर भेज सकते हैं क्योंकि प्रश्न काल का समय पूरा हो चुका है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बारहवीं कक्षा के प्रश्न पत्र

***423. श्री राम मोहन नाइडे :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों और बारहवीं कक्षा के छात्रों ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के अर्थशास्त्र और फ्रेंच भाषा के प्रश्न पत्रों की खामियों और प्रश्नों के पाठ्यक्रमों से बाहर होने की शिकायतें की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 मार्च, 2001 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में सी.बी.एस.ई. फेल्स, ग्विज वन फ्लॉड टेस्ट पेपर आफ्टर एनॉदर' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी उक्त समाचार को देख लिया है।

(ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यह सूचित किया है कि बारहवीं कक्षा के अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र में कोई भी प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर के नहीं हैं। तथापि, अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्रों के नौ सेटों में से प्रश्न पत्र के केवल एक सेट (कोड सं. 58/1/2) के प्रश्न सं. 16 और 28 में विसंगतियां पाई गई हैं। प्रश्न संख्या 16 में परीक्षार्थियों द्वारा आय पद्धति और व्यय पद्धति के माध्यम से बाजार मूल्य के आधार पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का परिकलन किया जाना अपेक्षित है। प्रश्न के आंकड़ों के अनुसार आय पद्धति और व्यय पद्धति से उत्तर में 10 करोड़ रु. का अन्तर आता है जबकि सैद्धांतिक रूप से कोई अन्तर नहीं आना चाहिए। उसी प्रश्न पत्र के प्रश्न सं. 28 में प्रश्न का अर्थ अंग्रेजी और हिन्दी में अलग-अलग हो गया है।

कक्षा बारहवीं के फ्रेंच प्रश्न पत्र के विषय में शिकायतें आई थी कि प्रश्न 1 (ख), 1 (घ) और 2 (क) परीक्षार्थियों की समझ के बाहर के स्तर के हैं। पेपर सेटर का मत है कि यद्यपि निर्धारित पाठों में उक्त अभिव्यक्तियां नहीं हैं, तथापि ये अभिव्यक्तियां सामान्यतः जानी जाती हैं और कक्षा शिक्षण में इनका बहुधा प्रयोग किया जाता है। विषय विशेषज्ञ का अभिमत है कि ये प्रश्न या तो कोर्स से बाहर हैं अथवा इस स्तर के विद्यार्थियों की समझ के बाहर हैं।

(घ) विषय विशेषज्ञों द्वारा उक्त प्रश्न पत्रों के संबंध में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को प्राप्त टिप्पणियों और शिकायतों पर विचार किया गया है और परीक्षकों को दी जाने वाली विस्तृत अंकेक्षण स्कीम में आवश्यक निर्देश जोड़ दिए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रश्न पत्रों में हुई किसी विसंगति के कारण परीक्षार्थियों को कोई नुकसान

नहीं हो। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक स्वायत्त संगठन है और ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए अपेक्षित उपचारी कदम उठाने के लिए इसके पास पहले से ही विकसित अन्तर्निमित तंत्र है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर दी गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

*424. **श्री शिवाजी विट्ठल राव काम्बले:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंड जूनियर कालेजों पर लागू होते हैं और इन मानदंडों को सभी राज्यों द्वारा अपनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) 17.8.1995 से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के लागू हो जाने के फलस्वरूप जूनियर शिक्षा कालेज समेत शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने वाली प्रत्येक संस्था को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता हासिल करनी होती है। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। परिषद द्वारा प्रारंभिक स्तर की शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए निर्धारित मानदंडों और मानकों को दिनांक 27.3.1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पाठ्यक्रम की अवधि, उम्मीदवारों की पात्रता, शिक्षक-छात्र अनुपात, भौतिक आधारभूत सुविधाओं तथा शिक्षण का अभ्यास करने के लिए अपेक्षित कार्य दिवसों का प्रावधान है। इसके अलावा, परिषद ने शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने का इरादा रखने वाली संस्थाओं द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने का तरीका भी दिनांक 24.2.1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचित अपने विनियमों में निर्धारित किया है जिसमें नई संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे मान्यता के लिए अपने आवेदन पत्रों के साथ उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें जहां वह संस्था स्थित है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर परिषद का पुनर्गठन

*425. **श्री पी.आर. किन्डिया:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पहले पूर्वोत्तर परिषद के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष को पूर्वोत्तर परिषद का अध्यक्ष नियुक्त करने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) सरकार ने 8.12.1998 को पूर्वोत्तर परिषद (संशोधन) विधेयक, 1998 राज्य सभा में पेश किया था। सरकार का इस विधेयक को, कतिपय संशोधनों के साथ, संसद के चालू सत्र में, विचारार्थ और पारित करने हेतु लाने का प्रस्ताव है।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) संशोधित विधेयक में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति, पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष को नामित करेंगे।

औषध मूल्य नियंत्रण आदेश

*426. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार औषध मूल्य नियंत्रण आदेश को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने जीवन रक्षक औषधियों पर औषध मूल्य नियंत्रण आदेश को समाप्त करने के प्रभाव का आंकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो इससे गरीब लोगों पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) सरकार द्वारा गरीब लोगों को सस्ती दरों पर जीवन रक्षक औषधियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार ने उक्त मुद्दे पर राज्यों से परामर्श किया है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) से (घ), (च) और (छ)। जहां तक मूल्य नियंत्रण का संबंध है, नीति के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत औषध मूल्य नियंत्रण आदेश जारी किए जाते हैं। औषधों और भेषजों पर से मूल्य नियंत्रण तंत्र को समाप्त करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए औषध मूल्य नियंत्रण आदेश को समाप्त करने तथा इस मुद्दे पर राज्यों के साथ परामर्श का प्रश्न ही नहीं उठता। स्वदेशी औषध और भेषज उद्योग को समर्थन की आवश्यकता है ताकि यह चुनौतियों का सामना कर सके और उत्पाद पेटेंट तंत्र के आगमन तथा हमारी अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से उत्पन्न अवसरों का लाभ ले सके। सरकार वर्तमान मूल्य नियंत्रण तंत्र की जटिलताओं को कम करने के उपायों पर जहां वे काउंटर प्रोडक्टिव हो गए हैं, विचार करती रही है। इस दिशा में सरकार ने निर्णय लिया है कि मूल्य नियंत्रण के दायरे को काफी कम कर दिया जाएगा।

(ङ) समय-समय पर यथा-संशोधित औषध नीति अच्छी गुणवत्ता के औषधों की उचित मूल्यों पर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की ओर लक्षित है।

पेटेंट हेतु जीन्स

*427. **श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने पेटेन्ट हेतु जीन्स का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। कृषि तथा चिकित्सा जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा कई जीनों का विलगन, पहचान एवं लक्षण-वर्णन किया गया है। कुछ के लिए अंतर्राष्ट्रीय पेटेन्ट प्रदान किए गए हैं; और अन्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पेटेन्ट प्रदान किए गए हैं। इसके विवरण हेतु कुछ उदाहरण नीचे प्रस्तुत हैं:

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने ए एम ए 1 जीन और ओ एक्स डी सी जीन का विलगन, पहचान और क्लोनिंग किया है, ए एम ए 1 जो एक बीज एल्ब्यूमिन जीन है, को एमरेन्थस हाइपोकोन्ड्रिएकस (रामदाना) विलगित किया गया। आलू में इस जीन के उत्प्रेरण एवं निष्पीडन के परिणामस्वरूप पराजीनी समूहों में ट्यूबरों के विकास एवं उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और इससे अति महत्वपूर्ण एमीनो एसिडों की मात्रा में वृद्धि के साथ-साथ सम्पूर्ण प्रोटीन मात्रा में भी वृद्धि हुई है। तीन यू एस पेटेंट और एक भारतीय पेटेंट प्रदान किया गया है। डीकार्बोक्सिलेज (ओ एक्स डी सी) जीन आक्सेलिक एसिड को कम करती है जो विभिन्न फसलों में पोषणात्मक दबावों के तहत उत्पन्न होती है। इसकी शुरूआत टमाटर, बंदगोभी, पालक और लेथिरस (केसरी दाल) में की गई है और चीन को पेटेंट किया गया है। तम्बाकू और टमाटर पादपों में ओ एक्स डी सी जीन के निष्पीडन ने फाइटोपैथजेनिक कवकों के प्रति अच्छा प्रतिरोध दर्शाया है जो उत्पीड़न के दौरान आक्सेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं।

विलंबित फल पकने, एबायोटिक दबाव, अत्यधिक शीत और लवण सहयता आदि के लिए अन्य जीनों को भी पहचान कर विलगित किया गया है। इसी प्रकार नए टीकों और औषधियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण जीनों की भी पहचान की गई है और आगे का कार्य प्रगति पर है। इनके लिए पेटेंट आवेदन भी फाइल किए गए हैं। जीन अनुसंधान और पेटेंटिंग पर देश की बहुत सी प्रयोगशालाओं एवं विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्य चल रहे हैं।

उर्वरकों और कृषि रसायनों के विश्लेषणार्थ अनुसंधान और विकास केन्द्र

*428. **श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उर्वरकों और कृषि रसायनों के विश्लेषण हेतु देश में स्थान-वार कितने अनुसंधान और विकास केन्द्र हैं;

(ख) क्या सरकार ने किन्हीं बिना पश्च प्रभावों वाले उर्वरकों और कृषि-रसायनों के उत्पादन में कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन अनुसंधान और विकास केन्द्रों को वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई, कितनी जारी की कई और उन्होंने कितनी राशि का उपयोग किया?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) और (घ) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) एक योजना स्कीम अर्थात् उद्योग द्वारा अनुसंधान एवं विकास (आरडीआई) चलाता है जिसमें उद्योग के इन-हाऊस अनुसंधान एवं विकास एककों को मान्यता प्रदान की जाती है। उर्वरकों एवं एग्रो रसायनों के उत्पादन में लगे डी एस आई आर मान्यता प्राप्त इन-हाऊस अनुसंधान एवं विकास एककों की एक सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। इन्स्टीट्यूट आफ पेस्टीसाइड फारमूलेशन टेकनोलाजी (आईपीएफटी) भी एक अनुसंधान केन्द्र है जो इको एवं पर्यावरण सहयोगी कीटनाशी के विकास में लगा है। यद्यपि डी एस आई आर ने मान्यता प्राप्त इन-हाऊस अनुसंधान एवं विकास एककों को कोई रकम आवंटित नहीं की है फिर भी विगत वर्षों के दौरन आई पी एफ टी को जारी निधियों के विवरण निम्नानुसार हैं :

वर्ष	(रुपये करोड़ों में)
1998-1999	3.00
1999-2000	25.88
2000-2001	24.52

इसके अलावा, उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफ सी ओ) 1957 के खण्ड 29 में उर्वरक नमूनों के विश्लेषण के लिए राज्य सरकारों/कन्द्र सरकार के द्वारा उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का प्रावधान है। उर्वरक नमूनों की गुणवत्ता का विश्लेषण देश में 66 उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में किया जाता है। देश में कीटनाशकों के परीक्षण् के लिए भी 48 प्रयोगशालाएं हैं। उर्वरक एवं कीटनाशी प्रयोगशालाओं की जांच के लिए प्रयोगशालाओं की राज्य वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

(ख) और (ग) रसायनिक उर्वरकों एवं एग्रो रसायनों के अत्यधिक प्रयोग के किसी दुष्परिणाम से बचने के लिए, सरकार समन्वित पौध पोषक प्रबन्धन व्यवस्था एवं समन्वित कीट प्रबन्धन व्यवस्था को प्रोत्साहित कर रही है। समन्वित पौध पोषण प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत जैव उर्वरकों एवं आरगेनिक उर्वरकों के प्रयोग को भी बढ़ावा दिया जाता है। समन्वित कीट प्रबन्धन व्यवस्था के अन्तर्गत रसायनिक कीटनाशकों के प्रयोग के साथ-साथ जैव कीटनाशकों, खरपतवार नियंत्रण इत्यादि के यांत्रिक पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाता है।

विवरण - I

उर्वरकों एवं रसायनों (एग्रो) के उत्पादन में लगे डी एस आई आर मान्यताप्राप्त इन-हाऊस एककों की सूची

1. एसीएल केमिकल्स लि. चैन्नई
2. एमको पेस्टीसाइड लि. मुम्बई
3. एडवेंट इंडिया लि. (फोरमर्ली आईटीसी जैनका लि.) सिकन्दराबाद
4. अजय बायाटेक इडिया लि. पुणे
5. बीएएसएफ इंडिया लि. थाणे
6. बेयर इंडिया लि. कंडलाकोया, आरआर जिला (एपी)
7. साइनामिकल इंडिया लि. मुम्बई
8. डी-निकोल कारपोरेशन प्रोटेक्शन लि. मुम्बई
9. दीपक नाइट्रिक लि. पुणे
10. ई आई डी पैरी इंडिया लि. (एग्रीटेक रिसर्च सेंटर), बंगलौर
11. फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि. कोचीन
12. फाइकम ओरगेनिकस लि., मुम्बई
13. घारडा केमिकल्स लि., मुम्बई
14. गोदरेज एग्रोवेट लि., सचिन
15. गोदरेज प्लांट एण्ड बायाटेक लि., मैडचल, आरआर जिला
16. गुजरात अल्कली एण्ड केमिकल्स लि., बड़ोदा
17. गुजरात इंसैक्टीसाइडस लि., अनकलेश्वर
18. गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कंपनी लि., जिला भरूच
19. गुजरात स्टेट फर्टिलाईजर कंपनी लि., बड़ोदा
20. हिन्दुस्तान इंसैक्टीसाइड लि., उद्योग मण्डल
21. इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव फूलपुर लि., नई दिल्ली
22. मित्सु इंडस्ट्रीज लि., वैपी
23. नागार्जुन एग्रीकेन लि., श्रीकाकुलम
24. नेशनल आरगेनिक केमिकल्स इंडस्ट्रीज लि., मुम्बई
25. नोवाराइटस इंटरप्राइसेज प्रा. लि., मुम्बई
26. पेस्ट कंट्रोल इंडिया लि., मुम्बई
27. पी आई इंडस्ट्रीज लि. (फोरमर्ली पेस्टीसाइड इंडिया डिवीजन) उदयपुर
28. रैलीस इंडिया लि., मुम्बई
29. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि., मुम्बई
30. सुदर्शन केमिकल्स इंडस्ट्रीज लि., पुणे
31. साऊथर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडिया कारपोरेशन लि., तूतीकोरन
32. टी स्टेनेस एण्ड कंपनी लि., कोयम्बटूर
33. यूनाइटेड फॉस्फेट लि., मुम्बई

विवरण - II

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या	कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या
असम	1	1
बिहार	3	1
उड़ीसा	2	1
पश्चिमी बंगाल	3	1
मणीपुर	—	1
मिजोरम	1	—
गुजरात	3	2
मध्य प्रदेश	5	1
महाराष्ट्र	4	4
राजस्थान	3	2
हरियाणा	2	2
हिमाचल प्रदेश	2	1@
जम्मू एवं कश्मीर	2	2
पंजाब	2	3
उत्तर प्रदेश	3	3
आन्ध्र प्रदेश	5	5
कर्नाटक	4	5
केरल	2	1
पाण्डिचेरी	1	1
तमिलनाडू	14	9
भारत सरकार	4*	2
कुल	66	48

@ स्थापनाधीन।

* फरीदाबाद, मुम्बई, चैन्नई एवं कोलकाता प्रत्येक में एक।

कोयले की मांग और आपूर्ति

***429. श्री. एन. जनार्दन रेड्डी:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर विशेषकर कोयला आधारित परियोजनाओं में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जैसाकि 26 फरवरी, 2001 के "दि स्टेट्समैन" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने कोयला आधारित परियोजनाओं को बचाने के लिए कोयले की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को पाटने के लिए कोई योजनाएं बनाई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) सरकार द्वारा कोयले की मांग और आपूर्ति के विषय में दिनांक 26.2.2001 को दि स्टेट्समैन में प्रकाशित समाचार को देख लिया है। इस समाचार में पावर, स्टील और सीमेंट सेक्टरों से कोयले की बढ़ती हुई मांग के विषय में उल्लेख किया गया है। तथापि, कोयले की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर संबंधी सही आंकड़े निम्न प्रकार हैं।

योजना आयोग द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, नौवीं योजना के अंत में देशी कोयले की मांग और आपूर्ति का अंतर 30.06 मिलियन टन है। कोयला मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई समिति ने फिर इस अंतर का [illegible]न दसवीं एवं ग्यारहवीं योजना के अंत तक 162.28 एवं 260.30 [illegible]यन टन किया है।

(ग) से (ङ) अभी तक देशी कोयला कंपनियां काफी हद तक अपेक्षित मात्रा में कोयले का उत्पादन और आपूर्ति करती रही हैं। इस समय कोयले की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर का कारण देश में कोकिंग कोयले की अपेक्षित क्वालिटी और अच्छे किस्म के नॉन-कोकिंग कोयले का पर्याप्त रूप से उपलब्ध न होना है। इस कमी को उपभोक्ता आयात के द्वारा पूरा करते हैं जोकि 1999-2000 के दौरान 19.70 मिलियन टन तक था। तथापि पावर, सीमेंट, स्टील और अन्य जैसे उपभोक्ता क्षेत्रों में अनुमानित वृद्धि के कारण, नौवीं तथा दसवीं योजना की अवधि के दौरान उनकी कोयले की मांग काफी बढ़ सकती है।

राष्ट्रीय कोयला कंपनियों और कैप्टिव कोयला खनन कंपनियों के लिए इस कमी को पूरा करना संभव नहीं होगा। कोयले की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए सरकार ने राज्य सभा में कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन बिल, 2000 प्रस्तुत किया है ताकि भारतीय कंपनियों को कैप्टिव उपभोग पर प्रतिबंध के बगैर कोयला खनन करने की अनुमति मिल सके और वे कोयला निकालने के कार्य में लग सके।

[हिन्दी]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को घाटे से उबारना

***431. श्री थावरचन्द गेहलोत :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को घाटों से उबारने के लिए सरकार द्वारा घोषित पैकेज के अन्तर्गत कितनी धनराशि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड इस घोषणा के बाद उक्त घाटों से उबर गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का कितनी धनराशि का ऋण माफ किया गया है; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा किए गए दौरों पर कितनी धनराशि खर्च हुई?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) सरकार द्वारा फरवरी, 2000 में अनुमोदित किए गए सेल के वित्तीय पुनर्गठन पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ इस्पात विकास निधि (एस डी एफ) से 5073 करोड़ रुपए और भारत सरकार से 381 करोड़ रुपए के ऋणों और अग्रिमों को माफ करना, जनशक्ति में कमी करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के निधियन के लिए बाजार से धन जुटाने और पिछले ऋणों की अदायगी हेतु धन की व्यवस्था करने के लिए 3000 करोड़ रुपए (ऋण और 1500 करोड़ रुपए पर ब्याज के लिए 50% ब्याज संबंधी इमदाद सहित) की सरकारी गारंटी देना शामिल है।

(ख) से (घ) चालू वर्ष में (दिसंबर, 2000 तक) सेल को 698 करोड़ रुपए की हानि हुई। पिछले वर्ष की इसी अवधि में 2065 करोड़ रुपए की हानि हुई थी। इस प्रकार हानि में 66% की कमी हुई है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा माफ किए ऋण की धनराशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए)

	एस.डी.एफ.ऋण	सरकारी ऋण
1. सेल में विलय होने पर वी.आई.एस.एल. की हानि		
1996–97	148.94	–
1997–98	99.06	–
1998–99	2.71	–
2. सेल का वित्तीय पुनर्गठन		
1999–2000	5073	381

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान सेल के कर्मचारियों के दौरों पर किया गया यात्रा खर्च निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए)

1997–98	1998–99	1999–2000
38	31	35

[अनुवाद]

जैव-प्रौद्योगिकी पार्क

***432. श्री जी.जे. जावीया:**
श्री सुल्तान सलाऊद्दीन ओवेसी:

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ जैव-प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ये पार्क किस हद तक उद्देदयों को पूरा कर रहे हैं; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है और इन पार्कों के कब तक स्थापित/चालू हो जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। महिलाओं के लिए जैवप्रौद्योगिकी पार्क तमिलनाडु राज्य सरकार और केन्द्रीय बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। केरल, आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यों ने बायोटेक्नोलॉजी विभाग और कई उद्यमियों और वित्तीय संस्थानों की सहायता से बायोटेक्नोलॉजी पार्कों की स्थापना करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रकट की है। ये प्रस्ताव विचाराधीन हैं। अन्य राज्य जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक भी बायोटेक्नोलॉजी पार्कों की स्थापना करने पर विचार कर रहे हैं।

(ग) और (घ) बायोटेक्नोलॉजी पार्क का उद्देश्य शिक्षाविदों और उद्यमियों के बीच अन्योन्यक्रिया के लिए मंच तैयार करना है। उद्यमियों द्वारा कुछ सामान्य सुविधाएं प्रयोग की जानी अपेक्षित हैं। व्यापार योजना जिसमें विपणन सहित उत्पादों के प्रकार और आर्थिक रूप से व्यवहार्य शामिल होती है, पार्क के उद्देश्य का एक महत्वपूर्ण घटक है। जब पार्क कई माडयूलों के साथ पूरी तरह से चालू हो जाएंगे, तो यह आशा की जाती है कि वे आत्मनिर्भर हो जाऐंगे, जिनसे रोजगार उपलब्ध होंगे और आर्थिक प्रगति के लिए जैवऔद्योगिक विकास संभव होगा। उपर्युक्त के अनुसार विभिन्न राज्यों में बायोटेक्नोलॉजी पार्कों की स्थापना की योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना से चालू हो जाने की आशा है।

लाटरी टिकट

*433. **श्री विजय गोयल:**
श्री चन्द्रेश पटेल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में किन-किन राज्यों में लाटरी के टिकट बेचे जा रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्य-वार कितने मूल्य के लाटरी टिकट बेचे गए और उनसे कितना मुनाफा कमाया गया;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में लाटरियों से कमाए गए मुनाफे से किन्ही कल्याणकारी कार्यक्रमों का वित्त पोषण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार नागरिकों के लाटरियों के आदी हो रहे तथ्य को देखते हुए इन पर प्रतिबंध लगाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस व्यवसाय में लगे लोगों के हितों और राज्यों के राजस्व की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) लॉटरी संचालित कर रहे राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान लाटरियों की बिक्री और उससे आय इस प्रकार थी:

(करोड़ रुपयों में)

राज्य	1997-98		1998-99		1999-2000	
	बिक्री	आय	बिक्री	आय	बिक्री	आय
अरुणाचल प्रदेश	उ.न.	0.3	उ.न	4.5	उ.न.	4.0
गोवा	517.88	3.01	546.4	3.1	433.9	1.98
हरियाणा	1698.5	45.26	573.12	17.11	254.9	2.71
हिमाचल प्रदेश	187.89	8.80	163.29	1.19	25.41	2.75
कर्नाटक	408.71	9.98	408.71	12.28	555.21	19.58
केरल	105.32	12.25	112.01	15.53	101.4	10.2
महाराष्ट्र	उ.न.	2.79	उ.न.	6.03	उ.न.	5
मणिपुर	उ.न.	15.09	उ.न.	6.76	उ.न.	4.76
मिजोरम	28011	18.07	337889	6	487497	3.12
नागालैंड	47.215	13.28	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
पंजाब	229.23	6.04	174.48	3.89	955.9	18.39
राजस्थान	731.73	37.94	48.11	1.22	शून्य	शून्य
सिक्किम	उ.न.	15	उ.न.	15.5	उ.न.	27.77
तमिलनाडु	27.04	8.94	52	19.7	124.01	27.75
पश्चिम बंगाल	14.87	2.62	17.54	3.84	21.90	6.09

पाद टिप्पणी: 1. उ.न. का अर्थ है उपलब्ध नहीं है।

2. हिमाचल प्रदेश और राजस्थान इस समय लाटरियों का संचालन नहीं कर रहे हैं।

3. नागालैंड के आंकड़े, इनाम जीतने वाली टिकटों को छोड़कर है।

(ग) और (घ) लॉटरी से अर्जित लाभ राज्य की समेकित निधि में जमा किया जाता है। तथापि, तमिलनाडु में कुल प्राप्ति का 75 प्रतिशत, स्लम क्लियरेन्स, एडि-द्राविड आवास स्कीम और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीम के क्रियान्वयन के लिए तमिलनाडु विशेष कल्याण निधि में अंतरित किया जाता है।

(ङ) और (च) लॉटरी (प्रतिबन्ध) विधेयक, 1999, जिसमें संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 (संघ सूची) की प्रविष्टि 40 के अन्तर्गत प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था है, 23 दिसम्बर, 1999 को राज्य सभा में पेश किया गया था। यह विधेयक जांचने और रिपोर्ट देने के लिए विभाग संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(छ) लॉटरी पर प्रतिबंध लगाने से लोगों का एक वर्ग अस्थायी रूप से प्रभावित होगा। चूंकि लॉटरी टिकटों की बिक्री करने के लिए किसी सुविज्ञता की आवश्यकता नहीं होती है, लॉटरी टिकटों की बिक्री से जुड़े लोग अन्य व्यवसाय अपना सकते हैं। लॉटरी टिकटों की बिक्री से राज्य सरकारों को कोई ज्यादा राजस्व प्राप्त नहीं होता है। वर्ष 1999-2000 के दौरान तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य का लॉटरी से राजस्व केवल 27.75 करोड़ रुपए था और गोवा के मामले में मात्र 1.98 करोड़ रुपए था। इसे राज्य सरकारों द्वारा अन्य स्रोतों से जुटाया जा सकता है। लॉटरी पर प्रतिबंध लगाने से होने वाला बड़ा सामाजिक लाभ, थोड़े सी राजस्व हानि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगा।

[हिन्दी]

आई.एस.आई. द्वारा नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी

*434. **श्री पी.आर. खूंटे:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु होकर पश्चिमी सीमा पर आई.एस.आई. द्वारा नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी का संबंध पाक के आतंकवादी संगठन एल.टी.टी.ई. से है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उनकी गतिविधियों की रोकथाम करने के लिए विशेष कृतिक बल गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस खतरे से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जबकि पश्चिमी सीमा पर नशीली दवाओं और शस्त्रों की तस्करी की कुछ घटनाऐं सूचित की गयी हैं लेकिन इस समय लिट्टे के साथ आई.एस.आई. के संबंधों की कोई पुष्ट रिपोर्टें नहीं हैं।

(ग) से (ङ) सीमा पार से घुसपैठ, तस्करी और अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए सीमा पार बाड़ लगाने और तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य हाथ में लिया गया था और पंजाब और राजस्थान में यह कार्य पूरा कर लिया गया है। गुजरात तथा जम्मू और कश्मीर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ बाड़ लगाने और तेज रोशनी की व्यवस्था करने के लिए परियोजना भी अनुमोदित की गयी है। तस्करी, घुसपैठ और अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए पश्चिमी और दक्षिणी तट पर संयुक्त तटीय गश्त भी लगाई जा रही है।

सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान की आई.एस.आई. देश के विभिन्न भागों में आतंकवाद को समर्थन देने, भड़काने और मदद करने में संलिप्त है। सरकार ने आई.एस.आई. की गतिविधियों से निपटने के लिए सु-समन्वित और बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें सीमा प्रबन्धन को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, सुसमन्वित आसूचना आधारित अभियानों द्वारा आई.एस.आई. की योजनाओं को निष्फल करना, संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की चौकियां स्थापित करना और आधुनिकतम हथियारों और संचार प्रणाली इत्यादि के साथ पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन करना सम्मिलित है ताकि स्थिति से निपटा जा सके।

केन्द्र सरकार, देश में आई.एस.आई के खतरे की आशंका और गतिविधियों के बारे में राज्य सरकारों को सुग्राही भी बनाती रही है। विभिन्न स्त्रोतों से आसूचना के आदान-प्रदान और इस प्रकार की गतिविधियों से निपटने के लिए रणनीतियां बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ सावधिक बैठकें भी की जाती हैं। स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र और राज्यों की विभिन्न सुरक्षा एजेन्सियां मिलकर कार्य कर रही हैं।

[अनुवाद]

देश में साम्प्रदायिक दंगे

*435. **डा. डी.वी.जी. शंकर राव:**
श्री राजैया मल्याला:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में विभिन्न राज्यों में लगातार साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दंगों में राज्य-वार कितने नागरिक/सुरक्षा कार्मिक मारे गए/घायल हुए;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इन दंगों के लिए जिम्मेदार संगठनों का पता लगाया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(च) ऐसे दंगे रोकने हेतु विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया ने दंगा प्रभावित क्षेत्रों में हथियारों की भरमार कर दी है और देश के अन्य भूमिगत संगठनों से सम्पर्क स्थापित कर लिया है;

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(झ) सरकार द्वारा देश में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (झ) जी नहीं, श्रीमान। हाल ही में देश में लगातार कोई साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं।

तथापि, पिछले महीने के दौरान कानपुर, उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक हिंसा की एक बड़ी घटना हुई थी जिसमें एक अपर जिला न्यायाधीश सहित 14 व्यक्ति मारे गए और 11 पुलिस कर्मियों सहित 24 व्यक्ति घायल हुए।

कुछ धार्मिक स्थलों, भवनों, दुकानों और वाहनों को भी क्षति पहुंची, पुलिस द्वारा 112 हथियार/गोलाबारूद जैसे, देशी पिस्तौल, बम्ब, कारतूस और चाकू बरामद किए गए और 286 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा, महाराष्ट्र और जम्मू और कश्मीर जैसे कुछ राज्यों से कुछ छोटी मोटी हिंसा की वारदातों की सूचना मिली है।

भारत के संविधान के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय है और इसलिए लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के साथ-साथ अपराध को दर्ज करने, उसकी जांच पड़ताल और रोकथाम करने की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है। देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक हिंसा भड़काने में सीमी या अन्य किसी विशिष्ट संगठन की संलिप्तता, केवल राज्य सरकारों की संबंधित जांच एजेंसियों द्वारा घटनाओं की जांच-पड़ताल करने के बाद ही पता चल पाएगी, उसके बाद कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है, यह सूचना का आदान-प्रदान करती है और सतर्कता संदेश/सलाह भेजती है ताकि संबंधित राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन कार्रवाई कर सकें। साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा, उन्हें, विशिष्ट अनुरोध पर केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल उपलब्ध कराए जाते हैं और केवल साम्प्रदायिक तनावों से ही निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई बल नामक विशेष बल भी तैनात किया जाता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशें

*436. **श्री एम.वी.चन्द्रशेखर मूर्तिः**
श्रीमती श्यामा सिंहः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 मार्च, 2001 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में "रिकमेन्डेशन्स आफ नेशनल कमीशन फॉर वूमेन (एन.सी.डब्ल्यू) आर गेदरिंग डस्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या महिलाओं से संबंधित कानूनों में संशोधन करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई अनेक सिफारिशें कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरे क्या हैं; और

(घ) राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के कब तक पूर्ण रूप से कार्यन्वित किए जाने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों के आलोक में सरकार महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनों की समीक्षा कर रही है। क्योंकि ये कानून विभिन्न मंत्रालयों व विभागों से सम्बन्धित हैं, अतः उनसे परमर्श करके इन कानूनों के बारे में अन्तिम निर्णय लेने के बाद ही विशिष्ट कानूनी प्रावधानों को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

दिल्ली में अपहरण

*437. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरीः**
श्री प्रभुनाथ सिंहः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 मार्च, 2001 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में किडनैपिंग इज फास्ट बिकमिंग एन इंडस्ट्री' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को दिल्ली में और पड़ोसी राज्यों में अपहरण के मामलों में लिप्त गिरोहों के सक्रिय होने की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और उनकी सक्रियता के क्षेत्र कौन-कौन से हैं;

(ङ) पिछले एक वर्ष के दौरान अपहरण के कितने मामलों का पता लगाया गया और प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि की फिरौती/सौदेबाजी अन्तर्ग्रस्त थी;

(च) क्या अपहरण में पुलिस के लिप्त होने संबंधी किसी मामले का पता चला है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और निर्दोष लोगों का जीवन सुरक्षित बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/ किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) वर्ष 2000 में सूचित फिरौती के लिए किए गए अपहरण के मामलों में की गई जांच से केवल दो मामलों में संगठित गिरोहों की संलिप्तता का पता चला है। इन मामलों में संलिप्तता के लिए दिल्ली पुलिस न फजल उर रहमान गिरोह के 4 सदस्यों और अबू सालेम गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। तथापि, जांच से इन गिरोह के किसी निश्चित क्षेत्र में सक्रिय होने का पता नहीं चला है।

(ङ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(च) और (छ) वर्ष 2000 में ऐसे दो मामले दिल्ली पुलिस के ध्यान में आए। उनके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज करने के बाद दोषी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें सेवा से भी बर्खास्त कर दिया गया है।

(ज) अपहरण की घटनाओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए उठाए गए कदमों में, संगठित गिरोहों और ज्ञात अपराधियों के क्रियाकलापों पर निगरानी रखना, अपराध शाखा द्वारा अन्तर्राज्यीय गिरोह के सदस्यों को लक्ष्य बनाना, सामरिक महत्व वाले स्थानों पर गहन गश्त

और निगरानी रखना, संवेदनशील क्षेत्रों पर पुलिस की उपस्थिति बढ़ाना, अधिक अपराध वाले पुलिस स्टेशनों की पहचान करना और उन्हें अतिरिक्त जन शक्ति और मोटर साइकिल पर गश्त लगाने की व्यवस्था करना, जिस अवधि में अधिक अपराध होते हैं उसके दौरान की जाने वाली गश्त के समय का पुनर्निर्धारण करना, सक्रिय अपराधियों को निष्प्रभावी करना और जनता की रक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु उनका सहयोग प्राप्त करना आदि शामिल है।

विवरण

क्र. सं.	एफ आई आर संख्या	मांगी गई फिरौती (रुपयों में)	फिरौती दी गई या नहीं दी गई (रुपयों में)
1	2	3	4
वर्ष 2000			
	161/2000 पी एस तिलक मार्ग	100000	अदायगी नहीं की गई
2.	110/2000 पी एस कल्याणपुरी	200000	-तदैव-
3.	194/2000 पी एस मंडावली	100000	-तदैव-
4.	188/2000 पी एस विवेक विहार	500000	-तदैव-
5.	353/2000 पी एस कल्याणपुरी	902000	-तदैव-
6.	357/2000 पी एस मंडावली	1000000	-तदैव-
7.	569/2000 पी एस प्रीत विहार	12500000	-तदैव-
8.	60/2000 पी एस सीमापुरी	500000	-तदैव-
9.	112/2000 पी एस गोकुल पुरी	100000	-तदैव-
10.	254/2000 पी एस उस्मानपुर	200000	-तदैव-
11.	303/2000 पी एस सराय रोहिल्ला	500000	-तदैव-
12.	337/2000 पी एस सराय रोहिल्ला	400000	-तदैव-
13.	11/2000 पी एस प्रशान्त विहार	2000000	-तदैव-
14.	114/2000 पी एस जहांगीर पुरी	160000	-तदैव-
15.	250/2000 पी एस आदर्श नगर	350000	-तदैव-
16.	369/2000 पी एस मॉडल टाउन	2000000	-तदैव-
17.	407/2000 पी एस जहांगीरपुरी	500000	-तदैव-
18.	618/2000 पी एस समयपुर बादली	20000	-तदैव-
19.	558/2000 पी एस अशोक विहार	1000000	-तदैव-
20.	1005/2000 पी एस सुलतान पुरी	50000	-तदैव-
21.	230/2000 पी एस मंडावली	9000	-तदैव-
22.	303/2000 पी एस देश बंधु गुप्ता रोड़	2000000	-तदैव-
23.	378/2000 पी एस पहाड़गंज	50000	-तदैव-
24.	637/2000 पी एस पहाड़गंज	500000	-तदैव-
25.	69/2000 पी एस संगत विहार	1500000	-तदैव-
26.	256/2000 पी एस हजरत निजामुद्दीन	300000	-तदैव-
27.	197/2000 पी एस कोटला मुबारकपुर	40000	-तदैव-
28.	381/2000 पी एस न्यू फ्रेंड्स कालोनी	1000000	-तदैव-
29.	697/2000 पी एस मालवीय नगर	30000000	-तदैव-
30.	937/2000 पी एस मालवीय नगर	10000000	-तदैव-
31.	407/2000 पी एस सरिता विहार	350000	-तदैव-
32.	423/2000 पी एस बदरपुर	100000	-तदैव-
33.	447/2000 पी एस डाबरी	4000	-तदैव-
34.	477/2000 पी एस डाबरी	2500000	-तदैव-
35.	539/2000 पी एस डाबरी	200000	-तदैव-
36.	145/2000 पी एस नागलोई	10000000	2000000 की अदायगी की गई
37.	283/2000 पी एस तिलक नगर	2500000	अदायगी नहीं की गई
38.	291/2000 पी एस आनंद पर्वत	351000	-तदैव-
39.	542/2000 पी एस विकास पुरी	1500000	-तदैव-
40.	1045/2000 पी एस तिलक नगर	1100000	-तदैव-
41.	23/2000 पी एस नंद नगरी	2000000	-तदैव-
42.	1139/2000 पी एस राजौरी गार्डन	500000	-तदैव-
वर्ष 2001			
43.	62/2001 पी एक गोकुल पुरी	50000	-तदैव-
44.	105/2001 पी एस, एम एस पार्क	200000	-तदैव-
45.	26/2001 पी एस आनंद विहार	100000	-तदैव-
46.	14/2001 पी एस नरेला इंडस्ट्रीयल एरिया	100000	-तदैव-
47.	33/2001 पी एस बवाना	3000000	-तदैव-
48.	119/2001 पी एस अशोक विहार	–	–
49.	130/2001 पी एस सुलतान पुरी	700000	-तदैव-
50.	143/2001 पी एस पहाड़ गंज	1000000	-तदैव-
51.	133/2001 पी एस संगत विहार	600000	-तदैव-
52.	47/2001 पी एस डाबरी	800000	-तदैव-

राजसहायता में कटौती

*438. प्रो. उम्मारेडडी वेंकटेस्वरलु: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यय सुधार समिति ने नेफ्था आधारित उर्वरक संयंत्रों के लिए राजसहायता में भारी कटौती का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त समिति की सिफारिशों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में की गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) से (ग) व्यय सुधार आयोग (ईआरसी) ने शीर्षक "उर्वरक राज सहायताओं के यौक्तिकरण" शीर्षक नामक अपनी रिपोर्ट में यूरिया उद्योग का चार चरणों में चरणबद्ध विनियंत्रण एवं वर्तमान प्रतिधारण-मूल्य-सह-राजसहायता स्कीम (आर पी एस) की जगह यूरिया रियायत स्कीम के प्रारम्भण की अनुशंसा की है। चरण -1 के दौरान रियायत की दरें निर्धारित करने के लिए आयोग ने वर्तमान यूरिया एककों को पांच श्रेणी - 1992 पूर्व गैस आधारित एकक, 1992 पश्चात गैस आधारित एकक नेफ्था आधारित एकक, एफओ/एलएसएचएस आधारित एवं मिश्रित फीडस्टाक आधारित एकक में समूहीकृत किया है। रियायत की दरों को प्रत्येक समूह के निकट निम्न एक सौ रुपऐ तक भारित औसत प्रतिधारण मूल्य राउंड आफ के आधार पर निर्धारित किया गया है। नेफ्था आधारित एककों, एफओ/एलएसएचएस आधरित एककों एवं मिश्रित फीड स्टाक आधारित एककों के लिए रियायत इस मान्यता के आधार पर निर्धारित की गयी है कि ये एकक अपने फीडस्टाक आवश्यकताओं का आयात या इन्हें घरेलू स्रोतों से प्राप्त करेंगे यदि वे आयात सम मूल्य पर बेचने के इच्छुक हैं। इस प्रकार नेफ्था आधारित एककों सहित सभी उन यूरिया एककों जिनका वर्तमान प्रतिधारण मूल्य समूह के भारित औसत प्रतिधारण मूल्य से ज्यादा है, वर्तमान आर पी एस व्यवस्था के अन्तर्गत उनके सब्सिडी की वर्तमान दर की तुलना में कमी का सामना करेंगे।

1 अप्रैल 2002 से प्रारम्भ होने वाले चरण - II में आयोग ने पूंजी संबंधित शुल्कों (सी आरसी) में कमी के रूप में रियायत की दर में एवं ऊर्जा खपत में कमी की अनुशंसा की है। 1992 पूर्व एवं 1992 पश्चात गैस आधारित एककों के लिए सी आर सी में क्रमशः 250 रुपये एवं 450 रुपये प्रति मी. टन की कमी आयोग द्वारा निर्धारित की गयी है। नेफ्था एवं मिश्रित फीड स्टाक आधारित एककों के लिए, यह 7 एमकील प्रति मी. टन यूरिया एवं एफओ/एलएसएलएस आधारित एककों के लिए 9.75 एमकील प्रति टन की ऊर्जा दक्षता स्तर निर्धारित करता है।

1 अप्रैल 2005 से आरम्भ होने वाले चरण - III में, आयोग सभी गैर गैस आधारित संयंत्रों का एलएनजी में आधुनिकीकरण करना एवं कायाकल्प के परिवर्तन को माना है। इस चरण में एककों को दी जाने वाली रियायत में सभी एककों के लिए सी आर सी में कमी के आधार पर और कमी का प्रस्ताव है। उन यूरिया एककों के लिए जो एल एन जी फीडस्टाक में परिवर्तन में सक्षम नहीं हैं, रियायत उस स्तर तक सीमित की जाएगी जो एल एन जी में परिवर्तन पर मिलती है।

सरकार ई आर सी अनुशंसाओं की आवश्यक निर्णय लेने के लिए जांच कर रही है।

[हिन्दी]

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रासायनिक उर्वरकों का मूल्य

*439. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रासायनिक उर्वरकों की कीमतें देश में उत्पादित रासायनिक उर्वरकों की कीमतों से कम हैं;

(ख) यदि नहीं, तो वर्ष 2000-2001 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में और देश के बाजार में सभी रासायनिक उर्वरकों का औसत मूल्य क्या है;

(ग) इसके मूल्य में इस अन्तर के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार आयातित रासायनिक उर्वरकों पर भी राजसहायता प्रदान कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) से (ग) कृषि उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख रसायन उर्वरकों में से यूरिया तथा डाइअमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) का निर्माण देश में किया जाता है और म्यूरिएट आफ पोटाश (एमओपी) का पूर्णतया आयात किया जाता है क्योंकि देश में इस उर्वरक के वाणिज्यिक रूप से दोहन योग्य कोई भण्डार नहीं है। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इन उर्वरकों के मूल्य का निर्धारण अन्य बातों के साथ-साथ आयातों के स्रोत, मांग तथा आपूर्ति स्थिति जैसे बहुत से घटकों द्वारा किया जाता है और घरेलू उर्वरकों के मामले में अधिकतम खुदरा मूल्यों का निर्धारण और आवधिक संशोधन सरकार द्वारा किया जाता है। वर्ष 2000-01 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से सुपर्दगी मूल्यों की तुलना में यूरिया, डीएपी और एमओपी के अधिकतम खुदरा मूल्यों की स्थिति इस प्रकार है :

उत्पाद	अधिकतम खुदरा मूल्य घरेलू मूल्य (रुपये प्रति मी. टन)	आयातित उर्वरकों का औसत सुपुर्दगी मूल्य मी. टन (रुपये प्रति मी. टन)
यूरिया	4600	7382
डीएपी	8900	9853
एमओपी	4255	6722

* स्रोत एफएमबी

* एक अमरीकी डालर की औसत आर बी आई विनिमय दर = 45.68 रुपये

यद्यपि, भारत में यूरिया और डीएपी के अधिकतम खुदरा मूल्य औसत सुपुर्दगी के मूल्य के स्तर से नीचे हैं किन्तु आयातित यूरिया और डीएपी की तुलना में देश इन उर्वरकों की उत्पादन/बिक्री लागत सामान्यतः उच्च रही है। यह मुख्यतः भारत में फीडस्टाक/कच्चे माल और मध्यवर्तियों की उच्च लागत के कारण हैं। नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के मामले में उर्वरक संयंत्र

निर्यातक देशों में मुख्यतः प्राकृतिक गैस पर आधारित है जहां प्राकृतिक गैस की लागत लैंड फाल बिन्दु पर आधारित संयंत्रों के लिए 2.33 से 2.39 अमरीकी डालर की सुपुर्दगी लागत एवं भारत में एच बी जे पाइपलाइन पर आधारित यूरिया संयंत्रों के लिए 2.76 से 3.07 अमरीकी डालर की तुलना में लगभग 1 अमरीकी डालर प्रति मिलियन वीटीयू या कम है। नेफ्था और ईंधन तेल आधारित संयंत्रों की फीडस्टाक लागत अभी भी उच्च है। कारखाना द्वार पर नेफ्था और ईंधन तेल का सुपुर्दगी मूल्य क्रमशः 7.68 से 9.16 अमरीकी डालर तथा 5.59 से 6.31 अमरीकी प्रति मिलियन बी टी यू है। जहां तक फॉस्फेटिक उर्वरकों का संबंध है स्वदेशी डीएपी के उत्पादन को देश के भीतर कच्चे मालों/मध्यवृत्तियों की उपलब्धता में कमी के कारण स्वाभाविक कमी से हानि होती है और इसलिए उनके आयातों पर निर्भर रहना पड़ता है। परिणामस्वरूप न केवल स्वदेशी उत्पादन की लागत, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी के मूल्य से अधिक है। अपितु यह अमरीकी डालर की तुलना में रुपये के मूल्य में गिरावट से प्रतिकूल रूप से प्रभावित है।

(घ) और (ङ) जी हां, आयातित यूरिया पर राजसहायता का भार, इस उर्वरक की आयातित यूरिया की अवतरित लागत और अधिकतम खुदरा मूल्य के बीच अन्तर के रूप में सरकार द्वारा वहन किया जाता है। नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के मामले में, आयातित डीएपी और एमओपी के लिए रियायत की सामान्य दरों की तिमाही आधार पर घोषणा की जाती है। वर्ष 2000-01 के लिए इन उर्वरकों हेतु राजसहायता/रियायत के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

	(रुपये मी.टन)
आयातित यूरिया	शून्य
आयातित डीएपी	1050-1550
आयातित एमओपी	2900-3200

* वर्ष 2000-01 के दौरान सरकारी खाते में यूरिया का कोई आयात नहीं किया गया।

[अनुवाद]

नई औषधि नीति

*440. **श्री वाई एस. विवेकानन्द रेड्डी :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा नई औषध नीति का प्रस्ताव किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस नई नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश की समीक्षा करने के लिए रसायन और भेषज विभाग द्वारा गठित समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) नई औषधि नीति के लिए उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर किस सीमा तक विचार किया जा रहा है;

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) से (छ) मूल्य नियंत्रण की जटिलताओं, जहां कहीं वे काउंटर प्रोडक्टिव हो गई हैं, को कम करने के लिए वर्तमान मूल्य नियंत्रण व्यवस्था का पुनरीक्षण करने के उद्देश्य से गठित समिति ने इस दिशा में उपाय सुझाते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। औषध नीति में कोई भी परिवर्तन करते समय समिति की सिफारिशों सहित सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा।

अनाथालय में अवैध रूप से रखे गए व्यक्तियों की जांच के लिए समिति

4403. **श्री जी.एस. बसवराजः**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पाः
श्री इकबाल अहमद सरडगीः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने बंगलौर शहर में इन्नूर बनसवाडी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत अनाथालय में अवैध रूप से रखे गए व्यक्तियों की जांच करने के लिए समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जांच समिति द्वारा दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा समिति की रिपोर्ट को कर्नाटक सरकार को भेज दिया गया है। तथापि, बच्चों को किशोर अपराधी गृह में भेज दिया गया है। सम्बन्धित पक्ष ने 20 बच्चों की अभिरक्षा हेतु एक याचिका दायर की है। राष्ट्रीय महिला आयोग भी प्रतिवादियों में से एक है। 1.2.2000 को हुई सुनवाई में न्यायालय इस बात से सन्तुष्ट था कि याचिका दायर करने वाले को बच्चों की अभिरक्षा का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। 2.2.2001 को कर्नाटक राज्य सरकार तथा मणिपुर राज्य सरकार की ओर से शपथपत्र प्रस्तुत किये गए, जिनमें, बच्चों को सुरक्षित उनके मूल राज्य में भेजना सुनिश्चित करने के लिए किये जाने वाले प्रयासों के बारे में बताया गया। न्यायालय ने पार्टी द्वारा दायर की गई याचिका को रद्द कर दिया है।

सी.डी. रोम का विपणन

4404. श्री मोइनुल हसनः क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान अनुसंधान परिषद (रिसर्च काउंसिल ऑफ नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ साइंस कम्यूनिकेशन) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च) की चौबीसवीं बैठक के अनुमोदित कार्यवाही सारांश में यह नोट करने के पश्चात् कि अब तक केवल 90 सी.डी. रोम डिस्कें बिकी हैं अहेड सी.डी. रोम उत्पादों हेतु भरसक विपणन प्रयासों का आह्वान किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो देश-वार अगस्त 1999 की स्थिति के अनुसार उक्त डिस्कों की बिक्री क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) अगस्त 1999 को सीडियों की कुल बिक्री (देश-वार) :

भारत	81
इंडोनेशिया	02
श्रीलंका	01
तंजानिया	01
बंगलादेश	02
कोरिया	01
मलेशिया	02
मिस्र	01
नेपाल	05
सिंगापुर	03

[हिन्दी]

प्रौद्यौगिकी उत्पादों के लिए नीति

4405. श्री राजनारायण पासीः क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों के संवर्धन हेतु कोई दीर्घावधि नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (घ) भारत सरकार के 1983 के प्रौद्योगिकी नीति विवरण (टी पी एस) के मुख्य उद्देश्य स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं संसाधनों के लिए उपयुक्त आयातित प्रौद्योगिकी का प्रभावी समावेशन तथा अनुकूलन करना है। टी पी एस के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, सरकार के विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाएं, प्रौद्योगिकियों के विकास तथा उनके वाणिज्यीकरण को सहायता प्रदान करने के लिए हैं और इसमें उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों का विकास भी शामिल है। इन योजनाओं में वैज्ञानिक एवं इंजीनियरी अनुसंधान परिषद् का इंजीनियरी विज्ञान कार्यक्रम, संयुक्त प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, शर्करा प्रौद्योगिकी पर मिशन कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद का उन्नत पदार्थ एवं उड़न राख तथा स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, नई सहस्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व शुरुआत तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग का प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता पर केन्द्रित कार्यक्रम और अन्य विभागों के साथ-साथ दूर संचार विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विभिन्न अन्य कार्यक्रम शामिल हैं। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड भी स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास एवं वाणिज्यीकरण को सुविधा प्रदान करता है।

अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों का समेकित विकास

4406. श्री सुरेश चन्देल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों के समेकित विकास के उद्देश्य से केन्द्र सरकार को दिनांक 17.12.1997 को 183.14 करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया था; और

(ख) यदि हां, तो इसकी अद्यतन स्थिति क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश सरकार से अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आई एफ ए डी) की सहायता से समेकित जनजातीय विकास के लिए 183.14 करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में आरंभ किए जाने के लिए प्राप्त हुआ। कृषि मंत्रालय से परामर्श करने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार से संशोधित परियोजना प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

पश्चिमी दिल्ली में हत्या के मामले

4407. श्री माणिकराव होडल्या गावितः क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत 6 माह के दौरान पश्चिमी दिल्ली में विशेषकर न्यू रणजीत नगर और इसके आसपास के क्षेत्रों में हत्या के कितने मामलों की सूचना मिली है;

(ख) अब तक कितने मामलों का निपटान किया गया है;

(ग) क्या दिल्ली पुलिस शेष मामलों को निपटाने में विफल रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) पश्चिमी दिल्ली में लम्बित मामलों की स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(च) लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) 1 अक्तूबर, 2000 से 31 मार्च, 2001 तक की अवधि के दौरान पुसिल स्टेशन, पटेल नगर और पूर्वी रणजीत नगर के क्षेत्र में एक-एक मामले सहित पश्चिम दिल्ली जिले से हत्या के 36 मामले सूचित किए गए जिनमें से 24 मामले हल कर लिए गए हैं और शेष की जांच-पड़ताल चल रही है।

(ङ) और (च) लम्बित पड़े मामलों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। इन लम्बित मामलों को हल करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

क्र. सं.	वर्ष	प्र.सू. रिपोर्ट सं. और तारीख	धारा	पुलिस स्टेशन	स्तर
1.	2000	771/2 के, 19.10.2000	302 आई.पी.सी	पटेल नगर	एक श्री बिहारी लाल ने पुलिस स्टेशन को सूचित किया कि उसका लड़का अजय 18.10.2000 को 5.00 अपराह्न को घर से गया था लेकिन 12.00 बजे रात तक घर वापस नहीं आया। बाद में, उसका शव, गले में लिगेचर मार्क और सीने और पेट पर चाकू मारने से हुए घावों के साथ कुछ रिहाइशी फ्लेटों के बीच रास्ते में पड़ा मिला। भेदिए तैनात किए गए और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गयी। विधि विज्ञान प्रयोगशाला, दिल्ली से दोनों संदिग्धो के पोलीग्राफ टेस्ट करने का अनुरोध किया गया।
2.	2000	908/2 के, 20.10.2000	302/34 आई.पी.सी	तिलक नगर	मृतक के व्यवसायी सहयोगियों और दोस्तों से पूछताछ को गयी लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। उप निरीक्षक के नेतृत्व में एक टीम जांच-पड़ताल के लिए पंजाब भी भेजी गई। इसके अतिरिक्त, संदिग्धों के बारे में और अधिक सूचना एकत्र करने के लिए चश्मदीद गवाहों को डोजियर भी दिखाए गए हैं।
3.	2001	545/2 के, 11.12.2000	307/302 आई.पी.सी	विकास पुरी	अभियुक्त व्यक्तियों का पता लगाने के प्रयास अभी तक सफल नहीं हुए।
4.	2000	1211/2 के, 27.12.2000	302 आई.पी.सी	उत्तम नगर	शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है।
5.	2000	630/2 के, 29.12.2000	147/148/149/186/ 353/308/323/302 आई.पी.सी	हरी नगर	सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 176 भा.द.सं. के अन्तर्गत की गयी मरणोपरान्त जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
6.	2000	679/2 के, 7.12.2000	302/394/34 आई.पी.सी	कीर्ति नगर	अभियुक्त व्यक्तियों का पता लगाने के प्रयास अभी तक सफल नहीं हुए।
7.	2001	8/01, 3.1.2001	302/34 आई.पी.सी	राजौरी गार्डन	इस मामले में दो अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और आगे जांच जारी है।
8.	2001	10/02, 6.1.2001	302 आई.पी.सी	पश्चिम विहार	अभियुक्त व्यक्तियों का पता लगाने के प्रयास अभी तक सफल नहीं हुए।
9.	2001	15/01, 14.1.2001	302/201आई.पी.सी	विकास पुरी	शव की अभी शनाख्त नहीं हो पाई है।
10.	2001	37/01, 26.1.2001	302 आई.पी.सी	तिलक नगर	शव परीक्षा रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। इसी बीच संदिग्ध व्यक्तियों से गहन पूछताछ की गयी है।
11.	2001	98/01, 14.3.2001	302/201 आई.पी.सी	मोती नगर	शव की अभी शनाख्त नहीं हो पाई है।
12.	2001	163/01, 31.3.2001	302 आई.पी.सी	पश्चिम विहार	अपराधियों का पता लगाने के प्रयास अभी तक सफल नहीं हुए।

कापार्ट के अन्तर्गत प्रबोधक की नियुक्ति

4408. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कापार्ट के अन्तर्गत परियोजनाओं का दौरा करने, मूल्यांकन करने और परियोजनाओं की सिफारिश करने तथा इनका पूरा होने के बाद इनकी वित्तीय और तकनीकी निगरानी करने के लिए प्रबोधक को नियुक्त किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो 1990 से वर्ष-वार 'कापार्ट' द्वारा कितने प्रबोधक की नियुक्ति की गई है;

(ग) राज्यवार और वर्षवार कितने प्रबोधक को निगरानी कार्य का सबसे अधिक/सबसे कम कार्य दिया गया है;

(घ) क्या चुनिंदा व्यक्तियों को निगरानी कार्य के आबंटन में बड़े पैमाने पर भेदभाव बरता जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

समुद्रतटीय झाड़ियों के संबंध में अनुसंधान

4409. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनेक रोगों में उपयोगी होने का दावा करने वाली समुद्रतटीय झाड़ी के संबंध में अनुसंधान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या परिणाम हासिल किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इस पौधे के उत्पादन को गम्भीरता से ले रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संयंत्र के उत्पादन के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा') : (क) से (घ) जी हाँ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, सिक्किम में समुद्रतटीय झाड़ी के लिए ऊतक संवर्धन पुनरुत्पादन तंत्र के विकास संबंधी एक परियोजना को सहायता प्रदान की गई है। बीज जीवविज्ञान तथा ऊतक संवर्धन और परम्परागत तकनीकों के जरिए बड़े पैमाने पर इन पादपों की खेती संबंधी शोध अध्ययन जारी हैं। फ्रैंकिया के सहयोग से सिक्किम के निचले क्षेत्र में समुद्रतटीय झाड़ी की खेती करने के प्रयास किए गये हैं। इस पादप की खेती हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में की जा रही है।

[अनुवाद]

विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं का उन्नयन

4410. श्री ए. नरेन्द्र : क्या मनाव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं के उन्नयन हेतु विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य-वार, विशेषकर आंध्र प्रदेश में सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को इस प्रयोजनार्थ कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1998-99 से 2000-2001 तक के दौरान विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं के स्तरोन्नयन के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को दी गई सहायता को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। विज्ञान प्रयोगशालाओं के स्तरोन्नयन के लिए आंध्र प्रदेश को कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है क्योंकि नई विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना को लिए पहले से संस्वीकृत निधियां राज्य सरकार के पास अप्रयुक्त पड़ी थी।

विवरण

(रु. लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	42.60
2.	गोवा	5.40	3.90	–
3.	जम्मू एवं कश्मीर	–	–	61.20
4.	महाराष्ट्र	–	–	429.90
5.	मिजोरम	–	71.10	–
6.	पंजाब	–	–	358.80
7.	त्रिपुरा	–	–	0.90
8.	उत्तर प्रदेश	252.00	–	–
9.	लक्षद्वीप	–	1.80	–
10.	पांडिचेरी	1.50	0.90	–

भवन निर्माता के विरुद्ध शिकायतें

4411. श्री राजेश वर्मा: क्या गृह मंत्री भवन निर्माता के विरुद्ध शिकायतों के बारे में 16.5.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7643 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना प्राप्त कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेकों व्यक्तियों और जन प्रतिनिधियों ने आर्थिक अपराध स्कंध भूमि निर्माता अवैध निर्माण से निबटने वाले सैल, दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा में शिकायतें दर्ज कराई हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में आज की तिथि तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने अब तक भवन निर्माता के विरुद्ध क्या कारवाई की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ङ) दिल्ली पुलिस से प्राप्त सूचना के अनुसार, विभिन्न व्यक्तियों से शिकायतें प्राप्त होने पर, दिल्ली पुलिस ने दुर्गा बिल्डर्स के विरुद्ध धोखाधड़ी, न्यायसभंग और षडयंत्र के तीन मामले दर्ज किए हैं। मामलों लिस की अपराध शाखा के आर्थिक अपराध विंग द्वारा जांच की जा रही है। दुर्गा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के चैअरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, अर्थात रविन्द्र कुमार नंदा 31.1.2001 को गिरफ्तार किया गया। दुर्गा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते की पहचान कर ली गई है और उसे फ्रीज कर दिया गया है। इस कंपनी की अचल संपत्तियों की कुर्की के लिए पहचान कर ली गई है।

[हिन्दी]

दिल्ली के अवैध निर्माण

4412. प्रो. दुखा भगत: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में एम.सी.डी. और अन्य विभागों के अधिकारियों तथा दिल्ली पुलिस की मिलीभगत से अवैध निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में अवैध निर्माण रोकने का कार्य किस रैंक के अधिकारियों को सौंपा गया है;

(ग) गत तीन माह के दौरान प्रत्येक माह, स्थान-वार दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर अवैध निर्माण के बारे में कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(घ) सांठ-गांठ करने वाले कितने अधिकारियों की पहचान की गई है और ऐसे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कवाडी कोयला खान दुर्घटना

4413. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की कवाडी खुली मुहाने वाली कोयला खान की दुर्घटना के कारणों की जांच करने वाली उच्चशक्ति प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। सी.आइ.एल. से सिफारिशों को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

(i) बेन्चों की चौड़ाई तथा ऊंचाई के संबंध में खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा निर्दिष्ट की गई शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। यह इससे अनिश्चितताओं पर ध्यान देने के लिए सुरक्षा का एक उच्चतर कारक होगा।

(ii) यदि कोई परिवर्तन किया जाना हो, तो ढलान स्थिरता (स्लोप स्टेबिलिटी) का वैज्ञानिक विश्लेषण किए जाने के बाद ही ऐसा किया जाए और इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली जाए।

(iii) चट्टानों की प्रवणता की दिशा में ढलान (स्लोप) अधिक खतरनाक होती है क्योंकि गुरुत्व के कारण स्लोप टूट सकती है। अत: इन-क्रॉप साइड में लगाए जाने वाले बेंचों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के स्लोपों का विशेषकर कमज़ोर संरचनाओं में सदा विश्लेषण किया जाए।

(iv) भूमिगत गैलरियों में आग लगने से उनके ऊपर का स्ट्राटा कमज़ोर हो जाता है और सुरक्षा कारक में कमी आती है। अत:, ऐसे मामलों में यानि बेंचों की चौड़ाई में वृद्धि करके अधिक सुरक्षा, कारकों की आयोजना करनी चाहिए।

(v) जहां कहीं किसी दोषपूर्ण या गड़बड़ी वाले स्थान पर बेंच बनाए जाते हैं तो उस स्थान पर विस्तृत जांच की जानी चाहिए तथा इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि संभावित खिसकने वाली चट्टानों, मिट्टी आदि को या तो हटा लिया जाए या उनका उचित रूप से स्थिरीकरण किया जाए।

(vi) कवाड़ी, ओ.सी. के वर्तमान मामले में, बैरियर के आकार के कारण वर्षा के जल का स्थिरता पर अधिक प्रभाव नहीं है। अन्य मामलों में, इससे अत्यधिक रन्ध्र दबाव पैदा हो सकता है और प्रतिबल (टेनशन) दरारों के साथ मिलकर यह अस्थिरता पैदा कर सकता है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हर प्रयास किया जाना चाहिए कि स्लाप से पानी को बाहर निकाल दिया जाए।

(vii) कुछ विशिष्ट मामलों में पौधे उगाने से भी नरम चट्टानों को स्थिर करने में सहायता मिल सकती है।

(viii) प्रत्येक ओपनकास्ट खान में प्रत्येक माह सभी साईडों के क्रॉस-सैक्शन बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन क्रॉस-सैक्शनों पर सर्वेक्षक, प्रबंधक, एजेन्ट द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इस पर उस क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे।

(ix) सी.आई.एल. द्वारा पहले से ही आरंभ की गई एक मापन व्यवस्था को सभी खानों में लागू किया जाना चाहिए ताकि ऊपरी मलबे को हटाए जाने की प्रतिजांच किया जाना सुनिश्चित हो।

समिति अनुशंसा करती है कि सर्वेक्षण तथा सैक्शन तैयार करने आदि के लिए लेज़र प्रोफइलिंग प्रणाली/कम्प्यूटर प्रोसेस्ड वीडियोग्राफी/हाई रेसोल्यूशन सैटेलाइट इमेज़री आदि आधुनिक प्रौद्योगिकी की प्रयोग किया जाना चाहिए। ये प्रौद्योगिकियां पहले से ही स्थापित हैं और इनमें आंकड़ों का संग्रहण मानवीय गलतियों से लगभग मुक्त होता है।

(x) जांच से यह भी पता चला है कि अंतिम क्रियाकलापों के लिए लागू डी.जी.एम.एस. द्वारा निर्धारित शर्तें कई संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट नहीं थी।

सामान्य रूप से यह नोट किया गया है कि प्रबंधकीय और तकनीकी कार्य-कौशल में गिरावट आई है। प्रबंधन को अपनी नीतियों का नवीनीकरण करने की आवश्यकता है जिसके परिणामस्वरूप प्रबंधकीय तथा तकनीकी कार्य-कौशल एवं पर्यवेक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा।

(xi) पिट सुरक्षा समिति के गठन तथा कामगार के निरीक्षण को सुदृढ़ किया जाना चाहिए तथा और इसे जवाबदेही भी बनाया जाए।

(xii) कोलियरी प्रबंधक को सौंपे गए उत्तरदायित्व के अनुरूप उसके प्राधिकार तथा भूमिका को भी बढ़ाया जाना चाहिए।

(xiii) सी.आई.एल. को कोयला उद्योग में स्लोपों की स्थिरता/ढह जाने पर एक विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन कराना चाहिए।

[हिन्दी]

भू-जल के संबंध के अध्ययन/अनुसंधान

4414. डा. जसवंत सिंह यादवः क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार भू-जल के संबंध में विशेष अध्ययन और अनुसंधान करने हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह वित्तीय सहायता कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस अनुसंधान से राजस्थान को कितना लाभ मिलने की सम्भावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) से (घ) जमीनी पानी पर विशेष अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्य करने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से कोई भी प्रस्ताव डी.एस.टी. को प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, एन.आर.डी.एम.एस. कार्यक्रम के तहत् जमीनी पानी के संसाधनों के प्रबन्धन में आर, एण्ड डी, प्रयासों के एक भाग के रूप में मार्च, 1999 में 10,24,460 रुपए की लागत पर "धुण्ड नदी घाटी, जयपुर जिला, राजस्थान के जमीनी पानी के संसाधनों का मूल्यांकन व प्रबन्धन करने के लिए समेकित अध्ययन" विषय पर एक 30 माह वाली परियोजना को अनुमोदन प्रदान कर उसे भू विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को भेज दिया गया है। यह कथित चल रही परियोजना सितम्बर, 2001 में समाप्त होने वाली है। इस परियोजना से प्राप्त परिणामों का उपयोग अध्ययन क्षेत्र में जमीनी पानी के संसाधनों के प्रबन्धन के लिए स्थायी विकास योजना तैयार करने में किए जाने के अलावा इनसे राजस्थान राज्य को सम्भवतः पूरे राज्य में इसी तरह के अध्ययन एवं अनुसन्धान करने की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

[अनुवाद]

सार्वजनिक परिसर (बेदखली) अधिनियम का क्रियान्वयन

4415. श्री किरीट सोमैयाः क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक परिसर (बेदखली) अधिनियम के क्रियान्वयन को रोकने के लिए वस्त्र मंत्रालय सहित सभी मंत्रालयों/विभागों को 1994 में विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सार्वजनिक परिसरों के संबंध में एन.टी.पी.सी. इस अधिनियम की गलत व्याख्या कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार के ध्यान में कोई विशिष्ट मामला लाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वस्त्र मंत्रालय को क्या निर्देश जारी किए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) अंतरमंत्रालयी परामर्शों के बाद इस मंत्रालय ने 1992 में समुचित दिशानिर्देश बनाए थे। जो तत्कालीन शहरी विकास मंत्री द्वारा केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को भेज दिए गए थे, जिसमें उन्हें अपने अपने नियंत्रणाधीन संगठनों को इसी प्रकार के दिशानिर्देश जारी करने का परामर्श दिया गया था ताकि प्रमाणिक किराएदारों की बेदखली के लिए सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबंधों का दुरुपयोग/मन माना उपयोग होने से रोका जा सके। इन दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए केन्द्रीय मंत्रीपरिषद के सभी सदस्यों को नवंबर, 1997 और दिसंबर 2000 में पुनः कहा गया था।

(ग) से (ङ) हाल ही में एन.टी.पी.सी. द्वारा अधिनियम का गलत अर्थ लगाने का ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है। तथापि, सम्बर, 2000 में सरकार को इस बात की सूचना मिली थी कि मुंबई में नशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन प्राधिकारियों में मुंबई में विभिन्न चालों तथा नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन के किराया भवनों में रह रहे किराएदारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर इस अधिनियम के उपबंधों के दुरुपयोग किए जाने का आरोप लगाया है। स्थिति की सूचना तत्काल कपड़ा मंत्री को दी गई थी, जिसमें विशेष रूप से यह अनुरोध किया गया था कि मामले को व्यक्तिगत रूप से देखें और अधिनियम का यथोचित अनुपालन सुनिश्चित करें।

उत्तर साक्षरता अभियान

4416. डा. वी. सरोजा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी जिलों में उत्तर साक्षरता अभियान शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन जिलों का ब्यौरा क्या है जहां इस कार्यक्रम को अब तक शुरू नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश के सभी जिलों में इस कार्यक्रम को शीघ्र शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) उत्तर साक्षरता कार्यक्रम 395 जिलों में आरम्भ किए गए हैं।

(ग) इसके कारण निम्नवत हैं:

(I) सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के पूरा होने पर उत्तर साक्षरता अभियान आरम्भ किया जाता है। इस समय सम्पूर्ण साक्षरता अभियान 166 जिलों में चलाया जा रहा है। राज्यवार विवरण संलग्न है।

(II) सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के लिए जिला स्तर पर लेखाओं का निपटान नहीं किया गया तथा उपयोग प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए।

(III) जिलों से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

(घ) निम्नलिखित प्रयास किए गये हैं:

(I) सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के लेखाओं के शीघ्र निपटान के प्रयास किए गए हैं।

(II) सम्पूर्ण साक्षरता अभियान को शीघ्र पूरा करने के लिए सम्पूर्ण साक्षरता अभियान कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जाती है।

(III) सातत्य दक्षता और संकेंद्रण को सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत सम्पूर्ण साक्षरता अभियान और उत्तर साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की विभिन्न योजनाओं के तहत शामिल जिलों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिलों की सं.	टी. एल. सी.	पी. एल. पी.	आर.एफ एल.पी. जिले	सी. ई. पी.	कुल शामिल जिले	असम्मिलित जिले
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	23	0	3	0	20	23	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	14	0	0	7	0	7	7
3.	असम	23	12	10	1	0	23	0
4.	बिहार	37	20	12	0	0	32	5
5.	छत्तीसगढ़	16	9	6	0	1	16	0
6.	दिल्ली	9	9	0	0	0	9	0
7.	गोवा	2	2	0	0	0	2	0
8.	गुजरात	25	0	14	0	11	25	0
9.	हरियाणा	19	13	5	0	1	19	0
10.	हिमाचल प्रदेश	12	0	11	0	1	12	0
11.	जम्मू और कश्मीर	14	5	0	4	0	9	5
12.	झारखण्ड	18	10	3	0	1	14	4
13.	कर्नाटक	27	0	15	0	12	27	0
14.	केरल	14	0	0	0	14	14	0
15.	मध्य प्रदेश	45	18	26	0	1	45	0
16.	महाराष्ट्र	35	6	20	0	9	35	0
17.	मणिपुर	9	1	0	7	0	8	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	मेघालय	7	6	0	0	0	6	1
19.	मिजोरम	3	0	0	0	3	3	0
20.	नागालैंड	7	0	0	7	0	7	0
21.	उड़ीसा	30	16	14	0	0	30	0
22.	पंजाब	17	10	6	0	1	17	0
23.	राजस्थान	32	0	25	0	7	32	0
24.	सिक्किम	4	0	0	4	0	4	0
25.	तमिलनाडु	30	3	18	0	9	30	0
26.	त्रिपुरा	4	0	4	0	0	4	0
27.	उत्तरांचल	13	1	12	0	0	13	0
28.	उत्तर प्रदेश	70	20	48	0	2	70	0
29.	पश्चिम बंगाल	18	4	7	0	7	18	0
30.	अंडमान और निकोबार	2	0	0	0	0	0	2
31.	चंडीगढ़	1	0	0	0	1	1	0
32.	दादरा और नगर हवेली	1	1	0	0	0	1	0
33.	दमन और दीव	2	0	1	0	0	1	1
34.	लक्षद्वीप	1	0	0	0	0	0	1
35.	पांडिचेरी	4	0	0	0	4	4	0
	कुल	588	166	260	30	105	561	27

दिल्ली में पार्किंग की समस्या

4417. श्री रामजी मांझी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि दिल्ली में पार्किंग की बड़ी विकट समस्या है;

(ख) यदि हां, तो समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) दिल्ली के बाजारों के निकट और अधिक पार्किंग स्थान बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा पार्किंग स्थलों के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) और अधिक पार्किंग स्थल बनाने और पार्किंग स्थलों के कार्यकरण को सुव्यवस्थित बनाने के लिए उठाए गए कदमों/उठाए जा रहे कदमों मे नए पार्किंग स्थलों की पहचान और विकास करना; बहुमंजिली इमारतों, वाणिज्यिक परिसरों, होटलों, अस्पतालों आदि के नक्शों को स्वीकृति प्रदान करते समय पर्याप्त पार्किंग स्थल के प्रावधान पर बल देना; नए पार्किंग स्थलों का निर्माण करना; पार्किंग के ठेकों की शर्तों में संशोधन करना; पार्किंग शुल्क को युक्तियुक्त बनाना; पार्किंग स्थलों के प्रवेश और निकासी द्वारों पर पार्किंग शुल्क का लिखा जाना; और ज्यादा शुल्क की वसूली के मामलों पर रोक लगाने के लिए प्रवर्त्तन गतिविधियों को तेज किया जाना शामिल है।

[हिन्दी]

बिल्डर माफिया और सरकारी अधिकारियों के बीच सांठगांठ

4418. श्री जय प्रकाश : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में बिल्डर माफिया और सरकारी अधिकारियों की बीच सांठगांठ के कुछ मामलों को जांच के लिए सी.बी.आई. को भेजा था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं जिन पर सी.बी.आई ने कार्रवाई की है;

(ग) क्या सी.बी.आई. ने अन्य मामलों में कार्रवाई करने में असमर्थता व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हाँ।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने छह मामलों में विस्तृत जांच की है तथा 5 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से तीन मामलों में जांच पूरी हो चुकी है। दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.) के 22 पदाधिकारियों, 5 ठेकेदारों/बिल्डरों, 4 वास्तुकों एवं 10 मालिकों को अभियुक्त बनाया गया है। एम.सी.डी. के चार पदाधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले भी दर्ज किए गए हैं।

(ग) से (ङ) हालांकि सी.बी.आई. के पास भेजे गऐ मामलों पर कार्यवाही चल रही है, पर सी.बी.आई. ने अधिकारियों की संख्या सीमित होने के कारण भेजे गए सभी मामलों की जांच करने में असमर्थता व्यक्त की थी। इस मंत्रालय ने केवल दिल्ली में अनधिकृत निर्माणों के मामलों की जांच करने के लिए सी.बी.आई. में एक विशेष सेल बनाए जाने के मामले को उठाया है।

[अनुवाद]

कोयला भंडार

4419. श्री सुनील खां: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों में "स्टाक-बुक" में दर्ज भंडार और वास्तविक भंडार के आंकड़ों का अध्ययन करवाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चोरी या लक्षित कोयला उत्पादन में आई कमी को पूरा करने के उद्देश्य से डिपुओं में कोयले की कमी को छुपाने के लिए उसके भंडारण और उत्पादन रिकार्ड में हेरफेर किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इंस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल.) को बी.आई.एफ.आर. के पास भेजने के क्या कारण हैं; और

(च) इंस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल.) के कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवान हुसैन): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1999-2000 के लिए कंपनी-वार स्टाक का विवरण ब्यौरा निम्नांकित है:

(लाख टन में)

	1.4.1999 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक बुक स्टाक	1999-2000 उठान	1999-2000	1.4.2000 की स्थिति के अनुसार प्राप्त बुक स्टाक	पत्यक्ष रूप में मापा गया स्टाक	अंतर
ईसीएल	42.97	251.24	265.49	28.72	26.96	1.76
बीसीसीएल	41.69	278.94	292.14	28.49	25.73	2.76
सीसीएल	47.23	324.44	325.83	45.84	45.17	0.67
एनसीएल	22.87	384.28	392.84	14.31	14.31	—
डब्ल्यूसीएल	33.07	338.60	348.49	23.17	22.97	0.20
एसइसीएल	62.65	587.50	579.21	70.94	69.84	1.10
एमसीएल	40.66	435.54	421.58	54.62	53.73	0.89
एनईसी	8.42	5.72	8.40	5.74	5.54	0.20
जोड़	299.55	2606.26	2633.99	271.82	264.26	7.58

मानवीय भूल, यंत्रीय भूल आदि के कारण 5 प्रतिशत तक (+)/(–) सहयता (टोलरेंस) पर विचार करते हुए सी.आई.एल. ने प्रत्येक खान में वर्ष 1999-2000 के दौरान अध्ययन किया तथा ई.सी.एल. में 1.16 लाख टन, बी.सी.सी.एल. में 2.22 लाख टन तथा सी.सी.एल. में 0.02 लाख टन स्टाक कमी का अनुमान लगाया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उक्त भाग (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) एस.आई.सी.ए. अधिनियम, 1985 के अनुच्छेद 3 (1) (O) के तहत ई.सी.एल. रुग्ण कंपनी घोषित कर दी गई है क्योंकि इस कंपनी का शुद्ध लाभ ऋणात्मक हो गया। 31.3.2000 को ई.सी.एल. का शुद्ध लाभ (–) 730.11 करोड़ रु. था।

(च) वर्तमान में, ई.सी.एल. के कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं है।

दिल्ली में प्रदूषणकारी इकाइयों का कार्यकरण

4420. श्री रघुनाथ झा: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के रिहाइशी क्षेत्रों में प्रदूषणकारी उद्योगों के विरुद्ध चलाया गया अभियान असफल हो गया है क्योंकि प्रदूषणकारी इकाइयां अभी भी धड़ल्ले से चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रवर्तन दल प्रदूषणकारी इकाइयों के साथ मिली-भगत पर परिसर रिक्त पड़े होने का उल्लेख कर देते हैं जिससे प्रदूषणकारी इकाइयां बेरोक-टोक चल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) कितनी प्रदूषणकारी इकाइयां 'एफ' श्रेणी के अंतर्गत आती हैं और आज की तारीख के अनुसार उपमंडल-वार उनमें से कितनी इकाइयों की जांच/सील की गई है; और

(च) सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेश को कड़ाई से लागू कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

समेकित बाल विकास सेवाएं योजना

4421. श्री रामदास रुपला गावीत: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान समेकित बाल विकास सेवाएं योजना (आई.एस.डी.एस.) के अंतर्गत कितनी मात्रा में खाद्य आपूर्ति की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत केवल प्रसंस्कृत और डिब्बाबंद खाद्य की आपूर्ति करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) स्कीम की पद्धति के अनुसार, केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अन्तर्गत, कार्यक्रम और संचालन सम्बन्धी लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है, जबकि पूरक पोषाहार की लागत कार्यान्वयनकर्ता राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा ही वहन की जाती है। तथापि, पूरक पोषण हेतु खाद्य सहायता भी कुछ राज्यों को विश्व खाद्य कार्यक्रम (संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन) तथा को-आपरेटिव फॉर असिस्टेंस एण्ड रिलीफ एवरीवेयर (केयर) नाम एक अन्तर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन द्वारा प्रदान की जाती है। भारत सरकार भी, गेहूँ आधारित पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आबंटन करती है, जिसके लिए भुगतान और ढुलाई की व्यवस्था राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों

द्वारा की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, (1998-99 से 2000-2001) आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत इस प्रकार के साधान्नों की आपूर्ति का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (1998-99 से 2000-2001) के दौरान आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत पूरक पोषाहार के रूप में विश्व खाद्य कार्यक्रम, केयर तथा गेहूँ आधारित पोषाहार कार्यक्रम द्वारा खाद्यान्नों की आपूर्ति का राज्य-वार ब्यौरा

(मी.ट. में)

क्र.सं.	राज्य	1998-99			1999-2000			2000-2001		
		वि.खा.का.	केयर	गे.आ.पो.का.	वि.खा.का.	केयर	गे.आ.पो.का.	वि.खा.का. (फरवरी, 2001 तक)	केयर (फरवरी, 2001 तक)	गे.आ.पो.का.
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	20847	21815	–	19089	20810	–	19867	23000
2.	असम	2248	–	–	2670	–	–	1139	–	–
3.	बिहार/झारखण्ड	–	12468	–	–	21521	–	–	15200	–
4.	दमन एवं दीव	–	–	–	–	–	30	–	–	–
5.	गुजरात	–	–	26250	–	–	23250	–	–	22300
6.	हरियाणा	–	–	1000	–	–	900	–	–	800
7.	कर्नाटक	–	–	–	–	–	–	–	–	2500
8.	केरल	7403	–	–	9585	–	–	3503	–	–
9.	मध्य प्रदेश	7711	22250	–	11683	21196	–	13005	21546	1200
10.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	–	–	–	10000
11.	उड़ीसा	–	26650	20790	557	27703	20790	5912	29893	4462
12.	पाण्डिचेरी	–	–	300	–	–	–	–	–	–
13.	पंजाब	–	–	–	–	–	–	–	–	2410
14.	राजस्थान	10187	15543	–	8736	13345	5000	9355	15554	2000
15.	सिक्किम	–	–	150	–	–	–	–	–	–
16.	तमिलनाडु	–	–	5000	–	–	3300	–	–	2000
17.	उत्तर प्रदेश	7215	16806	–	15246	16812	–	9826	15325	–
18.	पश्चिम बंगाल	–	23516	–	–	26764	–	–	26096	–
	जोड़	34764	138080	75405	48477	146430	74080	42740	143481	70672

[हिन्दी]

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटन

4422. श्री रामानंद सिंह: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को राज्य-वार विशेषकर मध्य प्रदेश को कितनी राशि आर्बटित की गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य हेतु शहरी बेरोजगारों को राज्य-वार कितनी राशि उपलब्ध करवाई गई?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) वर्ष 1999-2000, 2000-2001 के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के अंतर्गत मध्य प्रदेश सहित, विभिन्न, राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों को जारी राशि 2001-2002 के लिए अस्थाई नियतन का ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान स्व-रोजगार के प्रयोजन से राजयों/केन्द्र शासित प्रदेशों को मुहैया की गई राशि का ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है। वर्ष 2001-2002 के लिए राशियां जारी करने पर अभी विचार नहीं किया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1999-2000, 2000-2001 के दौरान जारी राज्यवार राशियां और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अन्तर्गत 2001-02 के लिए अस्थाई नियतन का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1999-2000 के दौरान जारी राशियां	2000-01 के दौरान जारी राशियां	2001-02 के दौरान जारी अस्थाई नियतन
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1398.08	1417.04	1417.04
2.	अरुणाचल प्रदेश	88.65	–	72.82
3.	असम	191.07	63.30	664.89
4.	बिहार	408.63	–	606.30
5.	छत्तीसगढ़*	–	422.69	422.69
6.	गोवा	28.72	–	35.86
7.	गुजरात	340.62	697.47	818.01
8.	झारखण्ड*	–	202.10	202.10
9.	हरियाणा	182.23	125.14	138.77
10.	हिमाचल प्रदेश	70.91	56.72	78.44
11.	जम्मू तथा कश्मीर	96.76	25.34	89.68
12.	कनार्टक	1340.11	168.00	1150.40
13.	केरल	448.32	256.50	389.46
14.	मध्य प्रदेश	1836.21	888.59	1143.05
15.	महाराष्ट्र	715.38	–	2129.23
16.	मणिपुर	44.24	–	200.45
17.	मेघालय	27.30	19.00	123.56
18.	मिजोरम	146.30	126.77	128.15
19.	नागालैण्ड	82.34	76.25	85.13
20.	उड़ीसा	460.83	69.24	375.11
21.	पंजाब	160.99	41.29	139.42
22.	राजस्थान	330.23	376.08	643.53
23.	सिक्किम	30.02	32.49	33.48
24.	तमिलनाडु	514.00	764.70	1529.39
25.	त्रिपुरा	82.52	162.00	162.00
26.	उत्तरांचल*	–	102.97	102.97
27.	उत्तर प्रदेश	2344.02	1340.78	1956.43
28.	पश्चिम बंगाल	285.52	826.54	849.64
29.	अंडमान व निकोबार	71.97	–	111.43
30.	चण्डीगढ	0.00	–	102.29
31.	दादर एवं नगर हवेली	54.06	145.00	27.08
32.	दमन एवं दीव	47.66	–	52.20
33.	दिल्ली	19.00	40.00	139.96
34.	पाण्डिचेरी	29.60	67.00	49.04
	कुल	11877.29	8513.00	16370.00

* नये बने राज्य।

विवरण-II

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (एसईपी) घटक के तहत राज्य-वार जारी केन्द्रीय राशि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1999-2000	2000-01
1.	आन्ध्र प्रदेश	922.00	734.62
2.	अरुणाचल प्रदेश	47.82	–
3.	असम	0.00	–
4.	बिहार	0.00	–
5.	छत्तीसगढ़*	–	219.26
6.	गोवा	18.95	–
7.	गुजरात	0.00	384.20
8.	हरियाणा	90.49	72.10
9.	हिमाचल प्रदेश	52.18	21.72
10.	जम्मू तथा कश्मीर	60.86	25.94
11.	झारखण्ड	–	104.78
12.	कर्नाटक	748.59	–
13.	केरल	253.32	201.84
14.	मध्य प्रदेश	1019.37	406.07
15.	महाराष्ट्र	0.00	–
16.	मणिपुर	0.00	–
17.	मेघालय	0.00	–
18.	मिजोरम	80.30	63.99
19.	नागालैण्ड	53.55	43.60
20.	उड़ीसा	243.83	–
21.	पंजाब	90.99	–
22.	राजस्थान	0.00	166.60
23.	सिक्किम	0.00	14.48
24.	तमिलनाडु	0.00	396.56
25.	त्रिपुरा	0.00	82.81
26.	उत्तर प्रदेश	1340.70	534.07
27.	उत्तरांचल	–	53.41
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	440.53
29.	अंडमान व निकोबार	0.00	–
30.	चण्डीगढ	0.00	–
31.	दादर एवं नगर हवेली	0.00	–
32.	दमन एवं दीव	0.00	–
33.	दिल्ली	0.00	–
34.	पाण्डिचेरी	0.00	–
	कुल	5023.00	3966.00

[अनुवाद]

सी.एस.आई.आर. की समीक्षा समिति

4423. श्री सुबोध रायः क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आबिद हुसैन की अध्यक्षता वाली सी.एस.आई.आर. समीक्षा समिति ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्यूनिकेशन (पूर्व में पी.आई.डी.) और इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के विलय की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) जी हां, आबिद हुसैन समिति ने वर्ष 1986 की अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की थी कि पीआईडी और आईएनएसडीओसी का विलय कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से पूर्वानुमानी सूचना सेवा तंत्र और अनुवाद सेवा वाले सुदृढ़ राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय में सूचना सेवा का समेकन किया जा सकेगा। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा आबिद हुसैन समिति रिपोर्ट टिप्पणी हेतु प्रधानमंत्री की विज्ञान सलाहकार परिषद, (एसएसी) के पास भेजी गई। जहां तक विलय का संबंध है विज्ञान सलाहकार परिषद ने यह सुझाव दिया कि आईएनएसडीओसी के उद्देश्य की पुनः जांच की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीएसआईआर सोसाइटी द्वारा इन सिफाशिों पर विचार किया गया, सोसाइटी ने यह निर्णय लिया कि आईएनएसडीओसी की कार्यप्रणाली की पुनः जांच की जानी चाहिए। आईएनएसडीओसी और एनआईएससीओएम (पूर्व में पीआईडी) दोनों के विलय सहित उनकी भूमिकाओं, कार्यों, आंतरिक सामर्थ्य की सहक्रिया-सम्भाव्यता विषयक विचार और मूल्यांकन करने के लिए एक समीक्षा समिति का गठन किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

किशोर अपराध

4424. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में किशोर अपराध और युवा लोगों की राज्य-वार वृद्धि दर क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) वर्ष 1999 के दौरान राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रवार किशोर अपराधों की घटनाएं और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किशोर अपराधों की दर दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं और इसलिए, अपराध को दर्ज करने, उसकी जांच-पड़ताल करने, पता लगाने तथा रोकथाम करने की जिम्मेवारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्र सरकार, समय-समय पर, राज्य सरकारों को अपराधों के संबंध में निवारक, दंडात्मक और पुनर्वास संबंधी उपाय करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए लिखती रही हैं।

विवरण

वर्ष 1999 के दौरान किशोर अपराधों की घटनाएं और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दर (राज्य और संघ शासित क्षेत्रवार)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	घटनाएं	दर
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	590	.79
2.	अरुणाचल प्रदेश	42	3.60
	असम	182	.70
4.	बिहार	382	.39
5.	गोवा	21	1.34
6.	गुजरात	1075	2.25
7.	हरियाणा	300	1.53
8.	हिमाचल प्रदेश	47	.71
9.	जम्मू और कश्मीर	0	.00
10.	कर्नाटक	286	.55
11.	केरल	51	.16
12.	मध्य प्रदेश	2380	3.02
13.	महाराष्ट्र	1848	2.04
14.	मणिपुर	0	.00
15.	मेघालय	15	.63
16.	मिजोरम	11	1.18
17.	नागालैंड	0	.00
18.	उड़ीसा	195	.55
19.	पंजाब	20	.09
20.	राजस्थान	674	1.27
21.	सिक्किम	6	1.10
22.	तमिलनाडु	403	.66
23.	त्रिपुरा	17	.46
24.	उत्तरप्रदेश	14	.01
25.	पश्चिम बंगाल	15	.02
	कुल (राज्य)	8574	.88
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	.79
27.	चंडीगढ़	16	1.84
28.	दादरा और नागर हवेली	0	.00
29.	दमण और दीव	0	.00
30.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	288	2.12
31.	लक्षद्वीप	1	1.43
32.	पांडिचेरी	6	.55
	कुल (संघ शसित क्षेत्र)	314	1.92
	कुल (समस्त भारत)	8888	.90

स्रोत : भारत में अपराध आंकड़े।

टिप्पणी : दर = कुल जनसंख्या के प्रति लाख पर घटनाएं।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में मानव संसाधन विकास परियोजनाओं में निवेश

4425. श्री उत्तमराव पाटील: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में मानव संसाधन विकास परियोजनाओं में किए गए निवेश का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में कितने तकनीकी संस्थान कार्य कर रहे हैं; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य में मानव संसाधन विकास परियोजनाओं के संवर्द्धन के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) शिक्षा के क्षेत्र में मंत्रालय की विभिन्न केन्द्रीय प्रयोजित योजनाओं के तहत वर्ष 1999-2000 के दौरान महाराष्ट्र राज्य को 5627.13 लाख रुपये की राशि दी गई थी। योजनावार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) इस समय, राज्य में 615 तकनीकी संस्थान कार्य कर रहे हैं।

(ग) महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में अधिकांश केन्द्रीय योजनाओं/कार्यक्रमों की भली प्रकार से जानकारी है। राज्य सरकारों को भी समय-समय पर अनुरोध किया जाता है कि वे इन योजनाओं का व्यापक प्रचार करें।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	केन्द्रीय प्रायोजित योजना का नाम	1999-2000 में दी गई निधि
1	2	3
1.	शिक्षक शिक्षा	1177.04
2.	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	3900.00

1	2	3
3.	पर्यावरण शिक्षा	0.97
4.	निरक्षरता-उन्मूलन हेतु विशेष परियोजना	143.31
5.	श्रमिक विद्यापीठ	73.50
6.	प्रौढ़ शिक्षा हेतु स्वैच्छिक एजेंसियां	40.69
7.	मदरसा शिक्षा	2.16
8.	संस्कृत का विकास	11.66
9.	राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां	4.45
10.	गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को छात्रवृत्तियां	4.00
11.	सतत् शिक्षा योजना	269.35
	कुल	5627.13

[अनुवाद]

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों का सरकारी आवासों का कब्जा

4426. श्री चिन्तामन वनगाः क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी पिछले आठ वर्षों से भी अधिक समय से विभिन्न राज्यों में विशेषकर दिल्ली और महाराष्ट्र में केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने राज्यवार और कालोनी-वार कितने सरकारी आवासों का कब्जा कर रखा है;

(ख) प्रत्येक मामले में राज्य-वार और कालोनी-वार अनधिकृत कब्जे की अवधि कितनी है;

(ग) क्या आठ वर्षों से भी अधिक समय से बड़ी संख्या में अनधिकृत कब्जे के कारण बड़ी संख्या में कार्यरत सरकारी कर्मचारी सरकारी आवास के आवंटन से वंचित हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार अनधिकृत कब्जे को खाली कराने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) दिल्ली की विभिनन कालोनियों में सरकारी आवास के चार मामले हैं जो अपनी सवोनिवृत्ति के बाद भी पिछले आठ वर्षों से भी अधिक समय से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के कब्जे में हैं।

(ख) यह अवधि 10 से 20 वर्ष के बीच है।

(ग) से (ङ) सरकार ने इन अनधिकृत कब्जाधारियों के विरुद्ध बेदखली कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी है। दो मामले न्यायालय में लंबित हैं।

(च) उपर्युक्त (ग), (घ) एवं (ङ) के आलोक में लागू नहीं होता।

इस्पात का निर्यात/आयात

4427. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान इस्पात के देश-वार निर्यात/आयात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान इस्पात का निर्यात कम था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) वर्ष 2000-2001 के दौरान लौह और इस्पात के किए गए निर्यात और आयात (डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त सूचना के अनुसार) का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

भारत द्वारा किया गया लौह और इस्पात का देशवार निर्यात

(अनन्तिम आंकड़ेः मूल्य रुपए, मात्रा : टन)
स्रोतः डी जी सी आई एंड एस

देश	अप्रैल-नवम्बर, 2000		देश	अप्रैल-नवम्बर,2000	
	मात्रा	मूल्य		मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6
अफगानिस्तान	448	117.40	फ्रान्स	4139	1805.96
अल्जीरिया	34	27.05	एफ आर गुयाना	–	–
अंगोला	504	176.71	गेबून	96	25.80
अर्जेन्टीना	3700	734.83	जाम्बिया	851	281.35
आस्ट्रेलिया	1227	716.91	जर्मनी एफ गणराज्य	28639	7540.64
आस्ट्रिया	57	24.92	घाना	3792	1233.98
बहरीन आई एस	3906	863.81	ग्रीस	226656	1933.80
बंगलादेश	63528	9017.68	ग्वाम	–	–
बारबाडोस	48	18.64	गुएनिया	410	122.62

1	2	3	4	5	6
बेल्जियम	40611	7799.27	गुएनिया बीसू	1835	654.12
बेनिन	2120	119.95	हैती	2334	402.54
भूटान	995	126.40	होण्डूरास	841	242.07
ब्राजील	1843	1181.41	हांगकांग	11231	5886.61
ब्रुनेई	–	0.11	हंगरी	3	1.55
बुल्गारिया	–	277.59	आइसलेण्ड	313	194.78
बुरकीना बी ए एस ओ	–	–	इण्डोनेशिया	47238	6541.37
कम्बोडिया	–	–	ईरान	60179	10181.33
कैमरून	247	79.39	इराक	500	13577
कनाडा	188061	23367.44	आयरलेण्ड	182	76.84
	25	18.06	इजराइल	629	443.16
न आई एस	121	38.30	इटली	103668	25526.62
चिली	2086	512.55	आइवरी कोस्ट	701	176.19
चाइनीज लाइपे	43051	6016.08	जमैका	501	108.89
चीन पी आर पी	18958	5911.08	जापान	16865	2631.05
कोलम्बिया	563	312.87	जोर्डन	2587	615.32
कोमोरोस	100	42.33	कजाकिस्तान	740	260.27
कांगो पी गणराज्य	1594	398.20	केन्या	17971	3745.73
साइप्रस	401	147.27	कोरिया डो पी आर पी	1685	1139.57
चेक गणराज्य	76	85.58	कोरिया आर पी	11592	1450.65
डेनमार्क	756	579.23	कुवैत	6222	943.59
डजीबोयटी	29130	6609.79	लाओ पी डो आर पी	932	230.90
डोमिनिक गणराज्य	800	138.43	लेबनान	48	16.86
इक्वाडोर	1456	613.66	लाइबेरिया	1380	449.70
मिश्र ए आर पी	2988	846.60	लीबिया	27	21.61
एस्टोनिया	–	–	लीथुआनिया	161	149.48
इथियापिया	31358	7526.90	लग्जमबर्ग	2	0.63
इक्वेटल गुवेनिया	–	–	मकाओ	461	114.03
फिनलेण्ड	156	70.46	मेसोमिया	48	23.14
फिजी आई एस	5	3.52	मालागेसी आर पी	1530	510.45
मालावी	1637	429.83	श्रीलंका	84639	16926.00
मलेशिया	24192	4489.65	सूडान	4100	977.87
मालदीव	224	66.81	सूरीनाम	200	53.63
माली	170	40.92	स्वीडन	3356	848.29

1	2	3	4	5	6
मारटिनक्यू	–	–	स्लोवाक गणराज्य	14	5.44
मोरिशस	2639	668.51	सिंगापुर	20211	3515.62
म्यामांर	15916	2246.06	स्लोवानिया	2	1.65
मेक्सिको	6746	2015.98	सोमालिया	700	158.00
मोन्टसेरात	–	–	दक्षिण अफ्रीका	11822	3448.82
मोरक्को	1222	544.13	स्पेन	28895	5312.57
मोजाम्बिक	1063	266.63	स्वीजरलेण्ड	22875	4455.02
नेपाल	4515	809.09	सीरिया	1795	636.93
नीदरलेण्ड	6474	2869.57	तन्जानिया गणराज्य	115617	2644.58
न्यूजीलेण्ड	677	185.77	थाइलेण्ड	37444	7884.81
निकारागुआ	1820	344.75	टोगो	1801	428.10
नाइजर	2	0.40	ट्रिनिडाड	224	47.91
नाइजीरिया	21646	5375.24	तुर्की	54078	12853.15
नार्वे	201	52.65	तुर्क सीआईएस	350	144.57
ओमान	1385	349.33	युगान्डा	732	196.65
पाकिस्तान	1392	639.66	संयुक्त अरब अमीरात	76391	21434.27
पनामा सी जैड	32	19.59	यू के	37226	8602.46
पैराग्वे	550	135.71	यूक्रेन	–	–
पेरू	1441	370.48	यू एस ए	507880	84482.50
फिलीपीन्स	2614	684.92	ऊरूग्वे	631	162.02
पोलेण्ड	179	56.65	वेनेजुएला	2441	909.35
पुर्तगाल	277	107.28	वियतनाम गणवादी गणराज्य	16753	4530.43
कतर	1470	350.43	यमन गणराज्य	7012	1357.88
रोमानिया	196	62.25	जायरे गणराज्य	18	5.63
रूस	285	131.99	जाम्बिया गणराज्य	173	79.12
रवान्डा	507	148.38	जिम्बाब्वे	47	13.26
सऊदी अरब	56469	7227.49			
सेनेगल	1096	336.78			
सियेरा लियोन	2957	646.86	कुल	2194763	364126.80

विवरण-II

भारत द्वारा किया गया लौह और इस्पात का देशवार आयात

(अनन्तिम आंकड़ेः मूल्य रुपए, मात्रा : टन)
स्रोतः डी जी सी आई एंड एस
2000-2001

देश	अप्रैल-नवम्बर, 2000		देश	अप्रैल-नवम्बर,2000	
	मात्रा	मूल्य		मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6
अल्जीरिया			जोर्डन	6	2.76
अर्जेन्टीना	2083	771.50	कजाकिस्तान	11635	1509.70
आर्मेनिया	47	3.70	केन्या	23	14.39
आस्ट्रेलिया	11864	3355.34	कोरिया डोपीआरपी	305	69.74
आस्ट्रिया	1711	955.50	कोरिया आर पी	80262	19921.41
अजरबंजान	–	–	किर्गिस्तान	243	133.33
बहरीन आई एस	–	–	कुवैत	21	15.06
बेल्जियम	11286	3040.69	लाइबेरिया	–	–
भूटान	–	–	लीबिया	–	–
ब्राजील	7094	1961.69	लीथुआनिया	–	–
कम्बोडिया	20	8.19	लग्जमबर्ग	549	119.69
कनाडा	11558	2144.78	मकाओ	–	–
चिली	4	2.92	मालावी	–	–
चाइनीज लाइपे	2758	1827.30	मलेशिया	4204	753.73
चीन पी आर पी	4953	2386.11	मालदीव	–	–
क्यूबा	44	22.94	मैरीनटिन्क्यू	–	–
चैक गणराज्य	14	14.02	मोरिशस	3	1.38
डेनमार्क	159	112.65	म्यांमार	–	–
इजीबोउटी	–	–	मैक्सिको	1141	549.50
मिश्र ए आर पी	27	2.59	मोरक्को	–	–
इक्वाडोर	82	21.50	मोजाम्बिक	–	–
इथोपिया	–	–	नेपाल	75024	2603.36
फिनलेण्ड	394	178.78	नीदरलेण्ड	8240	3489.46
फ्रान्स	14014	7013.79	नदीदरलेण्डान्टील	–	–
एफ आर गुयाना	–	–	न्यू सेलेडोनिया	–	–
जर्मनी एफटोईपी	83100	18109.63	न्यूजीलेण्ड	25	50.59
घाना	–	–	नाइजर	22	14.12
ग्रीस	148	21.08	स्वीटरजरलेण्ड	3171	851.26
ग्रेनाडा	–	–	सीरिया	–	–
हांगकांग	115	82.71	ताजिकिस्तान	–	–
हंगरी	1	0.09	तन्जानिया गणराज्य	–	–
आइसलेण्ड	–	–	थाइलेण्ड	8771	3498.09
इण्डोनेशिया	5320	479.58	टोगो	–	–
ईरान	21760	3317.22	ट्रिनिडाड	–	–
आयरलेण्ड	–	3.53	ट्यूनेशिया	1	3.23
इजराइल	23	19.30	तुर्की	432	163.55
इटली	13811	4516.00	तुर्क सी आई एस	–	–
आइवरी कोस्ट	3034	224.01	युगाण्डा	–	–
जापान	122150	32469.55	संयुक्त अरब अमीरात	8358	1603.60
नाइजीरिया	–	–	युनाइटेड किंगडम	36701	13994.60
नार्वे	30	13.93	यूक्रेन	155529	196960.73
ओमान	–	–	संयुक्त राज्य अमेरिका	40566	13115.21
पाकिस्तान	–	–	वेनेजुएला	13667	1240.87
पेरू	–	–	वियतनामा गणवादी गणराज्य	–	–
फिलीपीन	–	–	पश्चिमी सोमोआ	49	15.69
पोलेण्ड	8484	1665.90	यमन गणराज्य	–	–
कतर	5	1.17	युगोस्लाविया एफ एफ	–	–
रोमानिया	138.15	1736.16	जाम्बिया	–	–
रूस	261353	36058.19	जायरे गणराज्य	7	5.39
सऊदी अरब	4951	717.93	जिम्बाब्वे	–	–
पुर्तगाल	1	0.63	विनिर्दिष्ट नहीं किए गए	163	114.72
सायचिलीज	–	–			
सियरा लिओन	–	–			
सिंगापुर	11248	2630.56			
सिमरेर गणराज्य	–	8.81			
स्लोवेनिया	1240	314.78			
दक्षिण अफ्रीका	27973	4022.76			
स्पेन	12048	5008.31			
श्रीलंका	88	31.47			
स्वीडन	6299	4468.87			
स्वैजीलेण्ड	17	9.52	कुल	1114244	223298.04

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षकों की नियुक्ति

4428. श्री राधामोहन सिंहः
श्री चाडा सुरेश रेड्डीः
श्री पवन कुमार बंसलः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1999-2000 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.) में शिक्षकों की नियुक्ति के समय बरती गई अनियमितता और अधिक भुगतान की एक एजेंसी (ए.डी.सी.आई.एल.) द्वारा जांच करवाई है;

(ख) यदि हां, तो बरती गई अनियमितता का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में हाल की में की गई जांच के क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) सरकार ने, केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अध्यापकों की भर्ती के कार्य को एडसिल को दिए जाने से संबंधित कथित अनियमितताओं की एक सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव द्वारा जांच के आदेश दिए थे। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से इसकी जांच की जा रही है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग से मामले पर परामर्श प्राप्त होने के पश्चात् आगे कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

जे.एम.एम. रिश्वत मामला

4429. श्री रामसागर रावतः क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सी.बी.आई., जे.एम.एम रिश्वत मामले में पैसे के स्रोत, किसने पैसे का प्रबंध किया, आदि का पता लगाने में असफल रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। यह सत्य नहीं है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो, जे एम एम रिश्वत मामले में रिश्वत के पैसे के स्रोत, जिसने पैसे आदि का प्रबंध किया, का पता लगाने में असफल रहा है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जे एम एम संसद सदस्यों को रिश्वत देने के लिए उपयोग किए गए धन को एकत्र करने और जुटाने में संलिप्त व्यक्तियों तथा रिश्वत के पैसे के स्रोत की पहचान कर ली है। जांच-पड़ताल के निष्कर्षों के आधार पर आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

भूकंप संबंधी अनुसंधान और विकास

4430. श्री सईदुज्जमाः क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 फरवरी, 2001 के *'द टाइम्स आफ इंडिया'* सामाचार पत्र में "आर वी-ड्यू फार 8-प्लस हिमालयन ट्रेमर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बंगलौर के वैज्ञानिक डा. बिल्हण और विनोद गौड़ ने "करेंट साइंस" में यह समाचार दिया है कि सैन्य प्राधिकारियों द्वारा उनके भूकंप संबंधी अनुसंधान और विकास कार्य में सतही आधार पर बाधा पहुंचाई गई थी;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार मामले की जांच करने और इससे संबंधित सच्चाई का पता लगाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) जी, हां। पिछले 104 वर्षों में हिमालयी क्षेत्र में 8 या उससे अधिक तीव्रता वाले 4 भूकम्प देखे गए हैं तथा भविष्य में भी ऐसे भूकम्प आ सकते हैं। तथापि, इस समय विश्व में कहीं भी कोई ऐसी वैज्ञानिक तकनीक उपलब्ध नहीं है जिसके द्वारा भूकम्पों के आने के अन्तराल, समय तथा तीव्रता की परिशुद्धता सम्बन्धी तर्कसंगत डिग्री के बारे में भविष्यवाणी की जा सके।

(ख) से (च) प्रचलित विज्ञान में सन्दर्भित लेखकों ने यह आरोप नहीं लगाया है कि उनका कार्य सेना सहित किन्हीं प्राधिकारियों द्वारा भी बाधित हुआ है बल्कि उन्होंने अनुरोध किया है कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा तैयार किए जाने वाले वैज्ञानिक आंकड़ों को वैज्ञानिकों द्वारा विश्लेषण किए जाने हेतु और भी आसानी से उपलब्ध कराया जाये। आंकड़ों के अभिलेखन एवं उनकी पुनः प्राप्ति के लिए आधुनिक औजारों की व्यापकता के कारण इस स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।

चंडीगढ़ में सेवानिवृति लाभ योजना

4431. श्री पवन कुमार बंसल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंडीगढ़ प्रशासन ने 1996 में सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों से उन्हें पंजाब में मान्यता प्राप्त सरकारी सहायता लेने वाले विद्यालयों में सेवानिवृत्ति लाभ योजना, 1992 का लाभ देने हेतु उनकी स्वीकृति मांगी है;

(ख) क्या इस योजना का विकल्प सभी के लिए रखा गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या चंडीगढ़ प्रशासन ने इसे क्रियान्वित करने का निर्णय ले लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसे वास्तविक रूप में क्रियान्वित करने और सेवानिवृत्ति के योग्य कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करने में विलंब के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बल्क औषधियों और भेषज का उत्पादन

4432. श्री अधीर चौधरी:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बल्क औषधियों और भेषज के उत्पादन में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वदेशी औषधि और भेषज उत्पादक कंपनियों पर इस 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा भारतीय औषधि और भेषज निर्माता कंपनियों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (घ) इस समय प्रपुंज औषधों, उनके मध्यवर्तियों और सूत्रयोगों के मामलों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई) पर सरकार द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाता है।

गुजरात में आए भूकंप से ठाणे में भू-जल का स्तर बढ़ना

4433. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 फरवरी, 2001 के *'द इंडियन एक्सप्रैस'* में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित हुआ है जिसके अनुसार 26 जनवरी, 2001 को गुजरात में आए भूकंप के बाद ठाणे जिले के गणेशपुरी में गर्म पानी के स्रोत में अत्यधिक परिवर्तन आया है तथा उनका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक और भू-जल का स्तर 3 फुट तक बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गर्म पानी के इन स्रोतों में आए अचानक बदलाव का कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) से (घ) जी, हां। थाणे जिले का गणेशपुरी क्षेत्र गर्म जल-स्रोतों की गतिविधियों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में गर्म जल-स्रोतों का तापमान भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने 52 से 54 डिग्री सेल्सियस तक होना बताया है। इस क्षेत्र में पानी का स्तर भी 2 मीटर-23 मीटर तक घटता-बढ़ता रहता है। 26 जनवरी, 2001 को भुज में आए भूकम्प का गुजरात क्षेत्र के जैव तापीय जल स्रोतों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा अपने भूकम्प-उपरान्त सर्वेक्षण के एक भाग के रूप में किया जा रहा है।

व्यावसायिक महाविद्यालय

4434. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कुछ राज्यों में व्यावसायिक महाविद्यालयों की कमी के बारे में अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक राज्य में तकनीकी शिक्षा के विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार व्यावसायिक महाविद्यालय खोलने और उन्हें विनियमित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) कुछ राज्यों में तकनीकी संस्थानों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में कम है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए आई सी टी ई), पूरे देश में तकनीकी शिक्षा के समन्वित विकास के लिए उत्तरदायी सांविधित निकाय है, जो तकनीकी संस्थाओं की स्थापना, दाखिले में वृद्धि तथा अतिरिक्त पाठ्यक्रमों को आरंभ करने के लिए समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों, न्यासों और सोसायटियों से प्रस्ताव आमंत्रित करती है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नयी तकनीकी संस्थाएं आरम्भ करने के लिए विनियम अधिसूचित कर चुकी है।

पश्चिम बंगाल और बंगलादेश सीमा पर बांग्ला भाषी सुरक्षा बलों की तैनाती

4435. श्री महबूब जहेदी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से पश्चिम बंगाल और बंगलादेश सीमा पर दोनों देशों के हित में बांग्लाभाषी सुरक्षा बलों को तैनात करने का कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) उपयुक्त (क) के उत्तर को देखते हुए उत्तर का प्रश्न ही नहीं उठता है।

उड़ीसा में व्यावसायिक महाविद्यालय

4436. श्रीमती हेमा गमांग : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में विशेषकर के.बी.के. जिलों में वर्तमान व्यावसायिक महाविद्यालयों को और 5 वर्षों तक जारी रखने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधो ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा के कोयले की रायल्टी दर में संशोधन

4437. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा उड़ीसा में कोयले की रायल्टी दर में कब से संशोधन नहीं किया गया है;

(ख) क्या ऐसा करना संशोधन की संवैधानिक अवधि और सरकारिया आयोग की सिफारिशों का उल्लंघन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य को रायल्टी के बकाया के रूप में रायल्टी के संशोधन में विलंब के कारण सहायता अनुदान के रूप में कितनी धनराशि दी जानी है; और

(ङ) सरकार द्वारा राज्य सरकार को इन बकायों का भुगतान करने हेतु क्या कदम् उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) सभी कोयला उत्पादक राज्यों के लिए, जिसमें उड़ीसा भी शामिल है, कोयले पर रायल्टी 11.10.1994 से संशोधित नहीं की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ऊपर भाग (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा सरकार को अदा की गई रायल्टी नीचे दी गई है :

(करोड़ रुपये)

1997-98	1998-99	1999-2000
227.59	227.40	226.58

चूंकि रायल्टी में संशोधन करने के कोई सांविधिक समयावधि निश्चित नहीं है, इसलिए संशोधन में देरी होने को कारण सहायता-अनुदान का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) ऊपर भाग (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

सुरक्षा बलों को प्रतिपूर्ति

4438. श्री अमर रायप्रधान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र या राज्य सरकार का कोई ऐसा कोष है जो विशेष रूप से दिल्ली पुलिस, सी.आर.पी.एफ. और बी.एस.एफ. कर्मियों के परिवारों की सुरक्षा हेतु बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली पुलिस और बी.एस.एफ. के प्रत्येक कर्मी को किए गए भुगतान का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के दौरान दिल्ली पुलिस, सी.आर.पी.एफ. और बी.एस.एफ. के मारे गए कार्मिकों के परिवारों को इस कोष से धन उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ङ) जहां तक केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों, जिसमें सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल भी शामिल हैं, का संबंध है, वर्तमान सरकारी दिशा-निर्देशों में सरकारी कर्मचारियों के निकटतम संबंधियों को, रैंकों का ध्यान किए बिना, निम्न प्रकार से अनुग्रही मुआवजा देने का प्रावधान है :

(क) ड्यूटी करने के दौरान दुर्घटना के कारण मृत्यु 5 लाख रु.

(ख) हिंसा, समाज विरोधी तत्वों के कृत्य के कारण ड्यूटी करने के दौरान होने वाली मृत्यु 5 लाख रु.

(ग)	(क) अंतर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा मुठभेड़ में दुश्मन की कार्रवाई में और (ख) उग्रवादियों आतंकवादियों, अतिवादियों के विरुद्ध कार्रवाई में होने वाली मृत्यु	7.5 लाख रु.

सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ आबंटित सहायता अनुदान राशि में से विभिन्न केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों को निधियां जारी की जाती हैं।

दिल्ली पुलिस के पुलिस कर्मियों के निकटतम संबंधियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा जारी किए गए वर्तमान आदेशों के अनुसार इसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के अन्तर्गत ग्रामीण विकास योजनाएं

4439. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी.आर.डी.ए.) को प्रत्येक तीन माह के अन्तराल पर ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी लाभार्थियों की सूची प्रकाशित करने के निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो डी.आर.डी.ए. द्वारा इस प्रकाशन में शामिल की जाने वाली अन्य चीजों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले पर राज्य सरकार से चर्चा कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इससे जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा धनराशि का उपयोग करने में किस प्रकार मदद मिलेगी;

(च) क्या जनसम्पर्क और जागरूकता कार्यक्रमों को चलाने हेतु एक नई एजेंसी गठित करने की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अध्यापकों का स्थानांतरण

4440. श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन स्थानान्तरणों को और अधिक युक्तिसंगत, न्यायसंगत और पारदर्शी बनाने हेतु अध्यापकों की पिछली सेवा (पूर्वोत्तर) का रोस्टर रख रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पाया गया है कि बहुत से अध्यापक जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहले ही कार्य कर चुके हैं, उन्हें वर्ष 2000 में दुबारा फिर वहीं स्थानान्तरित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने अध्यापकों का स्थानांतरण किया गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) जी नहीं। संगठन की कार्यात्मक आवश्यकताओं में प्रत्येक कर्मचारी द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अनिवार्य तैनाती की आवश्यकता नहीं होती।

अरुणाचल प्रदेश में न्यायिक प्रक्रिया आरम्भ किया जाना

4441. श्री खारबेल स्वाइं : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश में कोई जेल नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस राज्य में न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग-अलग नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जस्टिस मलिमाथ समिति

4442. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपराध प्रक्रिया संहिता पर जस्टिस मलिमाथ समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यकाल, सदस्यता और सदस्यों के कार्यकरण आदि से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) यह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। समिति की संरचना और विचारार्थ विषयों के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) से (च) समिति से, 6 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। यह अवधि अभी पूरी होनी बाकी है।

विवरण

दाण्डिक न्याय प्रणाली के नवीकरण के लिए उपायों पर विचार करने हेतु सरकार द्वारा गठित समिति की संरचना निम्न प्रकार से है :

1. न्यायमूर्ति श्री वी.एस. मलीमठ—अध्यक्ष
2. न्यायमूर्ति श्री टी.एस., अरूणाचलम—सदस्य
3. श्री एस. वर्धाचारी, भा.पु.से. (सेवानिवृत्त)—सदस्य
4. श्री अमिताभ गुप्ता, भा.पु.से. (सेवानिवृत्त)—सदस्य
5. प्रो. एन.आर. माधवा मेनन, उप-कुलपति, पश्चिम बंगाल दाण्डिक विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय—सदस्य
6. श्री दुर्गादास गुप्ता, संयुक्त सचिव (न्यायिक), गृह मंत्रालय—सचिव

समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार से हैं :

(i) दाण्डिक विधि शास्त्र से संबंधित संवैधानिक उपबन्धों सहित दाण्डिक विधिशास्त्र के मौलिक सिद्धांतों की जांच करना और यह देखना कि क्या इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता है;

(ii) मौलिक सिद्धान्तों पर निष्कर्षों और दाण्डिक विधिशास्त्र के पहलुओं को ध्यान से रखते हुए इस बात की जांच करना कि क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दण्ड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पुनः लिखे जाने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें समय की मांग के अनुकूल और भारत के लोगों की अपेक्षाओं के संगत बनाया जा सके;

(iii) न्यायिका प्रक्रियाओं और कार्य प्रणालियों को सरल बनाने के लिए विशिष्ट सिफारिशें करना और आम व्यक्ति के लिए न्याय निर्णय को सन्निकट, द्रुत, आसान और कम खर्चीला बनाना;

(iv) निर्दोष और पीड़ित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करके और दोषियों और अपराधियों को दण्ड देकर, न्यायपालिका, अभियोजन और पुलिस के बीच ऐसा तालमेल विकसित करने के लिए उपाय सुझाना, जिससे, दाण्डिक न्याय प्रणाली में आम व्यक्ति का विश्वास बहाल हो;

(v) व्यावसायिक आधार पर, जांच पड़ताल और विचारण अवस्थाओं पर मामलों के लम्बन के प्रबन्धन की मजबूत प्रणाली सुझाना और पुलिस, अभियोजन पक्ष और न्यायपालिका को उनके अपने-अपने क्षेत्रों में देरी के लिए उत्तरदायी बनाना; और

(vi) "फैडरल क्राईम" को संकल्पना को प्रारम्भ करने की व्यवहारिकता की जांच करना, जिसे संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-I में रखा जा सकता है।

विद्यालयों में एन.सी.सी. अनिवार्य करना

4443. श्री एम. चिन्नासामी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समाज सेवा गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु विद्यालयों में एन.सी.सी. स्काउट या गाइड को अनिवार्य बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा इसके मुख्य विषय के रूप में हैं ताकि शिक्षुओं और समुदाय को सम्पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाया जा सके। शारीरिक शिक्षा अतिरिक्त इसमें स्काउटिंग और गाइडिंग, एन.सी.सी. और रेड क्रास को भी सम्मिलित करने का प्रस्ताव है जो कि छात्रों में तहनशीलता, साहस, अनुशासन, सामाजिक योग्यता और देश भक्ति जैसी बुनियादी गुणों को सृजित करने में सहायक हो सकते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को, उनमें दिए गए सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए परिचालित कर दिया गया है। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या सामग्री को विकसित करने के लिए इन पाठ्यचर्या दिशा-निर्देशों को अपनाने और अपने अनुकूल बनाने की छूट है।

पुरूलिया में हथियार गिराये जाने से संबंधित मामला

4444. श्री अधीर चौधरी :
श्री महबूब जहेदी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1985 में पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले में हथियार गिराने के पीछे कोई षडयंत्र था;

(ख) क्या सी.बी.आई. ने विदेशी शक्ति द्वारा षडयंत्र रचे जाने का खुलासा किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को इस षडयंत्र की जानकारी थी; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए गए थे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) पुरूलिया में हथियार गिराए जाने की जांच कर रहे केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि जांच-पड़ताल से पता चला है कि पुरूलिया, पश्चिम बंगाल में काफी मात्रा में हथियार और गोला बारूद विमान से गिराने के लिए आनन्द मार्गियों के एक वर्ग और कुछ विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय षड़यंत्र रचा गया था।

(घ) और (ङ) आसूचना एजेन्सियों को, उस क्षेत्र के एक विद्रोही ग्रुप के लिए बिहार के धनबाद क्षेत्र में एक परित्यक्त विमान क्षेत्र में एक छोटे जहाज को उतार कर उससे हथियार उतारने की सम्भावना के बारे में पूर्व सूचना थी। संबंधित आसूचना एजेन्सी द्वारा बिहार सरकार को सुग्राही बनाया गया था। हालांकि, सूचना बिहार से संबंधित थी, फिर भी अतिरिक्त सतर्कता के उद्देश्य से यह सूचना पश्चिम बंगाल की सरकार को भी दी गई थी।

लश्कर-ए-तोइबा द्वारा साइबर कैफे की स्थापना

4445. श्रीमती मिनाती सेन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि "लश्कर-ए-तोइबा" नामक उग्रवादी संगठन ने देशभर में अपनी गतिविधियां चलाने हेतु साइबर कैफे की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निवारणात्मक कार्यवाही की है या करने का विचार है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) लाल किले में 22 दिसम्बर, 2000 को गोलीबारी की घटना के एक अभियुक्त से पूछताछ के दौरान यह पता चला कि उनके द्वारा दिल्ली में एक स्थानीय विद्यार्थी के नाम से इन्टरनेट और ई-मेल सुविधावाला एक कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित किया गया है। मामले में आगे जांच चल रही है।

भारत-बंग्लादेश सीमा पर मानवरहित विमान तैनात करना

4446. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-बंग्लादेश सीमा पर घुसपैठ रोकने के उद्देश्य से सरकार का विचार मानवरहित विमान तैनात करने, दूरसंवेदी डिटेक्टर का सेंसर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक लगा दिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) भारत-बंगलादेश सीमा पर ऐसी प्रणालियां लगाने संबंधी कोई प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए उत्तर का प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

लाटरी, जुआ और घुड़दौड़ों पर प्रतिबंध

4447. श्री बाबूभाई के. कटारा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 1.1.1996 से आज तक संसद सदस्यों और सामाजिक संगठनों की ओर से लाटरी, जुआ और घुड़दौड़ पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अभ्यावेदन और ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पर क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) देश में उपरोक्त गतिविधियों पर प्रतिबंध लगने की स्थिति में क्या-क्या समस्याएं पैदा होने और कितने वार्षिक राजस्व की हानि होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) दल विचार धारा से ऊपर उठकर, 124 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन 17 मई, 1997 को प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया गया था। इस ज्ञापन में मांग की गयी है कि केन्द्र सरकार को लाटरी के व्यापार पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाना चाहिए क्योंकि लाटरी, जुए के दूसरे रूप के अलावा कुछ भी नहीं है। ज्ञापन में आगे यह मांग भी की गयी है कि पहले कदम के रूप में, एक अंक वाली लाटरी पर एक कार्यकारी आदेश के जरिए तत्काल प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए और उसके बाद अन्य प्रकार की लाटरी को प्रतिबन्धित करने के लिए उपयुक्त विधायन लाया जाना चाहिए। इसके अलावा, संसद सदस्यों से कुछ और पत्र प्राप्त हुए हैं, कुछ प्रतिबन्ध लगाने के पक्ष में और कुछ लाटरियों पर प्रतिबन्ध लगाने के विरुद्ध।

(ग) लाटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998, जो लाटरियों के संचालन को नियमित करता है, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की केन्द्रीय सूची, सूची-I की प्रविष्टि 40 के अन्तर्गत आता है और, एक अंक वाली/पूर्व-घोषित संख्या, वाली लाटरियों पर प्रतिबन्ध लगाने के अलावा कुछ शर्तें लगाता है, अधिनियमित किया गया है। बाद में, लाटरी (निषेध) विधेयक 1999, जिसमें भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची को केन्द्रीय सूची, सूची सं. 1 की प्रविष्टि 40 के अन्तर्गत लाटरियां चलाने और बढ़ावा देने को निषेध करने की व्यवस्था है, राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया है।

जुआ और घुड़दौड़, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 34 के अन्तर्गत आता है। राज्यों के विधानमंडलों को, भारत के संविधान की सातवी अनुसूची में राज्य सूची-सूची-II में उल्लिखित किसी मामले के बारे में, इस प्रकार के राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की अनन्य शक्तियां प्राप्त हैं।

(घ) लाटरी टिकटों की बिक्री से राज्य सरकारों को प्राप्त होने वाला राजस्व अधिक नहीं है। वर्ष 1999-2000 के दौरान, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य को लाटरी से प्राप्त राजस्व केवल 27.75 करोड़ रु. और गोवा जैसे छोटे राज्य को 1.98 करोड़ रु. है। इसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकारों द्वारा अन्य स्रोतों से की जा सकती है। हमें उन राज्यों से ऐसी किसी कठिनाई का सामना किए जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जिन्होंने लाटरियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। अतः लाटरी को प्रतिबन्धित करने के कारण अन्य राज्यों के सामने कोई समस्या खड़ी होने की सम्भावना नहीं है।

[अनुवाद]

सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निर्माण कार्य में विलम्ब

4448. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1999-2000 के दौरान सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य में विलम्ब के कारण भारतीय खाद्य निगम अधिक भंडारण की सुविधा प्रदान नहीं करा पाया जिसके कारण खाद्य मंत्रालय, और अधीन संगठनों द्वारा निधियों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मामले की जांच करने और विलम्ब के लिए दोषी पाये गये व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा सीपीडब्ल्यूडी के निर्माण से लेकर रखरखाव तक के सभी कार्यों में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने केवल इन स्थानों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को निर्माण कार्य सौंपा है :

(i) दीमापुर (नागालैंड), (ii) जोवई (मेघालय), (iii) अगरतला (त्रिपुरा) तथा (iv) जीरीबाग (मणिपुर)

(i) दीमापुर में निर्माण कार्य मार्च, 2001 में पूरा हो गया है और इसे भारतीय खाद्य निगम को सौंपा जा रहा है।

(ii) जोवई में कार्य जनवरी, 2001 में पूरा हो गया है और भवन भारतीय खाद्य निगम को सौंप दिया गया है।

(iii) अगरतला में कार्य चल रहा है और यह जून, 2001 तक पूरा हो जाएगा।

(iv) जीरीबाग में निर्माण कार्य की स्वीकृति मार्च, 2000 में प्राप्त हुई और यह कार्य मार्च, 2002 तक पूरा कर लिया जाएगा।

इन निर्माण कार्यों के पूरा होने में विलंब के मुख्य कारण खाली स्थल उपलब्ध न होना, कार्य स्थल उसके आस-पास विद्यमान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, भारी वर्षा और क्षेत्र के ठेकेदारों से सही प्रत्युत्तर न मिलना है। हालांकि के.लो.नि.वि. द्वारा शेष कार्य को यथाशीघ्र पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध ठेके की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी जिसमें हरजाने की वसूली, जहां कहीं आवश्यक होगी, भी शामिल है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

जनगणना-2001

4449. श्री कोलूर बसवनागौड :
श्री सुबोध राय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत की जनगणना-2001 में कौन-कौन से नए विषयों/मदों को शामिल किया गया है;

(ख) जनगणना कार्य हेतु राज्य-वार कितने-कितने प्रगणक नियुक्त किए गए;

(ग) जनगणना कार्य हेतु राज्य-वार कुछ कितनी राशि जारी की गई;

(घ) अनुमानतः कितने व्यक्तियों की जनगणना किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) जनगणना रिपोर्ट कब तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं।

(घ) भारत की जनगणना 2001 के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार भारत की अनन्तिम जनसंख्या 1,027,015,247 है।

(ङ) 2001 का पेपर-I जनसंख्या के अनन्तिम आंकड़े, भारत की जनगणना, 2001, श्रृंखला 1, भारत 26 मार्च, 2001 को पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है।

विवरण-I

भारत की जनगणना, 2001 का कार्य दो चरणों में किया गया था अर्थात् मकान सूचीकरण कार्य जनसंख्या की गणना। मकान सूचीकरण कार्य के समय मकान सूची अनुसूची भरी गई थी। इसी प्रकार, जनसंख्या की गणना के समय परिवार अनुसूची भरी गई थी।

मकान सूचीकरण कार्य के दौरान भरी गई मकानसूची में निम्नलिखित नए प्रश्न जोड़े गए थे :

(i) जनगणना मकान की हालत (यदि मकान का उपयोग आवासीय या अंशतः आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाता है)।

(ii) परिवार में रहने वाले विवाहित दम्पत्तियों की संख्या।

(iii) विवाहित दम्पत्तियों की संख्या जिनके पास अलग शयनकक्ष हैं।

(iv) गन्दे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है: ढकी नाली से या खुली नाली से या किसी भी नाली से नहीं।

(v) मकान के अन्दर स्नानगृह और रसोई घर है या नहीं।

(vi) परिवारों में कतिपय परिसम्पतियों अर्थात् रेडियो/ट्रांजिस्टर, टेलिविजन, टेलीफोन साइकिल, स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड, कार/जीप/वैन की उपलब्धता।

(vii) क्या परिवार किसी बैंकिग सेवा का उपयोग कर रहा है।

जनसंख्या की गणना के दौरान भरी गई परिवार अनुसूची में निम्नलिखित नए प्रश्न थे :

(i) पुरुषों के लिए विवाह के समय आयु

(ii) यदि व्यक्ति शरीरिक/मानसिक तौर पर निःशक्त है तो नीचे दी गई सूची से उपयुक्त कोड नम्बर दें :

देखने में	1
बोलने में	2
सुनने में	3
चलने-फिरने में	4
मानसिक रूप से	5

(iii) कार्य स्थल पर सफर :

(क) निवास से कार्य स्थल तक की दूरी किलोमीटर में

(ख) कार्य स्थल तक सफर का साधन (नीचे दी गई सूची से कोड नम्बर दें)

पैदल	1
साइकिल	2
मोपेड/स्कूटर/मोटर साइकिल	3
कार/जीप/वैन	4
टैम्पो/आटोरिक्शा/टैक्सी	5
बस	6
रेल	7
जल परिवहन	8
कोई अन्य	9
यात्रा नहीं करते	0

(iv) काश्तकारी/बागान में कार्यरत परिवारों के लिए :

(क) काश्तकारी/बागान भूमि का कुल निवल क्षेत्रफल हैक्टेयर/आरस में

(ख) सिंचाई वाली भूमि का कुल निवल क्षेत्रफल हैक्टेयर/आरस में

(ग) काश्तकारी/बागान भूमि पर अधिकार की स्थितिः अपनी-1/किराए की-2/अपनी और किराए की-3

विवरण-II

भारत की जनगणना 2001 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नियुक्त किए गए प्रगणकों की कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रगणकों की अनुमानित संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	122410
2.	अरुणाचल प्रदेश	2700
3.	असम	53906
4.	बिहार (झारखंड सहित)	173331
5.	गोवा	2817
6.	गुजरात	79837
7.	हरियाणा	34007
8.	हिमाचल प्रदेश	9444
9.	जम्मू और कश्मीर	18847
10.	कर्नाटक	97199
11.	केरल	51038
12.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	117285
13.	महाराष्ट्र	164217
14.	मणिपुर	4168
15.	मेघालय	4284
16.	मिजोरम	1848
17.	नागालैण्ड	3150
18.	उड़ीसा	61335
19.	पंजाब	40564
20.	राजस्थान	105629
21.	सिक्किम	979
22.	तमिलनाडु	90400
23.	त्रिपुरा	6272
24.	उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	302365
25.	पश्चिम बंगाल	128587
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	786
2.	चण्डीगढ़	1403
3.	दादरा और नागर हवेली	30
4.	दमन और दीव	266
5.	दिल्ली	22314
6.	लक्षद्वीप	93
7.	पाण्डिचेरी	1488

विवरण-III

भारत की जनगणना 2001 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई कुल अग्रिम राशि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	दी गई कुल अग्रिम राशि (रु. हजारों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	327042
2.	अरुणाचल प्रदेश	11482
3.	असम	138070
4.	बिहार (झारखंड सहित)	486098
5.	गोवा	7720
6.	गुजरात	223311
7.	हरियाणा	94063
	हिमाचल प्रदेश	26383
	जम्मू और कश्मीर	57097
10.	कर्नाटक	247628
11.	केरल	168635
12.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	378605
13.	महाराष्ट्र	519917
14.	मणिपुर	12430
15.	मेघालय	10628
16.	मिजोरम	10847
17.	नागालैण्ड	20258
18.	उड़ीसा	169015
19.	पंजाब	100601
20.	राजस्थान	280914
21.	सिक्किम	2939
22.	तमिलनाडु	287101
23.	त्रिपुरा	14664
24.	उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	1127779
25.	पश्चिम बंगाल	412360
	संघ राज्यक्षेत्र	
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	2058
2.	चण्डीगढ़	4506
3.	दादरा और नागर हवेली	969
4.	दमन और दीव	824
5.	दिल्ली	55460
6.	लक्षद्वीप	358
7.	पाण्डिचेरी	4115

समेकित ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना

4450. श्री गुथा सुकेंदर रेड्डी :
श्री राजो सिंह :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समेकित ग्रामीण जल आपूर्ति (आई.आर.डब्ल्यू.एस.) और पर्यावरण स्वच्छता/जल-मल व्ययन परियोजना के तहत अब तक राज्यवार प्रस्तुत की गई परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में राज्य-वार विशेषतः आन्ध्र प्रदेश की कितनी परियोजनाओं को अनुमति दी गई और अब तक परियोजना-वार कितनी राशि जारी की गई है; और

(ग) शेष परियोजनाओं को कब तक अनुमति दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जल आपूर्ति एवं स्वच्छता राज्यों का विषय होने की वजह से ग्रामीण बसावटों को पेयजल आपूर्ति तथा स्वच्छता सुविधाएं मुहैया कराने की योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों में से कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार ग्रामीण जल आपूर्ति के संबंध में त्वरित ग्रामीण जल आपूति कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना—ग्रामीण जल आपूर्ति और ग्रामीण स्वच्छता के संबंध में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। केंद्र सरकारा द्वारा समन्वित ग्रामीण जल आपूर्ति तथा पर्यावरण स्वच्छता/मलजल परियोजना की मंजूरी का प्रावधान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम/प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना—ग्रामीण प्रेयजल और केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यमान नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश की सिंगरेनी कोयला खानों में कोयला उत्पादन

4451. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश की सिंगरेनी कोलियरी लिमिटेड में बाजार में कोयले की मांग के अभाव के फलस्वरूप इसके उत्पादन में भारी गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उत्पादन में आई इस गिरावट के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार इन कोयला खानों में उत्पादित कोयले के विपणन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रही है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि. (एस.सी.सी.एल.) में विपणन विकास के अभाव में कोयला के उत्पादन में अत्यधिक कमी नहीं हुई है।

वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 के लिए कोयला उत्पादन, भंडार एवं प्रेषण का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है :

(मिलियन टन में)

	1999-2000	2000-2001
उत्पादन	29.556	30.274
स्टाक	1.211	0.949
प्रेषण		
क. विद्युत गृह	24.050	24.387
ख. स्पॉज आयरन	0.053	0.064
ग. सीमेंट संयंत्र	2.964	3.293
घ. अन्य उद्योग	2.675	2.568
ङ. कोलियरी खपट	0.290	0.227
जोड़	30.032	30.539

(ग) और (घ) एस.सी.सी.एल. द्वारा कोयले की खान-वार गिरावट को लगातार मानिटर किया जाता है तथा इसके लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ङ) एस.सी.सी.एल. का अपना अलग विपणन तथा संचलन (मूवमेंट) विभाग है, जो विपणन के विकास तथा कोयले के संचलन की देखरेख करता है। यह कंपनी के कोयला विपणन की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम रहा है।

"सेल" में इस्पात का उत्पादन

4452. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) में कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या उत्पादन गत वर्ष की तुलना में अधिक हुआ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान "सेल" ने कुल कितना मुनाफा कमाया?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (ग) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) का विक्रेय इस्पात का उत्पादन 2000-2001 के दौरान 97.0 लाख टन था जो पिछले वर्ष की तुलना में 2% अधिक है।

(घ) सेल के 2000-2001 के वित्तीय परिणामों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में इंजीनियरी कॉलेजों की स्थापना

4453. श्री रामनायडू दग्गुबाटि :
श्री जी. गंगा रेड्डी :
डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश में इंजीनियरी कालेजों की स्थापना के संबंध में प्रतिवर्ष कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ख) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने राज्य सरकार द्वारा इंजीनियरी कालेजों की स्थापना हेतु दिए गए 45 अनापत्ति प्रमाणपत्रों में से केवल 22 को ही व्यवहार्यता प्रमाणपत्र जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार की सिफारिशों को अस्वीकृत करते समय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद क्या मापदंड अपनाती है;

(घ) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का विचार मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए राज्य में एक प्रकोष्ठ खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) आन्ध्र प्रदेश में इंजीनियरी कालेजों की स्थापना के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की संख्या निम्नवत है :

वर्ष 2000-2001 के लिए - 73 प्रस्ताव

वर्ष 2001-2002 के लिए - 248 प्रस्ताव

(ख) वर्ष 2001-2002 के लिए राज्य सरकार ने 65 प्रस्तावों की सिफारिश की जिसमें से अब तक 29 प्रस्तावों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए आई सी टी ई) ने व्यवहार्यता प्रमाण पत्र जारी किया है।

(ग) जो प्रस्ताव अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मापदंडों एवं मानकों के अनुरूप नहीं हैं उनकी कमियों का उल्लेख करते हुए वापस कर दिया जाता है। निर्धारित अवधि के भीतर कमियों को दूर कर लेने पर इन मामलों पर मापदंडों एवं मानकों के अनुसार कार्रवाई की जाती है तथा व्यवहार्यता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जो प्रस्ताव इन मापदंडों एवं मानकों पर खरे नहीं उतरते, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाता है।

(घ) और (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का एक कार्यालय पहले से ही दक्षिणी क्षेत्र के चेन्नई में स्थित है। कोई और क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

जेलों में ई-मेल सुविधा उपलब्ध कराना

4454. डा. अशोक पटेल :
श्री रामपाल सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तिहाड़ जेल में बंद सैकड़ों विदेशी कैदियों को ई-मेल सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के अन्य भागों में दूसरी जेलों में बंद विदेशी कैदियों को यह सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ङ) केन्द्रीय जेल तिहाड़ में रखे गए विदेशी कैदियों पर विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित सम्मेलन, जिसमें अन्य के साथ-साथ, विभिन्न दूतावासों और मिशनों के कांसुलरों ने भाग लिया, में व्यक्त मतों के आधार पर, जेल प्राधिकारियों ने, जेल में रखे गए विदेशी कैदियों को, अपने रिस्तेदारों और दोस्तों के साथ सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए इन-हाऊस-ई-मेल सुविधा का प्रयोग करने की अनुमति दी है। तथापि, इन प्रबंधों में यह सुनिश्चित किया जाता है कि सन्देशों के विदेशी कैदियों को प्राप्त होने या भेजने से पहले उपयुक्त रूप से छान-बीन की जाए।

(ग) और (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 4 के अनुसार "जेल" राज्य का विषय है। अतः जेलों में रखे गए विदेशी कैदियों को ई-मेल की सुविधा शुरू करने के लिए समुचित निर्णय लेना राज्य सरकार का कार्य है।

स्कूलों में योग शिक्षा

4455. श्रीमती जसकौर मीणा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड ने सभी स्कूलों में योग शिक्षा को अनिवार्य बनाने संबंधी कोई सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) श्री के.पी. सिंह देव की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति ने अपनी रिपोर्ट में माध्यमिक स्तर से आगे योग शुरू करने और शिक्षकों के सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में योगाभ्यास पर विशेष बल दिए जाने की सिफारिश की है। वर्ष 1994 में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रिपोर्ट को अनुमोदित कर दिया है।

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा माध्यमिक शिक्षा के लिए तैयार राष्ट्रीय कार्य ढांचे में शिक्षुओं तथा समुदाय के सम्पूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान रखना एक मुख्य विषय के रूप में है। बच्चों को ध्यान केन्द्रन और शिथिलन प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए नियमित स्कूल कार्यक्रम में योग और चिन्तन की सिफारिश की गई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे को सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों को उनमें दिए गए सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए परिचालित कर दिया गया है। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या सामग्री को विकसित करने के लिए इन पाठ्यचर्या दिशा-निर्देशों को अपनाने और अपने अनुकूल बनाने की छूट है।

[अनुवाद]

सी आर पी एफ की 72 नई कंपनियां बनाना

4456. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सी आर पी एफ की 72 नई कंपनियां बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके फलस्वरूप सरकार पर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा;

(घ) क्या सरकार का विचार अर्ध-सैनिक बलों के आधुनिकीकरण का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में 72 कंपनियां खड़ी करने के आदेश इस मंत्रालय द्वारा 1 दिसंबर, 2000 को जारी किए गए थे। ये कंपनियां, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की वर्तमान 72 बटालियनों के साथ संबद्ध की जाएंगी। इन 72 कंपनियों को खड़ा करने के लिए कुल व्यय अनुमानतः 86.40 करोड़ रु. (आवर्ती), 43.20 करोड़ रु. (अनावर्ती) और 54.00 करोड़ रु. (पूंजीगत लागत) है।

(घ) और (ङ) जी हां, श्रीमान। केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, सरकार ने अनेक आधुनिक और अत्याधुनिक शस्त्रागार और उपस्कर देकर केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों की मारक क्षमता का उन्नयन करने पर विशेष ध्यान दिया है। सरकार के प्रयासों को समय सीमा उपलब्ध कराने और बढ़ती हुई उग्रवादी और आतंकवादी गतिविधियों की चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों ने शस्त्रागार और उपस्करों के आधुनिकीकरण के लिए 5 वर्षीय योजना तैयार की है। इन योजनाओं का अंन्तिम वित्तीय प्रोजेक्शन 3700 करोड़ रु. के आसपास है।

[हिन्दी]

विज्ञान के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को रोजगार की गारंटी

4457. श्री तूफानी सरोज: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विज्ञान के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को रोजगार की गारंटी प्रदान करने के लिए कोई योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में छात्र-छात्राएं विज्ञान की शिक्षा से दूर भाग रहे हैं और उनके माता-पिता उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी में प्रवेश दिलाने के इच्छुक हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना बना रही है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) और (ख) सरकार विज्ञान के प्रतिभावान छात्रों के लिए सुनिश्चित आजीविका के सुअवसरों हेतु एक योजना तैयार कर रही है।

(ग) से (ङ) विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के प्रति विद्यार्थियों में अभिरुचि कम होती प्रतीत होती है। तथापि, विज्ञान के असाधारण अतिप्रतिभावान विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रमुख रूप से निम्नलिखित पहल की है :

(i) साल में एक बार पूरे देश में एक राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन करना।

(ii) देश में एक समेकित विज्ञान ओलम्पियाड कार्यक्रम शुरू करना ताकि राष्ट्रीय स्तर पर चुने गए विज्ञान के विलक्षण विद्यार्थी गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान विषयों में अंतरांष्ट्रीय विज्ञान ओलम्पियाडों में निश्चित रूप से भाग ले सकें। इन आयोजनों में भारतीय विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया है। भारत वर्ष 2001 के दौरान मुम्बई में अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलम्पियाड का भी आयोजन कर रहा है।

(iii) विज्ञान को अपनी आजीविका के रूप में चुनने के लिए प्रतिभावान विद्यार्थियों को आकर्षित करने हेतु किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना की शुरूआत।

[अनुवाद]

बोडो संगठनों के आरोप

4458. श्री अब्दुल हमीद: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई बोडो संगठनों ने असम के कोराझार और बेंगांगून जिलों में अर्ध-सैनिक बलों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार और उत्पीड़न किए जाने के आरोप लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक ऐसे कितने मामलों की सूचना मिली; और

(ग) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में अर्ध-सैनिक बलों के कितने कर्मचारियों को दंडित किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

के.लो.नि.वि. द्वारा डिस्पेंसरी का निर्माण

4459. श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) के.लो.नि.वि. द्वारा केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरी संख्या 78 (दक्षिणपुरी) के भवन का निर्माण कार्य किस तारीख को पूरा किया गया;

(ख) केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अधिकारियों द्वारा स्थानीय प्राधिकरण से निर्माण कार्य पूरा होने संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन किस तारीख को प्रस्तुत किया गया;

(ग) पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने में अत्यधिक विलंब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस भवन को कब तक केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना को सौंपे जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) डिस्पेंसरी संख्या 78 पुष्प विहार सैक्टर-IV में है, दक्षिणपुरी में नहीं। डिस्पेंसरी के भवन का निर्माण 21.9.94 को पूरा हो गया था। सेवाएं 15.5.96 को पूर्ण हो गई थीं।

(ख) स्थानीय प्राधिकरण अर्थात दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन 3.6.97 को प्रस्तुत किया गया था।

(ग) प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं जैसे दिल्ली नगर निगम, दिल्ली नगर कला आयोग, दिल्ली अग्निशमन सेवा आदि द्वारा निरीक्षण में समय लगा। यह निरीक्षण अब पूर्ण हो गए हैं और पूर्वअपेक्षित औपचारिकताएं भी पूरी हो गई हैं।

(घ) भवन सभी रूप से 15.5.96 को पहले ही पूरा हो गया है। दिल्ली नगर निगम द्वारा यथा अपेक्षित सभी अपेक्षाएं पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली नगर निगम से समापन प्रमाण-पत्र अभी प्राप्त होना है। दिल्ली नगर निगम से समापन प्रमाण पत्र जारी होने के बाद केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना प्राधिकारियों द्वारा भवन का कब्जा ले लिया जाएगा।

[हिन्दी]

कापार्ट द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं

4460. श्री राजो सिंह :
श्री रतन लाल कटारिया :
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
डा. बलिराम :
श्री किशन सिंह सांगवान :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और अब तक कापार्ट द्वारा जिन परियोजनाओं की पहचान की गई और जिन्हें मंजूरी दी गई उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यवार उन अभिकरणों के नाम क्या हैं जिन्हें उक्त अवधि के दौरान कापार्ट द्वारा सहायता प्रदान की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी योजनाओं को मंजूरी दी गई;

(घ) शेष परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है;

(ङ) इस संबंध में मंजूर की गई, जारी की गई और उपयोग की गई अनुदान राशि का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इन अभिकरणों के कार्य की समीक्षा की गई है; और

(छ) यदि हां, तो परियोजना-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (छ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोयले की चोरी के कारण सी.आई.एल. की कोयला खानों को घाटा

4461. श्री राम टहल चौधरी :
श्री सुनील खां :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कोयला खानों में कोयले की चोरी के कारण कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) को घाटा उठाना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और अब तक कोयला-खानवार सरकार को कोयले की चोरी के कितने मामलों की जानकारी मिली है;

(घ) क्या विभिन्न कोयला खानों के हजारों नियमित श्रमिकों को बेकार रखा गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या माफिया के निहित स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए कार्य को ठेके के आधार पर कराया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या श्रमिक संघों की भूमिका, राजनीतिज्ञों के प्रश्रय और सी.आई.एल. के अधिकारियों और माफिया के बीच सांठ-गांठ का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराए जाने का प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) कोयले की चोरी/उठाईगिरी का कार्य चुपके से और गुप्त रूप से किया जाता है। ऐसे में चोरी की उस मात्रा का ठीक-ठीक उल्लेख करना संभव नहीं है, जो शायद साइडिंग और कोयले के डिपो पर स्थित वैगनों से हुई हों।

फिर भी गत तीन वर्षों के दौरान सुरक्षा कर्मियों के द्वारा मारे गए छापे के साथ-साथ राज्य विधि एवं व्यवस्था प्राधिकारियों के साथ संयुक्त छापे के अनुसार कोयले की चोरी के मामले की संख्या निम्नलिखित थीं :

मामलों की संख्या

कंपनी	1998-99	1999-2000	2000-01
ई.सी.एल.	3106	37	1008 (जनवरी, 2001 तक)
बी.सी.सी.एल.	27	67	17
सी.सी.एल	16	12	3
एन.सी.एल.	3	1	1
डब्ल्यू. सी.एल.	13	19	17
एस.ई.सी.एल.	2	4	9
एम.सी.एल.	33	54	24
एन.ई.सी.	3	0	-
सी.आई.एल. का कुल जोड़	3203	192	1079

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(छ) कोयल कंपनियों के अधिकारियों तथा कोयले की चोरी में लिप्त अपराधियों के बीच संबंध की किसी खास घटना से संबंधित कोई जांच कोयला मंत्रालय में लंबित नहीं है, अतः सी.बी.आई. जांच का प्रस्ताव नहीं है। इस बुराई को दूर करने के लिए और संवेदनशील स्थानों पर राज्य की पुलिस के सहयोग से अचानक जांच या छापे डालने और स्थानीय पुलिस के

पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के संबंध में सी.आई.एल. की सहायक कंपनियों द्वारा योजनाएं बनाने हेतु जिले के अधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। सी.आई.एल. की सहायक कंपनियों में सुरक्षा का एक ढांचा मौजूद है, जिसमें कंपनियों की सुरक्षा पर लिए गए निजी सुरक्षा गार्ड, राज्य की सशस्त्र पुलिस/होम गार्ड और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मचारी होते हैं, जिन्हें अलग-अलग कोयला खानों की सुरक्षा का दायित्व सौंपा जाता है।

(ज) प्रश्न के भाग (छ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

अहमदाबाद काउंटर मैग्नेट सिटी परियोजना

4462. श्री मानसिंह पटेल : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा गुजरात सरकार को अहमदाबाद काउंटर मैग्नेट सिटी परियोजना के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) उक्त परियोजना के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले संभावित गांवों का ब्यौरा क्या है और इस कार्य के लिए एकड़ों में कितनी भूमि को अधिगृहीत किया जाएगा;

(ग) क्या अहमदाबाद की मलिन बस्तियों को भी इस परियोजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा अहमदाबाद काउंटर मैग्नेट सिटी नामक कोई परियोजना नहीं चलाई जा रही।

तथापि, छोटे एवं मझोले दर्जे के कस्बों के समन्वित विकास की एक केंद्र प्रवर्तित योजना का प्रशासन इस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है जिसका उद्देश्य उन चुने हुए छोटे एवं मझोले दर्जे के कस्बों, जिनमें आर्थिक विकास और रोजगार उत्पन्न करने की संभावनाएं हैं, का विकास करके ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों से बड़े नगरों की ओर आबादी के प्रवसन को कम करना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान गुजरात राज्य को क्रमशः 167.95 लाख रु., 453.17 लाख रु. और 621.76 लाख रु. की वित्तीय सहायता मुहैया कराई है।

[अनुवाद]

शहरी विकास और गरीबी उपशमन के लिए विदेशों से प्राप्त धन

4463. श्री रतन लाल कटारिया : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान शहरी विकास और गरीबी उपशमन के लिए धन देने वाले देशों/विदेशी एजेंसियों के नाम सहित योजनावार कितनी विदेशी धनराशि प्राप्त हुई ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार और योजनावार विशेष तौर पर हरियाणा को कितनी राशि संवितरित की गई;

(ग) राज्यवार और योजनावार विभिन्न राज्यों द्वारा व्यय की गई/व्यय न की गई राशि का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी कारण और उपलब्धियां क्या हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों, विशेष तौर पर हरियाणा में पानी और स्वच्छता संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विदेशों से प्राप्त धनराशि दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

पिपवाव में कृभको की विद्युत परियोजना की स्थापना

4464. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिपवाव में कृभको की 650 मैगावाट की विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस प्रस्ताव पर अब तक क्या कार्रवाई की है; और

(घ) यदि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो विलंब के कारण क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (घ) सरकार द्वारा कृषक भारती कोआपरेटिव लि. (कृभको) को पिपवाव गुजरात में 615 मेगावाट के कम्बाईड साईकिल पावर प्रोजक्ट की स्थापना करने के प्रस्ताव के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रथम चरण मंजूरी नवम्बर 1998 में प्रदान की गई थी। यह प्रस्ताव निवेश अनुमोदन हेतु कृभको द्वारा अभी सरकार को प्रस्तुत किया जाना है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में भ्रष्टाचार

4465. राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सतर्कता आयोग को केंद्रीय विद्यालय संगठन में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में पूरी जांच की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) इस संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग से एक पत्र प्राप्त होने पर सरकार ने केंद्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षकों की नियुक्ति के कार्य को एडसिल को दिए जाने संबंधित कथित अनियमितताओं की एक सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव द्वारा जांच करने के आदेश दिए थे। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से इसकी जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

भारत और जर्मनी में हाई स्कूल शिक्षा में एक-दूसरे की छवि की प्रस्तुति

4466. **श्री शिवाजी माने :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय और जर्मन विशेषज्ञों की हाल में कोई बैठक हुई थी जिसमें दोनों देशों की हाई स्कूल शिक्षा में एक-दूसरे की छवि को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के उपायों पर चर्चा की गई;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए;

(घ) क्या सरकार ने एन.सी.ई.आर.टी. को भी इस संबंध में अध्ययन करने के लिए कहा है कि विभिन्न देशों की पाठ्य पुस्तकों में भारत की छवि को किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। 2000-2001 में भारत में जर्मन महोत्सव के अंतर्गत 12-14 मार्च, 2001 को एक बैठक आयोजित की गई थी। संबंधित देशों के विशेषज्ञों द्वारा भारत और जर्मन की स्कूल पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा की गई थी। पाठ्य पुस्तकों के विश्लेषण संबंधी कागजात प्रस्तुत किए गए थे।

(ग) हाई स्कूल शिक्षा में जर्मन पाठ्य पुस्तकों में भारत की छवि तथा भारतीय पाठ्य पुस्तकों में जर्मनी की छवि में परिवर्तन को कार्यान्वित करने के लिए एक संयुक्त ग्रुप गठित करने की मुख्य सिफारिश की गई थी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश की बिजली संबंधी देयता

4467. **डा. मन्दा जगन्नाथ :**
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :
श्री ए. नरेन्द्र :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने आई.डी.पी.एल. द्वारा ए.पी.एस.ई.बी. को बिजली के बिलों के भुगतान के संबंध में केंद्र सरकार से अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो आई.डी.पी.एल. पर बिजली बिलों की कितनी राशि बकाया है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने आई.डी.पी.एल. की ओर से इस बकाया राशि का भुगतान किया है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1998, 1999 और 2000 के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. और आंध्र प्रदेश गैस पावर कारपोरेशन लि. को आई.डी.पी.एल. से 31.12.2000 को बकाया राशि निम्न प्रकार हैं :

	(रु. लाख में)
ए.पी. ट्रांसको	3632
ए पी जी पी सी एल	1070

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अधीन आई डी पी एल एक रुग्ण कंपनी बी आई एफ आर के पास है। इन बकाया राशियों पर कार्रवाई आई डी पी एल के पुनरुद्धार के संबंध में निर्णय के अनुसार की जाएगी।

लोक जुम्बिश और शिक्षाकर्मी परियोजना

4468. **श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील :**
डा. एन. वेंकटस्वामी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में 'लोक जुम्बिश' (सभी के लिए शिक्षा हेतु जन अभियान) और 'शिक्षाकर्मी' नामक नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के उद्देश्य और उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश में बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए दूसरे राज्यों में भी इसी प्रकार की परियोजनाएं शुरू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) राजस्थान की लोक जुंबिश और शिक्षाकर्मी परियोजनाओं का लक्ष्य प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण प्राप्त करना है। ये परियोजनाएं प्राथमिक स्कूलों में दाखिला बढ़ाने एवं बच्चों को सकूलों में बनाए रखने में सफल रही हैं, साथ ही माइक्रो प्लानिंग, स्कूल मैपिंग, प्रहर पाठशालाओं (सुविधाजनक समय वाले स्कूल), सहज शिक्षा और समुदाय की भागीदारी जैसे नवाचारी प्रयासों के माध्यम से दूर-दराज एवं दुर्गम क्षेत्रों के बन्द पड़े स्कूलों को पुनः चालू करने में भी सफल रही है।

(ग) और (घ) लोक जुंबिश एवं शिक्षाकर्मी परियोजनाओं के सफल प्रयासों को सर्व शिक्षा अभियान में समाविष्ट कर लिया गया है जिसे प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने के लिए देश भर में कार्यान्वित किया जा रहा है।

पेट्रो-रसायन क्षेत्र में 'नॉलेज पार्कों' की स्थापना

4469. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पेट्रो-रसायन क्षेत्र में 'नॉलेज पार्कों' की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पार्कों की स्थापना के लिए किन स्थानों का चुनाव किया गया है और इन पर कितना व्यय किए जाने का अनुमान है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) रसायन, पेट्रोरसायन और भेषज क्षेत्रों में नॉलेज पार्क, स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) ब्यौरों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

कोयले के मूल्य का विनियंत्रण

4470. श्री सुन्दर लाल तिवारी : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोल इंडिया लि. और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा खनन किए जाने वाले कोयले के मामले को पूरी तरह विनियंत्रित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा किस प्रकार किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) कोयले के मूल्यों में वृद्धि के कारण राज्य सरकारों को कितना लाभ हुआ है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) केंद्र सरकार ने 1.1.2000 से कोयले के मूल्य को पूर्ण रूप से विनियंत्रित कर दिया है। कोयला कंपनियों, आयात और कोयला कंपनी के बोर्डों में कोयला मंत्रालय के प्रतिनिधियों के बीच प्रतिस्पधा से उपभोक्ता के हितों की रक्षा होने की आशा की जाती है।

(ग) राज्य सरकारें कोयले पर 'बिक्री कर' लगाती हैं। जब कभी कोयले के मूल्य पर ऐसे बिक्री कर का परिकलन किया जाता है, कोयले के मूल्यों पर किसी प्रकार की वृद्धि से संबंधित राज्य सरकार की बिक्री कर आय में वृद्धि होगी। इसी प्रकार, कोयले के मूल्य में वृद्धि होने से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाए गए उपस्कर में भी वृद्धि होगी।

[अनुवाद]

आपरेशन ब्लैकबोर्ड

4471. डॉ. एन. वेंकटस्वामी :
श्री ए. नरेन्द्र :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्तारित 'आपरेशन ब्लैकबोर्ड' योजना ने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या 'आपरेशन ब्लैकबोर्ड' योजना की प्रभावकारिता का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या परिणाम निकले;

(घ) इन परिणामों पर क्या कार्रवाई की गई और इसमें किए जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तन कौन-कौन से हैं; और

(ङ) उक्त योजना को कौन-कौन से राज्यों में आरंभ किया गया है और प्रत्येक राज्य में कितनी धनराशि खर्च की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) 100 से ज्यादा दाखिला वाले प्राथमिक स्कूलों में तीन शिक्षक और तीन शिक्षण कक्ष मुहैया कराने के लिए उच्च प्राथमिक स्कूलों को एक अतिरिक्त शिक्षक और अध्ययन अध्यापन उपकरण के प्रावधान के साथ सम्मिलित करने के लिए 1993-94 के दौरान आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना का विस्तार किया गया।

आपरेशन ब्लैकबोर्ड की विस्तारित योजना के अंतर्गत प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए क्रमशः 83045 तीसरे शिक्षक के पद तथा 77610 अतिरिक्त शिक्षक के पद संस्वीकृत किए गए और अध्ययन-अध्यापन उपकरण की खरीद के लिए 138009 उच्च प्राथमिक स्कूलों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) को आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना का राष्ट्रीय मूल्यांकन कराने का कार्य सौंपा गया था। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान से एक मसौदा राष्ट्रीय मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पृथक राज्य विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान अब इन मसौदा रिपोर्टों पर राज्य सरकारों से विचार-विमर्श कर रही है। राज्य सरकारों से प्रत्युत्तर प्राप्त होने पर इन रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

(ङ) आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना को सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के आरंभ होने से राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई वित्तीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1987-88 से 31.3.2001 तक दी गई वित्तीय सहायता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दी गई राशि (रु. लाख में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	31149.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	897.78
3.	असम	15841.18
4.	बिहार	21300.54
5.	गोवा	274.51
6.	गुजरात	9682.98
7.	हरियाणा	1316.64
8.	हिमाचल प्रदेश	4980.73
9.	जम्मू और कश्मीर	6237.89
10.	कर्नाटक	44551.44
11.	केरल	1691.89
12.	मध्य प्रदेश	26992.64
13.	महाराष्ट्र	33182.01
14.	मणिपुर	457.00
15.	मेघालय	2730.32
16.	मिजोरम	755.27
17.	नागालैंड	324.11
18.	उड़ीसा	24890.04
19.	पंजाब	5694.24
20.	राजस्थान	23884.55
21.	सिक्किम	124.66
22.	तमिलनाडु	7051.94
23.	त्रिपुरा	1092.42
24.	उत्तर प्रदेश	31910.58
25.	पश्चिम बंगाल	7748.57
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	30.09
27.	चंडीगढ	1.17
28.	दादरा और नगर हवेली	36.46
29.	दमन और दीव	21.44
30.	दिल्ली	427.83
31.	लक्षद्वीप	2.48
32.	पाडिचेरी	139.95
	कुल	305422.37

[हिन्दी]

मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत औषधियां

4472. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान औषध नीति के अनुसार मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत कौन-कौन सी औषधियों को लाया गया है और मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत औषधियों को लाने के लिए किस स्तर का अधिकारी प्राधिकृत है;

(ख) यदि हां, तो क्या मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत औषधियों को लाने के प्राधिकार का उपयोग भारतीय कंपनियों की तुलना में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा तैयार औषधियों के पक्ष में किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ङ) सितम्बर, 1994 में घोषित 'औषध नीति, 1986 में संशोधन' में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर मूल्य नियंत्रण में शामिल करने के लिए औषधों का पता लगाया गया है। इस समय 74 प्रपुंज औषधें और उन पर आधारित सूत्रयोग मूल्य नियंत्रण में हैं और उनकी कीमतें औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के उपबंधों के अनुसार निर्धारित/संशोधित की जाती हैं। सरकार द्वारा अधिसूचित/निर्धारित कीमतें चाहे कंपनी भारतीय हो अथवा बहु-राष्ट्रीय, निर्माताओं पर लागू होता है।

[अनुवाद]

ग्रामीण सड़कों के लिए डीजल उपकर से प्राप्त धन

4473. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए डीजल उपकर से प्राप्त राज्यवार कितनी धनराशि राज्य सरकारों को आबंटित की गई है;

(ख) क्या राज्य सरकारों, विशेषकर गुजरात ने ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) वर्ष 2000-01 में ग्रामीण सड़कों के लिए 2500 करोड़ रुपये (डीजल उपकर का 50%) आबंटित किए गए थे। वर्ष 2000-01 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित की गई निधियों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) गुजरात सहित सभी राज्यों से प्राप्त हुए परियोजना प्रस्तावों पर विचार किया गया और 2435 करोड़ रुपये की निधियां जारी की गई। गुजरात को 59.81 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	धनराशि (करोड़ रु. में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	195
2.	बिहार	150
3.	छत्तीसगढ़	92
4.	गोवा	5
5.	गुजरात	60
6.	हरियाणा	20
7.	हिमाचल प्रदेश	60
8.	जम्मू व कश्मीर	20
9.	झारखंड	110
10.	कर्नाटक	95
11.	केरल	20
12.	मध्य प्रदेश	218
13.	महाराष्ट्र	130
14.	उड़ीसा	180
15.	पंजाब	25
16.	राजस्थान	140
17.	तमिलनाडु	154
18.	उत्तर प्रदेश	320
19.	उत्तरांचल	60
20.	पश्चिम बंगाल	135
21.	अंडमान व निको. द्वीप समूह	10
22.	दादर व नगर हवेली	5
23.	दमन व दीव	5
24.	दिल्ली	5
25.	लक्षद्वीप	5
26.	पांडिचेरी	5
पूर्वोत्तर राज्य		
27.	अरुणाचल प्रदेश	41
28.	असम	75
29.	मणिपुर	40
30.	मेघालय	35
31.	मिजोरम	20
32.	नागालैंड	20
33.	सिक्किम	20
34.	त्रिपुरा	25
	कुल	2500

[हिन्दी]

अनौपचारिक शिक्षा केंद्र

4474. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छत्तीसगढ़ में कितने अनौपचारिक शिक्षा केंद्र हैं;

(ख) क्या ये सभी केंद्र सुचारू रूप से चलाये जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य में ऐसे अन्य केंद्र खोलने की कोई योजना/प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) छत्तीसगढ़ सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार सभी अनौपचारिक शिक्षा केंद्र बन्द कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) अनौपचारिक शिक्षा योजना को 'शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा' के रूप में पुनर्गठित किया गया है। पुनर्गठित योजना की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

(I) ऐसे सभी वंचित आवासीय क्षेत्रों में शिक्षा गारंटी योजना केंद्र खोलना, जहां एक किलोमीटर के दायरे में कोई स्कूल नहीं हैं, स्कूल न जाने वाले बच्चों को औपचारिक स्कूलों की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु आवासीय कैम्प, किशोर लड़कियों के लिए विशेष दृष्टिकोण और नवाचारी एवं प्रायोगिक परियोजना।

(II) बढ़े हुए लागत पैरामीटर

(III) केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच 75:25 के अनुपात में खर्च की भागीदारी। स्वैच्छिक एजेंसी समग्र लागत सीमा के भीतर शत-प्रतिशत सहायता के पात्र हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता की मांग कर सकती है।

अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रामीण विकास परियोजनाएं

4475. श्री भीम दाहाल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों ने कुछ ग्रामीण विकास परियोजनाएं स्वीकृति हेतु भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इन योजनाओं में से कितनी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(ग) अब तक इन योजनाओं को कितनी धनराशि आबंटित की गई/जारी की गई; और

(घ) शेष योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सीमा पर सुरंग की खुदाई

4476. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 मार्च, 2001 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' के 'डिगिंग ऑफ द टनल स्टारटेड फ्रॉम विदिन दि पाकिस्तान टेरिटरी त्विच पेनेट्रेट्स डीप इन्टू द इंडियन साइड क्रासिंग द फेन्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले के संबंध में पाकिस्तान सरकार से कोई विरोध दर्ज किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ङ) जी हां, श्रीमान। 1 मार्च, 2001 को, सीमा सुरक्षा बल चौकी चौन्नरा (जिला गुरदासपुर) के नजदीक स्तम्भ सं. 20 के प्वाइंट सं. 9 और 10 के बीच एक सुरंग का पता चला। यह सुरंग लगभग 135 गज लम्बी थी, जिसमें से 50 गज पाकिस्तानी क्षेत्र में पड़ता है। इसका आकार लगभग 2 फुट × 3 फुट था और इसका मुंह भी पाकिस्तानी क्षेत्र में पड़ता था। सुरंग की खुदाई का कार्य, इसका पता लगने के समय पर भी जारी था।

सीमा सुरक्षा बल द्वारा पाकिस्तानी रैंजर के पास कड़ा विरोध दर्ज किया गया। पाकिस्तानी रैंजरों ने उनके क्षेत्र में पड़ी सुरंग को नष्ट कर दिया और उसके मुंह को बंद कर दिया।

भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा अपनी उपस्थिति और सतर्कता बढ़ा दी है।

विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा पत्र व्यवहार

4477. श्री आर.एस. पाटिल :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय में अति विशिष्ट व्यक्तियों/विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा दिल्ली पुलिस से संबंधित किए गए पत्र व्यवहार पर उचित प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान अति विशिष्ट व्यक्तियों/विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा किए गए पत्र व्यवहार का ब्यौरा क्या है जिन पर मंत्रालय द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) संसद सदस्यों और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त पत्रों की तुरंत पावती भेजी जाती है और जहां ये दिल्ली पुलिस से संबंधित होते हैं, रिपोर्ट हेतु उन्हें भेज दिए जाते हैं। तथापि, गत छः माह के दौरान, 31 मार्च, 2001 तक प्राप्त, दिल्ली पुलिस से संबंधित विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त पत्रों में से 98 पत्रों के संबंध में, या तो दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट की प्रतीक्षा के कारण या प्राप्त रिपोर्ट में कुछ स्पष्टीकरणों की आवश्यकता या प्राप्त रिपोर्ट के विचाराधीन होने के कारण अंतिम उत्तर अभी तक नहीं भेजा गया है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियां

4478. श्री ए. कृष्णास्वामी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री 22.8.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4542 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक प्राप्त कर लिये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (ग) अब अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा चुकी है और 22.8.2000 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 4542 के उत्तर में दिए गए आश्वासन की पूर्ति की कार्यान्वयन रिपोर्ट 27 मार्च, 2001 को संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजी जा चुकी है।

महाराष्ट्र में मलिन बस्तियां

4479. श्री सुबोध मोहिते :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री किरीट सोमैया :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिविलियन क्षेत्रों में और केंद्र सरकार की भूमि पर विशेषकर महाराष्ट्र के लवण पटल पर कितनी मलिन बस्तियां बस गई हैं;

(ख) क्या केंद्र सरकार ने ऐसी भूमि को अपने अधिकार में लेने के लिए और अतिक्रमण हटाने के लिए उचित रणनीतियां तैयार की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अब तक अतिक्रमणकर्ताओं से स्थानवार कितनी भूमि को छुड़ा लिया गया है और उसे विकसित किया गया है;

(ङ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने मलिन बस्तियों में रहने वालों का पुनर्वास करने के लिए कोई वित्तीय सहायता और अन्य सहायता की मांग की है;

(च) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार को इस उद्देश्य के लिए आवश्यक अनुमति प्रदान कर दी गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

'फन एंड फूड विलेज' का लाइसेंस

4480. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कापसहेड़ा गांव की कृषि भूमि/लाल डोरा भूमि पर स्थित 'फन एंड फूड विलेज' को भूमि उपयोग में परिवर्तन किए बिना ही लाइसेंस जारी कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या तथ्य है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि भूमि पर अवैध रूप से चल रहे उक्त विलेज को सील करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (घ) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धाराओं 86-क और 81 के अंतर्गत 'फन एंड फूड विलेज' के विरुद्ध एक मामला दायर किया गया है जिस पर न्यायिक निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

डाटाबेस का प्रतिलिप्याधिकार

4481. श्री मोइनुल हसन :
श्री एन.एन. कृष्णदास :
श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने वर्ष 1994 के पश्चात् 'भारत की संपदा तथा औषधीय एवं सुगंधित पादप-निष्कर्ष' नामक अपने डाटाबेस का प्रतिलिप्याधिकार 'एशियन हेल्थ इनवायरमेंट एंड एलाइउ डाटाबेसेज' को अंतरित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो समझौते सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, नहीं। निस्कॉम ने अहेड (एएचईएडी) की सीडी-रोम परियोजना हेतु अपने दो आंकड़ाधारों का योगदान दिया। एशियन हेल्थ इनवायरमेंट एंड एलाइड डाटाबेसेज (अहेड) सीडी-रोम डिस्कों में सम्मिलित व्यक्तिगत आंकड़ाधारों का प्रतिलिप्याधिकार अहेड के उन सहयोगी संगठनों के पास था जिन्होंने डाटा योगदान दिया। भारतीय संपदा और औषधीय एवं सुगंध पादप सार आंकड़ाधारों का प्रतिलिप्याधिकार निस्कॉम के पास था। सृजित निवल बिक्री राजस्व का 40% प्रतिलिप्याधिकार के स्वामी संगठनों को भुगतान किए जाने की व्यवस्था थी। ये डिस्कें अवसानी रचना तंत्र वाली थीं और इनका उपयोग इनके जारी होने की तारीख से एक वर्ष की सीमित अवधि के लिए किया जा सकता था। अंतिम डिस्क 1998 में जारी की गई। निस्कॉम ने दिनांक 21 सितंबर, 1999 से अहेड का परित्याग कर दिया।

दो तालुकों का सर्वेक्षण

4482. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री जी. एस. बसवराज :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 15.9.1998 को कर्नाटक सरकार ने दो तालुकों में सर्वेक्षण की एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 12.15 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने का एक संशोधित प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या धनराशि जारी की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(छ) राज्य को कब तक धन जारी कर दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने एवं भूमि रिकार्डों को अद्यतन करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत गठित तकनीकी समिति ने दो तालुकों का पुनर्सर्वेक्षण आरंभ करने के लिए 23.80 करोड़ रुपये की लागत पर एक परियोजना के संबंध में कर्नाटक की राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया था। प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ 15.12 करोड़ रुपये की कुल लागत पर आधुनिक सर्वेक्षण उपस्करों की खरीद करना भी शामिल था। इस परियोजना के 9 महीनों की अवधि के भीतर पूरा होने की आशा थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार इस परियोजना को 9वीं योजना की शेष अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने हेतु प्रस्ताव को संशोधित करेगी और उसे इस मंत्रालय के विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।

(ग) जी, हां।

(घ) से (छ) 12.15 करोड़ रुपये की कुल लागत पर एक तालुक में पुनर्सर्वेक्षण एक वर्ष में पूरा किए जाने की एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ करने संबंधी कर्नाटक की राज्य सरकार के प्रस्ताव पर राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने और भूमि रिकार्डों को अद्यतन करने संबंधी योजना के तहत गठित तकनीकी समिति ने दिनांक 10.8.2000 को हुई अपनी बैठक में विचार किया था। समिति ने प्रायोगिक परियोजना को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित कर दिया था परंतु यह निर्णय लिया गया था कि प्रायोगिक परियोजना को अनुमोदित किए जाने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा निधियों की कुल आवश्यकता सहित पूरे राज्य में पुनर्सर्वेक्षण का कार्य चरणबद्ध रूप से आरंभ किए जाने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की जानी चाहिए। राज्य सरकार से कार्य योजना की अभी प्रतीक्षा है।

आंध्र प्रदेश और हडको के बीच समझौता

4483. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार और हडको के बीच समझौता हुआ है ताकि ग्रामीण आवास कार्यक्रम के लिए राज्य आवास निगम को हडको से ऋण लेने के लिए समर्थ बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश आवास निगम ने हडको से कितना ऋण लिया है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने भविष्य में इस समझौते को जारी रखने का निवेदन किया है ताकि राज्य आवास निगम अपना कार्य पूरा करने में समर्थ हो सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में ग्रामीण और शहरी आवास कार्यक्रमों जिनमें आंध्र प्रदेश राज्य आवास निगम शामिल है, के लिए आवास एवं नगर विकास निगम लि. (हडको) से ऋण का अनुरोध किया था। पिछले दो वर्षों के दौरान हडको ने आंध्र प्रदेश राज्य आवास निगम के लिए निम्नानुसार धनराशि स्वीकृत की :

वर्ष	ऋण राशि (लाख रु.)
1999-2000	27385.80
2000-2001	39255.39
कुल	66641.19

(ग) और (घ) राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त होने पर हडको अपने दिशानिर्देशों के अनुसार उन पर विचार करता है। आंध्र प्रदेश सरकार व आंध्र प्रदेश आवास बोर्ड (एपीएचबी) हडको से आगे भी ऋण लेता रहेगा।

साइबरपोर्न के जरिये जेहादियों को संदेश

4484. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 फरवरी, 2001 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'इज लश्कर मेसेजिंग वाया साइबरपोर्न' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) देश में जेहादियों को साइबरपोर्न के जरिये ऐसा संदेश देने वालों का खुलासा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) प्रश्नगत समाचार में उल्लिखित मामले में अब तक की गई जांच से यह पता नहीं चला है कि जब्त किए गए कम्प्यूटरों में संग्रहित अश्लील सामग्री का इस्तेमाल किन्हीं कूट संदेशों को भेजने के लिए किया गया था। तथापि, दिल्ली पुलिस ने कम्प्यूटर विशेषज्ञों के परामर्श से मामले की पुनः जांच करने के उपाय किए गए हैं ताकि उपयुक्त कार्रवाई की जा सके।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ध्वज-संहिता

4485. श्री रामदास आठवले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी नगर दिल्ली के विभिन्न भवनों, सदनों, निवासों तथा आवासों पर राष्ट्रीय ध्वज तथा अन्य ध्वजों को फहराने के निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) दिल्ली स्थित उन राज्य भवनों/सदनों/निवासों/आवासों का ब्यौरा क्या है जिन पर राष्ट्रीय ध्वज अथवा अन्य ध्वज फहराये जाते हों;

(ग) क्या यह सुनिश्चित किया जाता है कि उन्हें इस संबंध में निर्धारित मानदंडों के अनुसार ही फहराया जाये; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) भारतीय झंडा संहिता, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज के सही उपयोग और प्रदर्शन के संबंध में अनुदेश दिए गए हैं, में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि आमतौर पर राष्ट्रीय ध्वज केवल महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों पर ही फहराया जाना चाहिए। अतः राष्ट्रीय ध्वज राज्य भवनों/सदनों/निवासों पर फहराया जाए। राज्य सरकारें यह सुनिश्चित कर रही हैं कि इस संबंध में मानदंडों और नियमों का अनुपालन हो।

[अनुवाद]

सरकारी भूमि का स्वामित्व

4486. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली सरकार के कार्मिकों को उस सरकारी भूमि, जिस पर 'च्यवन महर्षि अपार्टमेंट्स' नामक विवादग्रस्त आवासीय-परिसर बनाया गया था, के स्वामित्व से संबंधित कतिपय दस्तावेजों में कथित रूप से हेराफेरी करने का आरोपी ठहराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें किन व्यक्तियों को संलिप्त पाया गया है;

(ग) क्या इस संबंध में सी.बी.आई. ने कोई मामला दर्ज किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जिन व्यक्तियों का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में था उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है;

(ङ) ऐसे सभी मामलों का ब्यौरा क्या है, जो सी.बी.आई. की जांच हेतु लंबित हैं; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों में सी.बी.आई. की हार हुई और इसके क्या कारण थे?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) सरकारी भूमि पर 'च्यवन ऋषि अपार्टमेंट' नाम से ज्ञात अपार्टमेंट ब्लाकों के निर्माण के मामले में कागजातों की कथित जालसाजी और कूट रचना सहित उससे जुड़े सभी लेन देनों की जांच तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई के लिए उप मुख्य सतर्कता अधिकारी, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) को सौंप दिया गया है। शिकायत में श्री रिसाल सिंह, नायब तहसीलदार श्री छोटेलाल पटवारी, श्री भूम सिंह पटवारी, श्री जे.डी. जैन, श्री एस.एस. राठौर, यूटीसीएस अधिकारी रा.रा. क्षेत्र विभाग, दिल्ली के तत्कालीन अवर सचिव और श्री आर.एस. यादव, डीडीए के तत्कालीन उपनिदेशक (मास्टर प्लान) को नामजद किया गया है। सीबीआई ने 1 मार्च, 2001 को मामला (सं. आरसीडीए-1- 2001-ए-0025) दर्ज किया है।

(घ) सीबीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अनेक स्थानों पर तलाशी ली गई और अनेक जाली दस्तावेज आगे की जांच-पड़ताल के लिए जब्त किए गए हैं। लेकिन मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

(ङ) सीबीआई ने सूचित किया है कि इन आरोपों में सुलभ जानकारी के आधार पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राजस्व/भूमि और भवन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम के अज्ञात सरकारी अधिकारियों और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दिनांक 1/2/2001 को प्रारंभिक जांच (इंक्वारी) सं. पीइ-2(ए)/2001-डीएलआई दर्ज की गई है कि उक्त अधिकारियों तथा अन्य गैर सरकारी व्यक्तियों और लोक सेवकों ने अपने सरकारी दायित्वों के निर्वाह में गंभीर प्रशासनिक त्रुटियां की हैं और जानबूझकर कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया, और यही नहीं, कुछ अज्ञात गैर सरकारी व्यक्तियों को तुगलकाबाद फोर्ट की सरकारी भूमि कुछ अज्ञात गैर सरकारी व्यक्तियों को अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण के लिए गैर कानूनी ढंग से बेचने की अनुमति दी।

(च) सीबीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इसी तरह के आरोपों में पिछले 3 वर्षों के दौरान सीबीआई/एसीबी/दिल्ली ब्रांच द्वारा दर्ज कोई मामला समाप्त/असफल नहीं हुआ है।

आंध्र प्रदेश में शिक्षा हेतु विश्व बैंक की सहायता

4487. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक, आंध्र प्रदेश में विद्यालय-स्तर की गुणात्मक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 1,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने पर सिद्धांत रूप से सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस राशि को राज्य किन-किन परियोजनाओं पर व्यय करेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विश्व बैंक द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इमारती लकड़ी की तस्करी

4488. श्री थावरचंद गेहलोत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1998-99 तथा 2000 के दौरान आज तक कितने व्यक्तियों को पड़ोसी देशों की सीमाओं से देश में घुसपैठ करते हुए पकड़ा गया है;

(ख) कितने व्यक्तियों को सीमापार से तस्करी की गतिविधियों में संलिप्त पाया गया और जब्त की गई सामग्री का ब्यौरा क्या है;

ग) क्या सरकार को भारत-नेपाल सीमा से लगे क्षेत्र से करोड़ों रुपये मूल्य की इमारती लकड़ी की तस्करी किए जाने की खबर है; और

(घ) यदि हां, तो इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

औषधीय पादप

4489. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समस्त राज्यों सहित संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है, जहां औषधीय पादप उगाए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार और संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने औषधीय पादपों को उगाने के लिए संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि प्रदान करने का कोई प्रावधान किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) से (ङ) देश के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड (पर्यावरण और वन मंत्रालय) द्वारा औषधीय पादपों सहित गैर-इमारती लकड़ी वन उत्पाद (एन टी एफ पी) की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना चल रही है। यह योजना मुख्यतः निम्नीकृत वन क्षेत्रों में सीमित है। इसमें राज्य सरकारों को संरक्षण, विकास और औषधीय पादपों सहित गैर-इमारती लकड़ी वन उत्पाद के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 1999-2000 तक औषधीय पादपों को उगाने के लिए परियोजनाओं को अलग से स्वीकृति नहीं दी जाती थी। इसलिए केवल औषधीय पादपों के लिए अलग से कोई निधि न रखी गई थी और न ही जारी की गई। 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान औषधीय पादपों सहित एन टी एफ पी का स्वीकृत अनुदान क्रमशः 9.65 करोड़, 13.44 करोड़ और 17.55 करोड़ रुपये था। वर्ष 2000-2001 के दौरान पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा औषधीय पादपों को बल देने वाले क्षेत्रों में से एक माना गया है और वे परियोजनाएं जो केवल औषधीय पादप रोपण के लिए हैं उनको मौजूदा एन टी एफ पी योजना के अंतर्गत अलग से स्वीकृत किया जा रहा है। अब तक औषधीय पादप रोपण के लिये 17 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं और इनके लिए विभिन्न राज्यों में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान निधि का प्रावधान इस प्रकार है : आंध्र प्रदेश (27.65 लाख रु.); महाराष्ट्र (63.65 लाख रु.); हिमाचल प्रदेश (4.14 लाख रु.); मध्य प्रदेश (35.00 लाख रु.); राजस्थान (48.90 लाख रु.); केरल (19.00 लाख रु.); सिक्किम (16.80 लाख रु.); गोवा (10.80 लाख रु.); गुजरात (24.00 लाख रु.); कर्नाटक (54.82 लाख रु.); बिहार (46.30 लाख रु.); त्रिपुरा (3.25 लाख रु.); मणिपुर (15.04 लाख रु.); मिजोरम (12.65 लाख रु.); मेघालय (14.20 लाख रु.); तमिलनाडु (23.50 लाख रु.) और असम (23.95 लाख रु.)।

कृषि और सहकारिता विभाग (कृषि मंत्रालय) विभिन्न एजेंसियों के द्वारा औषधीय पादपों के विकास के लिए एक केंद्रीय योजना का भी क्रियान्वयन कर रहा है। 9वीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 14.50 करोड़ रुपये का परिव्यय आबंटन किया गया है जिसमें रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण, नर्सरियों और हर्बल उद्यानों, क्षेत्रीय विश्लेषणात्मक प्रयोगशालाओं, प्रदर्शन स्थलों की स्थापना, क्षेत्र विस्तार और किसानों का प्रशिक्षण शामिल है।

[हिन्दी]

भगत सिंह पर पाठ्यपुस्तक

4490. श्री माणिकराव होडल्या गावित :
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जनवरी, 2001 के 'नवभारत' में 'आजाद व भगतसिंह आतंकी थे' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का इस विषय में कोई जांच करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) यह लेख उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों से संबंधित है। इस समाचार में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का कोई उल्लेख नहीं है।

(ग) से (ङ) स्कूल शिक्षा एक समवर्ती विषय है जिसका कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रमुख जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि 21 जनवरी, 2001 को 'हिन्दुस्तान' में ऐसी ही रिपोर्ट प्रकाशित होने पर उन्होंने इस मामले की जांच करने का आदेश दे दिया है।

[अनुवाद]

संविधान की कार्यात्मकता की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग

4491. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री आशोक ना. मोहोल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान की कार्यात्मकता की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग ने कानून बनाने की अनुशंसा की है ताकि संसद द्वारा अंतरराष्ट्रीय संधियों का क्रियान्वयन तथा विनियमन किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) संविधान की कार्यात्मकता की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग ने अभी तक कोई सिफारिश नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

मेला और प्रदर्शनी में सुरक्षा संबंधी मानदंड

4492. श्री राघामोहन सिंह :
श्री रामजीवन सिंह :
श्री दिनेश चंद्र यादव :
डा. (श्रीमती) सुधा यादव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनोरंजन-पार्कों में लगने वाले विभिन्न मशीनचालित झूलों तथा फेरी इत्यादि पर निगरानी रखने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस (लाइसेंसिंग विभाग) द्वारा वहनयान-लाइसेंस देने के लिए वर्तमान में जो प्रणाली और सुरक्षा-मानदंड हैं, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वर्तमान प्रणाली की खामियों, यदि कोई हों तो, का पता लगाने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या दिल्ली के मनोरंजन-पार्कों में इन मानकों/मानदंडों का अनुपालन-निर्वहन नहीं किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या संबंधित नागरिक/पुलिस प्राधिकारी कभी इन मनोरंजन-पार्कों का दौरा करते हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) मनोरंजन पार्कों द्वारा नियुक्त अहर्ता प्राप्त इंजीनियरों द्वारा झूलों की फिटनेश के बारे में प्रमाणपत्र दिए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने दिल्ली स्थित दो मनोरंजन पार्कों के संबंध में मशीनचालित झूलों के लिए लाइसेंस जारी किए हैं। तथापि, प्रक्रिया को सुचारु बनाने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के विशेषज्ञों से मशीनचालित झूलों के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु उपयुक्त मानदंडों की सिफारिश करने का अनुरोध किया है।

(घ) से (च) मनोरंजन पार्क के इंजीनियर दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आधार पर झूलों का निरीक्षण करते हैं और इस संबंध में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य अग्निशमन सेवा अधिकारी एवं इलेक्ट्रीकल इंसपेक्टर द्वारा भी मशीनचालित झूलों का निरीक्षण किया जाता है। इन एजेंसियों द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही लाइसेंसों का नवीकरण किया जाता है।

मंत्रिमंडल की भूकंप संबंधी वैज्ञानिक सलाहकार समिति की अनुशंसा

4493. श्री विजय गोयल : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रिमंडल की भूकंप संबंधी वैज्ञानिक सलाहकार समिति से, गुजरात में आए भूकंप की घटना के मद्देनजर तत्काल लघु, मध्यम और दीर्घ प्रकृति की एकीकृत आयोजना पर विचार-विमर्श करने तथा अनुशंसा करने के लिए कहा गया था;

(ख) क्या उक्त समिति ने एक दीर्घावधिक भूकंप-पूर्वानुमान कार्यक्रम बनाने, भूकंप-साधनविन्यास के वर्तमान नेटवर्क को सशक्त करने तथा भूकंप-प्रवण क्षेत्रों को सूक्ष्म जोनो में विभाजित करने के संबंध में मिशन-स्तर पर कार्यक्रम शुरू करने की अनुशंसा की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और भूकंप आने के पूर्व ही लोगों को चेता देने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) जी, हां।

(ख) मंत्रिमंडल की वैज्ञानिक सलाहकार समिति ने 9 फरवरी, 2001 को आयोजित अपनी विशेष बैठक में विभिन्न अध्ययन कार्यों की सिफारिश की थी जिनमें संभावित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से एक दीर्घकालिक भूकंप पूर्वानुमान कार्यक्रम की शुरुआत करना, माइक्रोजोनेशन पर मिशनमोड कार्यक्रम और भूकंपीयता अंचलीकरण मानचित्र को अद्यतन करना इत्यादि शामिल है।

(ग) इन सिफारिशों के आधार पर समुचित प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्तावों/कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी गई है। तथापि, इस समय लोगों को सचेत कर पाना सम्भव नहीं है क्योंकि विश्व में कहीं भी वैज्ञानिक आधार पर अधिमान्य ऐसी कोई भी तकनीक उपलब्ध नहीं है जिसके द्वारा भूकंपों के आने के समय, अंतराल तथा तीव्रता की परिशुद्धता संबंधी तर्कसंगत डिग्री के बारे में भविष्यवाणी की जा सके।

खाद्य सामग्री/शीतल पेयों में प्रयुक्त होने वाले रंगों के दुष्प्रभाव

4494. श्री ए. नरेन्द्र : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विषवैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र (इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर) ने सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें खाद्य सामग्री तथा शीतल पेयों में निषिद्ध गंध वर्णों के उपयोग से जनित हानिकारक दुष्प्रभावों, जिनसे मानव स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है, के विषय में जानकारी दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज की सूक्ष्मस्तरीय आयोजनाओं की विवरणिका के संबंध में धनराशि

4495. श्री सुरेश चन्देल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने 31 जनवरी, 2000 को केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें, राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के उन्नयन की दृष्टि से, पंचायत सदस्यों को सूक्ष्म स्तरीय आयोजनाओं और मार्गदर्शी सिद्धांतों की जानकारी देने के उद्देश्य से 'पंचायत सदस्यों के लिए विवरणिका' नामक पुस्तिका के प्रकाशन और वितरण के लिए धनराशि आबंटित करने के लिए अनुरोध किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने पंचायत सदस्यों को लघु स्तरीय आयोजनाओं और 3.70 लाख रुपये की राशि के दिशा-निर्देशों की जानकारी देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार के पंचायत सदस्यों के लिए विवरणिका नामक पुस्तिका के वितरण और प्रकाशन हेतु प्रस्ताव को अनुमोदित किया था। जून, 2000 में भारत सरकार ने इसमें से 1.48 लाख रुपये की राशि पहली किस्त के रूप में जारी की थी।

[अनुवाद]

इस्पात पाइपों के बाजार में आर एस पी की अग्रता

4496. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर एस पी) को, इस्पात-पाइपों के बाजार में अग्रता बनाए रखने के लिए एक रणनीति बनाने के लिए निदेशित किया है;

(ख) यदि हां, तो राउरकेला का इस्पात संयंत्र इस्पात-पाइपों के बाजार में अपना प्रभाव जमाने में कहां तक सफल हुआ है;

(ग) क्या किसी एकल-उत्पाद के संबंध में एक दीर्घावधिक रणनीति तय करना परामर्शनीय है; और

(घ) यदि हां, तो इस तरह की गतिविधि से संबंध जोखिमों को कम करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी) : (क) सरकार द्वारा इस प्रकार के कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सोसायटीज अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संगठन

4497. श्री किरीट सोमैया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसायटीज एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन ही राष्ट्रीय अखंडता संवर्धन योजना के अंतर्गत अनावर्ती अनुदान सहायता हेतु आवेदन करने के पात्र हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार स्वैच्छिक संगठनों को आगे के वितरण हेतु कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या संबंधित स्वैच्छिक संगठन को धनराशि के उपयोग हेतु कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की जरूरत है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय अखंडता हेतु स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से और कार्यक्रम आयोजित करने के लिए और अधिक अनुदान देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ङ) जी हां, श्रीमान। स्कीम के अनुसार, गैर सरकारी संगठनों के प्रस्ताव पर केवल तभी विचार किया जाता है यदि इन्हें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी संस्तुति के साथ अग्रेषित किया गया हो। राष्ट्रीय अखंडता/सांप्रदायिक सौहार्द के निमित कार्य करने के लिए गैर सरकारी संगठनों इत्यादि को सहायतानुदान देने के लिए पिछले प्रत्येक तीन वर्षों, अर्थात 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान 10,00,000 रु. आबंटित किए

गए थे। आबंटन राज्य-वार नहीं किया जाता है लेकिन धन उन पात्र गैर-सरकारी संगठनों को ही आबंटित किया जाता है, जिनकी स्कीमें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संस्तुत की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को राज्य-वार रिलीज की गई धन राशि निम्न प्रकार से है :

राज्य का नाम	राशि
1998-99	
महाराष्ट्र	50,000
मणिपुर	85,400
तमिलनाडु	25,000
उत्तर प्रदेश	1,46,000
पश्चिम बंगाल	10,000
1999-2000	
आंध्र प्रदेश	24,000
हिमाचल प्रदेश	40,000
केरल	22,500
मणिपुर	15,000
पंजाब	35,000
पश्चिम बंगाल	25,000
2000-2001	
उत्तर प्रदेश	76,000

स्कीम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है। इसका नियमित रूप से प्रबोधन किया जाता है।

नेहरू प्लेस में सार्वजनिक स्थान का दुरुपयोग

4498. श्री सईदुज्जमा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यातायात पुलिस द्वारा पिछले कुछ वर्षों में जब्त किए गए वाहनों का अनधिकृत कबाड़खाना बनाकर सार्वजनिक स्थल के दुरुपयोग किये जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पुलिस शहर भर में थानों के बाहर भी ऐसा ही कर रही है जिससे जब्त किए वाहनों की चोरी होती है और वे बेकार हो जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या यातायात पुलिस को इस मामले में कानून का पालन करने के लिए और उपयुक्त सलाह दी जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) दिल्ली यातायात पुलिस के कालकाजी और ग्रेटर कैलाश सर्कल के कार्यालय नेहरू प्लेस में डी डी ए भवन में स्थित हैं। तदनुसार, पार्किंग अनुदेशों, यातायात मानदंडों आदि का उल्लंघन करने पर इन सर्किलों द्वारा जब्त किए गए वाहनों को, जब तक कि कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, सर्किल कार्यालय में पार्क किया जाता है।

(ग) से (ङ) कुछ मामलों में, पुलिस स्टेशन परिसरों में समुचित स्थान के अभाव में, जब्त किए गए कुछ वाहन पुलिस स्टेशन के साथ लगे स्थान में खड़े किए गए हैं। तथापि, इन वाहनों की सुरक्षा और बचाव समुचित निगरानी द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

दिल्ली में डीजल टैक्सियां

4499. श्री रघुनाथ झा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल टैक्सियां दिल्ली की सड़कों पर बगैर यूरो-II प्रमाण-पत्र के अवैध रूप में चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन टैक्सियों को चलाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) ऐसे मामले हुए जिनमें यूरो-II मानकों को पूरा किए बिना डीजल से चलने वाली टैक्सियां दिल्ली की सड़कों पर चलती पाई गई हैं। उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा ऐसी 83 टैक्सियां जब्त की गई हैं। टैक्सियों के मालिकों/ऑपरेटरों को निदेश दिए गए हैं कि वे संबंधित पंजीकरण प्राधिकरण से इस आशय का प्रमाण प्राप्त करें और उसे वाहन पर चिपकाएं कि वे वाहन यूरो-II मानकों के अनुकूल हैं।

'प्रयास' द्वारा आयोजित परामर्शदाता सत्र

4500. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री शिवाजी माने :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'प्रयास' द्वारा हाल में यूनीफेम के सहयोग से दक्षिण एशिया क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार के संबंध में एक दो दिवसीय परामर्शदाती सत्र का आयोजन किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके द्वारा दिए गए सुझावों और दी गई सिफारिशों सहित भाग लेनेवालों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और ऐसे अवैध व्यापार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां। 'प्रयास' द्वारा यूनिफेम के सहयोग से 20-21 फरवरी, 2001 को नई दिल्ली में 'महिलाओं तथा बच्चों के अवैध व्यापार तथा कानून प्रवर्तन पर क्षेत्रीय परामर्श बैठक' का आयोजन किया गया था।

(ख) परामर्श बैठक में संयुक्त राष्ट्र निकायों के प्रतिनिधियों, न्यायपालिका, पुलिस बल और गैर-सरकारी संगठनों के सदस्यों के अलावा, बांग्ला देश, श्रीलंका, नेपाल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। क्षेत्रीय परामर्श बैठक में की गई सिफारिशों से पीड़ित व्यक्तियों की वापसी, निवारण तथा निर्धनता जैसे मुद्दों के समाधान, सीमाओं पर पुलिस द्वारा सतर्कता को बढ़ाने, महिलाओं और बच्चों के व्यावसायिक शोषण के विरुद्ध पर्यटन उद्योग को एकजुट करने और महिला-पुरुष समानता को बढ़ावा देने तथा पीड़ित व्यक्तियों का उनके परिवारों और समुदायों में पुनर्वास करने के लिए देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते करना शामिल है।

(ग) सरकार देश के भीतर और देश से बाहर महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार से बहुत चिंतित है तथा सरकार ने निवारण, कानून और प्रवर्तन, वेश्यावृत्ति की शिकार महिलाओं को बुनियादी सेवाओं, बचाव पुनर्वास के प्रावधान, जागरूकता विकास और संघटन जैसी कार्यनीतियों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है। दक्षेस देशों ने, वेश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार के निवारण और रोकथाम पर एक क्षेत्रीय कन्वेंशन का मसौदा तैयार किया है। कन्वेंशन द्वारा अवैध व्यापार की घटनाओं को रोकने के लिए दक्षेस के सदस्य देशों द्वारा उपाय करने और परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने की अपेक्षा की गई है।

कार्य पूरा होने के लिए सार्वजनिक सूचना

4501. श्री चिन्तामन वनगा : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण एक सार्वजनिक सूचना के माध्यम से भूखंडों के सभी आबंटियों को 30 जून, 2001 तक निर्माण कार्य पूरा करने के लिए बार-बार कहता रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे हासिल होने वाले लक्ष्यों सहित इस कदम की पृष्ठभूमि क्या है;

(ग) क्या डी.डी.ए. ने आबंटित भूखंडों के नजदीक वाहनों के चलने योग्य सड़कें, पेयजल आपूर्ति, बिजली, यातायात सुविधाएं और संचार नेटवर्क आदि जैसी जरूरी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कालोनीवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन सुविधाओं के कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(च) क्या जिन आबंटियों को अब तक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, उनके लिए निर्देशों का पालन करना जरूरी नहीं है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि रिहायशी, औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत प्लाटों के आबंटियों/पट्टेदारों/उप-पट्टेदारों जिन्होंने निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद भी अपने प्लाटों पर भवन का निर्माण नहीं किया है तथा उन्हें 30.6.2001 तक निर्माण पूरा करने की सलाह दी गई है। ऐसा करने में विफल होने पर उनके पट्टे रद्द किए जा सकते हैं।

(ख) आबंटन/पट्टे के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार रिहायशी प्लाट के आबंटी/पट्टाधारी के लिए यह आवश्यक है कि वह कब्जा लेने की तारीख से दो वर्षों की अवधि के भीतर प्लाट पर निर्माण पूरा कर ले। इसके अतिरिक्त एक वर्ष की माफी-अवधि की और अनुमति है। चूक के मामले में प्लाट का पट्टा रद्द किया जा सकता है। इसलिए ऐसे सभी चूककर्ता पट्टेदारों को अपने हित में 30.6.2001 तक निर्माण पूरा करने की सलाह दी गई है। ऐसी अधिसूचना को जारी करने का प्रयोजन निर्मित स्थल/आवास की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने और भूमि में सट्टा प्रवृत्ति को रोकने हेतु निर्माण गतिविधि को बढ़ावा देना है।

(ग) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि रोहिणी रिहायशी स्कीम के सैक्टर 21 से 25 में डीडीए द्वारा आवंटित प्लाटों को छोड़कर उसके द्वारा विकसित सभी कालोनियों में अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध हैं। अधिसूचना उन कालोनियों के संबंध में लागू है जिनमें संपूर्ण अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(च) से (ज) ऊपर उल्लिखित अनुसार, अधिसूचना रोहिणी रिहायशी स्कीम के सैक्टर 21 से 25 में डीडीए द्वारा आबंटित प्लाटों के संबंध में लागू नहीं है।

[हिन्दी]

गुजरात में विश्वविद्यालय

4502. श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री बाबूभाई के. कटारा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में गुजरात में कितने विश्वविद्यालय हैं और गत पांच वर्षों के दौरान कितने नये विश्वविद्यालय खोले गए हैं; और

(ख) किन आधारों और नियमों पर नये विश्वविद्यालय, स्कूल और कालेज खोले जाते हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) गुजरात सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दो सम विश्वविद्यालयों सहित राज्य में 12 विश्वविद्यालय हैं। विगत पांच वर्षों के दौरान गुजरात में केवल एक ही सम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है।

(ख) केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना संसद के अधिनियमों द्वारा और राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य विधानमंडलों के अधिनियमों द्वारा की जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नये विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए हैं जिनमें यह व्यवस्था है कि राज्य द्वारा नया विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार करने से पहले संबंधित विश्वविद्यालय के प्रस्तावित क्षेत्राधिकार में उच्चतर शिक्षा के लिए सुविधाओं की उपलब्धता का विस्तृत सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। सर्वेक्षण के प्रारम्भ से ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भी इसमें शामिल करना चाहिए। राज्य सरकारों से यह भी आशा की जाती है कि उनके पास ऐसे पर्याप्त आंकड़े होने चाहिए जिनमें मौजूदा स्थिति का उल्लेख हो और अतिरिक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता के औचित्य का भी उल्लेख हो। आयोग ने इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को पहले ही सभी राज्य सरकारों को विचारार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित कर दिया है।

जहां तक केंद्रीय विश्वविद्यालयों का संबंध हैं यह उल्लेखनीय है कि ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा ऐतिहासिक अथवा सांस्कृतिक कारणों तथा केंद्र-राज्य संबंधों को ध्यान में रखकर की जाती है।

कॉलेजों की स्थापना राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/गैर सरकारी प्रबंधनों/न्यासों द्वारा क्षेत्र विशेष में उच्चतर शिक्षा की आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर की जाती है।

विद्यालय शिक्षा प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का उत्तरदायित्व है। विद्यालय राज्य शिक्षा अधिनियम/नियमों के अनुसार खोले जाते हैं। विद्यालयों को मान्यता राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दी जाती है। विद्यालय, उस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिससे वे संबद्ध होते हैं, द्वारा निर्धारित संबद्धता-उप-नियमों द्वारा संचालित किए जाते हैं। प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन ने विद्यालयों को खोलने के लिए मानदंड भी बनाए हैं।

[अनुवाद]

औषधि पादप बोग मिरताल पर अनुसंधान

4503. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार का ध्यान दिनांक 23 फरवरी, 2001 के क्षेत्रीय तेलुगु दैनिक 'ईनाडु' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने पाया है कि औषधीय पादप 'बोग मिरताल' में औषधीय गुण हैं और इसमें कई आधुनिक रोगों को ठीक करने का गुण भी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार का विचार हमारे देश में इस औषधीय पादप पर आगे अनुसंधान करने के लिए इसके ब्यौरे के बारे में जानकारी प्राप्त करने का है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) और (ख) बोग मिरताल (वानस्पतिक नाम : मिरिका गेले) जिसे बेबेरी अथवा डच मिरताल के नाम से भी जाना जाता है अधिकतर उत्तरी गोलार्ध के उच्चतर अक्षांस, विशेषकर ब्रिटेन में पाया जाता है और इस पादप का औषधीय एवं अन्य उपयोग किया जाता है। क्योंकि यह पादप हमारे देश में सामान्यतया नहीं पाया जाता, इस पादप पर अनुसंधान के कोई कार्यक्रम नहीं हैं। तथापि और बहुत सी स्वदेशी पादप प्रजातियां उपलब्ध हैं जिनकी विशेषताएं बोग मिरताल के लगभग अनुरूप है। भारत में पाई जानेवाली मिरिका की प्रजातियां मिरिका नागि, मिरिका इस्क्यूलेन्टा की पर्याय हैं जो पशु मानकों में दबाव और विषालुता को कम करती हैं। पशु मानकों पर एम नागि का मधुमेह-रोधी प्रभाव भी देखा गया है।

नार्थ-ईस्ट हिल विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति

4504. श्री पी.आर. किन्डिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्थ-ईस्ट हिल विश्वविद्यालय, शिलांग में काफी समय से कोई कुलपति नहीं है;

(ख) क्या कुलपति को नियुक्त करने के लिए चयन समिति का गठन काफी समय से किया गया है और इसकी रिपोर्ट की अभी भी प्रतीक्षा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय के अधिनियम और संविधियों के अनुसार इस विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति विजिटर अर्थात भारत के राष्ट्रपति द्वारा कम से कम तीन व्यक्तियों के पैनल में से की जाती है और इन व्यक्तियों के पैनल की अनुशंसा सर्च कमेटी द्वारा की जाती है जिसके तीन सदस्य होते हैं। इस सर्च कमेटी के दो सदस्यों का नामांकन विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा तथा तीसरे सदस्य का नामांकन विजिटर द्वारा किया जाता है। सर्च कमेटी का गठन किया जा चुका है और इस मामले पर कार्यवाही की जा रही है।

चेन्नई में महासागर विकास और अनुसंधान केंद्र

4505. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेन्नई में महासागर विकास और अनुसंधान संबंधी कोई संस्थान/केंद्र है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान संस्थान/केंद्र को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान चेन्नई केंद्र में कोई अनुसंधान-परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई, वितरित की गई और प्रयुक्त की गई;

(ङ) क्या महासागर विकास पर अनुसंधान और विकास कार्य शुरू करने हेतु किसी नये प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) जी, हां। महासागर विकास विभाग का एक स्वायत निकाय राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान मिशन पद्धति में अनेक प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम चलाता है। ये हैं : (I) समुद्र ऊर्जा (II) गहरा समुद्र खनन और प्रौद्योगिकी (III) तटीय एवं पर्यावरणीय इंजीनियरी (IV) समुद्री यंत्रीकरण।

इसके अलावा राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान विभाग के निम्नलिखित प्रौद्योगिकी सहयोग कार्यक्रम भी क्रियान्वित कर रहा है :

(I) द्वीपों के लिए समुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी।

(II) राष्ट्रीय आंकड़ा प्लवक कार्यक्रम।

(III) बहुधात्विक पिण्डिका (पीएमएन) कार्यक्रम के लिए प्रौद्योगिकी विकास (खनन)।

(IV) दो तटीय अनुसंधान जलयानों के लिए जलयान प्रबंधन कक्ष।

(V) तटीय समुद्र मानीटरन एवं पूर्वानुमान प्रणाली (कोमेप्स) कार्यक्रम के लिए भौतिक समुद्र वैज्ञानिक अध्ययन।

(VI) इन्नौर संकरी खाड़ी तथा तटीय समुद्र चेन्नई में अपशिष्ट समावेशन क्षमता और अपशिष्ट भार आबंटन का निर्धारण।

कार्यक्रमों और सुविधाओं के लिए आबंटित, संवितरित और उपयोग की गइ निधियों का विवरण निम्नानुसार है :

(रु. करोड़ में)

परियोजना का नाम	1998-2001* के दौरान आबंटन/संवितरण	1998-2001** के दौरान व्यय
मिशन पद्धति कार्यक्रम अर्थात् समुद्र ऊर्जा, गहरा समुद्र खनन, तटीय एवं पर्यावरणीय इंजीनियरी, समुद्री यंत्रीकरण एवं सुविधाएं	55.18	52.81
जलयान प्रबंधन कक्ष	8.39	8.23
राष्ट्रीय आंकड़ा प्लवक कार्यक्रम	17.03	13.54
बहुधात्विक पिण्डिका कार्यक्रम के लिये प्रौद्योगिकी विकास (खनन)	15.05	13.93
द्वीपों के लिए समुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी	3.29	2.36
कोमेप्स कार्यक्रम के लिए भौतिक समुद्र वैज्ञानिक अध्ययन	1.14	0.74
इन्नौर संकरी खाड़ी तथा तटीय समुद्र चेन्नई में अपशिष्ट समावेशन क्षमता और अपशिष्ट भार आबंटन का निर्धारण	0.97	0.60
कुल जोड़	101.05	92.21

* इसमें वर्ष 1997-98 की खर्च न की गई राशि भी शामिल है।

** 2000-2001 की अवधि के व्यय की लेखापरीक्षा की जानी है।

(ङ) और (च) समुद्र ऊर्जा मिशन के अंतर्गत समुद्र तापीय ऊर्जा रूपांतरण (ओटेक) कार्यक्रम तथा उथला संस्तर खनन के संयुक्त प्रौद्योगिकी विकास समुद्री निर्जीव संसाधनों के लिए राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा शुरू की गई दो प्रमुख अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं हैं।

आई.एस.आई. की गतिविधियां

4506. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :
श्री शीशराम सिंह रवि :
श्री शिवाजी माने :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 13 मार्च, 2001 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार के अनुसार उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से आई.एस.आई. की गतिविधियां वाले क्षेत्र हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न खुफिया एजेंसियां/सुरक्षा एजेंसियां देश में आई.एस.आई. एजेंटों/गतिविधियों के छिपने के स्थानों का पता लगाने में विफल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सुरक्षा एजेंसियों ने गत एक वर्ष के दौरान और आज तक राज्यवार आई.एस.आई. की कितनी गतिविधियों का पता लगाया;

(घ) क्या केंद्र सरकार का विचार देश में आई.एस.आई. की गतिविधियां को रोकने के लिए तंत्र को सुदृढ़ करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ङ) सरकार को यह जानकारी है कि पाकिस्तान की आई एस आई उत्तर प्रदेश के कतिपय भागों सहित देश के विभिन्न भागों में आतंकवाद को उकसाने और समर्थन देने में संलिप्त है।

आई एस आई की गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार ने सुसमन्वित और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें सीमा प्रबन्धन का सुदृढ़ीकरण, आसूचना तंत्र को सक्रीय बनाना, समन्वित आसूचना पर आधारित अभियानों द्वारा आई एस आई की योजनाओं को विफल करना, सुभेद्य क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की चौकियों की स्थापना और उन्नत अत्याधुनिक हथियारों और संचार प्रणाली आदि के साथ पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन शामिल है, ताकि स्थिति से निपटा जा सके।

केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को देश में आई एस आई के खतरे की आशंका और गतिविधियों के संबंध में भी सुग्राही बनाती रही है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारियों का आदान-प्रदान करने के साथ-साथ ऐसी गतिविधियों का मुकाबला करने हेतु रणनीतियां बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ आवधिक समन्वय बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। स्थिति से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां एक साथ मिलकर कार्य कर रही हैं। तथापि, राज्यों द्वारा पकड़े गए आई एस आई कार्यकर्ताओं के ब्यौरे सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

गो-हत्या

4507. श्री शीशराम सिंह राव :
श्री शिवाजी माने :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में गो-हत्या पर रोक लगाने और नियंत्रण करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी गायों की हत्या की गई;

(ग) क्या न्यायालय के निर्देशानुसार दिल्ली पुलिस आयुक्त ने गो-हत्या की जांच का आदेश दिया था;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या; और

(ङ) जांच के क्या परिणाम निकले और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) पशुधन का संरक्षण, सुरक्षा और सुधार तथा पशुओं में बीमारियों की रोकथाम एक ऐसा मामला है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 246(3) के अंतर्गत राज्य विधान मंडलों को ही कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मणिपुर राज्यों ने गाय और उसकी सन्तान की हत्या पर प्रतिबंध अथवा रोक लगाने के लिए कानून बनाए हैं। अतः गायों की हत्या के आंकड़े केंद्र सरकार द्वारा नहीं रखे जाते।

(ग) से (ङ) मैट्रोपोलिटेन मेजिस्ट्रेट के न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जांच से दिल्ली में इस प्रकार की कोई घटना होने का पता नहीं चला है।

स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड

4508. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड में नयी पूंजी लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा/लक्ष्य क्या है;

(ग) क्या इस संयंत्र के लाभ में चलने की कोई संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में एक व्यापक योजना बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड को सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की बकाया राशि को विनिवेश करने से पूर्व साम्या में परिवर्तित करने की मंजूरी दी है। सरकार ने सिल को सरकार द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार शास्तिक ब्याज सहित ब्याज को बट्टे खाते डालने की सिफारिश की है।

(ग) और (घ) सरकार ने सिल में 100% सरकारी साम्या का विनिवेश करने का निर्णय लिया है तथा कंपनी के विनिवेश के लिए मैसर्स ए.एफ. फर्गुसन को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

[हिन्दी]

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

4509. श्री पी.आर. खूंटे : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अर्द्ध सैन्य बलों में युवाओं की भर्ती करके विकास और रोजगार के अवसर सृजित करने की कोई योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख तक राज्य-वार इन क्षेत्रों के कितने युवाओं को रोजगार दिया गया है; और

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए विकास का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (घ) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी) सीमा के निकट स्थित दूर-दराज, दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने की योजनाओं के लिए राज्यों को विशेष केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन स्कीमों को शुरू किया जाएगा जो आवश्यक जरूरतों की वस्तुओं की कमी, सामाजिक मूलभूत संरचना को मजबूत करने, सड़क नेटवर्क की आपूरित जगहों को पूरा करने आदि के निमित होती है। रोजगार के अवसरों के सृजन और उत्पादनोन्मुखी कार्यों संबंधी योजनाओं पर भी बल दिया जाता है। इस कार्यक्रम में अर्द्ध सैनिक बलों में युवकों की भर्ती का प्रावधान नहीं है। तथापि उन सीमावर्ती राज्यों के लिए जहां पर संबंधित केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल तैनात किए जाते हैं, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और असम राइफल्स में कांस्टेबल/राइफलमैन में रिक्तियों के 10% पद आरक्षित करने के अलग से निर्देश हैं।

राज्य सरकारें, ऊपर उल्लिखित व्यापक परिमाण को ध्यान में रखते हुए बी ए डी पी के अधीन कार्यान्वयन के लिए शुरू की जाने वाली योजनाओं का निर्णय करती है।

[अनुवाद]

विद्युत की कमी का आर.जी.एन.डी.-डब्ल्यू.एम. पर असर पड़ना

4510. श्री राम टहल चौधरी : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विद्युत की आपूर्ति में कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही ऑपरेशन प्रोजेक्टेड वाटर सप्लाई स्कीम पर इसका असर पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या आर.जी.एन.डी.डब्ल्यू.एम. भी विद्युत कमी के विपरीत प्रभाव का सामना कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या को कम और हल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) जल आपूर्ति राज्यों का विषय होने के कारण ग्रामीण बसावटों में पेयजल आपूर्ति सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों में से कार्यान्वित की जाती है। केंद्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ग्रामीण पेयजल के अंतर्गत वित्तीय सहायता मुहैया कराकर राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं बनाने, स्वीकृत करने तथा कार्यान्वित करने की शक्तियां राज्य सरकारों को सौंपी गई है। सामान्यतया ग्रामीण बसावटों में जल आपूर्ति हैंडपंपों, नलकूपों, प्राकृतिक झरनों से ग्रेविटी योजनाएं अथवा पाइपों द्वारा जल आपूर्ति योजनाएं आदि के जरिए की जाती हैं। विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता केवल नलकूपों और पाइपों द्वारा जल आपूर्ति योजनाओं के लिए होती है और वह भी तब ही जब योजना संचालित की जाती है। राज्य सरकारों द्वारा बिजली की कमी की वजह से जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन में आने वाली किसी प्रमुख समस्या को केंद्र सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

सीमा सुरक्षा बल में जलयानों, घोड़ों और ऊंटों की कमी

4511. श्री रामजी मांझी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल जलयानों, घोड़ों और ऊंटों की कमी का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए जिससे सीमा सुरक्षा बल को अपने कार्य के निर्वहन में मदद मिल सके?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। सामान्य बरबादी अथवा नए अनुमोदन के कारण सीमा सुरक्षा बल में कुछ नौकाओं, घोड़ों और ऊंटों की कमी है।

(ग) नौकाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी होने की अंतिम अवस्था में है। बी एस एफ ने ऊंट और घोड़े प्राप्त करने हेतु अपने फ्रंटियरों को अधिकृत कर दिया है।

पुलिस रिकार्ड का मानकीकरण

4512. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ने पूरे देश में पुलिस रिकार्ड के मानकीकरण हेतु एक समान जांच फार्म तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा राज्य पुलिस द्वारा मानकीकृत फार्मों को अपनाने में उनकी मदद करने और उनके पूर्ण कम्प्यूटरीकरण करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) नई प्रणाली में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट में गड़बड़ी की सम्भावना को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ने सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों में पुलिस स्टेशन स्तर पर और न्यायालयों में समान रूप से प्रयोग करने हेतु एकीकृत जांच प्रपत्र (आई आई एफ) के रूप में जाने वाले 7 प्रपत्रों का एक सैट, निम्नलिखित उद्देश्य से राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को संस्तुत किया है :

(i) जांच पड़ताल के मानकों और प्रक्रिया में एकरूपता लाना।

(ii) स्रोत से ही अच्छी गुप्त की सूचना अविलम्ब प्राप्त की जाएगी।

(iii) फील्ड अधिकारियों और पुलिस स्टेशन के स्टाफ को अलग से कम्प्यूटर इनपुट फार्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी, जो उनके लिए लिखाई का अतिरिक्त कार्य होता है।

(iv) गुम/बरामद, संख्यांकित/अभिज्ञेय सम्पत्तियों के बारे में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना।

(v) एक स्थान से गिरफ्तार व्यक्तियों और जिनकी तलाश अन्य स्थान पर हो, के बीच में समन्वय करने में सहायता करना।

(ग) जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब सरकारों को छोड़कर सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने आई आई एक्स के कार्यान्वयन हेतु अधिसूचना जारी कर दी है। इन दोनों राज्य सरकारों को आई आई एक्स स्वीकार करने के लिए राजी किया जा रहा है।

सम्पूर्ण देश में फैले 32 राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एस सी आर बी एक्स) और 706 जिला अपराध रिकार्ड ब्यूरो को आधुनिकीकरण अनुदानों के अधीन, केंद्र सरकार से कम्प्यूटर (हार्डवेयर) उपलब्ध कराए गए हैं।

(घ) एफ आई आर एक बार कंम्प्यूटर में डाल देने से, एफ आई आर की 6 प्रतियां बन जाएंगी और प्रत्येक प्रति, नीचे दर्शाए अनुसार, अधिकृत व्यक्ति को विशेष रूप से मार्क होगी :

(i) शिकायतकर्ता

(ii) न्यायालय

(iii) जांच-पड़ताल अधिकारी/केस फाइल

(iv) पुलिस स्टेशन अभिलेख

(v) जिला पुलिस चीफ

(vi) पर्यवेक्षी अधिकारी

तत्पश्चात् एफ आई आर स्थाई रूप से लॉक हो जाएगी और कोई भी इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा। आंकड़ों की शुद्धता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ऑपरेटिंग सिस्टम स्तर और प्रयोगकर्ता स्तर पर कम्प्यूटर में ही सुरक्षा चैक्स उपलब्ध कराए गए हैं।

पब्लिक स्कूलों का कार्यकरण

4513. श्रीमती श्यामा सिंह :
डा. रमेश चंद तोमर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही केंद्र सरकार को राजधानी के अनेक पब्लिक स्कूलों के कार्यकरण में भारी अनियमितताओं की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पब्लिक स्कूलों हेतु नियमों और विनियमों के अभाव में स्कूलों के प्रबंधन द्वारा अनियमितताओं की घटनाओं में दिनोदिन बढ़ोतरी हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार का विचार इन अनियमितताओं को रोकने के उद्देश्य से पूरे देश में पब्लिक स्कूलों के लिए कुछ नियमों और विनियमों को लागू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने यह सूचना दी है कि यादृच्छिक आधार पर चुने गए 20 स्कूलों के लेखाओं की लेखा परीक्षा के बाद जांच के दौरान कुछ पब्लिक स्कूलों के कार्यकरण में कुछ वित्तीय अनियमितताओं का पता चला है।

(ख) मुख्य तौर पर अनियमितताओं का संबंध जरूरत से अधिक फीस लेने, धनराशियों को स्कूलों से सोसायटी के पास अंतरित करने तथा विद्यार्थियों से ली गई फीस का दुरुपयोग करने से है।

(ग) से (ङ) दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम 1973 बिल्कुल स्पष्ट है और सरकार को अनियमितताओं को रोकने की शक्ति देते हैं।

'दिल्ली कितनी सुरक्षित है' पर सेमिनार

4514. श्री अधीर चौधरी :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में 'दिल्ली कितनी सुरक्षित है' संबंधी एक सेमिनार आयोजित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सेमिनार में हुए विचार-विमर्शों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) नगर के नियोजित विकास के विभिन्न पहलुओं तथा शहरी विकास के अन्य पहलुओं पर चर्चा की गई।

ह्यूमन जीनोम

4515. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानव-जीन के विस्तृत मानचित्रण के संबंध में वैज्ञानिकों के नवीनतम निष्कर्षों—जिनसे मनुष्य की आस्तित्विक-संरचना के मूल उपादानों के विषय में एक अधिक स्पष्ट प्राथमिक नियमावली बनाना संभव हो पा रहा है—को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नवीन औषधियों को विकसित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्य को गति दिए जाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जाएगी और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों का पुनर्गठन

4516. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों का पुनर्गठन करने और अधिक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों को खोलने तथा इन कॉलेजों में दाखिले हेतु नियमों में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां। उच्च अधिकार प्राप्त समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार का प्रस्ताव क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों को पुनर्गठित करने का है। तथापि इस समय और क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रवेश के लिए नियमों में संशोधन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दुर्गापुर रय्यतवाड़ी खान दुर्घटना

4517. श्री नरेश पुगलिया : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 मार्च 2001 को महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के दुर्गापुर रय्यतवाड़ी खान में एक दुर्घटना घटी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस दुर्घटना में कितने खनिक मारे गए;

(घ) मृतकों के आश्रितों को कितना मुआवजा दिया गया है ;

(ङ) क्या सरकार ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने हेतु कोई जांच कराई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(छ) इस संबंध में लापरवाह पाये गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दुर्घटना में छह खनिक मारे गए थे। ब्यौरा निम्नानुसार है :

दुर्घटना की तारीख तथा समय	खान/क्षेत्र का नाम	मृतक का नाम तथा पदनाम	दुर्घटना का स्थान	संक्षिप्त विवरण
5.3.2001 को 12.30 बजे अपराह्न प्रथम पाली	दुर्गापुर रय्यतवारी कोलियरी, चन्द्रपुर क्षेत्र	1. डी.पी. राव, खनन सरदार 2. एस. कल्लू, शॉट फायरर 3. एस.डी. श्रीरामे, रूफ बोल्टिंग कर्मी (क्रू) 4. पी.के बाबूलाल, लोडर 5. सी.आर. आम्टे, ट्रामर 6. आर.आर. नेत्रु, लोडर	डिपिलिरिंग पेनल सं.17 के 14 वें लेवल के 50 और 51 डिप के बीच।	जब स्लाइस को हटाने के लिए लोग ऊपरी हिस्से में कार्य कर रहे थे, ऊपर और नीचे के हिस्से के बीच का कोयले का विभाजक धंस गया और व्यक्तियों तथा ऊपरी हिस्से की छत वाली मिट्टी के साथ ढह गया। सभी छह व्यक्ति मिट्टी तथा कोयले में दब गए और उनकी मृत्यु हो गई।

(घ) आश्रितों को दिए गए मुआवजे और अन्य लाभों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

नाम और पदनाम	जीवन बीमा	अनुग्रह राशि		अंत्येष्टि खर्चा	मुआवजा	ग्रेच्युटी
		डब्ल्यू. सी.एल.	कोयला राज्य मंत्री द्वारा			
1. डी.पी.राव, एम.एस.	30000	25000	125000	1700	135508	153770
2. एस.कल्लू, एस.एफ.	30000	25000	125000	1700	153090	151676
3. डब्ल्यू डी. श्रीरामे, रूफ बोल्टिंग क्रू	30000	25000	125000	1700	181370	48254
4. पी.के. बाबूलाल, लोडर	30000	25000	125000	1700	215280	39575
5. सी.आर. आम्टे, ट्रामर	30000	25000	125000	1700	153090	124270
6. आर.आर नेत्रू, लोडर	30000	25000	125000	1700	135560	149884

(ङ) और (च) श्रम मंत्रालय के अंतर्गत खान सुरक्षा महानिदेशालय ने जो कि खान अधिनियम के अनुसार कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच की है।

(छ) डब्ल्यू.सी.एल. प्रबंधन ने अपनी तरफ से सर्वश्री यू.के. कावले, प्रबंधक, बी.वी. हस्ते, सुरक्षा अधिकारी, एस.डी. ओझा, वरिष्ठ सर्वेक्षण अधिकारी, संजय शुक्ला, वरि.यू.एम. (एस.जी.) और एन.दास, खनन सरदार को स्वतः निलंबित कर दिया है। इस संबंध में, आंतरिक सुरक्षा संगठन की जांच रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के बाद आगे कारवाई की जाएगी।

तमिलनाडु विश्वविद्यालय में आरक्षित रिक्तियां

4518. श्री. ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु विश्वविद्यालय और इसके अधीन महाविद्यालयों में शैक्षिक कर्मचारियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों में से दो प्रतिशत रिक्तियों को भी नहीं भरा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गुजरात में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास

4519. श्री. पी.एस. गढ़वी : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात के प्रत्येक भूकंप पीड़ित परिवार को जिलेवार विशेषकर कच्छ में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन आवासों का निर्माण कब तक शुरू और पूरा होने की संभावना है; और

(घ) इस पर कितना खर्च होने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री. एम. वैंकय्या नायडू) : (क) और (ख) कच्छ सहित गुजरात के भूकंप प्रभावित जिलों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के लिए एक लाख आवासों के निर्माण के लिए सहायता मुहैया कराई जानी है। निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या के जिले-वार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) और (घ) चूंकि आवासों के निर्माण के कार्यक्रम के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है अतः भूकंप प्रभावित जिलों में एक लाख आवासों के निर्माण की सुविधा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय खर्च लगभग 150 करोड़ रु. होने की उम्मीद है।

विवरण

जिले के नाम	निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या
अहमदाबाद	1000
अमरेली	500
बनासकंठा	1000
भरूच	1000
भावनगर	1000
जामनगर	4000
जूनागढ़	500
कच्छ	50000
पाटन	10000
पोरबंदर	1000
राजकोट	15000
सुरेन्द्रनगर	15000
कुल	100000

[अनुवाद]

कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास

4520. श्री. ए. वेंकटेश नायक : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-02 के दौरान महिलाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान कामकाजी महिलाओं और लड़कियों के लिए और अधिक छात्रावासों के निर्माण का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल भवनों के निर्माण/विस्तार हेतु सहायता के अन्तर्गत, स्वायत्त निकायों/गैर-सरकारी तथा अन्य संगठनों को अनुदान दिया जाता है। वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान दी गई राज्य-वार सहायता दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए, 9 करोड़ रुपए का योजना प्रावधान किया गया है।

(ख) और (ग) जी, हाँ। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, कम से कम 25 नए कामकाजी महिला होस्टल बनाने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। तथापि, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि नए होस्टलों के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव समय-बद्ध तरीके से यथाशीघ्र भेजें।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान कामकाजी महिला होस्टलों के निर्माण के लिए निर्मुक्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुदान दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त अनुदान (रुपये में)		
		1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	26,64,210	45,53,956	42,69,440
2.	अरुणाचल प्रदेश	86,896	—	6,04,733
3.	असम	4,76,807	4,99,218	18,13,050
4.	गुजरात	18,26,203	1,12,804	77,82,115
5.	हरियाणा	10,60,013	44,52,550	38,93,397
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	13,21,425

1	2	3	4	5
7.	जम्मू व काश्मीर	21,22,200	—	16,07,400
8.	कर्नाटक	2,53,84,607	1,16,16,657	1,33,89,310
9.	केरल	1,25,62,439	1,72,85,976	1,26,72,516
10.	मध्य प्रदेश	2,08,130	3,79,977	2,28,300
11.	महाराष्ट्र	78,66,879	60,90,276	79,85,779
12.	मणिपुर	1,33,378	17,54,137	6,50,137
13.	नागालैण्ड	1,46,250	13,25,606	14,36,381
14.	उड़ीसा	37,99,095	10,76,502	21,80,838
15.	पंजाब	15,24,128	—	6,30,068
16.	राजस्थान	2,11,950	70,650	—
17.	तमिलनाडु	60,65,642	32,98,909	41,87,991
18.	उत्तरांचल			17,90,000
19.	उत्तर प्रदेश	37,83,418	24,21,000	3,23,376
20.	पश्चिम बंगाल	35,34,599	1,03,42,406	1,39,840
21.	चण्डीगढ़	—	3,03,709	—
22.	दिल्ली	28,43,156	39,91,079	76,50,904
23.	पाण्डिचेरी	—	12,37,500	—
	कुल	7,73,00,000	7,08,12,912	7,45,57,000

रिक्त पदों का भरा जाना

4521. श्री राजनारायण पासी : क्या गृह मंत्री रिक्त पदों को भरे जाने के बारे में 20-12-99 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2984 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के अधीन डी.ए.एस.एस संवर्ग श्रेणी-1 की 244 रिक्तियों में से कुल कितनी रिक्तियों को भरा जा चुका है;

(ख) यदि किसी रिक्ति को नहीं भरा गया है तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन रिक्तियों को भरने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) 20 दिसम्बर, 1999 की स्थिति के अनुसार डी ए एस ग्रेड-1 में 244 रिक्तियों में से, वर्ष 2000 के दौरान 226 पद भर दिए गए हैं। शेष रिक्तियां, सील्ड कवर मामलों और प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात अधिकारियों के लिए व्यवस्था करने हेतु भरी नहीं जा सकी हैं।

[हिन्दी]

कुटेश्वर इस्पात खान

4522. श्री रामानंद सिंह : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटनी जिले में स्थित गेरटलाई इस्पात खान, (कुटेश्वर इस्पात खान) द्वारा गेरटलाई और आसपास के क्षेत्रों में किसानों से कितनी भूमि का अधिग्रहण इस्पात के खनन हेतु किया गया है;

(ख) क्या कुछ किसानों से अधिगृहित की गई भूमि के बदले मुआवजे की राशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया है और पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद भी बिना इसका नवीकरण किए खनन कार्य जारी है;

(ग) क्या सरकार ने भूमि की मुआवजा धनराशि के अतिरिक्त प्रत्येक किसान के परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने का आश्वासन दिया था लेकिन यह आश्वासन आज तक पूरा नहीं किया गया; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुरूप भूमि के संपूर्ण मुआवजे की और बेरोजगार किसानों को रोजगार दिलाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) मध्य प्रदेश के कटनी जिले में कोई कुटेश्वर इस्पात खान नहीं है। सेल के कच्चा माल प्रभाग की कटनी तहसील में कुटेश्वर नामक स्थान पर एक चूना पत्थर खान है। सेल द्वारा खनन कार्य के लिए गैरतलाई और आस-पास के क्षेत्र में 436.24 हैक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

(ख) अधिग्रहित की गई भूमि के बदले राज्य सरकार द्वारा मंजूर उचित मुआवजे का भुगतान किया गया था। किसी भी पट्टे की अवधि समाप्त नहीं हुई है। एक पट्टा 9.6.2001 तक वैध है और दूसरा पट्टा 14.5.2002 तक वैध है।

(ग) जी, नहीं। सेल ने किसी भी भू-स्वामी को रोजगार उपलब्ध करवाने का आश्वासन नहीं दिया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का राज्यों का दौरा

4523. श्री बसुदेव आचार्य : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दौरा किया है और उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ख) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की उपेक्षा करते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) को भेजने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) ने जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान राज्यों, संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का दौरा किया। ये दौरे, मानवाधिकारों को संरक्षण और बढ़ावा देने, मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने और राज्य मानवाधिकार आयोग गठित करने की आवश्यकता, जहां राज्य आयोग गठित नहीं किए गए हैं, के बारे में राज्यों के मुख्य मंत्रियों पर प्रभाव डालने से संबंधित मुद्दों के संबंध में राज्य सरकारों को सुग्राही बनाने का उद्देश्य से किए गए थे।

(ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले में राज्य प्राधिकारियों द्वारा मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन और जानबूझकर कार्रवाई न करने के आरोपों की एक शिकायत को 29 दिसम्बर, 2000 को संज्ञान में लिया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामला सं. 624/25/2000-2001 में दिनांक 14 फरवरी, 2001 की अपनी कार्यवाहियों के तहत इस मामले में पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग की तुलना में अपने क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर विचार किया। आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला कि उसकी कार्रवाईयां मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के उपबंधों के अनुसार थी।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

4524. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम अनिवार्यतः गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों में स्व-रोजगार सृजित करने के लिए एक लघु ऋण योजना है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा आज तक राज्य-वार लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्यक्रम ने ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है;

(घ) यदि हां, तो अब तक राज्य-वार हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कार्यक्रम में निरन्तर कमी की जा रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो उक्त अवधि के दौरान उसके अंतर्गत राज्य-वार कितना आवंटन किया गया?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी) का मूलभूत उद्देश्य सरकारी सब्सिडी तथा बैंक ऋण को मिलाकर इसके जरिए ग्रामीण गरीबों को सहायता मुहैया कराना था, ताकि आय-सृजक परिसम्पत्तियां प्राप्त की जा सकें। मौजूदा स्व-रोजगार कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई) बनाने के लिए 1.4.1999 से आई.आर.डी.पी. और इससे सम्बद्ध कार्यक्रमों को मिला दिया गया है।

(ख) 1998-99 के दौरान आई.आर.डी.पी. के अंतर्गत सहायताप्राप्त परिवारों की संख्या और 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान एस.जी. एस.वाई के अंतर्गत सहायताप्राप्त स्वरोजगारियों की संख्या से संबंधित राज्यवार जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) उक्त अवधि के दौरान गरीबी रेखा से ऊपर उठे लोगों के प्रतिशत का विश्वस्त आकलन उपलब्ध नहीं है।

(ङ) और (च) वर्ष 2000-2001 के दौरान एस.जी.एस.वाई के अंतर्गत केन्द्रीय आबंटन को 1999-2000 की तुलना में कम कर दिया गया है। एस.जी.एस.वाई. का कार्यान्वयन प्रक्रिया उन्मुख है और समूह के बनने से लेकर इसकी आर्थिक गतिविधि के लिए सहायता का पात्र बनने में लगभग एक वर्ष का समय लगता है। एस.जी.एस.वाई. के उचित कार्यान्वयन के लिए शुरू किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. राज्य/डी.आर.डी.ए. और क्षेत्र स्तरीय कार्यकर्त्ताओं एवं बैंक अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं उन्हें संवेदनशील बनाना।
2. ऋतु सुविधाओं के संबंध में रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड और वाणिज्य बैंकों के साथ नियमित परामर्श।
3. एस.जी.एस.वाई. उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी।
4. वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान ढांचागत विकास के लिए 40 प्रतिशत तक के व्यय की अनुमति।
5. स्व-सहायता समूहों के विकास में गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी।
6. मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्टों के जरिए कार्यक्रम की निगरानी।
7. संबंधित राज्य स्तरीय समन्वय समिति (राज्य स्तर पर) द्वारा कार्यक्रम की समीक्षा।
8. कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तरों पर सतर्कता एवं निगरानी समितियों का गठन (स्थानीय संसद सदस्य तथा विधायक, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समितियों के सदस्य होते हैं)।

(छ) वर्ष 1998-99 के दौरान आई.आर.डी.पी तथा वर्ष 1999-2000 एवं 2000--2001 के दौरान एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत राज्य वार आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1998-99 से 2000-01 तक पूर्ववर्ती आई.आर.डी.पी और एस.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या और कुल आबंटन

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आई.आर.डी.पी. 1998-99		एस.जी.एस.वाई 1999-2000		2000-2001	
		कुल आंबटन	सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या	कुल आंबटन	सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की संख्या	कुल आंबटन	सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	7734.30	140880	8292.73	165190	7070.71	58774
2.	अरुणाचल प्रदेश	403.82	12432	182.32	3060	369.21	630
3.	असम	10492.72	47264	4737.45	17974	9593.57	9996
4.	बिहार	25336.66	176213	27166.08	106393	16822.35	109386
5.	छतीसगढ़	—	0	—	—	3734.51	15262
6.	गोवा	17.82	895	79.71	0	66.67	16
7.	गुजरात	2911.34	39598	3121.53	19341	2661.53	20644
8.	हरियाणा	1712.78	16743	1836.48	17348	1565.83	15000
9.	हिमाचल प्रदेश	721.32	7331	773.41	8638	659.56	9540
10.	जम्मू व कश्मीर	892.74	13992	957.20	5835	816.13	3726
11.	झारखण्ड	—	—	—	—	6340.44	30113
12.	कर्नाटक	5840.48	88007	6226.20	19184	5339.37	19280
13.	केरल	2620.60	39836	2809.83	29485	2395.76	20597
14.	मध्य प्रदेश	12842.50	126617	13769.77	112118	8006.11	37260
15.	महाराष्ट्र	11545.22	145667	12378.81	87994	10554.64	36668
16.	मणिपुर	703.42	1638	317.59	एन.आर.	643.15	0
17.	मेघालय	788.10	4219	355.83	741	720.56	789
18.	मिजोरम	182.36	3138	82.33	0	166.75	728
19.	नागालैण्ड	540.60	5773	244.08	4749	494.27	1376
20.	उड़ीसा	8846.44	105008	9485.20	14633	8087.41	52200
21.	पंजाब	832.40	10357	892.51	1694	760.97	8465
22.	राजस्थान	4434.88	62922	4755.12	34120	4054.36	33425
23.	सिक्किम	201.90	1937	91.17	686	184.60	1281
24.	तमिलनाडु	6838.82	142813	7332.59	65427	6252.04	40819
25.	त्रिपुरा	1270.06	18816	573.44	8450	1161.23	3081
26.	उत्तर प्रदेश	27883.22	391832	29896.51	60647	24218.13	75230
27.	उत्तरांचल	—	—	—	—	1272.60	69
28.	पश्चिम बंगाल	9831.06	71134	10540.91	88826	8987.55	14166
29.	अण्डमान निकोबार द्वीप स.	69.58	604	59.78	795	50.00	428
30.	दादरा व न. ह.	41.53	119	59.78	एन.आर.	50.00	0
31.	दमन व दीव	27.43	71	59.78	6	50.00	0
32.	लक्षद्वीप	6.85	9	59.78	3	50.00	20
33.	पांडिचेरी	56.83	1317	59.78	531	50.00	34
	कुल	145627.78	1677182	147233.70	933868	133250.00	619003

एन आर—असूचित एस जी एस वाई—1.4.99 से शुरू हुई थी। ये राज्य 2000-2001 के दौरान अस्तित्व में आए।

नेल्लोर में इफ्को उर्वरक कारखाने की स्थापना

4525. श्री के. येरननायडू : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के नेल्लोर में इफ्को उर्वरक कारखाना स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास मंजूरी के लिए लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इसे कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) जिला नेल्लौर, आन्ध्र प्रदेश में 1736 करोड़ रुपए की अनुमानित पूंजी लागत से 7.68 लाख मी.टन यूरिया/वार्षिक क्षमता के एक नए अमोनिया-यूरिया संयंत्र की स्थापना करने हेतु इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफ्को) के एक प्रस्ताव का सरकार ने सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र में प्रस्तावित तीन अन्य यूरिया परियोजनाओं के साथ सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा निवेश मूल्यांकन की शर्त पर "सिद्धान्ततः" अनुमोदन कर दिया था। पी आई बी द्वारा इन परियोजनाओं का निवेश मूल्यांकन दिनांक 9.7.99 को हुई इसकी बैठक में किया गया था। पी आई बी द्वारा किए गए निवेश मूल्यांकन के आधार पर सरकार ने विचार किया और इन परियोजनाओं पर अन्तिम निवेश निर्णय लेने के लिए प्रस्ताव को आस्थागित कर दिया। मामले की तत्पश्चात समीक्षा की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि इफ्को की प्रस्तावित नेल्लौर परियोजना तथा अन्य यूरिया परियोजनाओं के संबंध में अन्तिम निर्णय लेने के लिए यह उचित समय नहीं है क्योंकि यह निर्णय दीर्घावधि उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति, डब्ल्यू टी ओ वचनबद्धताओं के तहत इस क्षेत्र को खोलने से घरेलू उर्वरक उद्योग पर प्रभाव, उर्वरकों के अद्यतन मांग-आपूर्ति पूर्वानुमानों, उर्वरक उत्पादन के लिए फीडस्टाक नीति और परिवर्तित परिस्थितियों में इन प्रस्तावित परियोजनाओं की व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में निदेशक मण्डल

4526. श्री भीम दाहाल : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के निदेशक मण्डल का पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में सेल के निदेशक मण्डल में गैर-कार्यकारी निदेशकों का प्रतिशत कितना है;

(घ) क्या गैर-कार्यकारी निदेशकों का प्रतिशत डी. पी.ई. के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (ग) जी, हां। 21 मार्च, 2001 से छह अतिरिक्त गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों को शामिल करते हुए हाल ही में सेल बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। इस प्रकार गैर-कार्यपालक निदेशकों की प्रतिशतता कुल संख्या की 52.6% हो गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इन्दिरा महिला योजना

4527. श्री रामदास आठवले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दिरा महिला योजना के प्रारम्भ से इसके उद्देश्यों तथा उपलब्धियों का राज्य-वार विशेषरूप से आदिवासी तथा दलित बहुल क्षेत्रों में ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से महाराष्ट्र में कितने महिला दल गठित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का देश के आदिवासी तथा दलित बहुल क्षेत्रों में प्रत्येक प्रखण्ड में 'इन्दिरा महिला योजना' प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) इन्दिरा महिला योजना, महिलाओं के सर्वांगीण विकास की स्कीम है, जिसके उद्देश्य निम्नलिखित थे :

(i) महिलाओं तथा क्षेत्रीय विभागों की सक्रिय भागीदारी द्वारा स्थानीय, खण्ड तथा जिला स्तरों पर क्षेत्रीय सेवाओं का संकेन्द्रण सुनिश्चित करना।

(ii) महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने की प्रक्रिया को गति प्रदान करने में दुर्लभ संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना।

(iii) विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों तथा महिला विशिष्ट विषयों और समान सामाजिक स्तर, कानूनी अधिकार (जैसे पैतृक सम्पत्ति और उत्तराधिकार) संवैधानिक सुरक्षोपायों आदि के बारे में सूचना उपलब्ध कराकर महिलाओं में जागरूकता का सृजन करना।

(iv) जागरूकता विकास/शिक्षा की प्रक्रिया शुरू करना, ताकि महिलाएं अपनी समस्याओं को समझ सकें और उनका विश्लेषण कर सकें तथा आपसी बातचीत द्वारा उनका निदान कर सकें और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रत्येक कार्यक्रम का लाभ उठा सकें।

(v) आयोत्पादक कार्यकलापों द्वारा तथा विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से शक्ति सम्पन्न बनाकर उन्हें आत्म-निर्भर तथा स्वतन्त्र बनने में सहायता प्रदान करना।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, इन्दिरा महिला योजना का प्रमुख बल गांवों में आंगनवाड़ी स्तर पर महिलाओं के स्व-सहायता समूहों के गठन पर तथा प्रदेश स्तर पर ही ऋण तथा बचत कार्यकलापों को बढ़ावा देने पर था।

राज्य सरकारों द्वारा दी गई अद्यतन सूचना के अनुसार स्व-सहायता समूहों के गठन की राज्य-वार स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा दी गई अद्यतन सूचना के अनुसार, इन्दिरा महिला योजना के तहत देश भर में महिलाओं के 22,899 समूह हैं, जिनमें से 1,060 केवल महाराष्ट्र में ही हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इन्दिरा महिला योजना देश में केवल 238 विकास खण्डों में ही चलाई जा रही थी। संशोधित इन्दिरा महिला योजना, जिसका नया नाम सशक्त महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम रखा गया है, का भी देश में केवल 650 विकास खण्डों तक विस्तार किया जाना है।

यद्यपि इन्दिरा माहिला योजना के सभी 238 विकास खण्डों को समेकित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में बनाए रखा जाएगा, तथापि राज्य सरकारों द्वारा 412 नए विकास खण्डों का चयन करते समय निम्नलिखित बातों को दृष्टिगत रखा जाएगा :

- उन क्षेत्रों को वरीयता प्रदान की जाएगी, जिनमें इस प्रकार की कोई स्कीम चालू नहीं है तथा जहां कोई समूह कार्यरत नहीं है,
- उन क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी जाएगी, जहां महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की दर अधिक है, मुख्य सामाजिक संसूचक जहाँ महिलाओं के प्रतिकूल हैं,
- राज्य सरकार महिलाओं के विकास हेतु अतिरिक्त संसाधनों तथा सम्पर्कों की प्रतिबद्धता कर रही है, तथा
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले तथा अ.जा और अ.ज.जा. बाहुल्य वाले विकास खण्डों को भी प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	इ.म.यो. ब्लाकों की संख्या	गठित दलों की संख्या	सदस्यों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	14	321	886
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	102	0
3.	असम	5	2285	35495
4.	बिहार और झारखण्ड	20	743	2675
5.	गोवा	1	77	2772
6.	गुजरात	18	2297	15008
7.	हरियाणा	8	534	12901
8.	हिमाचल प्रदेश	3	277	4661
9.	जम्मू व कश्मीर	2	0	0
10.	कर्नाटक	15	2301	35164
11.	केरल	7	1704	30295
12.	मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़	19	1919	22553
13.	महाराष्ट्र	21	1060	19329
14.	मणिपुर	1	0	0
15.	मेघालय	3	73	2727
16.	मिजोरम	1	108	2160
17.	नागालैण्ड	1	30	385
18.	उड़ीसा	7	140	1624
19.	पंजाब	5	774	11920
20.	राजस्थान	10	1572	21068
21.	सिक्किम	1	112	2240
22.	तमिलनाडु	21	2513	0
23.	त्रिपुरा	1	62	446
24.	उत्तर प्रदेश व उत्तरांचल	30	2412	9958
25.	पश्चिम बंगाल	14	1483	23683
26.	दिल्ली	2	0	0
27.	अण्डमान एवं निको. द्वीप स.	1	0	0
28.	चण्डीगढ़	1	0	0
29.	दादरा एवं न. ह.	1	0	0
30.	दमन व दीव	1	0	0
31.	लक्षद्वीप	1	0	0
32.	पांडिचेरी	2	0	0
	जोड़	238	22899	257950

[अनुवाद]

जन शिक्षा संस्थान

4528. श्री सुबोध मोहिते : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वयस्कों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए जन शिक्षण संस्थान स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यकरण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितना धन आवंटित किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) अनौपचारिक, प्रौढ़ सतत शिक्षा प्रदान करने तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल स्तरोन्नयन कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य से सरकार ने जन शिक्षण संस्थानों की स्थापना की है। इसके कार्यों में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं : (i) सामाजिक-आर्थिक ब्यौरा तैयार करके उपयुक्त लक्षित क्षेत्रों एवं लक्षित वर्गों की सही पहचान (ii) जिला साक्षरता समितियों से नवसाक्षरों की सूची प्राप्त करना तथा उनकी पहचान करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नवसाक्षरों की संख्या कम से कम 25 प्रतिशत हो (iii) विभिन्न कार्यक्रमों की योजना तथा कार्यान्वयन में लगे विशेषज्ञों/अनुदेशकों का प्रशिक्षण तथा प्रबोधन (iv) विभिन्न वर्गों के लाभार्थियों की विभिन्न शैक्षिक तथा व्यावसायिक जरूरतों की पहचान तथा उनका पता लगाना।

(ग) इस योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 25.00 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई।

वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मक रिपोर्ट इंजीनियरों/वैज्ञानिकों का स्थान

4529. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मक रिपोर्ट-1998 में प्रतिस्पर्द्धा के संदर्भ में भारत का स्थान पचासवां है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि विश्व में सक्षम इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के संदर्भ में भारत का सातवां स्थान है;

(ग) यदि हां, तो विश्व में इसकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता में कमी आने की मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुसंधान और विकास हेतु आवंटित किया गया; और

(ङ) विश्व प्रतिस्पर्द्धा में भारत की स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, 1998 के अनुसार सक्षम इंजीनियरों तथा वैज्ञानिकों की दृष्टि से भारत पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर आता है।

(ग) विश्व आर्थिक मंच द्वारा विभिन्न देशों का श्रेणीकरण करने के लिए 8 पैरामीटरों पर ध्यान दिया गया जिनमें खुलापन, सरकार, वित्त, बुनियादी सुविधाएँ, प्रबन्धन, श्रम, संस्थान एवं प्रौद्योगिकी शामिल हैं जो प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए विकसित एवं विकासशील दोनों ही देशों के लिए था। भारत चुनिंदा क्षेत्रों में प्रथम स्थान पर रहा जिनमें वैज्ञानिक तक इंजीनियर, इंजीनियरी को व्यवसाय के रूप में अपनाना, श्रमशक्ति, व्यक्तियों के लिए आय कर की दर, पेंशन संकेतक शामिल हैं, परन्तु बुनियादी सुविधाओं, प्रबन्धन, वित्त इत्यादि क्षेत्रों में इसका स्थान बहुत नीचे रहा जिसके कारण कुल मिलाकर इसका स्थान काफी नीचे आता है।

(घ) विभिन्न देशों में अनुसन्धान तथा विकास (आर. एण्ड डी.) कार्यों पर किए जाने वाले व्यय के तुलनात्मक आंकड़ों को सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी.एन.पी.) की प्रतिशतता के तौर पर बनाए रखा जाता है। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत के लिए जी.एन.पी. की प्रतिशतता के रूप में आर.एण्ड.डी. कार्यों पर किया जाने वाला व्यय वर्ष 1994-95 से 1996-97 के दौरान 0.66% के आसपास ही बना रहा। इन आधिकारिक आंकड़ों में व्यापारिक घरानों तथा कम्पनियों सहित उन इकाइयों को शामिल नहीं किया गया है जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया।

(ङ) विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता में भारत की स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर कई कदम उठाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं :

- पंचवर्षीय योजनाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए परिव्यय में वृद्धि करना।
- नए वैज्ञानिक विभाग/संगठनों का सृजन करना।
- विश्वविद्यालयों तथा शिक्षण संस्थानों में श्रेष्ठ/उन्नत अध्ययन कार्यों के लिए अधिक केन्द्रों की स्थापना करना।
- विभिन्न सहायता उपायों एवं राजकोषीय प्रोत्साहनों के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं को सशक्त बनाना।
- उद्यमवृत्ति के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण देना।
- सहयोग/अध्येतावृत्ति, ग्रीष्मकालीन पाठशालाओं इत्यादि के माध्यम से जनशक्ति विकास प्रशिक्षण के पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- युवा वैज्ञानिकों के लिए आर. एण्ड डी. परियोजनाएं।
- अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा संस्थानों का भ्रमण करने के लिए वैज्ञानिकों को अध्येतावृत्तियां प्रदान करना।
- स्वर्णजयन्ती अध्येतावृत्तियां।
- आर.एण्ड डी. को अपने पेशे के रूप में चुनने के लिए विलक्षण युवा वैज्ञानिकों को आकर्षित एवं प्रोत्साहित करने हेतु सम्पर्क कार्यक्रम।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पुनः नियोजन

4530. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुनः नियोजन के लिए कोई निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुनः नियोजन संबंधी इस निर्देश का राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा अनुपालन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने व्यक्तियों को पुनः नियोजित किया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिषद द्वारा कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

(घ) विगत दो वर्ष के दौरान परिषद ने किसी सेवा-निवृत्त कर्मचारी को पुनर्नियुक्त नहीं किया है।

(ङ) और (च) पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश पर सेवानिवृत्ति की आयु को 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के परिणामस्वरूप चिकित्सीय और वैज्ञानिक विशेषज्ञ के मामले को छोड़कर सेवा-निवृत्ति की आयु के बाद पुनर्नियुक्ति/सेवा-विस्तार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। परिषद भारत सरकार द्वारा जारी इन निर्देशों का सावधानी से अनुपालन करती रही है।

[अनुवाद]

यूरिया और अमोनिया संयंत्रों की उत्पादन क्षमता

4531. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एफ.आई.सी.सी. यूरिया तथा अमोनिया संयंत्रों की वास्तविक उत्पादन क्षमता का आकलन करने में असफल रहा है जिससे उत्पादकों को 1997-98 के दौरान करोड़ों का अतिरिक्त लाभ हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मार्च, 1991 की समाप्ति पर सी.ए.टी. द्वारा दी गई अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य पर बल दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में जिम्मेदारी तय करने तथा धनराशि वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ङ) सरकार को यूरिया एककों द्वारा कम स्थापित क्षमताएं बताकर अधिक राजसहायता राशि लेने के मामले की जानकारी है। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के लिए) संघ सरकार (सिविल) ट्राजेक्शन लेखापरीक्षा टिप्पणी सं. 2000 की 2 में भी यूरिया एककों द्वारा अपनी क्षमताएं कम बताकर अधिक राजसहायता लेने के बारे में टिप्पणी की गई है।

सरकार ने उनसे की जाने वाली वसूली सहित यूरिया एककों की क्षमता के पुनर्मूल्यांकन के सम्पूर्ण मुद्दे का समाधान करने हेतु डा. वाई के अलघ की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है। इस समिति ने हाल ही में दिनांक 29.3.2001 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

डा. वाई के अलघ समिति की रिपोर्ट पर सरकार के निर्णय के लम्बित रहने तक दिनांक 1.4.2000 से यूरिया एककों की क्षमताओं का अन्तरिम पुनर्मूल्यांकन पहले ही कर लिया गया है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 450 करोड़ रुपये की बचत होगी।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय संगठनों के कर्मचारियों के पदों के निर्धारण हेतु मानदण्ड

4532. श्री राधा मोहन सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी मण्डल द्वारा अपनी 54वीं बैठक में केन्द्रीय विद्यालय के शैक्षिक तथा शिक्षणेत्तर पदों के निर्धारण के विनियमन हेतु कुछ मानदण्ड परित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 54वीं बैठक के पश्चात् हुई बैठकों में मानदण्डों में क्या परिवर्तन किए गए हैं; और

(घ) चालू सत्र में लागू मानदण्डों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय विद्यालयों में शासी बोर्ड की अगस्त, 1990 में हुई 54वीं बैठक में अनुमोदित शिक्षण तथा गैर-शिक्षण पदों हेतु कर्मचारियों की संख्या के निर्धारण संबंधी मानदंडों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) शासी बोर्ड की 54वीं बैठक के बाद मानदंडों में किए गए संशोधनों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(i) 3 और उससे अधिक सेक्शनों वाले स्कूलों में उप-प्रधानाचार्य का एक पद।

(ii) 3 सेक्शनों वाले स्कूलों में एक योग शिक्षक (तथापि, जिन 2 सेक्शनों वाले स्कूलों में याग शिक्षक की तैनाती है वह जारी रहेगी), 6 तथा उससे अधिक सेक्शनों वाले स्कूलों में दो योग शिक्षक।

(iii) 3 सेक्शनों तक वाले स्कूलों में एक शरीरिक शिक्षा अध्यापक, 5 सेक्शनों तक वाले स्कूलों में 2 शारीरिक शिक्षा अध्यापक और 6 या उससे अधिक सेक्शनों वाले स्कूलों में 3 शारीरिक शिक्षा अध्यापक।

(iv) कक्षा 10 तक के एक सेक्शन वाले स्कूल में एक ड्राईंग शिक्षक अथवा कार्य अनुभव शिक्षक (तथापि एक सेक्शन वाले स्कूल में कार्य अनुभव शिक्षक का एक पद), 3 सेक्शन वाले स्कूलों में ड्राईंग शिक्षक/कार्य अनुभव शिक्षक के दो पद और 4 सेक्शनों तथा उससे अधिक सेक्शन वाले स्कूलों में तीन कार्य अनुभव वाले शिक्षक।

(v) कक्षा I से X और XII तक सेक्शनों की संख्या के आधर पर गैर शिक्षण पर संस्वीकृत किये जातो हैं।

(घ) अपनाये जा रहे वर्तमान मानदंडों को विवरण-II में दर्शाया गया है।

विवरण-I

केन्द्रीय विद्यालय में स्टाफ संख्या के निर्धारण हेतु मानदंड

क : शिक्षण स्टाफ
(हैडमास्टर के बिना)

I. *प्राथमिक विभाग*

(क) प्राथमिक अध्यापकों की संख्या (संगीत शिक्षक के एक पद सहित)

$$\frac{\text{(कक्षा I से V में सेक्शनों की संख्या)} \times 48}{36}$$

प्राथमिक शिक्षक =
संगीत शिक्षक =

स्पष्टीकरण :

(i) यहां प्रति कक्षा प्रति सप्ताह 48 पीरियडों की संख्या है अर्थात एक दिन में 8 पीरियडः तथा

(ii) एक सप्ताह में एक प्राथमिक शिक्षक द्वारा लिये जाने वाले पीरियडों की संख्या 36 है।

(ख) (हैडमास्टर सहित) : $\frac{\text{(सेक्शन की संख्या} \times 48)-16}{36}$

हैडमास्टर=
प्राथमिक शिक्षक=
संगीत शिक्षक=

(ग) पर्यवेक्षण स्टाफ (हैडमास्टर)

हैडमास्टर का एक पद उन केन्द्रीय विद्यालयों में दिया जा सकता है जो निम्नलिखित दो में से एक शर्त को पूरा करते हों :

(i) जिनमें प्राथमिक तथा माध्यमिक दोनों विभाग हों तथा कुल नामांकन 700 से अधिक हो;

(i) जहाँ प्राथमिक कक्षाएँ मुख्य विद्यालय से दूर अलग भवन में चल रही हों अथवा अलग पाली में चल रही हों।

(तथापि एक हैडमास्टर अपनी पर्यवेक्षण की इयूटी के अतिरिक्त एक सप्ताह में केवल 16 पीरियड ही लेगा)

(घ) उदाहरण

(क) यदि उन केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा I से कक्षा V में 10 सेक्शन हैं जो उपरोक्त शर्तों के आधार पर हैडमास्टर के पद के पात्र नहीं हैं, एक संगीत शिक्षक सहित प्राथमिक शिक्षकों की संख्या 10x48/36=40/3-13; अर्थात् 12 प्राथमिक शिक्षक तथा 1 संगीत शिक्षक होगा।

(ख) यदि केन्द्रीय विद्यालयों में उपरोक्त (क) तथा (ख) के अनुसार कक्षा I से V तक 10 सेक्शन होंगें तो एक प्रधानाध्यापक तथा एक संगीत शिक्षक सहित प्राथमिक शिक्षकों की गणना निम्नलिखित आधार पर की जायेगी :

पीरियडों की कुल संख्या	10x48	= 480
हैडमास्टर के पीरियड (साप्ताहिक)	(–)	= --16
शेष प्राथमिक अध्यापकों की संख्या		= 464/36=13

II. *मिडिल तथा माध्यमिक विभाग*

कक्षा VI से VIII	= प्रति सप्ताह पीरियडों की संख्या (60) x सेक्शनों की संख्या = ...
कक्षा IX से X	= प्रति सप्ताह पीरियडों की संख्या (66)
(54 + 6 डब्ल्यू.ई.+6 विज्ञान प्रयोग)	सेक्शनों की संख्या =...

III. *उच्चतर माध्यमिक विभाग*

पीरियडों की कुल संख्या : पीरियड

कक्षा xi से xii

विज्ञान* ———— x सेक्शनों की संख्या = ----------

मानविकी*---------- x सेक्शनों की संख्या = ----------

वाणिज्य*---------- x सेक्शनों की संख्या = ----------

कुल = (x)

* विभिन्न प्रकार के केन्द्रीय विद्यालयों के लिये विभिन्न विधाओं में विषयों के आधार पर पीरियडों की संख्या दर्शाता है।

(क) पीरियडों की गणना निम्न प्रकार से होगी :

टाईप 1 विद्यालय (कक्षा xi अथवा xii में 20 से कम छात्र)

सहयोजन (विज्ञान विधा)	पीरियड
अंग्रेजी कोर	06
गणित	09
भौतिकी	09
रसायन शास्त्र	09
जीव विज्ञान	09
हिन्दी कोर	06
सी सी ए इत्यादि	12
	60

टाईप II विद्यालय

(ख) (कक्षा xi अथवा xii सहयोजन विज्ञान विधा में 20 से अधिक छात्र)

सहयोजन (विज्ञान विधा)	पीरियड	
अंग्रेजी	06	
गणित	09	
भौतिकी	13	(प्रयोगों के लिए 4 अतिरिक्त पीरियडों सहित)
रसायन शास्त्र	13	-वही-
जीव विज्ञान	13	-वही-
हिन्दी कोर	06	
सी सी ए इत्यादि	12	
	72	

टाईप III विद्यालय

(ख) (एक विधा में 20 से कम छात्र)
(½ विज्ञान + ½ मानविकी)

सहयोजन (विज्ञान एवं मानविकी विधा)

	पीरियड	
अंग्रेजी	06	
भौतिकी	09	(प्रयोगों के लिए 4 अतिरिक्त पीरियडों सहित)
रसायन शास्त्र	09	-वही-
जीव विज्ञान	09	-वही-
हिन्दी कोर/गणित (6 +9)	15	48
अर्थ शास्त्र	09	
भूगोल	09	
इतिहास	09	
हिन्दी/अंग्रेजी इलेक्टिव	18	45
सी सी ए इत्यादि	12	12
	105	

टाईप IV विद्यालय

(घ) योग (मानविकी अथवा वाणिज्य)

अथवा दोनों का योग	पीरियड
हिन्दी कोर/अंग्रेजी कोर	12
अर्थ शास्त्र	09
भूगोल/गणित	09 + 09 18
इतिहास	09
अंग्रेजी/हिन्दी इलेक्टिव	18
सी सी ए इत्यादि	12
	78

वाणिज्य विषय

	पीरियड
अंग्रेजी कोर	06
वाणिज्य के सिद्धांत एवं प्रयोग	09
उच्च लेखा शास्त्र के सिद्धांत एवं प्रयोग	09
अर्थ शास्त्र	09
गणित	09
भूगोल	09
हिन्दी कोर	06
सी सी ए आदि	12
	69

पीरियडों का आवंटन

प्रधानाचार्य	11x1=11
उप-प्रधानाचार्य	22x1=22*
पी जी टी (भाषा)	30x=
पी जी टी (अन्य)	
पी ई टी	33x=
डब्ल्यू.ई.टी	33x=
ड्रॉईंग शिक्षक	33x=
गृह विज्ञान शिक्षक	33x=
योग शिक्षक	33x=
कुल योग :	'वाई'

प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में उप-प्रधानाचार्य केवल 11 पीरियड लेगा।

अगर छात्रों की संख्या 1000 और उससे अधिक हो तो उन स्कूलों में प्रधानाचार्य के अतिरिक्त उप-प्रधानाचार्य के एक पद की व्यवस्था की जा सकती है।

अपेक्षित टी.जी.टी. की संख्या $= \frac{'X'—'Y'}{53}$

IV. **योग शिक्षकों के लिए मानदंड** — **योग शिक्षकों की संख्या**

15 सेक्शनों वाले केन्द्रीय विद्यालय (प्राथमिक कक्षाओं को छोड़कर)	1 अंशकालिक या मौजूदा शिक्षक योग में प्रशिक्षित
16 से 25 सेक्शनों वाले केन्द्रीय विद्यालय (प्राथमिक कक्षाओं को छोड़कर)	1 योग शिक्षक
26 से 35 सेक्शनों वाले केन्द्रीय विद्यालय (प्राथमिक कक्षाओं को छोड़कर)	2 योग शिक्षक
36 या इससे अधिक सेक्शनों वाले केन्द्रीय विद्यालय (प्राथमिक कक्षाओं को छोड़कर)	3 योग शिक्षक

नोट : प्रत्येक सेक्शन में प्रति सप्ताह दो पीरियडों में योग की शिक्षा दी जाएगी। ये दो पीरियड खेल पीरियडों में से लिए जाएंगे।

V. *प्रधानाचार्य/उप-प्रधानाचार्य*

(i) प्रधानाचार्य ग्रेड-I, प्रधानाचार्य ग्रेड- II, और पी.जी.टी. प्रभारी के पद निम्न प्रकार से संस्वीकृत किए जाते हैं:

के.वि.निम्न कक्षा तक	**संस्वीकृत किए जाने वाले पद**
कक्षा IV तक केन्द्रीय विद्यालय	पी.जी.टी. प्रभारी
कक्षा VIII तक केन्द्रीय विद्यालय	प्रधानाचार्य ग्रेड-II
कक्षा IX और उससे ऊपर तक केन्द्रीय विद्यालय	प्रधानाचार्य ग्रेड-I

VI. *हैडमास्टर :*

प्रधानाचार्य/उप-प्रधानाचार्य के पदों के अतिरिक्त, केन्द्रीय विद्यालयों में हैडमास्टर के पद की व्यवस्था की जा सकती है, बशर्ते कि वे निम्न दो शर्तों में से एक को पूरा करते हों:

(क) उन केन्द्रीय विद्यालयों में जहां पर प्राथमिक तथा उच्च-प्राथमिक विभाग हैं और जहां पर छात्रों की संख्या 700 से अधिक है; या

(ख) उन स्कूलों में जहां पर प्राथमिक कक्षाएं मुख्य भवन से अलग हैं या अलग शिफ्ट में चल रही हैं।

VII.

शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के लिए मानदंड*	शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की संख्या
300* तक	1
301 से 600	2
601 से 900 और अधिक	3

* प्राथमिक कक्षाओं में दाखिले को छोड़कर।

VIII. *कक्षा X तक के लिए स्नातकोत्तर शिक्षक :*

कक्षा X तक वाले स्कूलों में स्नातकोत्तर शिक्षकों को निम्न प्रकार से विनियमित किया जाएगा :

(क)	कक्षा IX तक वाले केन्द्रीय विद्यालयों में	2 पी.जी.टी. (हिन्दी, अंग्रेजी तथा गणित)
(ख)	कक्षा X तक वाले केन्द्रीय विद्यालयों में	(2 भाषा और 1 गणित) (हिन्दी और अंग्रेजी)

ख. मंत्रालयीय और अन्य कर्मचारी

IX. *मंत्रालयीय कर्मचारी*

निम्न दाखिला क्षमता वाले केन्द्रीय विद्यालय	अधीक्षक	हेड क्लर्क	यू.डी.सी.	एल.डी.सी.
800 तक	—	—	1	1
801 से 1000 तक	—	—	1	2
1001 से 1600 तक	—	1	1	2
1601 से 2000 तक	—	1	2	2
2001 और अधिक	1	—	3	3

X. *पुस्तकालयाध्यक्ष*

उन स्कूलों में पुस्तकालयाध्यक्ष का एक पद की व्यवस्था की गयी है जहां पर कक्षा VI और उससे अधिक है। विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की आवश्यकता की गणना करते समय पुस्तकालयाध्यक्ष के पीरियड को गिना नहीं जाएगा। स्कूल समय-सूची में शिक्षकों को पुस्तकालय पीरियड आबंटित किए जाएंगे और वे पुस्तकालय पीरियड में छात्रों के साथ पुस्तकालय में जाएंगे।

XI. *प्रयोगशाला सहायक/परिचायक*

प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए एक।

केन्द्रीय विद्यालय द्वारा केवल प्रयोगशाला सहायक का ही प्रस्ताव किया जाएगा। तथापि, मौजूदा अगर, कोई अभ्यर्थी उस पद पर है प्रयोगशाला सहायक का पद बना रहेगा।

XII. *ग्रुप 'डी' स्टाफ*

06 (संपूर्ण रूप से चल रहे स्कूलों के लिए)

(i)	प्राथमिक स्तर	03
(ii)	मिडिल स्तर	04
(iii)	माध्यमिक	05
(iv)	उच्च-माध्यमिक	06

चौकीदार/स्वीपरों की अतिरिक्त अंशकालिक आवश्यकताओं पर स्कूल की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा सकता है।

विवरण-II

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा I से कक्षा X और कक्षा XII के लिये कर्मचारियों की आवश्यकता

	1 सेक्शन कक्षा XII			2 सेक्शन कक्षा XII		
	कक्षा X	विज्ञान	वाणिज्य	कक्षा X	विज्ञान और वाणिज्य	वाणिज्य और मानविकी
1	2	3	4	5	6	7
प्रधानाचार्य	1	1	1	1	1	1
उप-प्रधानाचार्य	0	0	0	0	0	0
हेडमास्टर	0	0	0	1	1	1
स्नातकोत्तर शिक्षक						
हिन्दी	1	1	1	1	1	1
अंग्रेजी	1	1	1	1	1	1
गणित	1	1	1	1	1	1
भौतिकी	0	1	0	0	1	0
रसायन	0	1	0	0	1	0
जीव विज्ञान	0	1	0	0	1	0
इतिहास	0	0	0	0	0	1
भूगोल	0	0	0	0	0	1
अर्थशास्त्र	0	0	1	0	1	2
वाणिज्य	0	0	1	0	1	1
कम्प्यूटर विज्ञान	0	1	1	0	1	1
संस्कृत	0	0	0	0	0	0
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक						
हिन्दी	0	1	1	2	2	2
अंग्रेजी	1	1	1	2	3	3
गणित	1	1	1	2	3	2
संस्कृत	1	1	1	1	1	1
समाज शास्त्र	1	1	1	2	2	2
जीव विज्ञान	1	1	1	2	2	2
प्राथमिक शिक्षक	6	6	6	12	12	12
संगीत	1	1	1	1	1	1
शरीरिक शिक्षा शिक्षक	1	1	1	1	1	1
कला शिक्षक	1	1	1	1	1	1
डब्ल्यू.ई.टी.	0	1	1	1	1	1
योग	0	0	0	0	0	0
पुस्तकालय	1	1	1	1	1	1
कार्यालय स्टाफ						
सुपरिंटेन्डेन्ट						
हेड क्लर्क						
यू.डी.सी.	1	1	1	1	1	1
एल.डी.सी.	1	1	1	1	2	2
प्रयोगशाला सहायक	2	3	3	2	3	3
ग्रुप "डी"	6	6	6	7	7	7
कुल	29	36	35	44	54	53

नोट : ऊपर दर्शाया गयी कर्मचारियों की संख्या अधिकतम संस्वीकृत पद हैं। जहां पर छात्रों की संख्या कम है वहां पर विषयों पर ध्यान नहीं दिया गया है।

	3 सेक्शन		4 सेक्शन		5 सेक्शन		6 सेक्शन		
	X	XII	X	XII	X	XII	XII	XII	
	वि.+ वाणि. मान	2 वि.+ वाणि.		वि. (2)+ 1 मान.+ 1 वाणि.		वि. (2)+ वाणि. (2)+ 1 मान.	वि. (2) वाणि. (2) मान.(2)	मान.(1)	वि. (3) वाणि.(2) मान.-1
प्रधानाचार्य	1	1	1	1	1	1	1	1	1
उप-प्रधानाचार्य	1	1	1	1	1	1	1	1	1
हेडमास्टर	1	1	1	1	1	1	1	1	1
स्नातकोत्तर शिक्षक									
हिन्दी	1	2	2	1	2	1	3	3	3
अंग्रेजी	1	2	2	1	2	1	3	4	4
गणित	1	2	2	1	2	1	2	2	2
भौतिकी	0	1	2	0	2	0	2	2	3
रसायन	0	1	2	0	2	0	2	2	3
जीव विज्ञान	0	1	2	0	2	0	2	2	2
इतिहास	0	1	0	0	1	0	2	2	1
भूगोल	0	1	0	0	1	0	1	2	1
अर्थ शास्त्र	0	2	1	0	2	0	2	2	2
वाणिज्य	0	1	1	0	1	0	2	2	2
कम्प्यूटर विज्ञान	0	1	1	0	1	0	1	1	1
संस्कृत	0	0	0	0	1	0	1	1	1
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक									
हिन्दी	3	4	4	5	5	6	6	8	8
अंग्रेजी	3	4	4	5	6	6	6	7	7
गणित	3	3	3	4	5	5	5	7	7
संस्कृत	2	2	2	2	2	2	2	3	3
समाज शास्त्र	4	3	3	5	4	6	5	6	6
पी.सी.बी	3	3	3	5	4	6	5	7	7
प्राथमिक शिक्षक	19	19	19	25	25	32	32	39	39
संगीत	1	1	1	1	1	1	1	1	1
शरीरिक शिक्षा शिक्षक	2	2	2	2	2	2	3	3	3
कला शिक्षक	1	1	1	1	1	1	1	2	2
डब्ल्यू.ई.टी.	2	2	3	3	3	3	3	3	3
योग	0	1	1	1	1	1	2	2	2
पुस्तकालय	1	1	1	1	1	1	1	1	1
कार्यालय स्टाफ									
सुपरिटेन्डेन्ट	0	0	0	0	0	0	1	1	1
हेड क्लर्क	1	1	1	1	1	1	0	0	0
यू.डी.सी.	1	1	1	2	2	2	3	3	3
एल.डी.सी.	2	2	2	2	2	2	3	3	3
प्रयोगशाला सहायक	2	3	3	2	3	3	3	3	3
ग्रुप "डी"	3	8	8	9	9	10	10	11	11
कुल	64	80	80	81	99	97	118	133	138

[अनुवाद]

कम कीमत का उर्वरक

4533. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का छोटे वर्ग के किसानों को कम कीमत में उर्वरक देकर उनकी सहायता करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) लघु कृषकों सहित सभी कृषकों को वाजिब मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सरकार पहले ही यूरिया पर राजसहायता एवं विनियंत्रित पोटाशिक एवं फॉस्फेटिक उर्वरकों पर रियायत दे रही है।

तालिबान उग्रवादियों को रोकने के लिए कार्ययोजना

4534. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तालिबान उग्रवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) सरकार ने, उग्रवादियों की गतिविधियों से निपटने के लिए एक सुसमन्वित और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, समन्वित कार्रवाई करके उग्रवादियों की योजनाओं को निष्फल करना, उन्नत आधुनिक हथियारों और संचार प्रणाली इत्यादि से पुलिस बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन करना इत्यादि शामिल है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को विभिन्न उग्रवादी गुटों से खतरों और उनकी गतिविधियों के बारे में भी सुग्राही बनाती रही है। विदेशों में स्थित अड्डों से काम कर रहे ऐसे उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

औद्योगिक क्षेत्र का सीमांकन

4535. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री अनादि साहू :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के पहले मास्टर प्लान 1962 से 1980 तक तथा जो 1990 तक बढ़ाया गया, में जी.टी. करनाल रोड और रिंग रोड के उत्तर में रेलवे लाइन के बीच स्थित समयपुर बादली के नाम से जाना जाने वाले संपूर्ण क्षेत्र को व्यापक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र को व्यापक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में सीमांकित करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सी.ई.पी.टी. संयंत्रों के लिए स्थानों का पता लगाने हेतु एक समिति गठित की गई थी और तदनुसार समयपुर बादली के सभी औद्योगिक एककों का सर्वेक्षण किया गया था और एक सूची तैयार की गई थी;

(घ) यदि हां, तो क्या उस समय विद्यमान सभी इकाइयों को संभावित बाहरी सीमा योजना में शामिल किया गया था;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या दिल्ली के मास्टर प्लान 1990-2001 के अनुसार उपर्युक्त औद्योगिक क्षेत्र के आधे से ज्यादा भाग को आवासीय क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया है;

(छ) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है;

(ज) क्या सरकार ने उन व्यापक उद्योगों के भविष्य पर विचार किया है या विचार करने का प्रस्ताव रखती है जो कि सरकार द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 1962 से 1990 के बीच अर्थात दिल्ली के मास्टर प्लान 1999-2001 के भूमि उपयोग योजना में उक्त परिवर्तन से पूर्व संबर्धित किए गए थे;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली मास्टर प्लान-62 भूमि उपयोग योजना के अनुसार।

(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार इस प्रयोजन से एक समिति गठित की गई थी और समिति ने अपनी रिपोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय को सौंप दी है। समयपुर क्षेत्र में औद्योगिक यूनिटों के आकलन के लिए एक भौतिक सर्वेक्षण किया गया था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) अस्थाई बाहरी बाउंड्री योजना को दिल्ली मास्टर प्लान-2001 की भूमि उपयोग योजना के अनुसार निश्चित किया गया।

(च) जी, नहीं।

(छ) उपर्युक्त (च) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ज) से (ञ) दिल्ली मास्टर प्लान-2001 के खंड 3(4) के अनुसार प्राधिकरण अथवा किसी भी अन्य संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पहले से अनुमोदित विन्यास योजना में पड़ने वाले सभी उद्योगों को कानून के अनुसार दिल्ली मास्टर प्लान-2001 के अंतर्गत अनुमोदित माना जाएगा।

[हिन्दी]

बागडिगी कोयला खान

4536. श्री सईदुज्जमा :
श्री सुनील खां :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **बागडिगी कोयला खान** में हुई दुर्घटना में मारे गए नियमित एवं अनुबंध मजदूरों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) अब तक कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है;

(ग) इस प्रक्रिया को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या उक्त व्यवस्था के अंतर्गत अनुबंध मजदूरों के परिवार के सदस्यों को भी शामिल किया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) उक्त खान दुर्घटना में 27 नियमित श्रमिक तथा 2 अधिकारी मारे गए। उक्त दुर्घटना में कोई भी ठेके वाला श्रमिक शामिल नहीं था।

(ख) 27 आश्रितों को रोजगार दे दिया गया है। एक आश्रित को रोजगार के स्थान पर मौद्रिक मुआवजा दिया गया है तथा स्व. श्री पी.आर. सिंह, वरिष्ठ ए.सी.एम. के एक आश्रित ने हाल ही में रोजगार के लिए आवेदन किया है।

(ग) दुर्घटना में मारे गए सभी श्रमिकों के आश्रितों को रोजगार दे दिया गया है।

(घ) चूंकि उक्त दुर्घटना में कोई ठेकेवाला श्रमिक शामिल नहीं था, इसलिए इसका प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) और (च) ऊपर (घ) भाग में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम का कार्यालय संवर्ग

4537. श्री पी.आर. किन्डिया : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सिफारिश की है कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के अरुणाचल, गोवा, मिजोरम संघ शासित प्रदेश संवर्ग के द्वितीयक अधिकारियों की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लिए अखिल भारतीय सेवाओं का अलग-अलग संवर्ग गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य सरकारों ने कुछ मौकों पर अपने-अपने राज्यों के लिए अलग से अखिल भारतीय सेवा संवर्ग बनाने का सुझाव दिया है।

(ख) से (ङ) मामला सरकार के विचाराधीन है।

रोजगार सृजित करने वाली शिक्षा का प्रावधान

4538. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 मार्च, 2001 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'जोशी स्ट्रेसेस् ऑन नेशनल मॉडल फॉर एजुकेशन' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपनाई जा रही वर्तमान शिक्षा प्रणाली अलग, पुरानी और रोजगार सृजित करने वाली होने के बजाए रोजगारोन्मुखी है;

(ग) यदि हां, तो क्या शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने और रोजगार सृजित करने वाली शिक्षा उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 जो शैक्षिक स्थिति की गहन समीक्षा और राष्ट्रीय सर्वसम्मति पर आधारित है, में संपूर्ण रूप से शिक्षा के विकास के दिशानिर्देश के लिए व्यापक कार्यढांचा प्रतिपादित किया गया है। इस कार्यढांचे पर निरंतर कार्य किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य सामान्य संरचना और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे पर आधारित एक राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति को बनाना है जिसमें अन्य लचीले घटकों के साथ-साथ सामान्य घटक भी निहित हैं। देश के सभी भागों में अब 10 + 2 + 3 पद्धति को स्वीकार कर लिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वैयक्तिक रोजगार क्षमता को बढ़ाने और योग्यता प्राप्त जनशक्ति की मांग और पूर्ति के बीच असन्तुलन को कम करने की दृष्टि से शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाने पर भी पर्याप्त बल दिया गया है। इसे माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना के माध्यम से किया जा रहा है। रोजगार के लिए योग्यता प्रशिक्षण सामुदायिक पोलीटेक्नीक योजना में सम्मिलित है। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में, जन शिक्षण संस्थान प्रौढ़ों को रोजगार उन्मुख बनाते हैं।

[हिन्दी]

पश्चिम बंगाल में हिंसा

4539. श्री थावर चंद गेहलोत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999 और 2000 के दौरान पश्चिम बंगाल में घटित हुई हिंसा की विभिन्न घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) केंद्र सरकार ने राज्य में कितनी बार जांच दल भेजे हैं;

(ग) इन दलों द्वारा की गई जांच का ब्यौरा क्या है;

(घ) हिंसा को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का है; और

(च) यदि हां, तो उससे संबंधित ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है।

(ख) और (ग) केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 के दौरान केंद्रीय सरकारी अधिकारियों का कोई भी दल हिंसा की घटनाओं की जांच करने के लिए पश्चिम बंगाल नहीं भेजा गया था। तथापि, तत्कालीन रक्षा मंत्री, श्री जार्ज फर्नांडिस, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक भी हैं, ने 08.09.2000 को पश्चिम बंगाल का दौरा किया और व्याप्त कानून और व्यवस्था की स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(घ) 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं और कानून और व्यवस्था बनाए रखना मुख्यतः राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। तथापि, राजनीतिक हिंसा के संबंध में केंद्रीय सरकार की चिंता से राज्य सरकार को अवगत करा दिया है और उन्हें अत्याधिक चौकस रहने और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए पूरे-पूरे एहतियात बरतने की सलाह दी गई है।

(ङ) और (च) पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है।

[अनुवाद]

स्टील अथारिटी आफ इंडिया की सहायक गतिविधियां

4540. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने उर्वरक उत्पादन आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के विभिन्न कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने उर्वरक उत्पादन सहित सभी सहायक कार्यकलापों को छोड़ने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा अपनी सभी उर्वरक इकाइयों को छोड़ दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा सहायक कार्यकलापों को जारी रखने के क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का राउरकेला में एक उर्वरक संयंत्र है। यह संयंत्र केलशियम अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक का उत्पादन करता है। यह अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड जैसे मध्यवर्ती रसायनों का भी उत्पादन करता है।

(ग) से (ङ) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का निम्नलिखित इकाइयों के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने का प्रस्ताव है:

1. बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में विद्युत संयंत्र
2. भिलाई इस्पात संयंत्र का आक्सीजन संयंत्र-2
3. सेलम इस्पात संयंत्र (एस.एस.पी.), सेलम
4. मिश्र इस्पात संयंत्र (ए.एस.पी.), दुर्गापुर
5. विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (वी आई एस पी), भद्रावती
6. उर्वरक संयंत्र, राउरकेला
7. इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को)

उर्वरक संयंत्र को संयुक्त उद्यम में परिवर्तित करने की प्रक्रिया दिसम्बर, 2001 तक पूरी करने का कार्यक्रम है।

तेल कंपनियों को भूमि का आबंटन

4541. श्री रामजी मांझी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि और विकास कार्यालय ने दिल्ली में फिलिंग-कम-सर्विस स्टेशन हेतु तेल कंपनियों को भूमि का आबंटन किया था और इसके द्वारा भूमि हेतु पट्टे की दर निर्धारित करने और उसे प्रत्येक पांच वर्ष पर संशोधन करना था;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक पांच वर्ष पर नियमित रूप से दरों को संशोधित किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके कारण राज्य को कितनी वित्तीय हानि हुई; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) 1979 में निर्धारित भूमि किराए में 1.10.1986 से संशोधन किया गया था। तथापि, तेल कंपनियों ने इस तर्क पर संशोधित

दरों का भुगतान नहीं किया कि मामले की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही थी। चूंकि इस मामले पर कोई सहमति नहीं हो सकी, इसलिए 9.9.1998 को यह निर्णय लिया गया कि 1.10.86 से संशोधित दरों पर भूमि किराया वसूल किया जाए और यदि तेल कंपनियां संशोधित दरों पर भुगतान करने में असफल होती हैं तो पट्टा शर्तों के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। अब अनेक खुदरा बिक्री केंद्रों ने बढ़े हुए भूमि किराए का भुगतान कर दिया है और जिन कंपनियों ने संशोधित भूमि किराए का भुगतान नहीं किया है उनके खिलाफ पट्टा शर्तों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सितम्बर, 1998 में, वित्त सदस्य, डीडीए के अध्यक्षता में पैट्रोल पम्प स्थलों के भूमि किराए में और संशोधन करने तथा संबद्ध मसलों की जांच के लिए एक दल का गठन किया गया था और इस दल ने अब अपनी रिपोर्ट दे दी है। अन्य श्रेणियों की भूमि दरों के साथ-साथ भूमि किराए में और संशोधन किया जाएगा।

डब्ल्यू.सी.एल. के अंतर्गत रोजगार

4542. श्री नरेश पुगलिया :
श्री उत्तमराव पाटील :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन किसानों/भू-स्वामियों के एक नामित को रोजगार दिए जाने का प्रावधान है जिनकी भूमि का अधिग्रहण कोलफील्ड द्वारा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) डब्ल्यू.सी.एल. में रोजगार प्राप्त करने वाले संभावित व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या समझौते के अनुसार भू-स्वामियों के नामित को, जो उनकी दत्तक पुत्री का पति होता है, को डब्ल्यू.सी.एल. में रोजगार दिया जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो अब डब्ल्यू.सी.एल. द्वारा उक्त नामितों की सेवाओं को समाप्त करना आरंभ किए जाने के क्या कारण हैं;

(च) अब तक उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनकी सेवाओं को समाप्त किया गया है; और

(छ) क्या सरकार का विचार इस निर्णय की समीक्षा करने हेतु कोई कदम उठाने का है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) अपवादात्मक परिस्थितियों में रिक्तियों को भरने के लिए ऐसे भू-वंचितों को, भूमि के बदले रोजगार दिए जाने पर विचार करने का प्रावधान है, जो पात्रता की पद्धति को पूरा करते हों और संबंधित कोयला कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा उसका अनुमोदन किया गया हो।

(ख) कोयला कंपनियां भू-वंचितों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा घोषित किए गए मानदंडों के अनुसार रोजगार देंगी। तथापि ऐसे रोजगार की मंजूरी कोयला कंपनी की नीचे उल्लिखित योजना के अनुसार नियंत्रित होगी:

(i) रोजगार देने के लिए यदि राज्य सरकार का कोई मानदंड नहीं होने पर रोजगार निम्नवत नियंत्रित होगा।

(ii) प्रत्येक 2 एकड़ भूमि के लिए एक रोजगार। तथापि, 2 एकड़ सिंचित भूमि अथवा 3 एकड़ असिंचित भूमि के बदले एक रोजगार मंजूर करने वाली सहायक कंपनियां उसी नीति को जारी रखेंगी।

(ग) डब्ल्यू.सी.एल. में फरवरी, 2001 तक रोजगार दिए गए व्यक्तियों की संख्या 5561 है।

(घ) आमतौर पर भूमि से विस्थापितों अथवा उनके प्रत्यक्ष वंशगत आश्रित को उपर्युक्त मार्गनिर्देशनों के अनुसार रोजगार दिया जाता है। कभी-कभी, मामले के गुणों को देखते हुए जहां ऐसा रोजगार हुए अपरिहार्य हों, इसमें पैकेज डील में ढील दी जा रही है।

(ङ) कर्मचारियों की बर्खास्तगी स्थायी ओदश के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है जिसके तहत कर्मचारियों की सेवाएं प्रशासित होती हैं। यह पाया गया है कि कुछ नामितियों ने जाली घोषणा, जैसे दामाद, के आधार पर रोजगार प्राप्त किया था इसलिए कदाचार प्रमाणित होने पर उनकी सेवाएं समाप्त की गई थीं।

(च) बर्खास्त किए गए व्यक्तियों की संख्या—7 (सात)

1 (एक) व्यक्ति को 1 अप्रैल, 1999 में बर्खास्त किया गया तथा 6 (छह) व्यक्तियों को 28 दिसम्बर, 2000 को बर्खास्त किया गया।

(छ) मामले को पंचाट के लिए प्रभागीय आयुक्त, अमरावती के पास आपसी सहमति हेतु भेजा गया है।

चेन्नई में मल सफाई कार्य

4543. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेन्नई शहर में मल सफाई कार्य सिंगापुर स्थित एक व्यावसायिक फर्म को दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो मल सफाई कार्य के लिए इस फर्म के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए;

(ग) क्या केंद्र सरकार मल सफाई कार्य हेतु भी ऐसे ठेके विदेशी फर्मों को देने की मंजूरी देती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) चेन्नई निगम द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार चेन्नई में 10 में से 3 जोन में म्युनिसिपल कचरा एकत्र करने का कार्य चेन्नई एन्वायरमेंट सर्विसिज ओनिक्स लि. द्वारा किया जा रहा है जो कंपनी अधिनियम के अनुसार भारत में पंजीकृत एक विशेष प्रयोजन कंपनी है। यह फर्म मैसर्स सी जी ई ए एशिया होल्डिंगस् प्रा. लि. सिंगापुर

की 100% सहायक (सब्सिडियरी) कंपनी है। चेन्नई निगम की ओर से जारी परिषद के संकल्प के आधार पर तमिलनाडु सरकार के उपक्रम तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लि. को बोलीदाताओं का चयन करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के माध्यम से चयन की कार्रवाई करने को कहा गया था। फर्म ने इसके लिए लागू आवश्यक अनुमोदन तथा स्वीकृति प्राप्त कर ली है।

(ग) और (घ) भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए विदेशी कंपनी के आवेदनों पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग) में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफ आई पी बी) द्वारा विचार किया जाता है और क्षेत्र विशेष के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश दिशानिर्देशों व संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर सिफारिश की जाती है।

टाइप-I आवासों में अतिरिक्त सुविधाएं

4544. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में टाइप-I आवासों में कुछ अतिरिक्त सुविधाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मदवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सुविधाओं को उपलब्ध कराए जाने के मानदंड क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इसी प्रकार की अतिरिक्त सुविधाएं टाइप-II और टाइप-III आवासों में भी उपलब्ध कराने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त अतिरिक्त सुविधाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने/उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) वर्तमान में टाइप-I सरकारी क्वार्टरों में सामूहिक शौचालय हैं, जिनमें अब आबंटियों से बिना कोई अतिरिक्त शुल्क लिए अलग-अलग शौचालय मुहैया कराए जा रहे हैं क्योंकि इस समय हर क्वार्टर में अलग-अलग शौचालय नहीं हैं।

(घ) चूंकि टाइप-II और टाइप-III क्वार्टरों में पहले से ही अलग-अलग शौचालय हैं इसलिए उनके लिए कोई अतिरिक्त शौचालय बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में लंबित परियोजनाएं

4545. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री दिनांक 1 अगस्त, 2000 के तारांकित प्रश्न सं. 136 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में लंबित परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

म्यांमार सीमा पर सुरक्षा

4546. श्री सुबोध मोहिते : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और म्यांमार की सरकारों ने दोनों देशों से लगी सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उपायों को कार्यान्वयन की दिशा में की गई प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों की सीमाओं पर अलगाववाद से लड़ने के संबंध में म्यांमार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। दोनों देशों के सीमा सुरक्षा संबंधी मामलों की पुनरीक्षा आवधिक रूप से राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर और सेना कमांडरों की बारी-बारी से एक-दूसरे के देश में होने वाली बैठकों में की जाती है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

आदर्श बस्ती/ग्राम

4547. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अगले पांच वर्षों में 500 आदर्श बस्तियों और 500 आदर्श ग्रामों को विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या रणनीति तैयार की गई है;

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामों एवं बस्तियों का चयन किए जाने के लिए अपनाए गए मानदंड क्या हैं;

(घ) कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित की जाने वाली उक्त बस्तियों और ग्रामों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस प्रयोजन हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(च) उन गांवों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (च) संस्कृति विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, तीर्थांकर महावीर जन्म कल्याणक के 2600वें वर्ष के समारोह के अंश में रूप में 500 गांवों तथा 500 बस्तियों को विकसित करने का प्रस्ताव है। यह संकल्पना अभी विस्तरण और विचाराधीन है।

अन्य देशों द्वारा उच्च शिक्षा में छूट देना

4548. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक भारतीय छात्रों को छूट देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक देश द्वारा दी गई छूटों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त छूटों को दिए जाने पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान छूट का लाभ प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

4549. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना घोषित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके बारे में क्या संभावनाएं हैं;

(ग) इस नई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने के लिए क्या मजबूरियां हैं;

(घ) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने पहले भी स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना लागू की थी;

(ङ) यदि हां, तो इसके तहत कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प दिया; और

(च) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में वर्तमान में कितने कर्मचारी सेवारत हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) जी हां। लोक उद्यम विभाग द्वारा परिचालित योजना के आधार पर 20 फरवरी, 2001 से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना शुरू की गई है। इसमें की गई सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 35 दिन के वेतन और शेष सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 25 दिन के वेतन की परिकल्पना की गई है। धनराशि का भुगतान एकमुश्त किया जाना है। सेल को आशा है कि लगभग 10,000 कर्मचारी स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति का लाभ उठाएंगे।

(ग) वित्तीय और कारोबार पुनर्संरचना के संबंध में सेल और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षर हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार सेल के कर्मचारियों की संख्या को वर्ष 2004-05 तक कम करके 1,00,000 तक लाना है।

(घ) और (ङ) जी, हां। अक्तूबर, 1988 से अब तक सेल के 35,133 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना का विकल्प दिया है।

(च) 28 फरवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार सेल (सहायक कंपनियों को छोड़कर) में 1,56,981 कर्मचारी हैं।

उपभोक्ता खपत इकाइयों संबंधी विशेषज्ञ समिति

4550. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एफ. आई. सी. सी. ने वर्ष 1998 के दौरान "कृभको" की इकाइयों से संबंधित उपभोग फार्मों को संशोधित करने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही नहीं कि जिसके कारण उसे 115 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ हुआ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले की जांच करने और "कृभको" को अतिरिक्त लाभ अर्जित करने देने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कृभको से उक्त राशि को ब्याज सहित वसूली करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी) ने 16 मार्च 1998 को आयोजित अपनी बैठक में समिति की रिपोर्ट पर गैस आधारित संयंत्रों के लिए उपयोगिता के मानक के संशोधन के मुद्दे पर परीक्षण करने के लिए विचार किया। एफआईसीसी ने कृभको के मामले में इसको पुरानी पीढ़ी संयंत्र होने के आधार पर संशोधित पद्धति को लागू नहीं करने का फैसला लिया है।

(ग) और (घ) चूंकि एफ आई सी सी ने उस समय प्रचलित गुण दोष आधार पर फैसला लिया है इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) एफआईसीसी के समक्ष मामला इसकी अगली बैठक में पुनर्विचार के लिए आ रहा है।

[हिन्दी]

दिल्ली विश्वविद्यालय में आरक्षित पद

4551. श्री रामदास आठवले: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए व्याख्याता, रीडर और प्रोफेसर के आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार रिक्त पड़े ऐसे पदों की संख्या क्या है और ये पद कब से रिक्त पड़े हैं;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) सामाजिक न्याय अकादमिक मंच, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अध्यक्ष, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय समिति को उच्चतर अध्ययन संस्थाओं में शिक्षण पदों के लिए आरक्षण नीति के धीमी गति के कार्यान्वयन के संबंध में दिया गया एक सामान्य अभ्यावेदन मई, 2000 में लोक सभा सचिवालय के माध्यम से प्राप्त हुआ था।

(ङ) अब सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से अनुरोध किया गया है कि वे विशेष अभियान शुरू करके सभी श्रेणियों के पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के निर्धारित कोटे के पदों को भरने हेतु कदम उठाएं।

एन.एफ.एल. की बिक्री और लाभार्जन

4552. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने वर्ष 1998-99 की तुलना में वर्ष 1997-98 के दौरान अधिक लाभार्जन किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान इसकी बिक्री और लाभार्जन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की तुलना में निजी कंपनियों का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) नेशनल फर्टिलाइजर लि. ने वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान क्रमशः 189.1 करोड़ रुपये और 41.15 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया था।

वर्ष 1997-98 के लाभ में विगत वर्षों से संबंधित राजसहायता की 148.90 करोड़ रुपये की बकाया राशि सम्मिलित थी। वर्ष 1998-99 के लाभ में दिनांक 1.1.1997 से कंपनी के कर्मचारियों के मजदूरी संशोधन के बकाया के प्रति 26 करोड़ रुपये का प्रावधान किए जाने के कारण कमी हुई है।

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान कंपनी की कुल बिक्री और लाभ क्रमशः 2452.66 करोड़ रुपये और 34.89 करोड़ रुपये था।

(घ) और (ङ) अनिवार्य लाइसेंसिंग सूची में रखे गए कुछ खतरनाक रसायनों को छोड़कर उर्वरक और रसायन क्षेत्र लाइसेंस मुक्त हैं। यह मंत्रालय विशिष्ट निजी क्षेत्र उपक्रमों के कार्यनिष्पादन पर निगरानी नहीं रखता है।

[अनुवाद]

बाल-शिक्षा के लिए 83वां संविधान संशोधन विधेयक

4553. श्री सईदुज्जमा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 83वें संविधान संशोधन विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में विभिन्न संगठनों जैसे "एक्शन इन्डिया ट्रस्ट" तथा "नेशनल एलॉयन्स फॉर फंडामेन्टल राइट टू एजूकेशन" से भिन्न-भिन्न विचार प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार संसद के चालू सत्र के दौरान संशोधन विधेयक को पुनः स्थापित किए जाने से पूर्व गैर सरकारी संगठनों को शामिल करते हुए एक परामर्शदात्री तंत्र की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां। प्रस्तावित 83वें संविधान संशोधन विधेयक पर "नेशनल एलायन्स फॉर फंडामेंटल राइट टू एजूकेशन" समेत विभिन्न संगठनों से राय प्राप्त हुई है।

(ख) इन संगठनों द्वारा विधेयक के संबंध में दिए गए मुख्य सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) राज्य को 18 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और सर्वसुलभ शिक्षा अवश्य उपलब्ध करानी चाहिए।

(ii) शिक्षा के लिए बजटीय आबंटन को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत के बराबर किया जाना चाहिए।

(iii) शैक्षिक अवसरों का प्रावधान करने की जिम्मेदारी संपूर्ण रूप से राज्य की होनी चाहिए।

(iv) निःशुल्क शिक्षा में सिर्फ निःशुल्क पढ़ाई ही शामिल नहीं होनी चाहिए अपितु इसमें पुस्तक, लेखन सामग्री और यूनिफार्म आदि जैसी सहायक लागतें भी शामिल होनी चाहिएं।

(v) आठवीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर बच्चे को प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए ताकि वे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर सकें।

(vi) विधेयक में शिक्षा की गुणवत्ता पर बल दिया जाना चाहिए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा योजना

4554. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 दिसम्बर, 2000 के 'जनसत्ता' में "बीच में पढ़ाई छोड़ने वाली लड़कियों के लिए नई योजना" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें छपे समाचारों का तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकार द्वारा घोषित किसी योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और बालिकाओं तक न पहुंचकर शहर क्षेत्रों तक ही पहुंच पाता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी योजनाओं के लाभ को पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) किशोरियों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से बनाई गई एक नई स्कीम, अर्थात् किशोरी शक्ति योजना मौजूदा समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के एक भाग के रूप में वर्ष 2000-20001 में देश में 2000 विकास खण्डों में शुरू की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत, स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाली 11-18 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है, ताकि आत्मविकास, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कौशल विकास से संबंधित उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(ग) और (घ) स्कीम का उद्देश्य, मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की किशोरियों को सेवाएं प्रदान करना है।

[अनुवाद]

विद्यार्थियों के लिए नई प्रणाली

4555. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 मार्च, 2001 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में "ए न्यू सिस्टम टू हेल्प स्टूडेन्ट्स वर्क, अर्न एण्ड इम्प्रूव" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) ने इस प्रयोजनार्थ इस प्रणाली के लाभप्रद बिन्दुओं के लिए रूपरेखा तैयार करने हेतु एक पैनल बनाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पैनल द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपने की सम्भावना है; और

(घ) इस नई व्यवस्था की रूपरेखा को कब तक अन्तिम रूप दे दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से प्राप्त सूचना के अनुसार, सतत शिक्षा पद्धति के कार्यों पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। पद्धति को और अधिक सुदृढ़ बनाने संबंधी सिफारिशें करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने एक समिति गठित की थी। रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर ही सिफारिशों के आधार पर आगे की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा।

खेल गांव का विकास

4556. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के खेल गांव के विकास हेतु ली गई भूमि दिल्ली के मास्टर प्लान 2001 का स्पष्ट उल्लंघन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली के मास्टर प्लान 2001 के अनुसार उक्त भूमि किस प्रयोजनार्थ नियत की गई थी; और

(घ) पता लगाए गए उन अन्य उल्लंघनों का ब्यौरा क्या है जिनके संबंध में सरकार का विचार कार्यवाही आरम्भ करने का है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) एशियाड विलेज का भू-उपयोग, दिल्ली मास्टर प्लान-2001 के अनुरूप है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 15.93 है. क्षेत्र का भू-उपयोग रिहायशी है और 2.02 है. क्षेत्र का भू-उपयोग सार्वजनिक व अर्ध-सार्वजनिक है।

(घ) इस मंत्रालय को एशियाड टावर के साथ अनुषंगी भूमि के हरित स्थान के दुरुपयोग संबंधी आरोप के एक मामले की सूचना मिली है। यह सूचित किया गया है कि अधिकतर अनधिकृत निर्माण गिरा दिए गए हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा

4557. श्री सुबोध मोहिते: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2000-2001 के दौरान जिला प्राइमरी शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वैकल्पिक विद्यालयों और नए विद्यालयों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विद्यालयों से कितने बच्चे लाभान्वित हुए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान खोले गए वैकल्पिक स्कूलों और नए स्कूलों की राज्यवार संख्या निम्नानुसार है :

राज्य का नाम	वैकल्पिक स्कूलों और नए स्कूलों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	763
बिहार	1466
गुजरात	827
हरियाणा	1005
कर्नाटक	595
केरल	360
महाराष्ट्र	643
उड़ीसा	1884
राजस्थान	417
तमिलनाडु	74
उत्तर प्रदेश	3996
कुल	12030

(ग) इस वर्ष के दौरान 4,41,420 बच्चे शामिल किए गए हैं।

पादप जीन

4558. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन पादप जीनों को विकसित करने के लिए कोई योजना तैयार की है जो औषधीय दृष्टिकोण से तथा परम्परागत पुराने टीकों के लिए महत्वपूर्ण हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) और (ख) जी, हां। कॉलरा और रेबीज के विरूद्ध खाद्य टीकों के उत्पादन हेतु पराजीनी पादपों के विकास के लिए एक बहु-सांस्थानिक परियोजना कार्यान्वयनाधीन है। कॉलरा टॉक्सीन जीन युक्त टमाटर के पौधे उगाए गए हैं। रेबीज़ विषाणु के ई आर ए प्रभेद के एक रेबीज़ ग्लाइकोप्रोटीन जीन को खरबूजे में उत्प्रेरित किया गया है और पराजीनी पादपों मे 66 के डी ग्लाइकोप्रोटीन के निष्पीडन की पुष्टि की गई है। इसके अतिरिक्त, रेबीज़ विषाणु के भारतीय जंगली प्रभेद के ग्लाइकोप्रोटीन-जी जीन को फत्तागोभी में निष्पीडित किया गया है। टमाटर और खरबूजे में निष्पीडित प्रोटीनों की प्रतिरक्षाजनीयता का परीक्षण चूहों पर किया जा रहा है। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली में एक अन्य महत्वपूर्ण औषधीय गुणयुक्त पादप सदाबहार (पेरिविन्कल) पर शोधकार्य की योजना है।

नेशनल इंस्टीच्यूट आफ क्रिमिनोलॉजी एण्ड फोरेंसिक साइन्स की परियोजनाएं

4559. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एण्ड फोरेंसिक साइन्स की चालू परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें आर्थिक कारणों के आधार पर बीच में छोड़ दिया गया है;

(ख) क्या पूर्वोक्त अनुसंधान परियोजनाओं पर काम करने के लिए भर्ती किए गए कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जा रही हैं या आर्थिक पाबंदियों के कारण उन्हें पदावनत किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों को कोई वैकल्पिक रोजगार दिए गए हैं;

(घ) क्या इन परियोजनाओं पर आगे अनुसंधान जारी रखने संबंधी प्रमुख वैज्ञानिकों की समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कोई कार्यवाही की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या अनुसंधान परियोजनाओं के बीच में बंद होने के फलस्वरूप उनकी मंहगी बुनियादी सुविधाओं और उपकरणों का उपयुक्त उपयोग करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और विधि विज्ञान संस्थान द्वारा प्रारम्भ की गई तीन अनुसन्धान परियोजनाएं चल रही हैं:

(i) बॉयो-केमीकल और सिरोलोजीकल स्टडीज ऑफ लेक्टीन्स।

(ii) स्टडी ऑफ मेटाबोलिटीज ऑफ ड्रग्स एण्ड प्वाईजन।

(iii) विभिन्न केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में जनशक्ति की कमी कारण और समाधान। इनमें से क्र.सं. (i) और (ii) पर उल्लिखित परियोजनाऐं 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि से जारी हैं और क्र.सं. (iii) पर उल्लिखित परियोजना, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा प्रायोजित एक अध्ययन है।

आर्थिक तंगी के आधार पर अभी तक किसी भी परियोजना को अचानक बंद नहीं किया गया है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) और (ङ) गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त प्रमुख वैज्ञानिकों और अन्यों की समिति ने दो संबंधित परियोजनाओं के अन्तर्गत अनुसंधान कार्य जारी रखने की सिफारिश की है। इन दो परियोजनाओं पर अनुसंधान कार्य जारी है।

(च) और (छ) प्राप्त किए गए वैज्ञानिक उपकरणों सहित प्लान परियोजनाओं के अन्तर्गत खड़ी की गयी आधारभूत संरचना का प्रयोग, संस्थान में अनुसंधान कार्यों के अलावा शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यों के लिए किया जाता है।

[हिन्दी]

जनजातीय क्षेत्रों में आधार संरचनागत योजनाएं

4560. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान, केन्द्र सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में आधार संरचनागत योजनाओं के लिए राज्यवार और योजनावार कितनी राशि स्वीकृत की गई;

(ख) किन-किन राज्यों ने निर्धारित अवधि के भीतर इस राशि का उपयोग नहीं किया है;

(ग) क्या इस आयोजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के लिए अपेक्षतया कम राशि का विनिधान किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और विभिन्न राज्यों को धनराशि का विनिधान करने के लिए क्या मापदण्ड अपनाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अवसंरचनात्मक विकास के लिए संघ सरकार द्वारा निर्मुक्त राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) राज्यों के आबंटन देश में सभी राज्यों की कुल जनजातीय जनसंख्या के प्रति राज्य में जनजातीय जनसंख्या के अनुपात पर आधारित हैं।

विवरण

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99 निर्मुक्त राशि	1998-99 उपयोग की गई राशि	1999-2000 निर्मुक्त राशि	1999-2000 उपयोग की गई राशि	2000-01 निर्मुक्त राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	607.00	175.00	613.86	182.38	460.50
2.	असम	210.00	0.00	420.17	0.00	443.40
3.	बिहार	483.50	0.00	967.23	1124.00	0.00
4.	गुजरात	450.00	0.00	900.70	400.00	2250.00
5.	हिमाचल प्रदेश	16.00	16.00	31.92	31.92	99.50
6.	जम्मू और कश्मीर	63.50	63.50	124.12	124.12	190.50
7.	कर्नाटक	140.00	308.54	280.03	204.40	420.00
8.	केरल	123.50	0.00	46.92	72.41	0.00
9	मध्य प्रदेश	2125.00	702.16	2250.96	0.00	2057.84
10.	महाराष्ट्र	534.50	678.19	1069.75	0.00	1603.50
11.	मणिपुर	69.00	22.95	92.41	0.00	650.00
12.	उड़ीसा	514.00	514.00	1027.93	1027.93	2957.10
13.	राजस्थान	700.00	800.00	800.29	300.00	1700.00
14.	सिक्किम	9.75	24.36	13.29	113.38	327.88
15.	तमिलनाडु	42.00	0.00	83.93	0.00	63.00
16.	त्रिपुरा	162.50	331.00	124.74	124.74	287.50
17.	उत्तर प्रदेश	21.00	21.00	42.08	28.06	9.61
18.	पश्चिम बंगाल	578.50	278.50	556.75	0.00	835.50
19.	अरुणाचल प्रदेश	60.00	0.00	80.45	0.00	376.55
20.	मेघालय	166.50	156.31	221.88	42.04	477.00
21.	मिजोरम	107.50	0.00	95.53	0.00	72.00
22.	नागालैंड	316.25	316.25	155.06	51.69	950.00
23.	झारखंड					1320.00
24.	छत्तीसगढ़					1530.62
25.	उत्तरांचल					46.94
	कुल	7500.00	4407.76	10000.00	3827.07	19128.94

टिप्पणी : वित्तीय वर्ष 2000-2001 का समापन अभी हुआ है और उपयोग आगामी माहों के दौरान प्राप्त किया जा सकेगा।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

4561. श्री रतन लाल कटारिया:
श्री अनन्त नायक:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान से आज तक "अस्पृश्यता निवारण अधिनियम" और "आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों के निवारण संबंधी अधिनियम" के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित उक्त अधिनियम को उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में कड़ाई से लागू नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अधिनियम को कड़ाई से लागू कराने हेतु राज्य सरकारों को क्या निर्देश जारी किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) पुलिस द्वारा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत, 1997, 1998 और 1999 के दौरान दर्ज किए गए मामलों के बारे में समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण I और विवरण II में दी गई है। इस धारणा का कोई आधार नहीं है कि राज्यों द्वारा इन अधिनियमों का उपयुक्त कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है।

(घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं और इसलिए अपराध को दर्ज करना, उसकी जांच-पड़ताल करना, पता लगाना और रोकथाम करने की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है। तथापि, भारत सरकार राज्य सरकारों को समय-समय पर दाण्डिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार लाने पर और अधिक ध्यान देने और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के प्रति अपराधों को रोकने के लिए यथावश्यक उपाय करने हेतु सलाह देती रही है।

दोनों अधिनियमों के उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989 के कारगर ढंग से कार्यान्वयन के लिए जिसमें कानूनी सहायता सहित पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराना, अभियोजन शुरू करना या उस पर पर्यवेक्षण रखना समितियों या विशेष न्यायालयों की स्थापना करना आवधिक सर्वेक्षण करना, अत्याचार की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान करना, और अत्याचारों के पीड़ित/आश्रित व्यक्तियों को राहत प्रदान करना और उनके पुनर्वास सहित पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करना शामिल है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को 50:50 आधार पर और केन्द्र शासित प्रशासनों को 100% आधार पर केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

(ii) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989 से संबंधित नीतियों/स्कीमों के क्रियान्वयन और मानिटरिंग को प्राथमिकता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

(iii) जहां लम्बित मामलों की संख्या अधिक है वहां राज्य सरकारों को केवल मात्र दर्ज मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए अनुरोध किया गया है।

(iv) राज्य सरकारों के अनुसूचित जाति विकास और समाज कल्याण विभागों के सचिवों की फरवरी, 2000 में हुई एक बैठक में इन अधिनियमों के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई थी और अधिनियमों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु राज्य सरकारों के सचिवों से अनुरोध किया गया था।

(v) सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा 24.2.2000 को राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों को इन अधिनियमों और नीतियों के प्रावधानों का कारगर रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चत करने और साथ हीर पीड़ितों और लक्षित ग्रुपों को सेवाएं मुहैया कराने तथा न्याय दिलाने का भी अनुरोध किया गया।

(vi) सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ने 2.8.2000 को सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य मंत्रियों को अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए प्रभावकारी कदम उठाने का अनुरोध किया है।

मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए देश में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत 40 विशेष न्यायालय और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत 78 विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है।

विवरण-I

1997 के दौरान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989 के अधीन पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामलों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1997 के दौरान दर्ज किए गए मामलों की संख्या	आगे लाए गए मामलों सहित 1997 के दौरान पुलिस के पास लंबित मामलों की संख्या	जांच के पश्चात बंद किए गए मामलों की संख्या	न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किए गए मामलों की संख्या	1997 के अंत तक पुलिस के पास लंबित मामलों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	698	1053	205	308	540
2.	असम	2	2	0	2	0
3.	बिहार	1479	1726	220	1020	486
4.	गोवा	1	1	0	0	1
5.	गुजरात	2122	2341	114	1955	272
6.	हरियाणा	32	36	3	22	11
7.	हिमाचल प्रदेश	17	17	9	8	0
8.	कर्नाटक	1192	1312	161	1081	70
9.	केरल	756	1087	135	407	545
10.	मध्य प्रदेश	4292	4547	150	4037	360
11.	महाराष्ट्र	1114	1697	127	1426	144
12.	मणिपुर	0	3	0	1	2
13.	उड़ीसा	1180	1180	203	915	62
14.	पंजाब	5	7	4	3	0
15.	राजस्थान	6994	9572	3504	2815	3253
16.	सिक्किम	1	1	0	1	0
17.	तमिलनाडु	75	1281	364	360	557
18.	उत्तर प्रदेश	9236	10793	2254	7483	1056
19.	पश्चिम बंगाल	25	62	0	5	57
20.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2	2	0	0	2
21.	दादर एवं नागर हवेली	1	4	0	4	0
22.	दिल्ली	13	17	2	6	9
23.	दमन एवं द्वीप	1	2	1	1	0
	कुल	29,920	36,743	7,456	21,860	7,427

नोट:- 1. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989 जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं है।

2. 8 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों, अर्थात अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पांडिचेरी द्वारा शून्य आंकड़े सूचित किए गए हैं।

1998 के दौरान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989 के अधीन पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामलों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1998 के दौरान दर्ज किए गए मामलों की संख्या	आगे लाए गए मामलों सहित 1998 के दौरान पुलिस के पास लंबित मामलों की संख्या	जांच के पश्चात बंद किए गए मामलों की संख्या	न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किए गए मामलों की संख्या	1998 के अंत तक पुलिस के पास लंबित मामलों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	540	1080	686	195	199
2.	बिहार	1407	1893	201	1065	617
3.	गोवा	2	3	1	1	1
4.	गुजरात	2138	2410	140	1998	272
5.	हरियाणा	32	43	8	22	13
6	हिमाचल प्रदेश	15	15	10	3	2
	कर्नाटक	1279	1349	100	554	695
8.	केरल	716	1261	167	482	612
9.	मध्य प्रदेश	4138	4498	286	3669	543
10.	मणिपुर	2	4	0	0	4
11.	महाराष्ट्र	1069	1213	94	929	190
12.	उड़ीसा	1332	1394	104	506	784
13.	पंजाब	17	17	6	6	5
14.	राजस्थान	6858	10111	3475	2915	3721
15.	तमिलनाडु	897	1454	339	521	594
16.	उत्तर प्रदेश	7095	8151	1890	5443	818
17.	पश्चिम बंगाल	15	72	0	19	53
18.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	2	1	0	1
19.	दादर एवं नागर हवेली	1	1	0	1	0
20.	दिल्ली	7	16	4	6	6
21.	पांडिचेरी	1	1	0	0	1
	कुल	27561	34988	7522	18335	9131

नोट:- 1. अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियां (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989 जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं है।

2. 10 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों, अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दमन एवं दीव द्वारा शून्य आंकड़े सूचित किए गए हैं।

1999 के दौरान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989 के अधीन पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामलों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1999 के दौरान दर्ज किए गए मामलों की संख्या	आगे लाए गए मामलों सहित 1999 के दौरान पुलिस के पास लंबित मामलों की संख्या	जांच के पश्चात बंद किए गए मामलों की संख्या	न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किए गए मामलों की संख्या	1999 के अंत तक पुलिस के पास लंबित मामलों की संख्या
1.	बिहार	1258	1875	167	880	828
2.	गोवा	1	2	1	1	0
3.	गुजरात	1846	2118	76	1643	399
4.	हरियाणा	28	41	18	17	6
5.	हिमाचल प्रदेश	13	15	16	5	4
6.	मध्य प्रदेश	3990	4533	250	3642	641
7.	महाराष्ट्र	927	1117	133	827	157
8.	उड़ीसा	1449	2233	212	911	1110
9.	पंजाब	19	24	4	13	7
10.	राजस्थान	6838	10559	5625	3921	1013
11.	तमिलनाडु	1011	1605	648	700	257
12.	उत्तर प्रदेश	6917	7735	1238	5464	1033
13.	पश्चिम बंगाल	9	62	0	17	45
14.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	1	0	0	1
15.	दादर एवं नागर हवेली	1	1	0	1	0
16.	दमन एवं द्वीप	1	1	0	1	0
17.	दिल्ली	14	20	11	5	4
18.	पांडिचेरी	2	3	0	1	2
	कुल	24325	31945	8389	18049	5507

नोट:- 1. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989 जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं है।

2. 8 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों, अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और चंडीगढ़ द्वारा शून्य आंकड़े सूचित किए गए हैं।

3. आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर और लक्षद्वीप (5) द्वारा आंकड़े नहीं दिए गए।

विवरण-II

1997 के दौरान नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन पुलिस द्वारा दर्ज और निपटान किए गए मामलों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1997 के दौरान दर्ज किए गए मामलों की संख्या	आगे लाए गए मामलों सहित 1997 के दौरान पुलिस के पास लंबित मामलों की संख्या	जांच के पश्चात बंद किए गए मामलों की संख्या	न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किए गए मामलों की संख्या	1997 के अंत तक पुलिस के पास लंबित मामलों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	197	382	30	46	306
2.	गोवा	1	1	0	1	0
3.	गुजरात	22	23	0	22	1
4.	हरियाणा	5	6	1	2	3
	हिमाचल प्रदेश	12	12	3	8	1
6.	जम्मू एवं कश्मीर	0	1	0	0	1
7.	कर्नाटक	234	1089	26	126	937
8.	केरल	7	10	3	4	3
9.	मध्य प्रदेश	67	67	1	64	2
10.	महाराष्ट्र	154	219	18	187	14
11.	उड़ीसा	7	7	0	6	1
12.	पंजाब	3	3	0	1	2
13.	राजस्थान	4	18	1	3	14
14.	तमिलनाडु	68	141	29	34	78
15.	उत्तर प्रदेश	20	32	5	25	2
16.	दिल्ली	8	11	2	1	8
17.	चंडीगढ़ प्रशासन	1	1	0	0	1
18.	पांडिचेरी	21	30	19	5	6
	कुल	831	2053	138	535	1380

नोटः- 14 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली, दमण और दीव तथा लक्षद्वीप द्वारा शून्य आंकड़े सूचित किए गए।

1998 के दौरान नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन पुलिस द्वारा दर्ज और निपटान किए गए मामलों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1998 के दौरान दर्ज किए गए मामलों की संख्या	आगे लाए गए मामलों सहित 1998 के दौरान पुलिस के पास लंबित मामलों की संख्या	जांच के पश्चात बंद किए गए मामलों की संख्या	न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किए गए मामलों की संख्या	1998 के अंत तक पुलिस के पास लंबित मामलों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	199	505	431	22	52
2.	गोवा	1	1	0	0	1
3.	बिहार*	1	1	0	0	1
4.	गुजरात	19	20	4	15	1
5.	हरियाणा	1	4	3	0	1
6	हिमाचल प्रदेश	0	1	0	0	1
7.	मध्य प्रदेश	58	60	2	54	4
8.	जम्मू एवं कश्मीर	1	2	0	1	1
9.	कर्नाटक	137	1074	17	53	1004
10.	केरल	2	5	2	0	3
11.	महाराष्ट्र	108	122	16	86	20
12.	उड़ीसा	4	5	0	1	4
13.	पंजाब	1	3	2	1	0
14.	राजस्थान	1	15	0	1	14
15.	तमिलनाडु	49	127	34	47	46
16.	उत्तर प्रदेश	8	10	4	6	0
17.	चंडीगढ़ प्रशासन	0	1	0	1	0
18.	दिल्ली	9	17	4	5	8
19.	पांडिचेरी	12	18	2	9	7
	कुल	611	1991	521	302	1168

नोटः- 1. 13 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, दादर एवं नगर हवेली, दमण और दीव, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वारा शून्य आंकड़े सूचित किए गए।

2. *बिहार के केवल 15 जिलों के लिए सूचित आंकड़े।

1999 के दौरान नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन पुलिस द्वारा दर्ज और निपटान किए गए मामलों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1999 के दौरान दर्ज किए गए मामलों की संख्या	आगे लाए गए मामलों सहित 1999 के दौरान पुलिस के पास लंबित मामलों की संख्या	जांच के पश्चात बंद किए गए मामलों की संख्या	न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किए गए मामलों की संख्या	1999 के अंत तक पुलिस के पास लंबित मामलों की संख्या
1.	बिहार	2	20	0	1	19
2.	गोवा	0	1	1	0	0
3.	गुजरात	3	4	0	4	0
4.	हरियाणा	1	2	1	1	0
	हिमाचल प्रदेश	2	3	0	1	2
6.	जम्मू एवं कश्मीर	1	2	0	0	2
7.	कर्नाटक	106	1110	18	42	1050
8.	केरल	3	6	0	2	4
9.	मध्य प्रदेश	13	17	0	11	6
10.	महाराष्ट्र	53	73	8	56	9
11.	उड़ीसा	4	8	0	3	5
12.	पंजाब	5	5	0	2	3
13.	राजस्थान	2	16	3	13	0
14.	तमिलनाडु	32	78	30	45	3
15.	दिल्ली	10	18	3	8	7
16.	पांडिचेरी	10	17	4	6	7
	कुल	247	1380	68	195	1117

नोटः 1. 14 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चड़ीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दमण और दीव तथा लक्षद्वीप द्वारा शून्य आंकड़े सूचित किए गए।

2. आन्ध्र प्रदेश और मणिपुर (2)

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को फ्लैटों का आवंटन

4562. श्री रामदास आठवले: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एशियाड 1982 के दौरान खिलाड़ियों के ठहरने और रहने के लिए 850 फ्लैटों का निर्माण किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को लागत मूल्य पर 25 प्रतिशत फ्लैटों के आवंटन का निर्णय किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक उन्हें कितने फ्लैटों का आवंटन किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) एशियाई खेलगांव परिसर (ए जी वी सी) में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न श्रेणी के कुल 853 फ्लैटों का निर्माण किया गया था।

(ग) से (ङ) अप्रैल, 1987 में दिल्ली विकास प्राधिकरण को, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु उस समय खाली, फ्लैटों का 25% आरक्षण मुहैया कराने के लिए निदेश जारी किए गए थे। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 14 फ्लैट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आबंटन हेतु पेश (आफर) किए गए थे। यह फ्लैट प्रैस विज्ञप्ति के जरिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आबंटन हेतु जून, 1987 में पेश किए गए थे। परन्तु केवल एक ही आवेदन प्राप्त हुआ था। इसलिए समय-समय पर दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिए गए निदेशों के अनुसार 11 और फ्लैट आबंटित किए गए। कुल 12 फ्लैट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आबंटित किए गए।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आबंटित 12 फ्लैटों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आवंटित एशियाई खेलगांव परिसर फ्लैटों की सूची

क्र.सं.	नाम	श्रेणी
1.	श्री कृष्ण मेक	अनुसूचित जनजाति
2.	श्री अलोगबा अक	अनुसूचित जनजाति
3.	श्री होकीये सेमा	अनुसूचित जनजाति
4.	श्री एल.के. सेमा	अनुसूचित जनजाति
5.	श्री रोशन लाल	अनुसूचित जाति
6.	श्री रामरतन राम	अनुसूचित जाति
7.	श्रीमती उर्मिला देवी	अनुसूचित जाति
8.	सुश्री रोसेंग्सला	अनुसूचित जनजाति
9.	श्री हिफेई	अनुसूचित जनजाति
10.	श्री वी.आर. सागर	अनुसूचित जाति
11.	श्री के.पी. रावत	अनुसूचित जाति
12.	श्री तेनसुला	अनुसूचित जाति

विश्वविद्यालयों को निधियां

4564. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों पर व्यय को कम करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अक्षय निधियों के विकास और स्वप्रयासों से अपने संसाधनों को जुटाने के लिए निदेश देने हेतु कोई योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) नौवीं योजना के दौरान उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में योजनागत तथा योजनेत्तर परिव्ययों में पर्याप्त वृद्धि की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों पर होने वाले व्यय में कटौती करने का कोई सुझाव नहीं दिया है। तथापि विकासेत्तर संबंधी योजनेत्तर व्यय में वृद्धि पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में व्यय प्रबंधन संबंधी सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को परिचालित किया गया है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा संसाधन जुटाने के प्रयास को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत किसी विश्वविद्यालय द्वारा किसी वित्त वर्ष में जुटाए गए संसाधनों के 25% के बराबर अतिरिक्त धनराशि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाती है और इस धनराशि की अधिकतम सीमा 25.00 लाख रुपये है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाने हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप शून्य-काल के दौरान अपना मामला उठा सकत हैं।

...(व्यवधान)

अपराहन 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : महोदय, मैं श्री टी.आर.बालू की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन तथा बागान विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लैयर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन तथा बागान विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लैयर के वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 3507/2001]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) ओरोविले फाउंडेशन, ओरोविले के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) ओरोविले फाउंडेशन, ओरोविले के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) ओरोविले फाउंडेशन, ओरोविले के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3508/2001]

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं श्री यशवंत सिन्हा की ओर से संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक–संघ सरकार (सिविल) (2001 का संख्यांक 9क)–कार्यनिष्पादन मूल्यांकन–संसद सदस्य–स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 3509/2001]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 1145 (अ), जो 13 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग, दुर्ग बाईपास के उपयोग के लिए मैकेनिकल वाहनों पर शुल्क के संग्रहण को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्र को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3510/2001]

(3) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (कार्य का संव्यवहार) संशोधन विनियम, 2001, जो 6 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11041/26/2000-प्रशासन में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्र को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3511/2001]

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) वर्ष 2001-2002 के लिए कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3512/2001]

(2) वर्ष 2001-2002 के लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकरण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3513/2001]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं श्री मुनि लाल की ओर से कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना 2000 जो 6 जनवरी 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 18 में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3514/2001]

अध्यक्ष महोदय : श्री संतोष कुमार गंगवार, आपको पीठासीन अधिकारी को अग्रिम में सूचित करना पड़ेगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, पिछले दो सत्रों से ऐसा चल रहा है। आप कृपया उन्हें निर्देश दें क्योंकि ऐसे पत्र रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट फार मेडीकल साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुअनन्तपुरम के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट फार मेडिकल साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुअनन्तपुरम के वर्ष 1999-2000 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3515/2001]

अपराह्न 12.2½ बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

बीसवां, इक्कीसवां, बाईसवां और तेईसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना प्रोद्योगिकी संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :

(1) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांग (2000-2001' के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी बीसवां प्रतिवेदन।

(2) डाक विभाग से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2001-2002)' के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (13वीं लोक सभा) का इक्कीसवां प्रतिवेदन।

(3) दूर संचार विभाग से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2001-2002)' के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (13वीं लोक सभा) का बाईसवां प्रतिवेदन।

(4) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2001-2002)' के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (13वीं लोक सभा) का तेईसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03½ बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

नौवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2001-2002) के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.04 बजे

गृह-कार्य सम्बन्धी स्थायी समिति

सड़सठवां, अड़सठवां, और उनहत्तरवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2000-2001) पर उनसठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी सड़सठवां प्रतिवेदन;

(2) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2000-2001) पर साठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई-कार्यवाही संबंधी अड़सठवां प्रतिवेदन; और

(3) विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2000-2001) पर इकसठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई-कार्यवाही संबंधी उनहत्तरवां प्रतिवेदन।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, हमारे नोटिस का क्या हुआ? घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदय, मैंने आज आपसे विशेष अनुरोध किया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सिंधिया, अपने स्थान पर बैठिए, मुझे डा. रघुवंश प्रसाद सिंह और कुंवर अखिलेश सिंह से दो स्थगन प्रस्ताव के नोटिस मिले हैं। अतः मुझे नियमानुसार उन्हें पहले बुलाना है। मैं आपका नाम बाद में बुलाऊंगा। उन्होंने स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे नोटिस का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : आपका कोई नोटिस नहीं है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में कई घर जला दिए गए और बच्चों को आग में झोंक दिया गया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, मैं आपको बाद में बुलाऊंगा। आप बैठ जाएं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण मामला है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैंने डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह का नाम बुलाया है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हमने आपको नहीं बुलाया। आप बैठ जायें। आपको इसके लिए पहले नोटिस देना चाहिए लेकिन आपने पहले नोटिस नहीं दिया है। इन लोगों ने पहले नोटिस दिया है। आप बैठ जाएं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह।

अपराह्न 12.06 बजे

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, तहलका प्रकरण ने देश में भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है। देश और दुनिया के लोगों ने टी.वी. पर इन लोगों को घूस लेते हुए देखा, जिस पर सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है और घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। कहीं कस्टम घोटाला, कहीं रक्षा सौदे को घोटाला, कहीं टेलीकॉम घोटाला हुआ है। यह सम्पूर्ण मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार में लिप्त है और सरकार उनकी जांच नहीं कर रही है। हमने इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही न किए जाने पर यह नोटिस दिया है। यह घटना विशेष है, स्पेसिफिक है, निश्चित है, अति लोक महत्व का विषय है, नियमानुकूल है। इसीलिए हमने यह नोटिस दिया है। यह सरकार न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रही है बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। सरकार ज्युडिशियल इंक्वायरी करके लीपा-पोती कर रही है। इसलिए विपक्ष की मांग है कि जो पकड़े गए हैं, सरकार उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही करे वरना जे.पी.सी. का गठन हो। हमने इस मामले में यह नोटिस दिया है। इसलिए जे.पी.सी. के गठन के बिना यह कार्यवाही आगे नहीं चल सकती है।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, तहलका.कॉम प्रकरण से न केवल देश के अंन्दर सरकार की छवि धूमिल हुई है बल्कि विदेशों में भी धूमिल हुई है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक प्रश्नचिन्ह उभरकर सामने आया है। अगर यह वर्तमान सरकार हुकूमत में रहती है तो क्या देश की सीमायें सुरक्षित रहेंगी? तहलका. कॉम प्रकरण से एक बात सीधे तौर पर उजागर हुई है कि एन.डी.ए. की

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सरकार में रक्षा सौदे की दलाली का कार्य नियमित रूप से चल रहा है। तहलका.कॉम प्रकरण के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बंगारू लक्ष्मण और समता पार्टी की तत्कालीन अध्यक्ष, श्रीमती जया जेटली को किस जिस प्रकार से पैसा लेते हुए दिखाया गया है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेख सिंह, चूंकि आपने नोटिस दिया है, आप इसके बारे में उल्लेख कर सकते हैं। परंतु यह वाद-विवाद नहीं है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये लोग भ्रष्टाचार में किस प्रकार से लिप्त हैं, वह मैं आपको बताना चाहता हूं...*(व्यवधान)* आप लोग सुनने की हिम्मत रखिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपने स्थान ग्रहण करें। यह क्या है? चूंकि उन्होंने स्थगन प्रस्ताव के लिए अपना नाम दिया है, इसलिए मैंने उनका नाम बुलाया है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के संसद सदस्यों का चरित्र इस बात को उजागर कर रहा है कि भ्रष्टाचार में इन लोगों के हाथ रंगे हुए हैं। ये लोग इस फिराक में हैं कि सदन में इस विषय पर चर्चा न हो। हम चाहते हैं कि सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही रोक कर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराई जाये। सरकार की तरफ से जो न्यायिक जांच की बात की जा रही है, वह मात्र लीपा-पोती है। न्यायिक जांच द्वारा मामले को ठंडे बस्ते में डालकर भ्रष्ट लोगों को बचाने की साजिश की जा रही है। इसलिए इस न्यायिक जांच से काम चलने वाला नहीं है। इसके पहले भी संसद के अंदर जे.पी.सी. द्वारा इंक्वायरी कराने का निर्णय लिया गया था और उसके परिणाम से संसद और सारा देश पूरी तरह से परिचित है।

इसलिए हमारी मांग है कि सम्पूर्ण सदन की कार्रवाई को रोककर इस गंभीर विषय पर चर्चा कराई जाए। प्रथम दृष्टया रक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद यह सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है। रक्षा मंत्री का इस्तीफा इस बात को साबित करता है....*(व्यवधान)* रक्षा मंत्री का इस्तीफा यह साबित करता है कि रक्षा सौदों में दलाली ली गई है। इसलिए हम आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हैं कि सम्पूर्ण सदन की कार्रवाई को स्थगित करके इस गम्भीर विषय पर सदन में चर्चा कराई जाए...*(व्यवधान)*

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : इतने ईमानदार और योग्य रक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है, जब वह जवाब देंगे तो आपकी पोल खुल जायेगी। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : जो लोग दलाली में पकड़े गये हैं उन्हें जेल भेज दो।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव के दोनों नोटिस अस्वीकृत कर दिए गए हैं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.11 बजे

रक्षा सौदों के संबंध में तहलका डॉट कॉम द्वारा किए गए रहस्योद्घाटन के बारे में

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदय इस सत्र के पूर्वार्ध में हम कुछेक दुखद घटनाओं के साक्षी रहे हैं जिन्हें हमने अपनी आंखों से टेलीविजन पर देखा। भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है, जिसे समाप्त करने के लिए हमें एकजुट होकर पूरे उत्साह से कार्य करना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संबंधी मामलों में भ्रष्टाचार अक्षम्य और अस्वीकार्य है। यह केवल कांग्रेस पार्टी का ही मत नहीं है। यह पूरे देश की आम राय है कि विशेषतौर पर ऐसी सरकार, जो यह घोषणा करके सत्ता पर काबीज हुई है कि ईमानदारी, अखंडता और पारदर्शिता उसके मार्गदर्शक होंगे को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। यह आम राय थी। इसलिए हम सभी ने क्षोभ और घृणा की राष्ट्रीय भावना को अभिव्यक्ति प्रदान करने में विपक्ष के अपने सहयोगियों का साथ दिया।

सत्रावकाश के दौरान कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि वह इस मामले को लोगों तक लेकर जायेगी। परंतु इस सरकार ने सत्रावकाश के दौरान क्या किया? उन्होंने इस विशेष मामले में घोर अकर्मण्यता का परिचय दिया। जैसा कि कुंवर अखिलेश ने बताया है, एक जांच-आयोग नियुक्त किया गया। आपराधिक मामलों में ऐसा नहीं किया जाता। जांच आयोग मूल रूप से सच्चाई का पता लगाने वाला एक आयोग होता है। वास्तव में, इसे अन्य ऐजेंसियों की तरह जाँच-संबंधी व्यापक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसे उन विचाराधीन विषयों तक ही सीमित रहना पड़ता है, जिन्हें हम बिल्कुल अपर्याप्त मानते हैं। वास्तव में विचाराधीन विषय ही ऐसा है कि वह जांचकर्त्ताओं की ही जांच करने के लिए कहता है। इससे अधिक और कोई बात हास्यास्पद नहीं हो सकती। अतः दुर्भाग्य से हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि यह मात्र ध्यान विकेन्द्रित करने का प्रयास है और सरकार अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई है।

हम चर्चा करवाना चाहते हैं। उस पर कोई दो राय नहीं है। संसद सर्वदा सर्वोच्च है। संसदीय वाद-विवाद का कांग्रेस अत्यधिक सम्मान करती है। परंतु अपने अड़ियलपन के चलते यह सरकार सारी सीमायें पार कर चुकी है। हमने हमेशा ही लक्ष्मण रेखा को बनाये रखा है। जब सरकार विपक्ष को जवाब न देना चाहे और राष्ट्रीय भावना का प्रत्युत्तर

न दे, तो उसमें यह प्रयास करने के अलावा और कोई उपाय नहीं रह जाता कि इस सरकार में राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना जगाई जाये।

अतः कांग्रेस की दो मांगे हैं। पहली यह है संसद के अधिकार, भव्यता और संप्रभुता का परिचय देते हुए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाए, जो सभी पहलुओं पर विचार कर सके। दूसरी मांग यह है कि जांच अवश्य शुरू की जाए। जो कानून इस देश के अन्य सभी लोगों के लिए है, वही उन लोगों के लिए भी लागू हो जिन्हें उनके कथनानुसार तथाकथित रूप से और हमारे तथा लोगों के अनुसार स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है। हमारी ये दो मांगे हैं। हम चर्चा करवाना चाहते हैं और इसके बारे में हमारे स्पष्ट विचार हैं।

... का दृष्टिकोण है, 'चर्चा और कोई कार्यवाही नहीं।' हमारा ... 'पहले कार्यवाही और बाद में चर्चा।' हम सरकार से यही ... हमारी न्यूनतम अपेक्षायें हैं। संयुक्त संसदीय समिति का गठन करके जांच-पड़ताल शुरू करना और उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करना, जो सभी प्रकार के निंदनीय कार्यों में लिप्त पाये गये। विधि-सम्मत प्रक्रिया को उचित तरीके से कार्य करना शुरू करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : मैं चाहूंगा कि सरकार कुछ जवाब दे। *...(व्यवधान)*

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : प्रधान मंत्री महोदय को उत्तर देना चाहिए*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : सर, इनका कार्य ही यह हो गया है कि रोजाना हाउस को डिस्टर्ब किया जाए।*...(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, एक पक्षीय बात कही जा रही है। हमें भी बोलने का अवसर दिया जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया : हमें सरकार से कोई जवाब मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल भी इस विषय पर बोलना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : सरकार ने इस विशेष मामले में जांच शुरू क्यों नहीं की है। हम सरकार से जानना चाहते हैं*...(व्यवधान)* एक-एक बात का विस्तार से वर्णन किया गया था। वह "आंखों देखा हाल" था। लेकिन उसकी कोई जांच नहीं की गई। जांच का कार्य किसी को क्यों नहीं सौंपा गया? हमें सरकार से स्पष्टीकरण मिलना चाहिए*...(व्यवधान)* इस संबंध में सरकार का पक्ष सुने*....(व्यवधान)* महोदय, मंत्री महोदय मेरे द्वारा पूछे गए दो मुख्य प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं*...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : सत्तापक्ष को उत्तर देने दीजिए*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले सरकार की बात सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या अब आप उत्तर देना चाहते हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब कभी मुझसे प्रश्न पूछेंगे, मैं उसका उत्तर दूंगा*...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह एक बहुत गंभीर मामला है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले हम सरकार का उत्तर सुनें।

...(व्यवधान)

श्री. एन.एन. कृष्णदास (पालघाट) : पहले आप हमारे विचार सुन लीजिए*....(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें भी अनुमति दे सकता हूं। सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहती है।

...(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : बंगाल में चुनाव समाप्त होने के पश्चात मैं उन्हें अलग से उत्तर दूंगा*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे बाद में उत्तर दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि इस विषय को शून्य-काल में क्यों उठाया गया। जब से सदन में और सदन के बाहर तहलका की चर्चा शुरू हुई है, सरकार की ओर से बार-बार यह कहा गया है कि सरकार सदन में तहलका के सभी पहलुओं पर चर्चा करना चाहती है।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : सरकार को पहले कार्यवाही करनी चाहिए और तत्पश्चात संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष जी, हमको यह अजीब तरीका बताया जा रहा है कि "पहले ट्रीटमेंट दो बाद में डायगनॉस करो" ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृप्या धैर्य रखिए। सदस्य सरकार से उत्तर मांग रहे थे और अब वे सुनने के लिए तैयार भी नहीं हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा कि तहलका मामले में सरकार के किसी भी मंत्री पर कोई आरोप किसी टेप में नहीं लगा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें बात पूरी करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उसमें आपके भूतपूर्व अध्यक्ष घूस खा रहें हैं।...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर (मइलादुतुरई) : हर मिनिस्टर का नाम लिया गया है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय की कोई बात सुनना चाहते हैं? कृपया मुझे बताइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या उनकी बात सुनने में आपकी रुचि नहीं है?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष जी, तहलका डॉट कॉम की टेप को सदन के पटल पर दिखा दिया जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह ट्रेडीशन अच्छा नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर रामदास आठवले, हम आपको बार-बार बोलते हैं, आप क्या कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष जी, बोफोर्स के मामले में गंभीर आरोप लग चुके हैं, प्रामाणिकता तक पहुंच चुके हैं। वे रक्षा सौदे के बारे में संवेदनशील हुए हैं, यह बहुत अच्छी बात है। हम इसका स्वागत करते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया : हम इस पर आपत्ति करते हैं। वे इसे हल्के ढंग से ले रहे हैं। यह मजाक का समय नहीं है...*(व्यवधान)* वे इस गम्भीर मामले को बहुत हल्के ढंग से ले रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री से ऐसी अपेक्षा नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे बहुत गंभीरतापूर्वक कह रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : अध्यक्ष जी, लाखों रुपए लेते हुए वे रंगे हाथों पकड़े गए हैं।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इतना जोर से मत बोलो।

...*(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया : अध्यक्ष महोदय, ये उसकी बात नहीं करेंगे।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, हम जानना चाहते हैं कि क्या मंत्री महोदय दो सुझावों पर कोई सार्थक उत्तर देंगे। मैं केवल यह जानना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिए। इसके बाद अगर कोई शंका होती है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप उन्हें उत्तर नहीं देने दे रहे हैं। आप बाद में प्रश्न पूछ सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, ये गंभीर शैली अपनायें, हल्कापन नहीं चलेगा।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के व्यक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष महोदय, हम तहलका पर बात करने के लिए तैयार हैं। किसी भी प्रकार की कार्यवाही संसदीय राजनीति में के बाद होती है।...*(व्यवधान)* सदन का कामकाज रोकने की कर यह कहना कि पहले आप ऐसी कार्यवाही करो, उसके बाद चर्चा करेंगे, सरकार इसे कभी मंजूर नहीं करेगी।...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, यह क्या बोल रहे हैं? *...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.24 बजे

(इस समय श्री कांतिलाल भूरिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, अन्य महत्वपूर्ण विषयों को 'शून्य काल' के दौरान उठाना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष महोदय, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।...*(व्यवधान)* अगर रक्षा सौदों में कोई बेइमानी की है।....*(व्यवधान)* चर्चा के बाद सारा पता चल जायेगा।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस जाइए। अन्य सदस्यों ने भी सूचनाएं दी हैं

....(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें अन्य मामले उठाने नहीं दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मणिशंकर अय्यर, यहां अन्य सदस्य भी हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने की सूचनाएं दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.25 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.01 बजे

(इस समय श्री के.एच. मुनियप्पा, श्री रामदास आठवले, और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन आज के लिए सूचीबद्ध मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए।

अपराह्न 2.01½ बजे

नियम 377 के अधीन मामले *

[हिन्दी]

(एक) मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : देश के विभिन्न राज्यों के साथ मध्य प्रदेश में भी ग्रामीण क्षेत्रों में बालक-बालिकाओं के लिए शिक्षा सुविधा की दृष्टि से व ग्रामीण अंचलों में शिक्षा के प्रति जागरूकता से श्रेष्ठ व संस्कार सम्पन्न विद्यालयों की आवश्यकता व मांग बढ़ती जा रही है।

* सभा पटल पर रखे माने गए।

केन्द्र सरकार की शिक्षा नीति के अनुसरण में देश में समस्त राज्यों में प्रायः प्रत्येक जिले में ऐसे विद्यालय हो चुके हैं तथा स्थापित होते जा रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में विगत वर्षों से "नवोदय" विद्यालय खोले जाने की मांग बलवती हो गई है। विशेषकर ऐसी स्थिति में जब उन विद्यालयों के मंदसौर जिले में खोले जाने के बारे में अध्ययन हेतु एक केन्द्रीय नवोदय विद्यालय संगठन की उच्च स्तरीय समिति ने भ्रमण कर स्थान आदि के चयन व अन्य सुविधाओं के बारे में राज्य प्रशासन से पूर्ण जानकारी व सम्पर्क किया, किन्तु कार्यवाही में विलम्ब के कारण लोगों में असंतोष स्वाभाविक है।

अतः मेरी मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय से मांग है कि जनहित व ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा प्रसार की दृष्टि से उक्त विद्यालय खोले जाने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करें।

(दो) महाराष्ट्र में अहमदनगर में भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : अहमदनगर जिला महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। यहां पर करीबन 18 सहकारी चीनी मिलें तथा 516 औद्योगिक इकाइयां विकसित हुई हैं जिसमें निजी व्यवसायिकों के साथ जुड़े कम से कम 40 हजार मजदूर हैं और वे सब भविष्य निर्वाह निधि के सदस्य हैं शहर और पूरे जिले में भविष्य निर्वाह निधि का एक निरीक्षक का कार्यालय है। मजदूर तथा अन्य कर्मियों को अनेक कार्यों को ऋण लेना, फायनल पेमेंट तथा अन्य कार्यों के लिए अहमदनगर से करीबन 150 किलोमीटर दूरी पर नासिक रीजनल कार्यालय जाना पड़ता है और एक ही चक्कर में कम हो गया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इसके लिए चार-पांच चक्कर लगाने पड़ते हैं। मजदूरों की आर्थिक स्थिति देखते हुए उनके लिए इतना खर्चा भारी पड़ता है।

अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि अहमदनगर शहर में ही भविष्य निर्वाह निधि का कार्यालय शुरू करें तो इसके साथ जुड़े मजदूर तथा अन्य कर्मियों को लाभ होगा।

(तीन) उत्तर प्रदेश में गोंडा-बहराइच-मैलानी रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किए जाने की तत्काल आवश्यकता

श्री पदमसेन चौधरी (बहराइच) : गोन्डा-बहराइच-मैलानी रेल मार्ग के आमान परिवर्तन की मांग काफी समय से की जा रही है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। इस क्षेत्र में प्रमुख बौद्ध पर्यटन स्थल श्रावस्ती, सैयर सालार की दरगाह, दुधवा नेशनल पार्क आदि प्रमुख स्थल हैं। यह क्षेत्र नेपाल से सटा हुआ है। अतः रेल मार्ग के आमान परिवर्तन होने से विदेशी पर्यटकों के आने जाने तथा अन्य दर्शनीय स्थलों के देखने वालों के आवागमन से पर्यटन स्थल का विकास होगा। बड़ी लाइन न होने के कारण इस पिछड़े व अविकसित क्षेत्र में कोयला, खाद आदि आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति रेल मार्ग से नहीं हो पा रही है। इस कार्य को 1997-98 के पूरक बजट तथा 1999-2000 के रेलवे बजट में शामिल किया गया था।

अतः आपसे अनुरोध है कि रेलवे मार्ग के आमान परिवर्तन को स्वीकृति प्रदान कर दी जाये। वर्ष 2001-2002 के रेल बजट में इस कार्य को आरंभ कराने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

(चार) मुम्बई में मुलुन्ड (पूर्व) में संयुक्त कब्रिस्तान का निर्माण कार्य पूरा किए जाने हेतु "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : मुम्बई के केन्द्रीय औद्योगिक नीति विभाग के नमक आयुक्त ने मुम्बई के मुलुंड (पूर्व) में मिश्रित कब्रिस्तान के निर्माण को पूरा करते हेतु 'अनापत्ति' प्रमाणपत्र जारी नहीं किया है। कब्रिस्तान का निर्माण कार्य रुक गया है चूंकि मुम्बई के नमक विभाग ने मुम्बई नगर निगम को सूचना जारी की है कि वे 60 वर्ग मीटर नमक भूमि पट्टी का मार्ग के रूप में उपयोग न करें।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में 'अनापत्ति' प्रमाणपत्र जारी करें ताकि मुलुंड (पूर्व) में कम्पोजिट कब्रिस्तान का निर्माण कार्य पूरा हो सके।

[हिन्दी]

(पांच) सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : समाज में राजनीतिक लोगों की छवि बहुत खराब हुई है। उसका कारण हम सब हैं। आज आवश्यकता है कि राजनीतिक पार्टियों के नेता आपस में बैठकर एक आचार-संहिता बनायें।

आम आदमी का वास्ता ज्यादा राजनीतिक व्यक्ति से नहीं पड़ता। उसका वास्ता तो नौकरशाह या अफसर से पड़ता है और यही नौकरशाही/अफसर जनता की नहीं सुन रहे और सुननी पड़ रही है, संसद सदस्य, विधायक या निगम पार्षद को। हमारा काम तो नीति/पॉलिसी बनाना है व यह देखना है कि सरकारी कर्मचारी–अफसर ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम ईमानदार अफसर कर्मचारी की पीठ ठोकें और भ्रष्ट को बाहर करें।

[अनुवाद]

(छह) देश में आर्थिक सुधारों के प्रभाव के बारे में श्वेत पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता

डॉ. संजय पासवान (नवादा) : मैं, सरकार का ध्यान उदारीकरण, निजीकरण तथा विश्वव्यापीकरण के प्रभाव का अध्ययन करने की आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता हूं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 10 वर्ष से तीव्र प्रयास चल रहे हैं। आर्थिक सुधारों के शुद्ध निवल परिणाम के बारे में अलग-अलग विचार हैं। कतिपय क्षेत्र, वर्ग और क्षेत्र फल-फूल रहे हैं लेकिन कतिपय और क्षेत्र पीछे चल रहे हैं और कुछ

अधिक संवेदनशील वर्ग और सामरिक क्षेत्र भी इन सुधारों को सुखकर महसूस नहीं कर रहे हैं। ऐसी इस असमानता को ध्यान में रखते हुए मैं वित्त मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा विनिवेश मंत्री को अपनी चिंता से अवगत कराते हेतु यह अनुरोध करता हूं कि वे भारत के 10 वर्षों के आर्थिक सुधारों के संबंध में विस्तृत, स्पष्ट विचार-विमर्श करें तथा इस संबंध में एक श्वेत पत्र जारी करें।

(सात) कर्नाटक में उदुपी रेलवे स्टेशन पर और अधिक रेलवे सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री विनय कुमार सोराके (उदुपी) : मैं हाल में ही चालू हुए कोंकण मार्ग पर उदुपी रेलवे स्टेशन, जो दक्षिण तटीय कर्नाटक के विस्तृत पश्चप्रदेश का केन्द्र बिन्दु है, के सर्वांगीण विकास का अनुरोध करता हूँ।

[illegible]ना ने मांग की है कि 2430/2431 त्रिवेन्द्रम-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस उदुपी पर थोड़ी देर के लिए रुकनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उदुपी से गुजरने वाली सभी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी को जोड़ने वाली मंगला एक्सप्रेस तथा नई दिल्ली को जोड़ने वाली त्रिवेन्द्रम राजधानी एक्सप्रेस की सभी श्रेणियों में आरक्षण कोटा बढ़ाया जाना चाहिए।

उदुपी से गुजरने वाले तीर्थयात्रियों/पर्यटकों के लाभ के लिए उदुपी रेलवे स्टेशन में विश्राम कक्ष, प्रतीक्षालय, यात्री निवास सहित यात्री सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए। मैं, रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे उदुपी रेलवे स्टेशन के विकास के लिए चालू बजट में पर्याप्त बजट का प्रावधान करें।

(आठ) महाराष्ट्र में पेयजल की गम्भीर समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : महोदय, महाराष्ट्र के संपूर्ण विदर्भ क्षेत्र को भीषण सूखे जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। जिसके परिणामस्वरूप वहां पेयजल और सिंचाई की अत्यधिक कमी हो गई है। परिणामतः पानी की और चारे की कमी से न केवल पशुधन के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया है बल्कि संपूर्ण विदर्भ क्षेत्र में गुस्से की स्थिति बन गई है।

मध्यम और छोटे स्तर की सिंचाई परियोजनाओं में जल स्तर के बहुत ज्यादा नीचे चले जाने के कारण इस क्षेत्र की मुख्य फसलों जैसे चावल, सोयाबीन, सूर्यमुखी, मूंग इत्यादि की पैदावार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। 60 प्रतिशत रबी की फसल बर्बाद हो गई है और केवल खरीफ फसल की 13 प्रतिशत ही बुआई हो पाई है। खेत मजदूर अपनी जीविका को खोने के कगार पर हैं। उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत अनेक कार्यों को आरंभ किए जाने की आवश्यकता है।

अतः विद्यमान स्थिति से निपटने के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को सभी सहायता शीघ्र उपलब्ध कराये।

(नौ) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारियों को बोनस का शीघ्र भुगतान किए जाने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : विगत में केन्द्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के कर्मचारियों को वर्ष दर वर्ष बराबर बोनस मिलता रहा है। यह उनका अधिकार है। परंतु अब पिछले चार वर्षों से, चंडीगढ़ प्रशासन ने बोनस देना बंद कर दिया है। जिससे उनके समक्ष बहुत कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। वे शांतिपूर्वक मांग कर रहे हैं कि उनके अधिकारों से उन्हें वंचित न किया जाए। इससे संबंधित फाइलें चंडीगढ़ और नई दिल्ली के मध्य घूम रही हैं और शांतिप्रिय कर्मचारी की परेशानियां जारी हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वे इस मामले पर तत्काल ध्यान दें और सभी पात्र कर्मचारियों को बकाया बोनस का भुगतान अविलम्ब किया जाए।

(दस) राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाडमेर) : महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से, सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत बाड़मेर और जैसलमेर जिले को पर्याप्त निधि आवंटन किए जाने का निवेदन करता हूं। मैं यहां यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र लगातार चार सालों से भीषण सूखे की चपेट में है जिससे वहां रोजगार के अवसर समाप्त हो रहे हैं।

मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि इस लंबे सूखे के दौरान, निधि में बढ़ोतरी करने के बजाय, पिछले 5-6 वर्षों से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन के अवसर को कम किया जा रहा है। बाड़मेर के भीषण सूखे और खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए, मैं यह निवेदन करता हूं कि बाड़मेर के लिए पर्याप्त निधि जारी की जाए। इससे रेगिस्तान के सूखा-प्रवण जिले की गरीब जनता की तकलीफों को कुछ हद तक कम करने में सहायता मिलेगी।

(ग्यारह) देश में बेरोजगारी की गम्भीर समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : नौवीं योजना के मध्यवर्ती आंकलन और बजट के अनुसार, विकास की दर 5 प्रतिशत से अधिक होने की उम्मिद नहीं है। रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है। उद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र की विकास दर लक्ष्य के अनुसार नहीं होगी। सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को वेतन न दिया जाना एक मूल समस्या है और एच.एस.सी.एल. के कर्मचारियों को पिछले 18 महीनों से वेतन नहीं मिला है। इन परिस्थितियों में हमारे देश में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है। पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या ने

50 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। केन्द्र सरकार ने अपने विभागों में भर्ती पर रोक लगाई हुई है। इस रोक को हटाया जाना चाहिए ताकि बेरोजगार युवकों को केन्द्रीय कार्यालयों में रोजगार प्राप्त हो सके। इस संदर्भ में, मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह पश्चिम बंगाल की सरकार की तरह उन्हें बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराए। 1429 वस्तुओं पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने से भारतीय बाजारों में सस्ते आयातित वस्तुओं के बाट का खतरा बढ़ गया है इसे रोका जाना चाहिए अन्यथा लघु उद्योग और कृषि क्षेत्र तबाह हो जाएंगे।

(बारह) आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में सी.जी.एच.एस. सुविधाएँ प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम) : मैं भारत सरकार, विशेषकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि, विशाखापत्तनम के औद्योगिक शहर में शीघ्र केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा की सुविधा देने के लिए त्वरित कदम उठाएं। यह केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और शहर के अन्य नागरिकों की काफी पुरानी मांग है। आज विशाखापत्तनम में एक मिलियन से अधिक जनसंख्या होने और वहां पर बड़ी संख्या में केन्द्रीय कर्मचारी होने के बावजूद भी सी.जी.एच. एस. की सुविधा न होने से परेशानियां पैदा हो रही हैं।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि विशाखापत्तनम के कर्मचारियों की परेशानियों को दूर करने के लिए सहायता करें।

[हिन्दी]

(तेरह) उत्तर प्रदेश के मछलीशहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्यान्वयन की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश विशेषकर मछलीशहर संसदीय क्षेत्र के जौनपुर एवं प्रतापगढ़ जिले, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, में सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत खामियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस क्षेत्र में उपरोक्त योजना के अंतर्गत जो कार्य किए जा रहे हैं वह प्रत्यक्ष रूप से कोई कार्य पूरा नहीं किए जाते हैं, जिससे इस क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी असंतोष है। अधिकारी, क्षेत्रीय सांसदों से योजनाओं के बारे में मशविरा नहीं करते हैं।

अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि इस क्षेत्र में सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत जो अनियमितताएं हुई हैं उसकी सी.बी.आई. से जांच कराई जाए और इस योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय सांसदों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए।

[अनुवाद]

(चौदह) बिहार में अरवल और बिहार शरीफ, बरास्ता जहानाबाद काको एकांगर सराय के बीच राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता

श्री अरुण कुमार (जहानाबाद) : मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का ध्यान जहानाबाद काको अकानगर सराई से होती हुई बिहारशरीफ से अरवल जाने वाली पी.डब्लू.डी. राज्य सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने की स्वीकृति के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं। बिहारशरीफ, जहानाबाद और अरवल से होकर तीन अलग राष्ट्रीय राजमार्ग पहले ही गुजर रहे हैं। वर्तमान में, तीनों राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाली सड़क तंग और खस्ता हालत में है। तथापि, इस पी.डब्लू. डी. सड़क पर यातायात बहुत ज्यादा है। यहां यह बताना प्रासंगिक है कि जहानाबाद और नालंदा जिले, नक्सलवादियों से प्रभावित होने के कारण गड़बड़ी वाले क्षेत्र हैं और बेहतर कानून और व्यवस्था के लिए, इस पीडब्लूडी सड़क का राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तन अत्याधिक वांछनीय है। यह पीडब्लूडी सड़क तीन अत्याधिक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल जैसे, हिन्दु देव सूर्य मन्दिर और देव कुंड शिव मंदिर, मानेर शरीफ मुस्लिम दरगाह और राजगीर का बुद्ध मंदिर, जिसके दर्शनार्थ बहुत बड़ी संख्या में हिन्दु, मुस्लिम, बौद्ध तीर्थयात्री आते हैं, को जोड़ती है।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जहानाबाद-काको-अकानगर होते हुए बिहारशरीफ से अरवल जाने वाली पीडब्लूडी राज्य सड़कों के परिवर्तन और मंजूरी हेतु त्वरित कार्रवाई करें।

[हिन्दी]

(पन्द्रह) महाराष्ट्र के नासिक जिले में फसल बीमा योजना के अंतर्गत उन किसानों को, जिनकी फसलें सूखे के कारण नष्ट हो गई हैं, मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : भारत सरकार ने बीमा फसल योजना शुरू की है। इस वजह से महाराष्ट्र राज्य जिला नासिक सहकारी संस्थाओं की सभासद किसानों ने बीमा करोड़ों रुपए का भर दिया है। नासिक जिले में भारी अकाल पड़ने से फसल नष्ट हो गई है। फसल नष्ट होने के कारण बीमा कंपनी ने नुकसान की रकम किसानों को देनी चाहिए। यही मेरी कृषि मंत्री जी से विनती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम, दूसरे मद पर चर्चा करेंगे। प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सुबह आपने यह मामला उठाया था। यह शून्य काल नहीं है। यह क्यों हो रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : समझने की कोशिश कीजिए यह 'शून्य काल' नहीं है। आप सभा की कार्यवाही में व्यवधान नहीं डाल सकते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको पता है हमने बजट सत्र के पहले चरण में कितने दिन बर्बाद कर दिये?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सभा की कार्यवाही में और कितने दिन व्यवधान डालना चाहते हैं? हमने पहले ही चरण में नौ दिनों को बर्बाद कर दिया है। पुनः आप सभा की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं। यह हो रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सभा में व किसी भी बात पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं। आप यह कौन सा तरीका अपना रहे हैं? आप सभा में नई परंपरा की शुरूआत कर रहे हैं। मुझे लगता है आप कोई चर्चा चाहते ही नहीं हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल, 18 अप्रैल 2001 को ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.03 बजे

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार 18 अप्रैल, 2001/28 चैत्र, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

. लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
मंगलवार, 17 अप्रैल, 2001/27 चैत्र, 1923 (शक)
का
शुद्धि पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
23	1	श्री एम. जनार्दन रेड्डी	श्री एन. जनार्दन रेड्डी
36	7	इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री	इस्पात मंत्रालय के राज्यमंत्री
137	नीचे से 3	इस्पात मंत्रालय में राज्यमंत्री	इस्पात मंत्रालय के राज्यमंत्री
177	नीचे से 7	कोयला मंत्रालय में राज्यमंत्री	कोयला मंत्रालय के राज्यमंत्री

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
नैशनल प्रिंटर्स, 20/3, वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110 008 द्वारा मुद्रित।